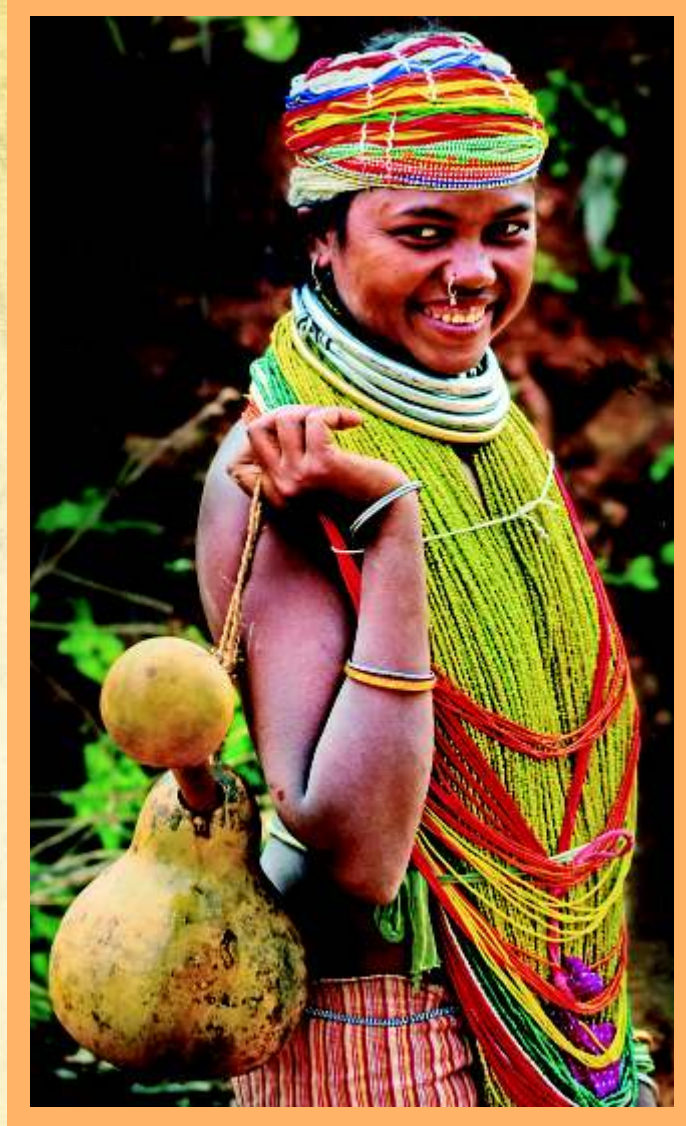




जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2009-10



भारत के महामहिम राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में जनजातीय अतिथि एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी/कार्मिक



माननीय प्रधानमंत्री वनअधिकार अधिनियम, 2006 तथा जनजातीय विकास/कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 4 नवम्बर 2009 को आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए। इसमें माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री कांति लाल भूरिया तथा माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्री तुषार ए. चौधरी एवं माननीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री जयराम रमेश तथा उनके साथ श्री जी.बी. मुखर्जी, सचिव (जनजातीय कार्य) भी उपस्थित हैं



वार्षिक रिपोर्ट 2009-10



सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार





छायाचित्र सौजन्य से :

आवरण पृष्ठ – के नागेश्वर राव

पिछला पृष्ठ – कुशल गंगोपाध्याय

विषय सूची

अध्याय

1	वर्ष 2009-2010 की विशेषताएं	1-3
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन	4-6
3	मंत्रालय : एक परिचय	7-15
4	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	16-17
5	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम	18-21
6	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	22-84
7	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम	85-97
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	98-114
9	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड तथा राज्य-स्तरीय निगमों को सहायता के लिए कार्यक्रम	115-122
10	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	123-159
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम	160-166
12	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	167-173
13	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	174-177
14	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	178-180
15	जेंडर संबंधी मामले	181-185
16	विभागीय लेखा संगठन	186-191

अनुबंध

3-क	जनजातीय कार्य मंत्रालय : संगठनात्मक संरचना	12
3-ख	वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान बजट आबंटन, संशोधित आबंटन तथा व्यय (योजना) दर्शाने वाला विवरण	13-15
5-क	वर्ष 2009-10 हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरूपित जनजातीय उपयोजना की स्थिति	21
6-क	जनसांख्यिकीय आंकड़े : जनगणना 2001	37-38

6-ख	शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)	39-40
6-ग	कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001	41-42
6-घ	पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम, 2006 – वर्ष 2009-10 (31.12.09 तक) के दौरान लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य	43-44
6-ङ	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश	45
6-च	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	46-57
6-छ	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	58-84
7-क	अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे	95
7-ख	वर्ष 2002-03 से वर्ष 2009-10 (31.12.09 तक) के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां	96
7-ग	वर्ष 2002-03 से 2009-10 (31.12.09 तक) के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशियां	97
8-क	अनुसूचित जनजाति लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	110
8-ख	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक की उपलब्धियों सहित निर्मुक्त की गई निधियां	111
8-ग	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	112
8-घ	प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	113
8-ङ	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	114
9-क	'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा	122
10-क	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची तथा राज्यवार सारांश	136-149

10-ख	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान निर्मुक्त किया गया अनुदान तथा राज्यवार सारांश	150-152
10-ग	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान वित्तपोषित संगठनों की राज्यवार सूची तथा राज्यवार सारांश	153-156
10-घ	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची तथा राज्यवार सारांश	157-159
11-क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) की राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार नाम	163
11-ख	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्ववर्ती आदिम जनजातीय समूह) के विकास की योजना के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना के तहत कवर किए गए पीटीजी परिवारों के मुखियाओं हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 2004-05 से निर्मुक्त की गई राशि दर्शाने वाला विवरण	164
11-ग	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी टी जी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात)के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31-12-2009 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण तथा राज्यवार सारांश	165-166
12-क	वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान अनुमोदित अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन और निर्मुक्त निधियां	173
13-क	वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षवार निर्मुक्त की गई राशि	176
13-ख	वर्ष 2009-10 (31-12-09 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	177
14-क	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	179-180
15-क	वर्ष 2009-10 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	184-185
16-क	जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कृत कार्रवाई (एटीएन) टिप्पण की स्थिति	190
16-ख	जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में सी एण्ड ए जी द्वारा दिए गए ऑडिट पैराओं, जो लंबित हैं, के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पण पर स्थिति	191

अध्याय 1

वर्ष 2009-2010 की विशेषताएं



1.1 अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, कल्याण और विकास पर और अधिक ध्यान देने के लिए इस वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा कई नई पहलों सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसका उद्देश्य ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों, जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है, को वनभूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्हें वन अधिकार सौंपना है, के प्रचालन हेतु इसे 31.12.2007 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 को भी दिनांक 1 जनवरी, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

1.2.1 इस अधिनियम और इसके तहत अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार इन अधिकारों को मान्यता देने तथा वन अधिकार प्रदान करने और भूमि अधिकारों के संचितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास है। इस अधिनियम को प्रचालित करने और नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11.1.2008 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए समयबद्ध समय-सीमा के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा था। इसके बाद, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में समय-सीमा के साथ-साथ कार्रवाई किए जाने वाले बिन्दुओं को भी अग्रेषित किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया गया था कि वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत

वन निवासियों तथा इस अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकरणों के मध्य इस अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। उन्हें यह भी सलाह दी गई थी कि इस अधिनियम और नियमों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा उन्हें प्रकाशित कर प्रतियां पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय और समाज कल्याण तथा वन विभाग सहित सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों तथा सरकार के सभी विभागों को वितरण की व्यवस्था करने और अधिकारियों, नागरिक प्रतिनिधियों तथा राज्य के गैर-सरकारी संगठनों के प्रबोधन को सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि में संसाधन व्यक्तियों के रूप में अन्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए बुलाया जा सके।

1.2.2 प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और योजना आयोग इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भेजी जा रही मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों के सचिवों/जनजातीय कल्याण/विकास विभाग के आयुक्तों की समीक्षा बैठकें आयोजित करके इस अधिनियम के कार्यान्वयन की सावधिक समीक्षा कर रहा है। अब तक इस प्रकार की पांच समीक्षा बैठक दिनांक 18/19.2.2008, 16.5.2008, 27.6.2008 और 11.11.2008 तथा 4/5.11.2009 को आयोजित की गई हैं।

1.2.3 भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया था कि सभी पात्र दावेदारों को दिसम्बर, 2009 के अन्त तक इस अधिनियम के अर्न्तगत अधिकार पत्रों (टाइटल डीड्स) का वितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने उपर्युक्त अंतिम तिथि के अनुपालन

हेतु राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 13.07.2009 को पत्र लिखा। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री कान्ति लाल भूरिया ने भी इस अधिनियम के क्रियान्वयन को तीव्र करने हेतु दिनांक 19.11.2009 तथा 29.12.2009 को राज्य सरकारों को पत्र लिखा ताकि सभी पात्र दावेदारों को अधिकार पत्रों के वितरण का कार्य पूर्ण किया जा सके।

1.2.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति, दिसम्बर, 2009 की अंतिम तिथि के अनुपालनार्थ राज्यों की तैयारी एवं राज्यों के कुछ प्रमुख जनजातीय विकास/कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा करने हेतु दिनांक 4 तथा 5 नवम्बर, 2009 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों (जनजातीय विकास/सामाजिक कल्याण विभागों) एवं राज्यों के मंत्रियों (वन विभागों) का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने 4 नवम्बर, 2009 को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि कुछ राज्यों ने अधिकार पत्रों के वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है परन्तु, अन्य पीछे चल रहे हैं। कुछ राज्यों में दावों को प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हो सकी है। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों एवं उनके सहकर्मियों से आग्रह किया कि वे निश्चित समय सीमा के भीतर अधिकार पत्रों के वितरण हेतु इस अधिनियम के प्रभावी एवं शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में कोई प्रयास बाकी न छोड़ें। उन्होंने पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अक्षरशः क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया तथा उल्लेख किया कि जनजातीय क्षेत्रों में विस्थापित जनजातियों को क्षतिपूर्ति करने हेतु एवं सम्पोषणीय आजीविका इत्यादि के सृजन हेतु कानून एवं प्रशासन तंत्र में सुधार के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु उन्हें प्राथमिकता देते हुए विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों के बीच समन्वय करने की आवश्यकता है।

1.2.5 मुख्यमंत्रियों, राज्यों के वन एवं जनजातीय विकास विभागों के मंत्रियों का यह सम्मेलन इस एकमत निर्णय पर समाप्त हुआ कि जनजातीय कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकतम लाभ हेतु उन कार्यक्रमों का आमेलन करना होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सम्मेलन के दूसरे दिन राज्यों ने केन्द्रित एवं आमेलित आयोजना के विषय

में अपने अनुभव बांटे। अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले राज्यों में गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के अधिकतम लाभ हेतु अपने कार्यक्रमों में समन्वय बनाने के लिए अपने अनुभव बांटे।

1.2.6 इस मंत्रालय ने इस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में पर्यवेक्षणों को, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को और आगे अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु उनके ध्यान में लाया।

1.2.7 31 दिसम्बर, 2009 तक राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 26.63 लाख से अधिक दावे फाईल किए गए हैं एवं लगभग 6.88 लाख अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 37 हजार से अधिक अधिकार पत्र वितरण हेतु तैयार हैं।

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2006 के दौरान, प्रारूप “राष्ट्रीय जनजातीय नीति” तैयार की है, जिसमें जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए हैं। इस नीति ने संविधान में निहित सिद्धांतों और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों से शक्तियां प्राप्त की हैं। साथ ही नीति में जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की शक्ति का भी पता लगाया गया है। इस नीति में कवर किए गए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित से संबंधित हैं: जनजातीय भूमि का अन्य संक्रमण; जनजातीय-वन अंतरापृष्ठ; विस्थापन; पुनर्स्थापन और पुनर्वास; मानव विकास सूचकांक में वृद्धि; महत्वपूर्ण अवसरचना का सृजन, प्रबल अभिव्यक्तियां; विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का संरक्षण और विकास, जनजातीय उपयोजना रणनीति को अपनाना, सशक्तिकरण; लिंग समानता, गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त करना, जनजातीय संस्कृति और परंपरागत ज्ञान; जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, विनियामक और संरक्षणात्मक प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि। इस नीति का मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया और व्यापक स्तर पर परामर्श किया गया। इस नीति का अंतिम मसौदा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष 31.5.2007 को अनुमोदन के लिए रखा गया। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने यह नीति राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के

साथ सुमेलित करने के लिए मंत्रियों के समूह के विचारार्थ भेजी है। मंत्रियों के समूह ने काफी विचार-विमर्श करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। तदनुसार मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को मंत्रिमंडल नोट में शामिल किया गया था और इसे दिनांक 14.7.2008 को तथा पुनः 7.11.2008 को मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था ताकि इसे अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जा सके।

मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस मंत्रिमंडल नोट को आगे परामर्श एवं संबंधित कार्रवाई हेतु मार्च, 2009 में इसे वापस किया। मंत्रालय में क्रियान्वयन सेल हेतु पदों के सृजन से संबंधित मुद्दा, इस संशोधित नोट को नीति हेतु अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल को भेजने से पहले, वित्त मंत्रालय को संदर्भित किया गया है।

1.4 मंत्रालय पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष के दौरान प्रभावी जनजातीय उपयोजना संघटक (केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के लिए 8 प्रतिशत और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में) को अलग बजट शीर्ष में रखने की और जनजातियों के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक केन्द्रीयकृत तथा एकीकृत रूप से समर्थ बनाने के लिए सक्रिय रूप से वकालत करता रहा है ताकि संसाधनों के बिखराव से बचा जा सके। ऐसे राज्यों, जो अपनी जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय उप-योजना के लिए निधियां अभिनिर्धारित नहीं कर रहे हैं, को भी मंत्रालय की चिंता से अवगत करा दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि योजना आयोग द्वारा जनजातीय उप-योजना से संबंधित राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अनुमोदित करने से पहले इन राज्यों के साथ बैठक आयोजित करने सहित जनजातीय उपयोजना दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाए।

1.5 पूर्व वर्ष की भांति ही जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से 'जनजाति : चित्रण' विषय पर तृतीय राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया। पूरे देश के 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 146 प्रतिभागियों से प्राप्त 927 फोटो में से विशेषज्ञ जूरी ने 13 पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों, 3 मुख्य पुरस्कारों तथा 10 प्रशंसनीय पुरस्कारों को चुना। पुरस्कार

विजेताओं को 5 फरवरी, 2010 को जनजातीय त्यौहार "प्रकृति" के दौरान सम्मानित किया गया।

1.6 राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार "प्रकृति" का 5 से 7 फरवरी, 2010 को दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इस समारोह को 'आदिशिल्प' के साथ एकीकृत किया गया। एकीकृत समारोह जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड तथा संस्कृति मंत्रालय का संयुक्त प्रयास था, जहां ट्राइफेड ने अपने जनजातीय उत्पादों को बेचा तथा संस्कृति मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों से कलाकारों को बुलाकर इसे जनजातीय कला तथा संस्कृति का संगम बनाया।

1.7 जनजातीय क्षेत्रों/आवास स्थलों में शिक्षा के सर्वधन हेतु मंत्रालय अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस), जो गुणवत्ता में देश के अन्य विद्यालयों के समतुल्य हैं, की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को निधियां देता है। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। इस वर्ष के दौरान ऐसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना हेतु मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में संशोधन किए हैं, जिसके तहत ईएमआरएस की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को उत्साहित किया जा रहा है। ऐसे नए ईएमआरएस हेतु निधियों में काफी वृद्धि की गई है तथा प्रत्येक ईएमआरएस हेतु गुणवत्ता पूर्ण मानक के प्रस्ताव किए गए हैं तथा संशोधित लागत अब इस प्रकार है:-

(i) छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टर सहित विद्यालय परिसर हेतु पूंजी लागत की राशि अब 12.00 करोड़ रुपये है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों, मरूस्थलों एवं द्वीपों में इस राशि में वृद्धि कर इसे 16.00 करोड़ रुपये तक करने का प्रावधान है। इसमें किसी प्रकार की वृद्धि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी।

(ii) फीडर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रथम वर्ष के दौरान आवर्ती लागत निम्नांकित होगी:-

- फीडर कक्षा (6 -10) - 125.00 लाख रुपये (लगभग प्रति छात्र 42,000/- रुपये)
- अंतिम (कक्षा 11 तथा 12) - 140.00 लाख रुपये (लगभग प्रति छात्र 42,000/-रुपये)।

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन



2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करने एवं उन्हें पूरक बनाने तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने से संबंधित है। यद्यपि, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रालयों की होती है, तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से बनाई गई अनूकल योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से, उनके प्रयासों, को पूरक बनाता है। आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित ये योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है और इनका ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2.3 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, इसलिए उनकी शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए इस वर्ष के दौरान अधिकतम प्रयास किए गए।

2.4 अनुसूचित जनजातियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वोपरि स्कीम “मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” (पीएमएस) को एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना

के रूप में जारी रखा गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान 31 दिसम्बर, 2009 तक 199.34 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

2.5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) की योजना में 1.04.09 से संशोधन हुआ है तथा संशोधित योजना के प्रावधान राज्य एवं एनजीओ द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र दोनों हेतु समान रूप से लागू हैं।

2.6 वर्ष 2009-10 के दौरान 31.12.2009 तक, मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में कम साक्षरता वाले पॉकेटों में महिला साक्षरता के विकास हेतु ‘कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को सुदृढ़ करने’ की योजना के तहत 14 शैक्षिक परिसरों को निधियाँ उपलब्ध कराई हैं। राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को 3.35 करोड़ रुपये का अनुदान देकर अनुसूचित जनजाति की लगभग 1983 छात्राओं को इसके अंतर्गत लाया गया।

2.7 “स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान” योजना के तहत वर्ष 2009-10 के दौरान 31.12.2009 तक लगभग 237 परियोजनाओं, यथा-आवासीय विद्यालय और गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, सचल औषधालय तथा 10 या अधिक बिस्तरों वाले चिकित्सालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रामीण रात्रि विद्यालय, कृषि प्रशिक्षण आदि हेतु 25.04 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया है और इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 509452 अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों को लाभ मिला है।

2.8 “विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास” योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-2010 के दौरान 31.12.2009 तक, मंत्रालय ने

“आदिम जनजातियों के लिए संरक्षण-सह-विकास योजनाओं” (सी.सी.डी.) के अनुसार प्राथमिकता वाले कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए 6 राज्यों को 40.43 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की है।

2.9 मंत्रालय “अनुसंधान सूचना और जन-शिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य” योजना के तहत अनेक कार्यकलाप करता है जिनमें अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ विख्यात संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान और मूल्यांकन, सम्मेलन/कार्यशालाएं और प्रकाशन, फोटो प्रतियोगिताएं, जनजातीय त्यौहार, जनजातीय खेलकूद, जनजातियों द्वारा दौरो का आदान-प्रदान और राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार शामिल हैं। राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी के आधार पर 17 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को भी अनुदान प्रदान किया जाता है। ये जनजातीय अनुसंधान संस्थान अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करते हैं, आंकड़े एकत्र करते हैं, परम्परागत कानून को संहिताबद्ध करते हैं और प्रशिक्षण, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं तथा इस प्रकार राज्य सरकारों को योजना-इनपुट प्रदान करते हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के तहत 6.50 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जाने की आशा है।

2.10 मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाले अवसरों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली पहलों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्षों की तरह ही मंत्रालय ने जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए टू टीएसपी) योजना के तहत जनजातीय उप-योजना राज्यों को निधियों को निर्मुक्त करना जारी रखा। दिनांक 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2009-10 के कुल परिव्यय 900.50 करोड़ रुपये में से 449.67 करोड़ रुपये निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

2.11 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर धनराशि निर्मुक्त करने की प्रथा को वर्ष 2009-10 में जारी रखा गया। 31.12.2009 तक विभिन्न राज्यों को अपने यहां की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए 340.85 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई। वर्तमान वर्ष के दौरान इस शीर्ष से

निधियन द्वारा ईएमआरएस की स्थापना हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की मंत्रालय की नीति को जारी रखना है।

2.12 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक राष्ट्रीय स्तर के एक अन्य संगठन ने अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त प्रदान करने, सरलीकरण एवं निधियां जुटाने के लिए एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2009-10 के दौरान निगम ने 150 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में 31.12.09 तक 32541 लाभार्थियों हेतु 119.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के तहत 5579 महिला लाभार्थियों हेतु 12.74 करोड़ रुपये तथा माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत 9163 लाभार्थियों हेतु 4.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है। इस वर्ष के दौरान निगम ने स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 23.60 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए हैं।

2.13 मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बहु-राज्य सहकारी समिति, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) लिमिटेड को ट्राइफेड के नए रोड मैप के अंतर्गत निम्नलिखित चार मुख्य कार्यकलाप करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम “जनजातीय उत्पादन/उत्पादों का विपणन विकास” के तहत सहायता-अनुदान प्रदान किया है:

- (i) खुदरा विपणन विकास
- (ii) एमएफपी विपणन विकास
- (iii) अनुसूचित जनजातीय शिल्पकारों/एमएफपी संग्राहकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण
- (iv) अनुसंधान और विकास/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर)

मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 के दौरान (31.12.2009 तक) ट्राइफेड को इस स्कीम के तहत 9.68 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

2.14 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना “राज्य जनजातीय विकास निगमों (एसटीडीसीसी) इत्यादि को लघु वन उत्पाद (एमएफपी) प्रचालनों के लिए सहायता-अनुदान” के तहत मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से एसटीडीसीसी को लघु वन उत्पाद प्रचालनों (एमएफपी) का प्रापण और प्रसंस्करण, भण्डारण भवनों का निर्माण, अनुसंधान और विकास कार्यकलाप इत्यादि) को करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) में विभिन्न एसटीडीसीसी को 5.21 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

2.15 जनजातीय विकास से संबंधित अंतर क्षेत्रक मुद्दों पर स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुंगेकर, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग हैं और जनजातीय विकास से संबंधित कुछ मुख्य मंत्रालयों के सचिव इसके सदस्य हैं, ने “अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और शासन के मानक” विषय पर अपनी तीसरी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2009 को प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट मंत्रालय में जांच के अधीन है।



अध्याय 3

मंत्रालय : एक परिचय



अधिदेश

3.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्टूबर, 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत अल्पसुविधा प्राप्त वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप करता है। इनमें शामिल हैं -

- (1) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।
- (2) जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण योजना बनाना, परियोजनाओं का प्रतिपादन करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण।
- (3) जनजातियों के कल्याण में स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास।
- (4) अनुसूचित जनजातियां, जिसमें इन जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं।
- (5) अनुसूचित जनजातियों का विकास।

5(क) वन भूमियों पर वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संबंध में विधान सहित सभी मामले।

टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति, आयोजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। क्षेत्रक कार्यक्रमों

और इन समुदायों की नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि के विकास की योजनाओं के विषय में, इनका समन्वय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है, नोडल मंत्रालय या विभाग होगा।

- 6(क) सड़कों, पुल निर्माण कार्य तथा उन पर नौघाटों को छोड़कर असम के स्वायत्त जिलों से संबंधित मामले; और
- (ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से संलग्न सारणी के भाग “क” में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम।
- 7(क) आयोग अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देता है; तथा
- (ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश जारी करना।

8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

9 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989(1989 का 33) का कार्यान्वयन, जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराधों के संबंध में आपराधिक मामलों का न्याय करना शामिल नहीं है।

भूमिका

3.2 इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उन्हें पूरक बनाने के लिए हैं तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए है। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से अनुकूल बनाई गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए अपने प्रयासों को पूरक बनाता है। इनमें आर्थिक, शिक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

3.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री कांति लाल भूरिया और माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. तुषार ए. चौधरी तथा मंत्रालय के सचिव श्री गौतम बुद्ध मुखर्जी के समग्र मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। सचिव के कार्य में संयुक्त सचिव डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव, श्रीमती रुचिरा पंत, उपमहानिदेशक (सांख्यिकी) श्री एस. के. गुप्ता, उपमहानिदेशक (सांख्यिकी) श्री प्रदीप कुमार डे और आर्थिक सलाहकार श्रीमती उर्वशी साधवानी सहायता करते हैं। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में श्री एस. के. राय और मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में श्री ए. एन. बक्शी, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सहायता करते हैं। इस मंत्रालय के संगठन में प्रभाग, अनुभाग और एकक हैं। प्रत्येक प्रभाग के अध्यक्ष उपसचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय में (5 वेतन एवं लेखा कार्यालय के पदों सहित) कुल 134 कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं, और कार्यशील संख्या 107 है, जिसमें समूह “क” के 33 पद, समूह “ख” के 54 पद, समूह “ग” के 31 पद तथा समूह “घ” के 16 पद हैं। मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना **अनुबंध: 3-(क)** पर दी गई है।

प्रशासन

3.4 मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना और सामान्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रशासन प्रभाग में कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और इस मंत्रालय के संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे आर्थिक सेवा से संवर्ग, विभिन्न सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इस प्रभाग में कार्रवाई की जाती है।

3.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी स्थापना के समय से ही स्थान की समस्या से जूझ रहा है। कुछ प्रभाग अर्थात् अनुसंधान और मीडिया प्रभाग, योजना एवं विविध, सांख्यिकी एवं सहकारी विपणन तथा विनियमन प्रभाग अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस में स्थानांतरित कर दिये गये हैं। कर्मचारियों एवं वाहनों के समन्वय हेतु अतिरिक्त प्रयास किया जाता है। मंत्रालय द्वारा इच्छित, मंत्रालय की, नई गतिविधियों एवं अनदेखा किए गए कार्यकलापों को निष्पादित करने हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों को स्थान उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी समस्या होगी।

कंप्यूटर केन्द्र (एनआईसी)

3.6 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विकास और प्रचालन के लिए शास्त्री भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है। एनआईसी ‘लैन’ तथा ‘वैन’ के कार्यक्रम का रख रखाव कर रहा है। नये एंटी वायरस सर्वर और पैच प्रबंधन सर्वर की स्थापना शास्त्री भवन में विंडोज और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन उन्नयन तथा पैच प्रबंधन के लिए की गई है।

3.7 एनआईसी ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए अगस्त क्रांति भवन में 20 एमबीपीएसआरएफ के बैक-अप सहित सीजीओ कम्पलैक्स, एनआईसी मुख्यालय से 2 एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए भी लैन/मैन की स्थापना की है।

3.8 मंत्रालय की वेबसाइट का अद्यतनीकरण (**URL: <http://www.tribal.gov.in>**) किया जाता है जैसे कि

(अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, शिक्षा प्रभाग, अनुसंधान और मीडिया की अधिसूचनाएं, नियम, समाचार, योजनाएं आदि समय-समय पर वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।

3.9 एनआईसी; ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी को आईटी सहायता भी प्रदान करता है और इनकी वेबसाइट जैसे:

<http://www.trifed.nic.in>,

<http://www.tribes.nic.in>,

<http://www.ncst.nic.in>,

<http://www.nstfdc.nic.in> का रखरखाव करता है।

3.10 वन अधिकार के कार्यान्वयन के लिए वेब आधारित पोर्टल अनुवीक्षण प्रणाली को लागू किया गया है और विभिन्न राज्यों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। क्रियान्वयन स्थिति की नियमित अद्यतन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है। राज्य अनुदानों हेतु योजना की वेब आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाती है तथा क्रियान्वित की जा रही है। वेब आधारित उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति एमआईएस भी विकास के अधीन है। समग्र डीडीओ (कॉम.डीडीओ) के विभिन्न मॉड्यूल यथा वेतन, सामान्य भविष्य निधि, आयकर, बोनस, आकस्मिक निधि तथा बिल को भी कार्यान्वित किया गया है। एनआईसी के विभिन्न सॉफ्टवेयर यथा सीपीजीआरएएमएस, ई-सर्विस बुक, एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली, आरटीआई वार्षिक रिटर्न, गैर-सरकारी संगठन सहभागिता क्रियान्वित की जा रही है। मंत्रालय के इन्ट्रा-ट्राइबल (इन्ट्रागैब-जी2ई) का विकास किया जा रहा है एवं शीघ्र ही इसका उद्घाटन किया जाएगा।

3.11 भारत सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय की वेबसाइट का पुनः डिजाइन बनाया गया एवं 26 सितम्बर, 2009 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री कांति लाल भूरिया ने माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. तुषार ए. चौधरी, मंत्रालय के अन्य अधिकारियों तथा टीवी एवं प्रिंट मीडिया पत्रकारों के समक्ष इसका उद्घाटन किया।

बजट आबंटन

3.12 मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 3205.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटन था और संशोधित अनुमान 2000.00 करोड़ रुपये था। वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई कुल निर्मुक्तियां 1601.87 करोड़ रुपये हैं, जो संशोधित अनुमान का 80.09 प्रतिशत है।

3.13 वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान योजना-वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय का ब्यौरा **अनुबंध : 3-(ख)** में दिया गया है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.14 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है। हिन्दी अनुभाग में एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवादक, दो कनिष्ठ अनुवादक हैं। यह अनुभाग अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनियम का कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय के अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति को भी मानीटर करता है।

3.15 मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 107 है जिनमें से अधिकांश को या तो हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है अथवा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

राजभाषा अधिनियम/नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3.16 राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम, 2009-10 में विभिन्न कार्यालयों/क्षेत्रों आदि के साथ किए जाने वाले पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्र हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई गई हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

3.17 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

हिन्दी पखवाड़ा

3.18 मंत्रालय में दिनांक 1 से 15 सितम्बर, 2009 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी में टिप्पण लेखन, हिन्दी निबंध लेखन और हिन्दी टंकण जैसे कार्यक्रमों और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साह से भाग लिया।

सतर्कता कार्यक्रम

3.19 डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव को दिनांक 28.03.2007 से मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ नियुक्त किया गया। सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय के सचिव की सहायता करते हैं और मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच सम्पर्क-सूत्र का कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त सतर्कता संबंधी कार्य भी देखते हैं। मंत्रालय में निदेशक (सतर्कता) मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों को निभाने में सहायता करते हैं। जनता की जानकारी के लिए कार्यालय परिसर में मानक सूचना पटल लगाए गए हैं।

3.20 केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसरण में मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2009 से 07.11.2009 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2009 को

मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को शास्त्री भवन में और उप-महानिदेशक (डीडीजी) ने अगस्त क्रांति भवन में मंत्रालय के कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

3.21 डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव को दिनांक 16.1.2007 से निदेशक, शिकायत के तौर पर नामोद्दिष्ट किया गया है। डॉ. सिंह के सम्पर्क विवरण जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। शिकायत निदेशक अधिकारियों/ कर्मचारियों से और कभी-कभार उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनी जाती हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह, 2010

3.22 मंत्रालय ने इस वर्ष भी वर्ष 1952 से अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो-दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक पुरुष और एक महिला को भारत सरकार के जनजातीय अतिथियों के रूप में गणतंत्र दिवस परेड और समारोह, 2010 को देखने के लिए आमंत्रित किया। 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से 53 जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्र दिवस परेड, 2010 देखी।



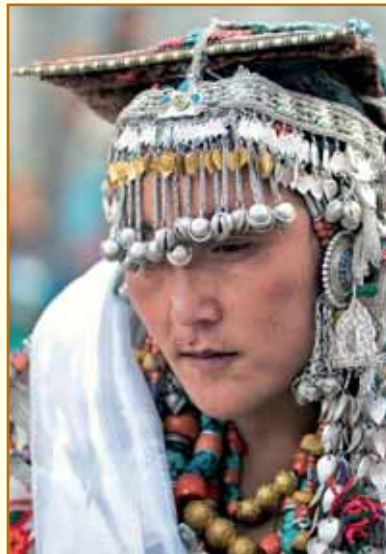
गणतंत्र दिवस परेड, 2010 के दौरान नई दिल्ली में राजपथ पर “वनअधिकार अधिनियम, 2006” विषय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रदर्शित झांकी।

3.23 गणतंत्र दिवस समारोह, 2010 को देखने हेतु 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 53 जनजातीय अतिथि एवं 8 पीटीजी अतिथि आये तथा उन्होंने प्रधानमंत्री की 28 जनवरी, 2010 को एनसीसी की रैली तथा 29 जनवरी, 2010 को बीटिंग रिट्रीट भी देखा। जनजातीय अतिथियों ने 27 जनवरी, 2010 को भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से भी भेंट की एवं माननीय प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी, 2010 को उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया। उन्होंने रक्षा मंत्री से भी भेंट की। जनजातीय कार्य मंत्री/जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने जनजातीय अतिथियों के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया एवं उन्हें पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री द्वारा दिये गए उपहार भी उन्हें दिए गए। जनजातीय मेहमानों ने दिनांक 30.01.2010 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

3.24 मेहमानों को दिल्ली और उसके आसपास के दर्शनीय स्थानों पर ले जाया गया। उन्होंने आगरा, फतेहपुर सीकरी का भ्रमण किया और मथुरा के मंदिरों में दर्शन किए।

संसदीय स्थायी समिति

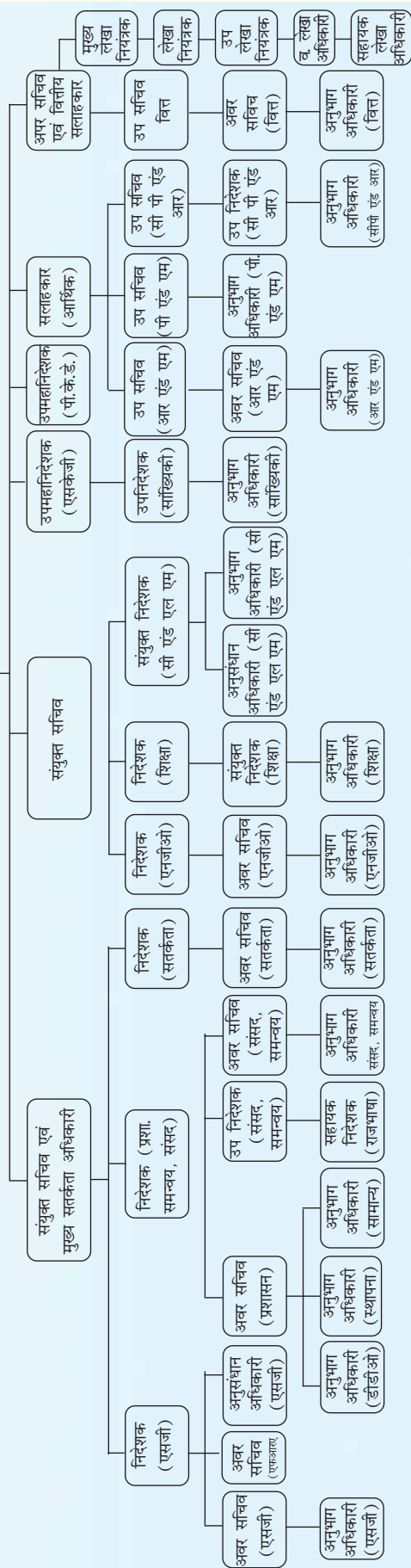
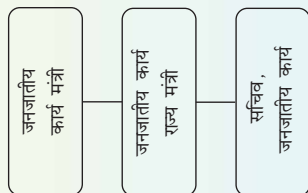
3.25 डॉ मानदा जगन्नाथ की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2009-10) ने वर्ष 2009-10 के लिए मंत्रालय की “अनुदान की मांगें” की जांच करने के संबंध में मंत्रालय के विभिन्न प्रतिनिधियों का 20.10.2009 को साक्ष्य लिया। स्थायी समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट लोकसभा में 17.12.2009 को पेश की, जो इसी दिन राज्यसभा के पटल पर भी रख दी गई।



जनजातीय कार्य मंत्रालय संगठनात्मक संरचना

एजजी : राज्य अनुदान
प्रशा. : प्रशासन
सं.सम. : संसद एवं समन्वय
सी पी एंड आर : सहकारी विपणन एवं विनियम
एनजीओ : गैर-सरकारी संगठन
शि. : शिक्षा
सी एंड एल एम : संवैधानिक व विधायी मामले
अनुसं. एण्ड मी. : अनुसंधान
एफआरए : वन अधिकार अधिनियम
पीएण्डएम : योजना एवं विविध
सत : सतर्कता
सोख्य : सांख्यिकी
वि. : वित्त
स्था : स्थापना
रा.भा. : राजभाषा

अ.स.एवं वि.स. : अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
मु.स.अ. : मुख्य सतर्कता अधिकारी
उ.म.निदे. : उप महा निदेशक
मु.ले.नि. : मुख्य लेखा नियंत्रक
निदे. : निदेशक
उ.स. : उप सचिव
सं.निदे. : संयुक्त निदेशक
अ.स. : अवर सचिव
उ. निदे. : उप निदेशक
व.ले.अ. : वरिष्ठ लेखा अधिकारी
स.ले.अ. : सहायक लेखा अधिकारी
अनु.आध. : अनुभाग अधिकारी
स. नि. : सहायक निदेशक



अनुबंध: 3-ख

वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (31.12.2009 तक)
के दौरान बजट आबंटन, संशोधित आबंटन तथा व्यय (योजना) दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)											
मुख्य शीर्ष	उपयोजनाओं का विवरण	योजना का नाम	2007-08			2008-09			2009-10*		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
क्र.	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं										
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कोचिंग और सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजाति के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	30.00	30.00	34.4993	26.10	29.10		35.95	35.95	23.37
2225	अनुकरणीय सेवा के लिए गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन		0.50	0.50		0.70	0.70	40.30	0.80	0.30	
2225	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		1.30	1.30	1.2999	2.50	3.00	2.6088	5.50	3.00	2.4100
	2225 का कुल		31.80	31.80	35.80	29.30	32.80	42.9088	42.25	39.25	25.78
3601	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		1.00	1.00	1.00	0.19	0.20	0.20	0.49	0.00	0.00
3602	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		0.20	0.20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	2225, 3601, 3602 का कुल		33.00	33.00	36.7992	29.50	33.00	43.1088	42.75	39.25	25.78
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	2.25	2.25	2.25	3.00	1.50	1.4739	3.72	2.00	0.00
3601			6.00	6.00	6.75	6.00	6.00	6.9724	10.00	0.00	0.00
	कुल		8.25	8.25	9.00	9.00	7.50	8.4463	13.72	2.00	0.00
2225	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	19.75	19.75	19.75	60.00	40.00	40.00	50.00	33.50	3.02
2225	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन निवेश/मूल्य समर्थन	जनजातीय उत्पादों/उत्पाद का विपणन विकास	29.99	21.70	20.5084	18.99	21.20	21.20	19.86	19.86	9.68
4225	ट्राइफेड में निवेश		0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		30.00	21.70	20.5084	19.00	21.21	21.20	19.86	19.86	9.68
3601	लघु उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	लघु उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	20.00	20.00	18.48	40.00	16.00	16.00	10.00	10.00	5.21
2225	जनजातीय समूहों का विकास	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह	6.00	6.00	5.4389	4.00	4.00	3.0412	4.00	4.00	0.34
3601			34.00	52.42	52.42	169.00	185.00	189.0266	151.00	75.00	37.63
	कुल		40.00	58.42	57.8589	173.00	189.00	192.0678	155.00	79.00	37.97
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन	35.00	35.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
4225	राज्य जनजाति वित्त एवं विकास निगम										
	कुल		35.00	35.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/योजनाएं	अनुमोदित योजना का नाम	2007-08			2008-09			2009-10		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
4225	आदिवासी भवन का निर्माण	आदिवासी भवन का निर्माण	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2225	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	26.00	26.00	26.00	29.00	29.00	31.0324	42.00	30.00	30.00
2225	एनआईटीए	एनआईटीए	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2225	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च स्तर के संथान की योजना	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च स्तर के संथान की योजना	10.00	1.50	1.0490	10.00	2.50	1.2161	4.00	1.75	0.06
2225	राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	1.00	0.23	0.1359	2.00	0.15	0.0118	0.50	0.31	0.04
क का कुल (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)			224.01	224.86	189.5814	421.50	338.36	353.0832	387.83	215.67	111.76
ख	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं										
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजातिय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	1.25	0.10	0.0038	0.10	0.10	0.0014	0.10	0.02	0.00
2225	पुस्तक बैंक										
	2225 का कुल		1.25	0.10	0.00	0.10	0.10	0.0014	0.10	0.02	0.00
3601	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		160.19	160.19	199.99	192.99	192.90	225.8317	215.85	215.85	199.32
3601	पुस्तक बैंक										
3601	अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिभा उन्नयन की योजना		1.75	1.75	1.3588	2.00	2.00	0.7330	2.00	0.50	0.06
	3601 का कुल		161.94	161.94	201.35	194.90	194.90	226.5647	217.85	216.35	199.38
2225 तथा 3601 का कुल			163.19	162.04	201.3526	195.00	195.00	226.5661	217.95	216.37	199.38
2225	लड़कियों के छात्रावास	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	11.00	11.00	11.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	0.00
2225	लड़कों के छात्रावास										
	2225 का कुल		11.00	11.00	11.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	0.00
3601	लड़कियों के छात्रावास		23.50	23.50	26.00	54.00	54.00	59.00	54.00	54.00	26.64
3601	लड़कों के छात्रावास										
	3601 का कुल		23.50	23.50	26.00	54.00	54.00	59.00	54.00	54.00	26.64
	2225 तथा 3601 का कुल		34.50	34.50	37.00	61.00	60.00	65.00	59.00	59.00	26.64
2225	आश्रम स्कूलों की स्थापना	आश्रम स्कूलों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601			20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	41.00	41.00	30.00
	कुल		20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	41.00	41.00	30.00

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/योजनाएं	अनुमोदित योजना का नाम	2007-08			2008-09			2009-10		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय**
2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार व अन्य	0.26	0.30	1.6939	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
2225	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार		0.14	0.00		0.14	0.14	0.00	0.17	0.00	0.00
2225	उत्कृष्टता केन्द्र		0.20	0.20		0.60	0.60	0.4790	1.00	0.60	
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय प्रकृति या अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थक योजनाएं		1.00	1.00		1.00	1.00	0.6493	1.00	0.65	0.02
2225	सूचना एवं मास मीडिया		1.00	1.26		1.25	1.50	0.8816	1.75	1.75	
2225	जनजातीय त्यौहारों का आयोजन		0.60	0.60		0.70	0.70	0.6992	1.50	1.50	
2225	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान		0.30	0.30		0.45	0.45	0.00	0.45	0.20	
	2225 का कुल		3.50	3.66	1.6939	4.74	4.39	2.7091	6.47	4.70	0.02
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		6.00	6.00	5.5461	10.26	8.00	6.8708	10.00	5.50	0.00
	2225 तथा 3601 का कुल		9.50	9.66	7.24	15.00	12.39	9.5799	16.47	10.20	0.02
2225	मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	0.50	0.64	0.049	0.50	0.75	0.3266	0.75	0.35	0.07
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	1.00	0.5545	1.50	0.50	0.0641	1.50	0.95	0.25
	ख का कुल (केन्द्रीय प्रायोजन योजनाएं)		228.69	227.84	266.1961	303.00	298.64	331.5367	336.67	327.87	256.36
	ग-एकमुश्त प्रावधान										
2552	पूर्वोत्तर क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	50.30	50.30	0.00	80.50	80.50	0.00	80.50	76.12	0.00
4522			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2552 तथा 4522 का कुल		50.30	50.30	0.00	80.50	80.50	0.00	80.50	76.12	0.00
	क+ख+ग का कुल		503.00	503.00	455.78	805.00	717.50	684.62	805.00	619.66	368.12
	घ विशेष केन्द्रीय सहायता										
3601	जनजातीय योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	जनजातीय योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	816.71	816.71	678.2643	900.00	860.50	780.8683	900.50	481.24	449.67
3601	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत योजना	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत योजना	400.00	400.00	390.2769	416.00	392.00	339.7841	1000.00	399.10	340.85
3601	अनुसूची 5 एवं नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	अनुसूची 5 एवं नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	443.23
	ग (विशेष केन्द्रीय सहायता)		1216.71	1216.71	1068.54	1316.00	1252.50	1120.65	2400.50	1380.34	1233.75
	क+ख+ग का सकल योग		1719.71	1719.71	1524.3187	2121.00	1970.00	1805.2723	3205.50	2000.00	1601.87

* विनियोजन लेखा स्तर III के अनुसार

** 31.12.09 तक



अध्याय 4

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग



4.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य संरक्षणात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। तथापि, 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं और उनके समाधानों की तुलना में कहीं अधिक भिन्न थे, जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र तंत्र का होना आवश्यक समझा गया, इसलिए संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338(क) का समावेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 से एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

4.2 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में श्रीमती उर्मिला सिंह - (24 जनवरी, 2010 तक), अध्यक्ष, श्री मौरिस कुजुर, उपाध्यक्ष और श्री शैरिंग सैम्फेल तथा श्री ओरिस सियीन मिराड्व, सदस्य हैं। वर्तमान में, इसमें अध्यक्ष एवं

एक सदस्य के पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य, कार्यकलाप और शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 338(क) के उपखंड (5), (8) और (9) में दी गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अन्य कार्यों का विनिर्देशन) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग सुरक्षा, कल्याण, विकास एवं उन्नयन से संबंधित कुछ अन्य कार्य भी करेगा, अर्थात् :

- (क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;
- (ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;
- (ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए कार्य करना;
- (घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;
- (ङ) जनजातीय लोगों का भूमि से हस्तांतरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही हस्तांतरण हो चुका है;
- (च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने और शामिल करने के लिए किए जाने वाले उपाय;
- (छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा खेती को बंटाई पर देने, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, प्रक्रिया को कम करने और अन्ततः समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

4.4 आयोग के मुख्य कर्तव्य हैं अनुसूचित जनजातियों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और मॉनीटर करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यक्रम का मूल्यांकन करना; और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करने के सभी अधिकार हैं, अर्थात् :

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना एवं बुलावा भेजना

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित कर सकता है।

4.5 338 (क) के खंड (9) में यह प्रावधान है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

4.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के स्थान और क्षेत्राधिकार नीचे दी गई तालिका में हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के पते एवं क्षेत्राधिकार

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा नं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (टेलीफोन: 0755-2578272/2576530)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप
2.	एन-1/297, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर-751015 (टेलीफोन: 0674-2551616/2551818)	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र तथा पुदुचेरी
3.	सी-29, लाल कोठी योजना, एसएमएस स्टेडियम के पीछे, पंकज सिंघवी मार्ग, जयपुर-302015 (टेलीफोन: 0141-2741173/2743199)	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र और दमन व दीव
4.	आर-26, सैक्टर-2, अवन्ती विहार, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर-492006 (टेलीफोन + 0755-2560869)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची (टेलीफोन: 0651-2340368/2341677)	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6.	रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमैरी, (टेलीफोन: 0364-2221362/2504202)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

तथा उसे शपथ दिलाकर जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

4.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्ष 2006-07 के लिए द्वितीय रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को दिनांक 3.9.2008 को प्रस्तुत कर दी गई है।



अध्याय 5

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम

5.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति तैयार करने के स्थान पर सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के प्रावधानों पर जोर दिया गया। इस योजना के अंत तक (1954), 43 विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाएं बनाई गईं। इन विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाओं से जनजातीय लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जा सका क्योंकि इन योजनाओं की संख्या ज्यादा थी और ये लगभग एक ही प्रकार की थी। यही दृष्टिकोण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जनजातीय विकास के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार की गई जिसमें उन सामुदायिक विकास ब्लॉकों, जिनमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता 66 प्रतिशत और उससे अधिक थी, को जनजातीय विकास ब्लॉकों में परिवर्तित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में जनजातीय विकास ब्लॉकों की संख्या 504 तक बढ़ गई। जनजातीय विकास ब्लॉकों के माध्यम से विकास की इस कार्यनीति की अपनी सीमाएं थीं और इसलिए यह जनजातीय विकास ब्लॉकों के बाहर रहने वाली देश की जनजातीय आबादी जिसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या सम्मिलित है, के हितों का समाधान करने में विफल रही है।

विद्यमान कार्यनीति - जनजातीय उपयोजना

5.2 जनजातीय लोगों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रो. एस.सी. दुबे की अध्यक्षता में शिक्षा और

समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1972 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जनजातीय उपयोजना कार्यनीति तैयार की गई जिसे पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया।

अपनाई गई यह कार्यनीति तब से जारी है। जनजातीय उपयोजना कार्यनीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- (i) किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के सीमा क्षेत्र के भीतर जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित योजना तैयार करना उस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की समग्र योजना का एक भाग है और इसलिए इसे उपयोजना कहा जाता है।
- (ii) जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां कम से कम प्रत्येक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की जनजातीय आबादी के अनुपात के बराबर होनी चाहिए।
- (iii) किसी राज्य अथवा किसी संघ शासित क्षेत्र की जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र, की समग्र योजना से मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होते हैं।
- (iv) जनजातीय उपयोजना में निम्नलिखित कार्यनीतियों की व्यवस्था होनी चाहिए :-
 - (क) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए संसाधनों की पहचान करना;
 - (ख) विकास के लिए मोटे तौर पर नीतिगत ढांचा तैयार करना; तथा
 - (ग) इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक कार्यनीति को परिभाषित करना।
- (v) जनजातीय उपयोजना कार्यनीति को 22 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। टीएसपी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तालिका 5.1 में दिए गए हैं।

तालिका 5.1 : टीएसपी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

1. आंध्र प्रदेश	13. महाराष्ट्र
2. असम	14. मणिपुर
3. बिहार	15. उड़ीसा
4. छत्तीसगढ़	16. राजस्थान
5. गोवा	17. सिक्किम
6. गुजरात	18. तमिलनाडु
7. हिमाचल प्रदेश	19. त्रिपुरा
8. जम्मू और कश्मीर	20. उत्तर प्रदेश
9. झारखंड	21. उत्तराखंड
10. कर्नाटक	22. पश्चिम बंगाल
11. केरल	23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
12. मध्य प्रदेश	24. दमन और दीव

(vi) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों और लक्षद्वीप तथा दादरा व नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय उपयोजना की अवधारणा लागू नहीं होती क्योंकि इन राज्यों में जनजातीय जनसंख्या यहां की कुल जनसंख्या के 80 प्रतिशत से अधिक है और इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वार्षिक योजना स्वयं में जनजातीय योजना है।

5.3 जबकि राज्यों से अपने यहाँ की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर जनजातीय उपयोग के तहत निधियां प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है और जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा योजना आयोग दोनों ने ही राज्यों को ऐसा करने के लिए पत्र लिखा था तथापि राज्यों ने वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना तैयार करते समय दुर्भाग्यवश इसका अनुपालन नहीं किया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना के परिचय और जनजातीय उपयोजना के तहत संबंधित अनुपात अथवा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध: 5-क** में दिया गया है।

केन्द्रीय मंत्रालयों का जनजातीय उपयोजना घटक

5.4 जनजातीय उपयोजना की कार्ययोजना का पालन केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में भी किए जाने की अपेक्षा की

जाती है। इसलिए, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निधियों का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने की जरूरत है। योजना आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को ऐसा करने का अनुरोध किया था कि वे अपनी वार्षिक योजनाओं में देश में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता अर्थात् वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 8.2 प्रतिशत के अनुसार जनजातीय उपयोजना के लिए निधियों का निर्धारण करें।

5.5 अनेक मंत्रालयों ने परियोजनाओं के अलग-अलग स्वरूप का उल्लेख करते हुए इनमें जनजातीय उपयोजना घटक का अलग से प्रावधान करने में कठिनाई के बारे में सूचित किया है, क्योंकि उनकी परियोजनाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित सभी समुदायों पर लागू होती हैं। मंत्रालय ने इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए जनजातीय उपयोजना के संबंध में अलग तरह की कार्यनीति का सुझाव देने के लिए योजना आयोग से सम्पर्क किया है।

राज्य सरकारों की जनजातीय उपयोजना

5.6 योजना आयोग ने भी राज्यों को निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है कि राज्य के कुल बजट परिचय में से जनजातीय उपयोजना हेतु राशि आरक्षित रखें, जो अलग बजट शीर्ष कोड 796 में रखी जानी है। योजना आयोग द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय उपयोजना की निधियां अपरिवर्तनीय तथा अव्यपगत है। इन दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था भी की गई है कि राज्यों में जनजातीय उपयोजना के निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

5.7 जनजातीय उपयोजना को अपनाने के लिए, जैसा कि जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की निर्मुक्ति हेतु दिशा-निर्देशों में उपबंधित है, कुल आबंटन के 10 प्रतिशत की राशि निर्धारित की जाती है एवं इसे उन राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है, जो जनजातीय उपयोजना क्रियान्वयन से संबंधित विगत समय में निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि हेतु अर्हता प्राप्त करते हैं, अर्थात् जो पूर्व वर्ष में कार्यान्वयन एजेन्सियों को राज्य के जनजातीय विकास विभाग के

बजट शीर्ष के माध्यम से अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधियों की 75 प्रतिशत से अधिक राशि उपयोग कर चुके हैं।

5.8 भारत के अनुच्छेद 275(1) के अर्न्तगत अनुदान कार्यक्रम के तहत निधियों की निर्मुक्ति हेतु दिशा निर्देशों में समान रूप से दस प्रतिशत आबंटन का प्रावधान है, जिसके अर्न्तगत ऐसी निधियां उन 22 राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं, जो उपर्युक्त रूप से अर्हता प्राप्त करते हैं; तथा 4 जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के तहत निर्मुक्त अनुदान के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग करना ऐसी विशेष निधियों हेतु अर्हता मानदण्ड हैं। अभिनव परियोजनाओं हेतु अनुदान पर विचार करने के लिए मंत्रालय राज्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन राशियों को अभिनव परियोजनाओं हेतु ही उपयोग

किया जाता है; तथा जनजातीय उपयोजना को अपनाने हेतु संस्थागत ढांचे में परिवर्तन लाने हेतु यह एक उपकरण है।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

5.9 जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं :

- (i) राज्य योजना।
- (ii) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, (एससीए) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत निधियां।
- (iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रम, और
- (iv) संस्थागत वित्त।



अनुबंध: 5-क

वर्ष 2009-10 हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरूपित जनजातीय उपयोजना की स्थिति

(क) राज्य, जिन्होंने पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	वार्षिक योजना 2009-10 (करोड़ रु. में)		
			राज्य योजना परिव्यय	जनजातीय उपयोजना को जारी निधियां	वार्षिक योजना में जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत
1	असम	12.4	6000.00	55.28	0.9
2	छत्तीसगढ़	32.4	18310.32	उ.न	—
3	गोवा	12.1	2240.00	136.99	6.1
4	गुजरात	14.8	उ.न	उ.न	—
5	जम्मू और कश्मीर	10.9	5500.00	559.97	10.2
6	महाराष्ट्र	8.9	उ.न	उ.न	—
7	राजस्थान	12.6	17322.00	2115.48	12.2
8	सिक्किम	20.6	1045.00	उ.न	—
9	तमिलनाडु	1.0	17500.00	36.36	0.2
10	उत्तराखण्ड	3.0	उ.न	उ.न	—
उ.न. (उपलब्ध नहीं)					

(ख) राज्य, जिन्होंने पर्याप्त प्रावधान/अतिरिक्त किए हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	वार्षिक योजना 2009-10 (करोड़ रु. में)		
			राज्य योजना परिव्यय	जनजातीय उपयोजना को जारी निधियां	वार्षिक योजना में जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	6.6	33496.75	2370.86	7.1
2	बिहार	0.9	16000.00	163.38	1.0
3	हिमाचल प्रदेश	5.6	2700.00	243.00	9.0
4	झारखण्ड	26.3	8200.00	5760.46	70.2
5	कर्नाटक	6.6	29500.00	1947.00	6.6
6	केरल	1.1	8920.00	180.86	2.0
7	मध्य प्रदेश	20.3	16174.17	3714.43	23.0
8	मणिपुर	34.2	2000.00	741.15	37.1
9	उड़ीसा	22.1	9500.00	2171.48	22.9
10	त्रिपुरा	31.1	1680.00	575.91	34.3
11	उत्तर प्रदेश	0.1	39000.00	546.00	1.4
12	पश्चिम बंगाल	5.5	14150.00	963.55	6.8
13	अ. और नि. द्वीप समूह	8.3	833.18	68.95	8.3
14	दमन व दीव	8.8	154.34	13.66	8.9

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप जनजातीय बहुल राज्य हैं, अतः वहां जनजातीय उपयोजना नहीं है।

(स्रोत : योजना आयोग)

अध्याय 6

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजाति

6.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जाएंगे।

6.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए और जिनका पहली बार निर्धारण लोकुर समिति द्वारा किया गया था, इस प्रकार हैं :

- (क) आदिम जनजातीय गुण;
- (ख) अनूठी संस्कृति;
- (ग) आम लोगों से संपर्क करने से कतराना;
- (घ) भौगोलिक अलगाव; और
- (ङ) पिछड़ापन।

6.3 अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है और इसकी प्रक्रिया इसी अध्याय में आगे दर्शाई गई है।



जनजातियों का वितरण

6.4 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 1991 से 2001 के बीच 24.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आधी से ज्यादा जनजातीय आबादी की बहुलता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्यों में है।

6.5 जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं जिन्हें पहले निम्नलिखित विशेषताएं रखने वाले समूह के रूप में जाना जाता था:-

- (क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;
- (ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;
- (ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा
- (घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

6.6 भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या तालिका 6.1 में दर्शाई गयी है।

तालिका 6.1: विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातीय आबादी का वितरण

क्र.सं.	देश की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत (घटते हुए क्रम में)
1	मध्य प्रदेश 14.51
2	महाराष्ट्र 10.17
3	उड़ीसा 9.66
4	गुजरात 8.87
5	राजस्थान 8.42
6	झारखण्ड 8.40
7	छत्तीसगढ़ 7.85
8	आन्ध्र प्रदेश 5.96
9	पश्चिम बंगाल 5.23
10	कर्नाटक 4.11
11	असम 3.92
12	मेघालय 2.36
13	नागालैंड 2.10
14	जम्मू और कश्मीर 1.31
15	त्रिपुरा 1.18
16	मिजोरम 1.00
17	बिहार 0.90
18	मणिपुर 0.88
19	अरुणाचल प्रदेश 0.84
20	तमिलनाडु 0.77
21	केरल 0.43
22	उत्तराखंड 0.30
23	हिमाचल प्रदेश 0.29
24	दादरा और नगर हवेली 0.16
25	सिक्किम 0.13
26	उत्तर प्रदेश 0.13

6.7 जबकि कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी, जब भारत की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की गणना की जाती है तो राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की तुलना में कम है (उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली)। इसके बावजूद कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी की बहुलता है जैसा पहले बताया गया है, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निवास करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में जनजातीय जनसंख्या आकृति 6(क) में दर्शाई गई है। देश की कुल जनसंख्या आबादी के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनजातीय आबादी आकृति 6(ख) में दर्शाई गई है।

प्रमुख जनजातियां

6.8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या (अर्थात् 62) है। इन 700 समानार्थी अथवा इसी प्रकार की बहुत अधिक जनजातियां हैं जो अनुसूची में सूचीबद्ध की गई हैं।

जनसंख्या संबंधी प्रवृत्तियां तथा वर्तमान स्थिति

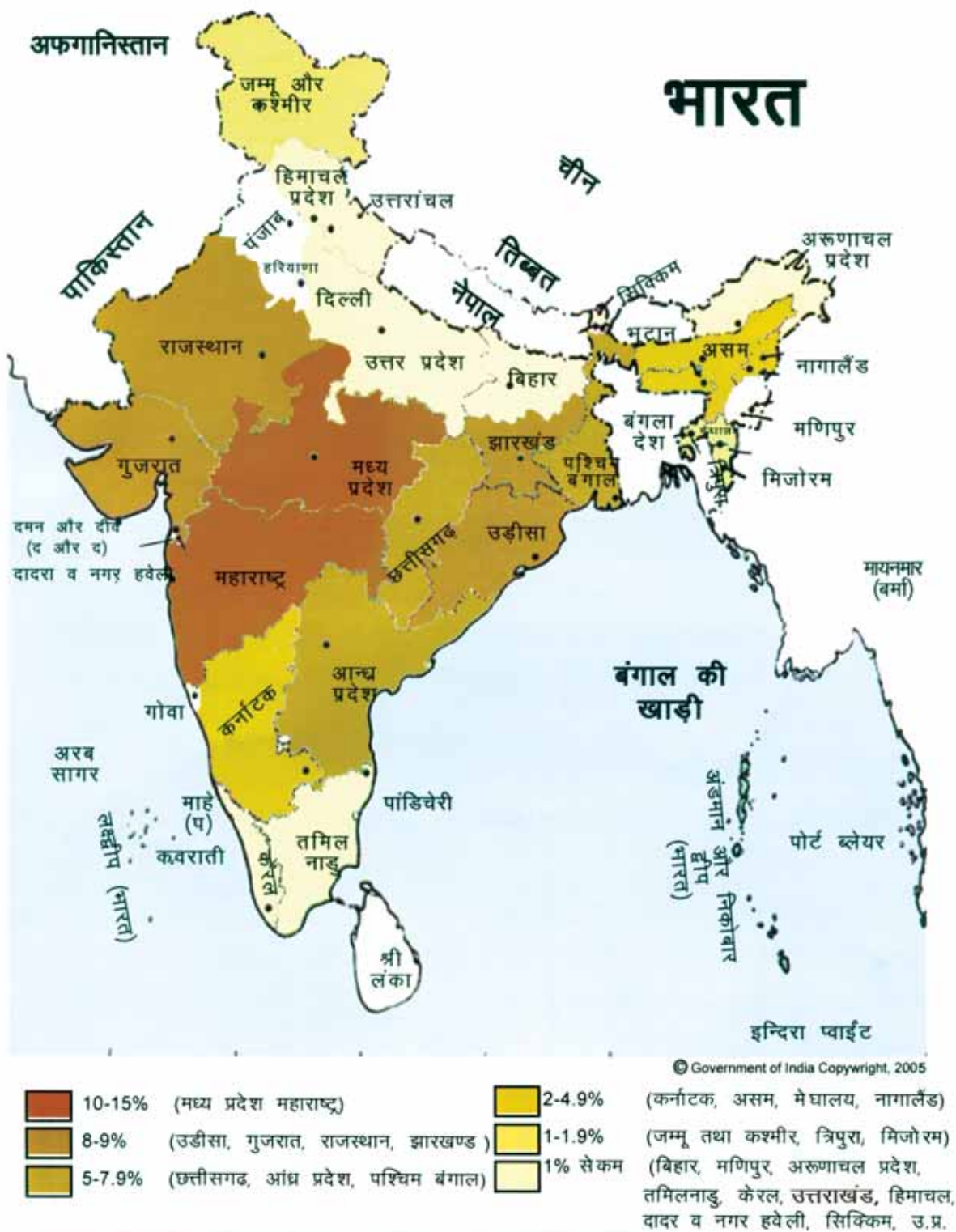
6.9 **जनसंख्या प्रोफाइल** : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.2% है। जनजातीय जनसंख्या 1961 से लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित राज्यवार कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या, 1991-2001 के बीच की वृद्धि दर इत्यादि अनुबंध-6(क) में दी गई है।

6.10 **वृद्धि** : जनजातीय जनसंख्या के संबंध में वर्ष 1971 से 1981 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान बढ़ोतरी (35.79%) कुल जनसंख्या के मुकाबले (25.0%) से अधिक रही है। जनगणना वर्ष 1981-1991 के बीच जनजातीय जनसंख्या वृद्धि (31.64%) रही है

[illegible]

	लक्षद्वीप	94.6		अरुणाचल प्रदेश	64.63
	मिजोरम	94.19		दादर व नगर हवेली	62.25
	नागालैंड	88.98		छत्तीसगढ़	31.82
	मेघालय	86.43		त्रिपुरा	31.13

आकृति 6(ख): भारत के राज्यों में अनुसूचित जनजाति आबादी का वितरण।



जोकि समस्त जनसंख्या के संदर्भ में (23.51%) है। इसी प्रकार वर्ष 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या वृद्धि दर 22.66% की तुलना में यह 24.45% रही है। जनजातियों के संबंध में सबसे उच्च वृद्धि दर कर्नाटक राज्य 80.82% तथा इसके बाद नागालैंड में (67.23%) रही है। कुछ मामलों में आबादी की वृद्धि दर का कारण अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को शामिल करना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर अंडमान व निकोबार (10.08%) तथा हिमाचल प्रदेश (12.02%) रही है।

6.11 लिंग अनुपात : (2001 की जनगणना के अनुसार) समग्र जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 933 महिलाएं) की तुलना में जनजातियों में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष, 977 महिलाएं इस प्रकार की गिरावट के बावजूद ज्यादा अनुकूल है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य समस्त राज्यों में 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के संदर्भ में लिंग अनुपात सामान्य लिंग अनुपात से बेहतर रहा है।

6.12 बाल लिंग अनुपात : वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, पूरे देश की सामान्य आबादी में से 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 940 लड़कियां हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 985 लड़कियों का होना अधिक अनुकूल है। वर्ष 2001 में बाल लिंग अनुपात और घटकर प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 919 लड़कियां होने पर और भी गिर गया। अनुसूचित जनजातियों के बीच हालांकि इसमें गिरावट आयी है, तथापि प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 972 लड़कियों का होना बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

6.13 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में अनुसूचित जनजातीय लिंग अनुपात सकारात्मक है। इस संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1991 में 1000 लड़कों की तुलना में 1018 लड़कियां थीं जिसमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गिरावट आई और 1000 लड़कों की तुलना में 1009 लड़कियां रह गईं। तथापि इस राज्य क्षेत्र में सामान्य लिंग अनुपात 1005 लड़कियां (1991) और 911 लड़कियां (2001) प्रति 1000 लड़कों की तुलना में अधिक ही था। बाल लिंग अनुपात के वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाले आंकड़े **अनुबंध-6(ख)** में दिए गए हैं।

6.14 साक्षरता : समस्त जनसंख्या के संदर्भ में जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 तक साक्षरता दर 52.21% से बढ़कर 64.84% हो गई है और जनजातियों में साक्षरता दर 29.60% से बढ़कर 47.10% हो गई। वर्ष 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनजातियों में पुरुष साक्षरता 40.65% से बढ़कर 59.17% हो गई। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों की पुरुष साक्षरता 40.65% से बढ़कर 59.17% तथा महिला साक्षरता 18.19% से बढ़कर 34.76% हो गई है। अनुसूचित जनजातीय महिला साक्षरता सामान्य जनसंख्या की समग्र महिला साक्षरता की तुलना में लगभग 21% बिन्दु कम है। तथापि कुल प्रतिशतता में वृद्धि और अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता में वृद्धि महत्वपूर्ण है।

6.15 अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 1961 में 8.53% से बढ़कर 2001 में 47.10% हो गई है जबकि इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या की साक्षरता 1961 में 28.30% से बढ़कर 2001 में 64.84% हो गई है। इसका ब्यौरा नीचे तालिका 6.2 में दिया गया है:-

तालिका 6.2 : अनुसूचित जनजातियों तथा सभी सामाजिक समूहों में साक्षरता

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			सभी सामाजिक समूह		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84

स्रोत : भारत का महापंजीयक

6.16 वर्ष 1991 से 2001 के बीच अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि समान अवधि के दौरान कुल आबादी की साक्षरता दर में 12.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 1991 में 22.46 प्रतिशत की साक्षरता दर में पुरुष-महिला अंतराल वर्ष 2001 में बढ़कर 24.41 प्रतिशत हो गया जबकि कुल आबादी के लिए इसका प्रतिशत 1991 में 24.84 प्रतिशत से घटकर 2001 में 21.59 प्रतिशत रह गया।

6.17 अनुसूचित जनजातियों तथा समग्र जनसंख्या के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 2001 के दौरान 0.5 से बढ़कर 31.9 प्रतिशत हो गया। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू तथा कश्मीर जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजाति और कुल आबादी के बीच वर्ष 2001 के दौरान साक्षरता दर का प्रतिशत अंतराल 17.7 (अर्थात् अखिल भारतीय साक्षरता अंतराल) से अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दादरा तथा नगर हवेली के अलावा 1991 से 2001 के बीच सभी राज्यों में साक्षरता अंतराल में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार ने 1991 की जनगणना की तुलना में उतना ही अंतराल बनाए रखा किन्तु यह अंतराल दादर और नगर हवेली के मामले में बढ़ गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और इन राज्यों की समग्र जनसंख्या के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 25 से अधिक है। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध-6(ग)** में दिए गए हैं।

पिछड़ेपन के संकेतक

6.18 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का 44.70% वर्ग कृषक तथा 36.9% कृषि मजदूर थे, 2.1% घरेलू उद्योगों में कामगार तथा 16.3% अन्य धन्धों में कामगार थे। अतः इन समुदायों के प्रमुख कामगारों का लगभग 81.6% प्राइमरी क्षेत्र के कार्यकलापों में लगा था। ये असमानताएं औपचारिक शिक्षा बीच में छोड़ने की दर में बढ़ोतरी से और बढ़ जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में उनका प्रतिनिधित्व कम रह जाता है। यह हैरानी की बात नहीं है कि इसका समग्र प्रभाव यह होता है कि गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। योजना आयोग से जारी किए गए विवरण में यह देखा गया है कि वर्ष 1993-94 में अनुसूचित जनजातीय गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 51.94 था, जबकि उसी वर्ष शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 41.14 था। वर्ष 2004-05 के दौरान जारी किए गए गरीबी रेखा के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 47.3% तथा 39.9% पाया गया है। इस तरह वर्ष 1993-94 से 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में क्रमशः 4.7% एवं 1.15% की गिरावट आई है। राज्यवार ब्यौरा तालिका 6.3 में नीचे दिया गया है।

तालिका 6.3 : वर्ष 2004-05 राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी (सामाजिक समूह वार) का प्रतिशत									
क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण				शहरी			
		अनु. ज. जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग	अन्य	अनु. ज. जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	30.5	15.4	9.5	4.1	50.0	39.9	28.9	20.6
2	असम	14.1	27.7	18.8	25.4	4.8	8.6	8.6	4.2
3	बिहार	53.3	64.0	37.8	26.6	57.2	67.2	41.4	18.3
4.	छत्तीसगढ़	54.7	32.7	33.9	29.2	41.0	52.0	52.7	21.4
5	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	10.6	9.4	35.8	18.3	6.4
6	गुजरात	34.7	21.8	19.1	4.8	21.4	16.0	22.9	7.0
7	हरियाणा	0.0	26.8	13.9	4.2	4.6	33.4	22.5	5.9

8	हिमाचल प्रदेश	14.9	19.6	9.1	6.4	2.4	5.6	10.1	2.0
9.	जम्मू और कश्मीर	8.8	5.2	10.0	3.3	0.0	13.7	4.8	7.8
10.	झारखंड	54.2	57.9	40.2	37.1	45.1	47.2	19.1	9.2
11.	कर्नाटक	23.5	31.8	20.9	13.8	58.3	50.6	39.1	20.3
12.	केरल	44.3	21.6	13.7	6.6	19.2	32.5	24.3	7.8
13.	मध्य प्रदेश	58.6	42.8	29.6	13.4	44.7	67.3	55.5	20.8
14.	महाराष्ट्र	56.6	44.8	23.9	18.9	40.4	43.2	35.6	26.8
15.	उड़ीसा	75.6	50.2	36.9	23.4	61.8	72.6	50.2	28.9
16.	पंजाब	30.7	14.6	10.6	2.2	2.1	16.1	8.4	2.9
17.	राजस्थान	32.6	28.7	13.1	8.2	24.1	52.1	35.6	20.7
18.	तमिलनाडु	32.1	31.2	19.8	19.1	32.5	40.2	20.9	6.5
19.	उत्तर प्रदेश	32.4	44.8	32.9	19.7	37.4	44.9	36.6	19.2
20.	उत्तराखंड	43.2	54.2	44.8	33.5	64.4	65.7	46.5	25.5
21.	पश्चिम बंगाल	42.4	29.5	18.3	27.5	25.7	28.5	10.4	13.0
	अखिल भारत	47.3	36.8	26.7	16.1	33.3	39.9	31.4	16.0

संक्षेपाक्षर अ.ज.- अनुसूचित जाति अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग

स्रोत : योजना आयोग

अन्यों के बनाम अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वास्थ्य संकेत

6.19 बाल मृत्यु, 5 वर्ष से नीचे बाल मृत्यु और अनुसूचित जनजातियों के लिए बाल मृत्यु दर और अन्य वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए की मृत्यु दर का प्रतिशत तालिका 6.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4 : कुछ स्वास्थ्य संकेतक			
संकेतक	शिशु मृत्यु दर/ 1000	5 वर्ष से नीचे उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर/ 1000	कम वजन के बच्चों का प्रतिशत
भारत	57.0	74.3	18.4
अनुसूचित जाति	66.4	88.1	23.2
अनुसूचित जनजाति	62.1	95.7	35.8
अन्य पिछड़ा वर्ग समूह	56.6	72.8	17.3
अन्य	48.9	59.2	10.8

स्रोत: एन.एफ.एच.एस3, 2005-06 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

शिक्षा

6.20 प्रारंभिक स्तर के लिए (कक्षा I-VIII) सकल नामांकन अनुपात को 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों की अनुमानित जनसंख्या में प्रारंभिक स्तर पर नामांकन की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात सभी जनजातियों के संबंध में वर्ष 2004-05 में 102.04 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 109.06 प्रतिशत और कुल जनसंख्या के लिए वर्ष 2004-05 में 93.5 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 97.01 प्रतिशत हो गया। सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रारंभिक स्तर (I-VIII) पर सकल नामांकन अनुपात नीचे तालिका 6.5 में दिया गया है :-

इन अवस्थाओं में नामांकन में आयु से नीचे और आयु से ऊपर शामिल हैं, अतः कुछ मामलों में कुल प्रतिशत 100% से अधिक हो सकता है।

तालिका 6.5 : प्रारंभिक स्तर (I-VIII) के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	अनुसूचित जनजाति			कुल आबादी		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1995-96	105.7	75.1	90.9	86.9	69.4	78.5
1999-2000*	99.3	70.9	85.2	90.1	72.0	81.3
2000-01*	102.5	73.5	88.0	90.3	72.4	81.6
2001-02*	99.8	77.3	88.9	90.7	73.6	82.4
2002-03*	86.7	73.9	80.5	85.4	79.3	82.5
2003-04*	90.6	81.1	86.1	87.9	81.4	84.8
2004-05	108.5	95.8	102.4	96.9	89.9	93.5
2005-06	111.9	100.6	106.4	98.5	91.0	94.9
2006-07	114.7	104.2	109.6	100.4	93.5	97.1

*अनंतिम

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

आरंभिक स्तर पर जीईआर में जेंडर असमानता अनुसूचित जनजाति के संबंध में 2004-05 में 12.7 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 10.5 प्रतिशत बिन्दु और कुल आबादी के लिए 2004-05 में 7.0 प्रतिशत बिन्दु से घटकर 2006-07 में 6.9 प्रतिशत बिन्दु हो गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

6.21 राष्ट्रीय जनजाति वित्त और विकास निगम ने वर्ष 2009-10 के दौरान 40,000 लाभार्थियों को आय अर्जित करने वाले कार्यकलापों के तहत और 1,80,000 लाभार्थियों को विपणन सहायता कार्यकलाप के तहत अनुसूचित जनजातीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका ब्यौरा अनुबंध-6(घ) में दिया गया है।

संवैधानिक गारंटी :

6.22 भारत के संविधान में समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गारंटी प्रदान की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं :

(i) सामाजिक :

- कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)

- राज्य को नागरिकों के शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने हैं {अनुच्छेद 15(4)}।
- राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)।
- राज्य को किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्ति, पदों के संबंध में आरक्षण के लिए प्रावधान करना जिसे राज्य की राय में राज्य के अधीन, सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है {अनुच्छेद 16(4)}।
- राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों में पदोन्नति के मामले में प्रावधान करने हैं {अनुच्छेद 16(4क)}।
- अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, मानीटरिंग और मूल्यांकन करना है {अनुच्छेद 338(क)}।
- राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति {अनुच्छेद 339(1)}।

- सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की तथा उन कठिनाइयों जिनके अंतर्गत वे श्रम करते हैं, की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा में सुधार लाने के लिए सिफारिश करना (अनुच्छेद 340)।

- अनुसूचित जनजातियां समझे जाने के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट करना (अनुच्छेद 342)।

(ii) आर्थिक :

- राज्य को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखकर इन्हें बढ़ावा देना है और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना है (अनुच्छेद 46)।
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान {(अनुच्छेद 275(1))}।
- प्रशासन की दक्षता के अनुरक्षण से सामंजस्य रखने को ध्यान में रखते हुए संघ के या एक राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के दावे (अनुच्छेद 335)।

(iii) राजनीतिक :

- संविधान की पांचवीं अनुसूची में निर्धारित किए गए विशेष प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य (असम, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर) में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित इस प्रकार के मामलों पर सलाह देने के लिए (विशेष रूप से पांचवीं अनुसूची के राज्यों के संबंध में) जनजातीय सलाहकार परिषदों का गठन करना अपेक्षित है {अनुच्छेद 244(1)}।

- कतिपय जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में घोषित करके और साथ ही जिला परिषदों, स्वायत्त परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्रावधान {अनुच्छेद 244(2)}।

- लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 330)।

- राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 332)।

- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243 घ)।

- आयोजना और नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनजातियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के माध्यम से संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों का विस्तार।

6.23 जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर-अनुसूचीकरण: “अनुसूचित जनजातियां” शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25) में इस प्रकार की गई है, “ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है।” अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

6.24 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

6.25 संविधान के अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

6.26 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुबंध-6(ड)** में दी गई है। इसके बाद आदेशों को संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार करने का प्रावधान है न कि अखिल भारतीय आधार पर करने का।

6.27 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं—

(क) आदिम विशेषताओं के संकेत

(ख) विशिष्ट संस्कृति

(ग) भौगोलिक एकाकीपन

(घ) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा

(ड) पिछड़ापन ।

6.28 इस मानदंड का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु यह सुस्थापित और स्वीकृत हो चुका है। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबंधी सलाहकार समिति (लोकूर समिति) 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, (चंदा समिति) 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

6.29 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची अनुबंध 6(च) में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजातियों की इस सूची में हाल ही में जोड़े/घटाए गए नाम मोटे अक्षरों में दिए गए हैं ।

6.30 हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

6.31 (क) सामान्य : जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए :-

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तव में संबंधित हैं;

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

(v) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(vi) वह व्यक्ति जो अपने मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थायी रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परन्तु

इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता।

- (vii) राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

(ख) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

- (i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना जारी रहेगा।
- (ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

(ग) विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति दावे

इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति

जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

(घ) अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना

अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित निर्धारित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)
2. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।
4. उस क्षेत्र जहाँ वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतौर पर निवास करता है, के उप-मण्डलीय अधिकारी।
5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

(ङ) बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को दंड ।

6.32 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त

अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

(च) अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

6.33 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे आवास किए गए राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे।

(छ) अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने संबंधी प्रक्रिया:

6.34 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया। इन अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अपेक्षित है, मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि

संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात्, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है।

उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। सूची में सम्मिलित करने या इससे निकालने से संबंधित ऐसे मामले जिनके संबंध में राज्य सरकार अथवा भारत के महापंजीयक अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से समर्थन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्र

6.35 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबंधी कार्यक्रमों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है।

6.36 अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

6.37 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवी अनुसूची इन अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों के रूप में घोषित करें।

6.38 संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों को “जनजातीय क्षेत्र के रूप में” घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों

की व्यवस्था की गई है। इन परिषदों को विभिन्न प्रकार की विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र

6.39 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को “अनुसूचित क्षेत्र” के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं-

- जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,
- सघनता तथा क्षेत्र का उचित प्रकार,
- व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लॉक या तालुक हो, तथा
- निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

6.40 एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में “अनुसूचित क्षेत्रों” का विनिर्दिष्टीकरण, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। परिवर्तन में वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या “अनुसूचित क्षेत्रों” से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के किसी मामले में भी यह लागू होता है।

6.41 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं :-

6.42 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्र मूल राज्य बिहार से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) दिनांक 11.04.2007 के अनुसार पुनः परिभाषित किया गया है।

6.43 अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति अनुबंध-6 (छ) में दी गई है।

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आंध्र प्रदेश
3	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4	अनुसूचित क्षेत्र (गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
5 क	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981	राजस्थान
6	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश 1985 (सी ओ. 123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
7	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
8	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ.229)	11.04.2007	झारखंड

अनुसूचित क्षेत्रों के उद्देश्य तथा लाभ

6.44 जनजातियों को सुरक्षा देने और लाभ प्रदान करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

- (क) अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं :
 - (i) जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकना अथवा इसे नियंत्रित करना;
 - (ii) अनुसूचित जनजाति के लोगों को धन उधार देने के कारोबार को विनियमित करना। ऐसे किसी विनियम को बनाने में, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी ऐसे अधिनियम को रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्र के लिए लागू हैं।
- (ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर या राज्य में उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे अपवादों तथा संशोधनों की शर्त के अधीन लागू होगा जो वे विनिर्दिष्ट करेंगे।
- (ग) उस राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं; उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के लिए होगा।
- (घ) अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद (टी ए सी) की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हों, में भी भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जा सकती है। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होंगे, जिनमें यथासंभव 3/4 राज्य की

विधान सभा में अनुसूचित जनजातीय प्रतिनिधियों में से हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका राज्य सरकार के राज्य में जनजातियों के कल्याण एवं प्रगति से संबंधित मामलों जो इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे जाएं पर सलाह देने की है।

- (ङ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसके तहत संविधान के भाग-9 में दिए गए प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया था, में भी अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान हैं।

छठी अनुसूची

6.45 भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अधीन छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्वायत्त जिलों/क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान किए गए हैं।

6.46 सामान्यतः “जनजातीय क्षेत्र” शब्द का आशय उन क्षेत्रों से है जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है। तथापि, भारत के संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को मान्यता दी गई है क्योंकि वे क्षेत्र छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से संलग्न सारणी के भाग I, IIक तथा III में विनिर्दिष्ट हैं। दूसरे शब्दों में, वे क्षेत्र जहां छठी अनुसूची के प्रावधान लागू हैं जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों के संबंध में स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की गई हैं और प्रत्येक परिषद में अधिक से अधिक तीस सदस्य होते हैं।

6.47 ये परिषदें चुने हुए निकाय हैं और इनके पास कार्यकारी, विकासात्मक तथा वित्तीय दायित्वों के अलावा विधान, न्याय प्रशासन की शक्तियां हैं। जनजातीय क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

भाग - I (असम)

1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला
2. कार्बी अंगलोंग जिला

3. बोडोलैंड भौगोलिक क्षेत्र जिला

भाग - II (मेघालय)

1. खासी पहाड़ी जिला
2. जयंतिया पहाड़ी जिला
3. गारो पहाड़ी जिला

भाग - II क (त्रिपुरा)

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला

भाग - III (मिजोरम)

1. चकमा जिला
2. मारा जिला
3. लई जिला

6.48 जिला तथा क्षेत्रीय परिषदों को जिले में प्राइमरी स्कूलों, औषधालयों, बाजारों, पशुओं के तालाबों, नौघाटों, मछली पालन, सड़कों, सड़क परिवहन तथा नहरों की स्थापना, निर्माण और प्रबंधन जैसे मामलों के संबंध में राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। उत्तरी कछार पहाड़ियों तथा कार्बी अंगलोंग जिले की स्वायत्त परिषदों को माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि जैसे अन्य मामलों के संबंध में कानून बनाने की अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इन परिषदों को कुछ मुकदमों और अपराधों की सुनवाई के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी शक्तियां दी गई हैं और राजस्व तथा करों को एकत्र करने के लिए अपने क्षेत्र के लिए राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां तथा प्राकृतिक संसाधनों के विनियम तथा आबंधन के लिए अन्य शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।



अनुबंध : 6-क

जनसांख्यिकीय आंकड़े : जनगणना 2001

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनु. जन. जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	2001 में राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	2001 में भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत
		1991	2001		1991	2001			
0	भारत	838,583,988	1,028,610,328	22.66	67,758,380	84,326,240	24.45	8.2	—
1	आंध्र प्रदेश	66,508,008	76,210,007	14.59	4,199,481	5,024,104	19.64	6.6	5.96
2	अरुणाचल प्रदेश	864,558	1,097,968	27	550,351	705,158	28.13	64.2	0.84
3	असम	22,414,322	26,655,528	18.92	2,874,441	3,308,570	15.1	12.4	3.92
4	बिहार	86,374,465	82,998,509		6,616,914	758,351		0.9	0.9
5	छत्तीसगढ़		20,833,803			6,616,596		31.8	7.85
6	गोवा	1,169,793	1,347,668	15.21	376	566	50.53		0.001
7	गुजरात	41,309,582	50,671,017	22.66	6,161,775	7,481,160	21.41	14.8	8.87
8	हरियाणा	16,463,648	21,144,564	28.43					
9	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	6,077,900	17.54	218,349	244,587	12.02	4	0.29
10	झारखंड		26,945,829			7,087,068		26.3	8.4
11	कर्नाटक	44,977,201	52,850,562	17.51	1,915,691	3,463,986	80.82	6.6	4.11
12	केरल	29,098,518	31,841,374	9.43	320,967	364,189	13.47	1.1	0.43
13	मध्य प्रदेश	66,181,170	60,348,023		15,399,034	12,233,474		20.3	14.51
14	महाराष्ट्र	78,937,187	96,878,627	22.73	7,318,281	8,577,276	17.2	8.9	10.17
15	मणिपुर	1,837,149	2,166,788	17.94	632,173	741,141	17.24	32.3	0.88
16	मेघालय	1,774,778	2,318,822	30.65	1,517,927	1,992,862	31.29	85.9	2.36
17	मिजोरम	689,756	888,573	28.82	653,565	839,310	28.42	94.5	1
18	नागालैण्ड	1,209,546	1,990,036	64.53	1,060,822	1,774,026	67.23	89.1	2.1
19	उड़ीसा	31,659,736	36,804,660	16.25	7,032,214	8,145,081	15.83	22.1	9.66
20	पंजाब	20,281,969	24,358,999	20.1	0				
21	राजस्थान	44,005,990	56,507,188	28.41	5,474,881	7,097,706	29.64	12.6	8.42
22	सिक्किम	406,457	540,851	33.06	90,901	111,405	22.56	20 ^प 6	0.13
23	तमिलनाडु	55,858,946	62,405,679	11.72	574,194	651,321	13.43	1	0.77
24	त्रिपुरा	2,757,205	3,199,203	16.03	853,345	993,426	16.42	31.1	1.18
25	उत्तराखंड		8,489,349			256,129		3	0.3
26	उत्तर प्रदेश	139,112,287	166,197,921		287,901	107,963		0.1	0.13
27	पश्चिम बंगाल	68,077,965	80,176,197	17.77	3,808,760	4,406,794	15.7	5.5	5.23
28	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	280,661	356,152	26.9	26,770	29,469	10.08	8.3	0.03

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनु. जन. जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	2001 में राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	2001 में भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत
		1991	2001		1991	2001			
29	चण्डीगढ़	642,015	900,635	40.28	0				
30	दादर व नागर हवेली	138,477	220,490	59.22	109,380	137,225	25.46	62.2	0.16
31	दमन व दीव	101,586	158,204	55.73	11,724	13,997	19.39	8.8	0.017
32	दिल्ली	9,420,644	13,850,507	47.02	0	एनएसटी			
33	लक्षद्वीप	51,707	60,650	17.3	48,163	57,321	19.01	94.5	0.07
34	पांडिचेरी	807,785	974,345	20.62	0				
35	जम्मू और कश्मीर		10,143,700			1,105,979		10.9	1.31

* मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) राज्यों का गठन किया गया था।



अनुबंध : 6-ख

शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)

क्र. सं.	राज्य	1991 की जनगणना			2001 की जनगणना		
		कुल	सामान्य	अ.ज.जा.	कुल	सामान्य	अ.ज.जा.
	भारत	945	940	985	927	919	973
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	973	981	897	957	957	956
2.	आंध्र प्रदेश	975	972	978	961	957	972
3.	अरुणाचल प्रदेश	982	993	976	904	940	976
4.	असम	975	973	990	965	966	962
5.	बिहार	953	950	983	942	938	975
6.	चंडीगढ़	899	889	एनएसटी	845	834	एनएसटी
7.	छत्तीसगढ़	984	978	996	975	962	998
8.	दादर व नगर हवेली	1013	1005	1018	979	911	1009
9.	दमन व दीव	958	966	911	926	923	983
10.	दिल्ली	915	912	एनएसटी	868	861	एनएसटी
11.	गोवा	964	964	1122	938	937	915
12.	गुजरात	928	916	988	883	865	966
13.	हरियाणा	879	875	एनएसटी	819	807	एनएसटी
14.	हिमाचल प्रदेश	951	945	966	896	876	955
15.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	941	939	979
16.	झारखंड	979	973	993	965	955	979
17.	कर्नाटक	960	957	970	946	941	961
18.	केरल	958	957	961	960	961	974
19.	लक्षद्वीप	941	1138	936	959	1057	957
20.	मध्य प्रदेश	941	929	987	932	915	979
21.	महाराष्ट्र	946	940	982	913	903	965
22.	मणिपुर	974	979	968	957	955	959
23.	मेघालय	986	949	991	973	963	974
24.	मिजोरम	969	988	969	964	909	966
25.	नागालैण्ड	993	916	1003	964	919	969
26.	उड़ीसा	967	951	998	953	938	979
27.	पांडिचेरी	963	962	एनएसटी	967	962	एनएसटी
28.	राजस्थान	916	910	958	909	897	950

29.	सिक्किम	965	960	973	963	963	964
30.	तमिलनाडु	948	943	955	942	937	945
31.	त्रिपुरा	967	954	984	966	956	981
32.	पंजाब	875	865	एनएसटी	798	767	एनएसटी
33.	उत्तर प्रदेश	927	926	967	916	911	973
34.	उत्तराखंड	949	945	973	908	899	955
35.	पश्चिम बंगाल	967	967	983	960	958	981

1. 2001 से जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं कराई गई थी।
2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल शामिल नहीं हैं।

कुल में सामान्य, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या शामिल है।

उ.न. – उपलब्ध नहीं – एनएसटी – राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं।

सामान्य – अजा/अजजा. जनसंख्या के अलावा, अजजा-अनुसूचित जनजाति



अनुबंध : 6-ग

कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001

(आंकड़े प्रतिशत में)

अ.जन कोड	भारत/राज्य/संघ	साक्षरता दर-1991		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर-2001		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.जन.		कुल	अ.जन	
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	52.2	29.6	22.6	64.8	47.1	17.7
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह#	73.0	56.6	16.4	81.3	66.8	14.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.6	34.4	7.2	54.3	49.6	4.7
3.	असम	52.9	49.2	3.7	63.3	62.5	0.8
4.	आंध्र प्रदेश	44.1	17.2	26.9	60.5	37.0	23.4
5.	बिहार	37.5	18.9	18.6	47.0	28.2	18.8
6.	चण्डीगढ़#	77.8	एनएसटी	—	81.9	एनएसटी	—
7.	छत्तीसगढ़	42.9	26.7	16.2	64.7	52.1	12.6
8.	दादर व नागर हवेली	40.7	28.2	12.5	57.6	41.2	16.4
9.	दमन व दीव	71.2	52.9	18.3	78.2	63.4	14.8
10.	दिल्ली#	75.3	एनएसटी	—	81.7	एनएसटी	—
11.	गोवा	75.5	42.9	32.6	82.0	55.9	26.1
12.	गुजरात	61.3	36.4	24.9	69.1	47.7	21.4
13.	हरियाणा	55.8	एनएसटी	—	67.9	एनएसटी	—
14.	हिमाचल प्रदेश	63.9	47.1	16.8	76.5	65.5	11.0
15.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	55.5	37.5	18.0
16.	झारखंड	41.4	27.5	13.9	53.6	40.7	12.9
17.	कर्नाटक	56.0	36.0	20.0	66.6	48.3	18.3
18.	केरल	89.8	57.2	32.6	90.9	64.4	26.5
19.	लक्षद्वीप	81.8	80.6	1.2	86.7	86.1	0.6
20.	मध्य प्रदेश	44.7	18.4	26.3	63.7	41.2	22.5
21.	महाराष्ट्र	64.9	36.8	28.1	76.9	55.2	21.7
22.	मणिपुर	59.9	53.6	6.3	70.5	65.9	4.6
23.	मेघालय	49.1	46.7	2.4	62.6	61.3	1.3

24.	मिजोरम	82.3	82.7	0.4	88.8	89.3	0.5
25.	नागालैण्ड	61.6	60.6	1.0	66.6	65.9	0.7
26.	उड़ीसा	49.1	22.3	26.8	63.1	37.4	25.7
27.	पुदुचेरी#	74.7	एनएसटी	—	81.2	एनएसटी	—
28.	पंजाब	58.8	एनएसटी	—	69.7	एनएसटी	—
29.	राजस्थान	38.6	19.4	19.2	60.4	44.7	15.7
30.	सिक्किम	56.9	59.0	2.1	68.8	67.1	1.7
31.	तमिलनाडु	62.7	27.9	34.8	73.5	41.5	32.0
32.	त्रिपुरा	60.4	40.4	20.0	73.2	56.5	16.7
33.	उत्तर प्रदेश	40.7	20.0	20.7	56.3	35.1	21.2
34.	उत्तराखंड	57.8	41.2	16.6	71.6	63.2	8.4
35.	पश्चिम बंगाल	57.7	27.8	29.9	68.6	43.4	25.2

1. जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जहां 1991 में जनगणना नहीं हुई।
 2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल के आंकड़ों को छोड़कर।
- # एनएसटी — राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं।



अनुबंध : 6-घ

**पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम, 2006 तथा
2009-10 (31.12.09 तक) के दौरान लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य**

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या	
		आय सृजन योजना	कौशल एवं उद्यमियों का विकास
1	2	3	4
क	आयसृजन, कौशल एवं उद्यमियों के विकास की योजना		
1	ए.पी. एसटी को-आपरेटिव गइनेंस कॉरपोरेशन लि., आंध्र प्रदेश	2355	118
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	111	5
3	अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अरुणाचल प्रदेश	333	17
4	असम प्लेन ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., असम	1555	78
5	बिहार स्टेट एससी को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार	355	18
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, छत्तीसगढ़	3087	154
7	दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव एससी/एसटी/अदर/ बीसी एंड माइनोरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., दादरा व नगर हवेली	111	5
8	गोवा स्टेट एसटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., गोवा	111	5
9	गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुजरात	3487	174
10	हिमाचल प्रदेश एससी एंड एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश	111	5
11	जे एंड के एससी, एंड बैकवर्ड क्लासिस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू व कश्मीर	511	26
12	झारखंड स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., झारखंड	3309	165
13	कर्नाटक शडयूल ट्राइब्स डेवलपमेंट, कॉरपोरेशन लि. कर्नाटक	1621	81
14	केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर, एससी, एसटी लि., केरल	111	5
15	केरल स्टेट वूमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., केरल	111	5
16	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., लक्षद्वीप	111	5
17	मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., मणिपुर	466	25

18	शबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, महाराष्ट्र	3998	200
19	को-आपरेटिव अपेक्स बैंक लि., मेघालय	933	49
20	एम.पी. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश	5708	285
21	मिजोरम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, मिजोरम	200	10
22	मिजोरम अर्बन को-आपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मजोरम	200	10
23	नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., नागालैंड	411	21
24	नागालैंड स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., नागालैंड	411	21
25	उड़ीसा एससी एंड एसटी डेवलपमेंट एंड नइनेंस को-आपरेटिव कॉरपोरेशन लि., उड़ीसा	3798	190
26	राजस्थान एससी एंड एसटी फाइनेंस डेवलपमेंट को-आपरेटिव कॉरपोरेशन, राजस्थान	3309	165
27	सिक्किम एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासिस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिक्किम	111	5
28	तमिलनाडु आदि द्रविडर हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., तमिलनाडु	311	16
29	त्रिपुरा एसटी को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., त्रिपुरा	466	23
30	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, उत्तराखंड	111	5
31	यू.पी. एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश	111	5
32	वेस्ट बंगाल एससी एंड एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशनए पश्चिम बंगाल	1033	52
33	वेस्ट बंगाल ट्राइबल डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन, पश्चिम बंगाल	1033	52
	कुल (क):	40000	2000
(ख)	पी एस यू बैंकों के माध्यम से लघु ऋण योजना	180000	0
	कुल (ख):	180000	0
	कुल योग (क+ख)	220000	2000

स्रोत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

अनुबंध : 6-ड

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन पर लागू हैं
1	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संख्या 1950(सी.ओ. 22)	6-9-1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20-9-1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (सी.ओ. 58)	31-3-1959	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
4	संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातीय आदेश, 1962 (सी.ओ. 65)	30-6-1962	दादरा व नगर हवेली
5	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ. 78)	24-6-1967	उत्तर प्रदेश
6	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ. 88)	23-7-1970	नागालैंड
7	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22-6-1978	सिक्किम
8	संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ. 142)	7-10-1989	जम्मू व कश्मीर
टिप्पणी:—हरियाणा और पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली व पुदुचेरी के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।			

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

I. आंध्र प्रदेश

- | | | |
|---|---|--|
| 1. आन्ध, साधु आन्ध | 17. कोटिया, बेन्थो उड़िया,
बारतिका, दुलिया, होल्वा,
पाइको पुतिया, सनरोना,
सिद्धोपाइको | 27. रोना, रेना, |
| 2. बगता | 18. कोय, डोली कोया,
गुट्टा कोया,
कमारा कोया,
मुसारा कोया, ओडी कोया,
पट्टडी, कोया, राजा, रश
कोया, लिन्गाधारी, कोया
(सामान्य), कोहू मीने कोया,
राजकोया | 28. सवारस कपूसवारस, मालिया
सवारस, खुट्टो सवारस, |
| 3. भील | | 29. सुगालिस, लम्बादिस, बंजारा |
| 4. चेंचू, | | 30. थोती (आदिलाबाद, हैदराबाद,
करीमनगर, खम्माम,
महबूबनगर, मेडक,
नालगोडा, निजामाबाद और
वारंगल जिलो में) |
| 5. गदाबास, बोडो
गडाबा, गुतोब
गडाबा, कालायी
गडाबा, परांगी
गडाबा, कोयेरा
गडाबा, कापु
गडाबा | 19. कुलिया, | 31. वाल्मीकि (विशाखापटनम,
श्रीकाकुलम, विजयनगरम,
ईस्ट गोदावरी और वेस्ट
गोदावरी जिलों के
अनुसूचित क्षेत्रों में) |
| 6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड,
कोईतुर | 20. मालिस (आदिलाबाद,
हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम,
महबूबनगर,
मेडाक, नालगोडा निजामाबाद
और वारंगल जिलों को
छोड़कर) | 32. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला
येनादी मांची येनादी, रेड्डी
येनादी |
| 7. गोंडू (एजेन्सी क्षेत्रों में) | 21. मन्ना ढोरा | 33. येरूकुल, कोरचा डब्बा
येरूकुला, कुंचापुरी
येरूकुला, उप्पु येरूकुला |
| 8. पहाड़ी रेड्डी | 22. मुक्खा ढोहा, नोका ढोरा, | 34. नक्काला, कुरविकरन |
| 9. जातपुस | 23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में) | 35. धुलिया, पैको, पुतिया
(विशाखापटनम और
विजयनगरम जिलों में) |
| 10. कम्मारा | 24. परधान | |
| 11. कट्टूनायकन | 25. पारेजा, पारंगी पेरजा | |
| 12. कोलाम, कोलवार | 26. रेड्डी ढोरा, | |
| 13. कोन्डा धोरस, कुबी | | |
| 14. कोन्डा कापस, | | |
| 15. कोन्डारेड्डी | | |
| 16. कोन्ध कोडी, कोधू, देस्या
कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया
कोन्ध, टिकिरिया कोंघ,
मेनिती, कोंघ, कुविंगा | | |

II अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सभी
जनजातियां :-

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी

5. गालोंग
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशामी, इंदु, तारानं
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां

11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

अनुबंध : 6-ड

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन पर लागू हैं
1	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संख्या 1950(सी.ओ. 22)	6-9-1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20-9-1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (सी.ओ. 58)	31-3-1959	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
4	संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातीय आदेश, 1962 (सी.ओ. 65)	30-6-1962	दादरा व नगर हवेली
5	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ. 78)	24-6-1967	उत्तर प्रदेश
6	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ. 88)	23-7-1970	नागालैंड
7	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22-6-1978	सिक्किम
8	संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ. 142)	7-10-1989	जम्मू व कश्मीर
टिप्पणी:—हरियाणा और पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली व पुदुचेरी के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।			

पलिहा, पान्डो	मरिया, दरोई	(ii) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरवा जिले की कोरवा तहसील
6. भत्रा	17. हल्वा, हल्वी	(iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तखतपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांदा, बलोद, गुरर और डोंडिल होडा तहसील (v) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (vii) बिंदरानावगढ रजीम और रायपुर जिले की देवभोग तहसील (viii) धमतरी, कुर्द और धमतरी जिले की सिहावा तहसील
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया	18. कमार	37. परजा
8. भील मीना	19. करकु	38. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
9. भून्जिया	20. कवर कैवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री	39. साओन्ता, साउन्ता
10. बीअर, बीआर	21. खैरवार, कोन्दार	40. साउर
11. बीन्जवार	22. खैरिया	41. सावार, सावारा
12. विरहुल, विरहोर	23. कोन्ध, खोन्ध, कन्ध	42. सोनर
13. डामोर, डामारिया	24. कोल	
14. धनवार	25. कोलम	
15. गडावा, गाडबा	26. कोकरू बोपची, भेउआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्धेया	
16. गोड़, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, वादी मारिया, वादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियावूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोवा, धुलिया, डोरल्ला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, गोंड, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, भादी	27. कोरवा, कोड़ाकू	
	28. मांझी	
	29. मझवार	
	30. मवासी	
	31. मुण्डा	
	32. नागेसिया, नागासिया	
	33. ओरान धानका, धनराड	
	34. पाओ	
	35. प्रधान, पाथरी, सरोटी	
	36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टंकिया (i) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिला और	

VI. गोवा

1. धोदिया	4. सिद्धी (नायका)	7. गवडा
2. दुबला (हलोअती)	5. वरली	8. वेलिप
3. नैकदा (तालविया)	6. कुन्बी	

VII. गुजरात

1. बारदा	गरासिया, मेवासी भील रावल भील, तडवी भील भगालिया यगालिया, भीलाला पावरा, वासावा, बसाए	6. चौधरी (सूरत और बलसाद जिलों में)
2. बवाछा, बमाछा		7. चौधारा
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)		8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील भील डुंगरी, डुंगरी	5. छारन (एल्चा वारदा और गिर के जंगलों में)	9. धोदिया, धोदी
		10. दुबला, तलावइया, हलपाती

- | | | |
|---|---|--|
| 11. गामित गामता, गावित मावछी,
पादवी | मोटा नायका, नाना नायका | 25. राथवा |
| 12. गोंड राजगोंड | 19. पधार | 26. सिद्दी (अमरेली,
भावनगर, जामनगर, जूनागढ़
राजकोट, और सुन्दरनगर
जिलों में) |
| 13. कथोडी, कतकारी, ढोर
कतकारी, सोन कठोदी
सोन कतकारी | 20. हटा दिया गया | 27. हटा दिया गया |
| 14. कोकना , कोकनी कुकना | 21. परघी अदवीचिंचर, फान्से
पारघी (अमरेली, भावनगर,
नामनगर, जूनागढ़, कच्छ,
राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों
के अतिरिक्त) | 28. वरली |
| 15. हटा दिया गया | 22. पटेलिया, | 29. विटोलिया, कोतवालिया,
बरोदिया |
| 16. कोली ढोर, टोकरे कोली,
कोलचा, कोलघा | 23. पोमला | 30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया |
| 17. कुनबी (डांग जिले में) | 24. रबारी (अलेच्छ, बरादा और
गिर के जंगलों में) | 31. तडवी भील, बावरा, वसावे, |
| 18. नायकडा, नायका, चोली वाला
नायका, कपाडिया नायका, | | 32. पदवी |

VIII. हिमाचल प्रदेश

- | | | |
|-------------|------------------------|------------------------|
| 1. भोत, बोध | 4. जाड, लाम्बा, खाम्पा | 7. पांगवाला |
| 2. गद्दी | 5. कनउरा, किन्नर | 8. स्वांगला |
| 3. गुज्जर | 6. लाहउल | 9. बेटा, बेडा |
| | | 10. डोम्बा, गारा, जोबा |

IX. जम्मू और कश्मीर

- | | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| 1. बालटी, | 5. छांगपा | 9. गुज्जर |
| 2. बेदा | 6. गारा | 10. बकरवाल |
| 3. बोत, बोतो | 7. मोन | 11. गद्दी |
| 4. ब्रोकपा, प्रोकपा, दारा, शिन | 8. पुरिगपा | 12. सिप्पी |

X. झारखंड

- | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|
| 1. असुर, अगारिया | 13. हो | 23. माल पहारिया, कुमारबाग
पहाडिया |
| 2. बैगा | 14. करमाली | 24. मुंडा, पतार |
| 3. बनजारा | 15. खारिया, धेलकी, खारिया, दुध
खारिया, हिल खारिया | 25. उरांव, धनगर ओरांव |
| 4. बठूडी | 16. खारवार | 26. परहया |
| 5. बेदिया | 17. खोंड | 27. सन्थाल |
| 6. विंझिया | 18. किसान, नगेशिया | 28. सोरिया पहारिया |
| 7. बिरहोर | 19. कोरा, मुंडी कोरा | 29. सवार |
| 8. विरजिया | 20. कोरवा | 30. भूमिज |
| 9. चेरो | 21. लोहरा | 31. कवार |
| 10. चिक बराइक | 22. माटल | 32. कोल |

XI. कर्नाटक

- | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 1. आदियान | 3. बवाचा, बामचा | भील, डुगरी भील, डुगरी |
| 2. बरदा | 4. भील, भील गरसिया, ढोली | गरसिया, मेवासी भील रावल |

- भील, तडवी भील, भागालिया
भीलाला, पावरा, वसावा,
वसाए
5. चेंचू, चेंचवार
 6. चौधारा
 7. दुबला, तालविया, हालपति
 8. गामित, गामता, गावित, मावछी
पदवी बालवी
 9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड,
 10. गौडालू
 11. हक्किपिक्कि
 12. हसलारू
 13. इरूलार,
 14. इरुलिंगा,
 15. जेनू कुरुबा
 16. काडू कुरुबा
 17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला
तथा मैसूर जिले के कोलेगल
तुलुक में)
 18. कनिवन, कन्यन (मैसूर जिले
के कोलेगल तुलुक में)
 19. कथोडि, कटकारि, ढोर

- कथोडि, ढोर कतकारी, सोन
कथोडि, सोन कतकारि
20. कट्टूनायकन
 21. कोकना, कोकनी, कूकना
 22. कोलीढोर, टोकरे कोली,
कोलचा, कोलहा
 23. कोन्डा कापस
 24. कोरगा
 25. कोटा
 26. कोया, मीने कोया, राजकोया
 27. कुडिया, मेलाकुडि
 28. कुरुबा (कूर्ग जिले में)
 29. कुरुमान
 30. महामलासर
 31. मलाइकुडि
 32. मालासर
 33. मलायेकान्डि
 34. मालेरू
 35. मराठा (कुर्ग जिले में)
 36. मराठी (दक्षिणी कनारा जिले
में)
 37. मेडा, मेदारी, गोरिगा, बुरुद

38. नायकडा, नायक, छोल्लिवाला
नायक, कपाडिया नायक, मोटा
नायक, नाना नायक, नाइक,
नायक, बेड़ा, बेदार, और
वाल्मिकि
39. पल्लियन
40. पानियां,
41. पारघी, अडिवचिन्चेर, फेन्स
पारघी, **हरांशिकारी**
42. पटेलिया
43. रथावा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोड़ा
47. वारलि
48. वितोलिया, कोतवालिया
बडोरिया
49. येरावा
50. **सिद्धी (उत्तर कन्नड जिले में)**

XII. केरल

1. अदियन,
2. अरान्दन, **अरांधन**
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, **माला पुलायन**
कुरुम्बा पुलायान, करवाड़ी
पुलायन, पाम्बा पुलायन
5. इरूलार इरूलान
6. कदार, **वायनाड कदार**
7. **हटा दिया गया**
8. कनिकारन, कनिककार
9. कट्टूनायकन
10. **कोच्चु वेलन**
11. **हटा दिया गया**
12. **हटा दिया गया**
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया मेलाकुडि
16. कुरिच्छान, कुरिचियन
17. कुरुमान, मुल्लु कुरुमान,

- माला कुरुमान**
18. कुरुम्बास, **कुरुम्बार,**
कुरुम्बान
 19. महा मालासर
 20. मलाई आर्यानि, **माला**
आर्यन
 21. मलाई पंडाराम
 22. मलाई वेदान, मालावेदान
 23. मालाकुरवन
 24. मालासार
 25. मालायन, **नत्तु मालायन,**
कोंगा मलायन, (कसारगोडे,
कन्नानोर, वायनाड और
कोजीकोड जिलों को
छोडकर)
 26. मालायरयार
 27. मन्नान
 28. **हटा दिया गया**
 29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन

30. पालेयान, पालीयान, पालीयार,
पालीयान
31. **हटा दिया गया**
32. **हटा दिया गया**
33. पानियान
34. उलादन, उलातन
35. उरली
36. **माला वेत्तुवन (कसारगोड और**
कन्नुर जिलों में)
37. **तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान**
38. थाचानदान, थाचानदान, मूपान
39. चोलानैकान
40. माविलन
41. करीमपलान
42. वेट्टा कुरुमान
43. माला पनिककर

XIII. मध्य प्रदेश

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. अगारिया | मोघिया, मोंगिया, मोंघिया, | 38. प्रधान, प्राथी, सरोटी |
| 2. अन्ध | मूडिया, मूरिया, नगारची, | 39. हटा दिया गया |
| 3. वैगा | नागवंशी, ओझा, राझ, | 40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, |
| 4. भैना | सोनझारी झरका, थाटिया, | चिता परधी, लंगोली परधी, |
| 5. भारिया भूमिया, भूझहार | थोटिया, वादी मरिया, भादी | फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, |
| भूमिया, भूमिया, भारिया, | मरिया, दरोई | टकिया (i) बस्तर, झिन्दवारा, |
| पलिहा, पान्डो | 17. हल्वा, हल्वी | मांडला, डिडोरी सेओनी और |
| 6. भत्रा | 18. कामर | सुरगुजा जिलों में (ii) बाला |
| 7. भील, भेलाला, वरेला, | 19. करकु | घाट जिले में बैहर तहसील |
| पटेलिया | 20. कवर कैवर, कौर, छेरवा, | (iii) बेतुल जिले के बेतुल, |
| 8. भील मीना | राथिया तंवर, छत्री, | षाहपुर और भैंस डेही तहसीलों |
| 9. भून्जिया | 21. हटा दिया गया | में (iv) जवलपुर जिले के |
| 10. बीअर, बीआर | 22. खैरवार, कोन्दार | पटन तहसील और सिहोरा |
| 11. बीन्जवार | 23. खैरिया | एवं मंझाली ब्लॉक |
| 12. विरहुल, विरहोर | 24. कोन्ध, खोन्ध, कन्ध | (v) कटनी जिले के कटनी |
| 13. डामोर, डामारिया | 25. कोल | (भुरवाड़ा) विजय राघोगढ़ |
| 14. डनवार | 26. कोलम | तहसील तथा बहोरीबन्ध तथा |
| 15. गडवा, गोडवा | 27. कोकरू बोपची, भेउआसी, | घेमरखेड़ा ब्लाक |
| 16. गोंड अराक, अराख, अगेरिया, | नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया | (vi) होशंगबाद जिले के |
| अगारिया, आसुर, वादी मारिया, | 28. कोरवा, कोड़ाकू | होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, |
| वादा मारिया, भटोला, भीमा, | 29. मांझी | पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील |
| भूटा, कोलियावूटा, | 30. मझवार | और किस्ला ब्लाक |
| कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन | 31. मवासी | (vii) नरसिंहपुर जिला |
| मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी | 32. हटा दिया गया | (viii) खांडवा जिले के हरसुद |
| मरिया, धुरू, धुर्वा, धोवा, | 33. मुण्डा | तहसील में |
| धुलिया, डोरलाई, गैकी, गट्टा, | 34. नागैसिया, नागासिया | 41. परजा |
| गट्टी, गैटा, गोंड गौरी, हिल | 35. ओरान घांका, धंगाद | 42. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, |
| मरिया, कन्दरा, कलंगा, | 36. पानिका छतरपुर (छतरपुर | सेहरिया, सोर |
| खटोला, कवेटार, कोया, | पन्ना, रेवा सतना, शादोल, | 43. साओन्ता, साउन्ता |
| खिरवार, खिरवारा, कूचा | उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ | 44. साउर |
| मरिया, कूचिका मरिया, | जिलों में) | 45. सावार, सावारा |
| मडिया, मरिया, माना, मानेवर, | 37. पाओ | 46. सोनर |

XIV. महाराष्ट्र

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. अंध | भूमिया, पान्डो | भिलाला, पावरा, बसावा, |
| 2. बेगा | 7. भातरा | बासावे |
| 3. बारदा | 8. भील, भीलगरासिया, ढोली | 9. भूजिया |
| 4. बावाचा, बामचा | भील, डूंगरी भील, डूंगरी | 10. बिंझवार |
| 5. भाइना | गरासिया, मेवासी भील, रावल | 11. बिरहुल, बिरहोर |
| 6. भारिया, भूमिया, भूझहार, | भील, तादवी भील भागालिया, | 12. हटा दिया गया |

13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्व	थातिया, थोट्या, बाडे मारिया, बाडे मारिया	नायक, कपाडिया नायक मोटा नायक, नाना नायक
14. धानवार	19. हलवा, हल्बी	36. ओरान, धनगर
15. धादिया	20. कामर	37. परधान, पठारी सरोती
16. दुबला, तालाविया, हलपति	21. कथोडी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी	38. पारघी, अडवीचिन्चेर, फान्स परघी फान्से परघी लांगोली परघी, बहेलिया, छिट्टा परघी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी	22. कवर, कँवर, कौर, छेखा, राथिया, तँवर, छत्री	39. पारजा
18. गोंड राजगोंड, अरख, अर्राख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बड़ा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, विशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दांन्दमी मारिआ धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, काइकी, गात्ता, गात्ति, गैता, गौड़, गोवारी, हिल मारिया कांद्रा कालगा, खटोला कोइतार कोया, खैरवार खैरवारा, कुछ मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मानेवार, मानेवार, मोघया, मोंगिया, मोंघया, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका	23. खैरवार	40. पटेलिया
	24. खारिया	41. पोमला
	25. कोकना, कोकनी, कुकना	42. रथावा
	26. कोल	43. सवार, सवारा
	27. कोलम, मन्नेखारलू	44. ठाकुर, का ठाकुर, का ठाकुर मा ठाकुर, मा ठाकर
	28. कोलीढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा	45. हटा दिया गया
	29. कोली महादेव, डोंगर कोली	46. वारली
	30. कोली मल्हार	47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया
	31. कोंघ खोंघ कन्घ	
	32. कोरकू, बोपची, मोडआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया	
	33. कोया, भीने कोया, राजकोया	
	34. नागेसिया नागासिया	
	35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला	

XV. मणिपुर

1. अइमोल	12. कोम	23. सीमा
2. अनाल	13. लामगांग	24. सीमते
3. अनगामी	14. माओ	25. सुथे,
4. छिरू	15. मारम	26. तांगरबुल
5. छोथे	16. मारिंग	27. थाडोड
6. गांगते	17. कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति	28. वाइफुई
7. हमार	18. मोनसांग	29. जोड
8. काम्बुई	19. मोयोन	30. पौमाई नागा
9. कच्चा नागा	20. पाइटे	31. ताराव
10. कोइराओ	21. पुरूम	32. खराम
11. कोइरेंग	22. राल्टे	33. कोई कुकी जनजाति

XVI. मेघालय

1. चकमा	5. हम्मार	7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
2. दिमसा कछारी	6. खासी जयंतिया स्येनतेग प्जार, वार, भोइ ल्येनगनगाम सहित	(i) बइते बिएते
3. गारो		(ii) छंगसान
4. हांजोग		

- (iii) चोंगलोइ
- (iv) डोउन्गोल
- (v) गमाल्हू
- (vi) गंगत
- (vii) गुइते
- (viii) हान्नेंग
- (ix) हाओकिप या हाउपिट
- (x) हाओलाई
- (xi) हेंगना
- (xii) होंनसुघ
- (xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
- (xiv) जोंगवे
- (xv) खावचांग
- (xvi) खवथलांग, खोथालांग

- (xvii) खेलमा
- (xviii) खोल्हू
- (xix) किपजेन
- (xx) कुकी
- (xxi) लेनथांग
- (xxii) ल्हांगम
- (xxiii) ल्होउजेम
- (xxiv) ल्होउवेन
- (xxv) लुपहेंग
- (xxvi) मांगजेल
- (xxvii) मिसाओ
- (xxviii) रिआंग
- (xxix) सइरहेम
- (xxx) सेलनाम
- (xxxi) सिंगसन
- (xxxii) सितल्होउ

- (xxxiii) सुक्ते
- (xxxiv) थादो
- (xxxv) थांगनेऊ
- (xxxvi) उईबुह
- (xxxvii) वाइफेई, सहित

- 8. लाखर
- 9. मन (थाई बोलने वाले)
- 10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
- 11. मिकिर
- 12. कोई भी नागा जनजाति
- 13. पावी
- 14. स्येनतेंग
- 15. बोरो कचारिस
- 16. कोछ
- 17. राबा, रावा

XVII. मिजोरम

- 1. चकमा
- 2. दिमसा (कछारी)
- 3. गारो
- 4. हांजोग
- 5. हम्मर
- 6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्जार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
- 7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
 - (i) बइते बिएते
 - (ii) छंगसान
 - (iii) चोंगलोइ
 - (iv) डोउन्गोल
 - (v) गमाल्हू
 - (vi) गंगत
 - (vii) गुइते
 - (viii) हान्नेंग
 - (ix) हाओकिप या हाउपिट

- (x) हाओलाई
- (xi) हेंगना
- (xii) होंनसुघ
- (xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
- (xiv) जोंगवे
- (xv) खावचांग
- (xvi) खवथलांग या खोथालांग
- (xvii) खेलमा
- (xviii) खोल्हू
- (xix) किपजेन
- (xx) कुकी
- (xxi) लेनथांग
- (xxii) ल्हांगम
- (xxiii) ल्होउजेम
- (xxiv) ल्होउवेन
- (xxv) लुपहेंग
- (xxvi) मांगजेल

- (xxvii) मिसाओ
- (xxviii) रिआंग
- (xxix) सइरहेम
- (xxx) सेलनाम
- (xxxi) सिंगसन
- (xxxii) सितल्होउ
- (xxxiii) सुक्ते
- (xxxiv) थादो
- (xxxv) थांगनेऊ
- (xxxvi) उईबुह
- (xxxvii) वाइफेई,
- 8. लाखर
- 9. मन (थाई बोलने वाले)
- 10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
- 11. मिकिर
- 12. कोई भी नागा जनजाति
- 13. पावी
- 14. स्येनतेंग
- 15. पैते

XVIII. नागालैंड

- 1. नागा
- 2. कुकी

- 3. कचारि
- 4. मिकिर

- 5. गारो

XIX. उड़ीसा

- 1. बगता, भक्ता
- 2. बइगा
- 3. बनजारा, बनजारी

- 4. बाथूडी, बाथूरी
- 5. भोत्ताड़ा, धोत्ताड़ा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतौरा,

- भतारा
- 6. भूइया, भूयान,
- 7. भूमिया

8. भूमिज, तेली भूमिज,
हल्दीपोखरिया भूमिज, हल्दी
पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज,
देसिया भूमिज, तमारिया
भूमिज
9. भूजिया
10. बिजझाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बोंडो पोरजा, बोंडा परोजा,
बोंडा परोजा
14. चेनछू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा धुरूआ
18. दिदायी, दिदायी परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो गडाबा, गुतोब
गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा
गडाबा, पेरंगे गडाबा, सोनो
गडाबा
20. गांडिया
21. खारा
22. गोंड, गोंडो राजगोंड, मारिया
गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गौदा
28. कवार, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा
खारिया,
डेलकी खारिया, दुध खारिया,
एरंगा खारिया, मुंडा खारिया,
ओरांव खारिया, खाडिया,
पहाड़ी खारिया

30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कधा, नंगुली,
कंधा, सीता कंधा, कोंध, कुई,
बुदा कोंध, बुरा, कंधा, देसिया
कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया
कंधा, कंधा गौडा, मुली कोंध,
मालुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा
कोंध, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लहारस, कोल लोहारस
35. खोल्हा
36. कोली मल्हार
37. कोंडोरा
38. कोरा, खारा, खयारा
39. कोरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर
कोया, कमार कोया, मुसार
कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया,
मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा
महालिस, नागाबंशी मुंडा,
उड़िया मुंडा
51. मुंडारी

52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धनगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, आजा, बोडो परोजा,
बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया
परोजा, झोदया परोजा, कोंडा
परोजा, पराजा, पोंगा परोजा,
सोदिया परोजा, सोनो परोजा,
सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा
आरसी साओरा, बसेड साओरा,
भीमा साओरा, भीम्मा साओरा,
चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु
साओरा, जती साओरा, जुआरी
साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा
साओरा, किंदल साओरा, कुंबी
कंचेर साओरा, कलपितिया
साओरा, किराट साओरा, लांजिया
साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा,
लुआरा साओरा, लुआर साओरा,
लारिया सावर, मलिया साओरा,
मल्ला साओरा, उड़िया साओरा,
राइका साओरा, सुधा साओरा,
सारदा साओरा, तंकला साओरा,
पटरो साओरा, बेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

XX. राजस्थान

1. भील, भील गरसिया, ढोली
भील, डुगरीभील, डुगरी
गरसिया, मेवासी भील, रावल
भील, तादवी, भील, भगालिया,
भीलाला, पावरा, वासवा,
वासावे
2. भील मीना
3. वामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया,

- वाल्वी
5. गरसिया (राजपूत गरसिया के
अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, ढोर
काटकारी, ठोर कठोड़ी, सोन
कठोड़ी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढोर, टोकरे कोली,
कोलचा, कोलगा

9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला
नायक, कपाडिया नायक, मोटा
नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

XXI. सिक्किम

- | | | | |
|---|----------------|--------|-----------|
| 1. भुतिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकुपा, कागेती, शेरपा, तिबतेन, | तरोमोपा, सहित) | योल्मा | 2. लेपचा |
| | | | 3. लिम्बू |
| | | | 4. तमांग |

XXII. तमिलनाडु

- | | | |
|---|--|---|
| 1. आदियान | 12. कोंडारेड्डी | दक्षिणी अरकोट और तिरुचुना |
| 2. आरानादान | 13. कोरगा | पल्ली जिले में) |
| 3. इरावल्लान | 14. कोटा(कन्याकुमारी जिला एवं तिरुनेलवेलि जिले के शोनकोट्टा तालुक को छोड़कर) | 26. मलायेकान्डी |
| 4. इरूलार | 15. कुडिया, मेलाकुडी | 27. मन्नान |
| 5. कादर | 16. कुरिच्छान | 28. मुदुगार, मुदुवान |
| 6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरुनेलवेलि जिले के शोनकोट्टा तालुक के अलावा) | 17. कुरुम्बा (नीलगिरि जिले में) | 29. मुत्थुवान |
| 7. कनीकारन कनीक्कार (कन्याकुमारी व तिरुनेलवेलि जिले के शोनकोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में) | 18. कुरमांस | 30. पल्लेयान |
| 8. कनियान, कन्यान | 19. महा मलासर | 31. पल्लियान |
| 9. कट्टनायकन | 20. मलाई आर्य | 32. पल्लियार |
| 10. कोच्चुवेलन | 21. मलाइ पण्डाराम | 33. पनियान |
| 11. कोंडा कापस | 22. मलाई वेदन | 34. शोलागा |
| | 23. मलाक्कुरावन | 35. टोडा (कन्याकुमारी जिले के तिरुनेलवेलि जिले के शोनकोट्टा तालुक को छोड़ कर) |
| | 24. मालासर | 36. यूराली |
| | 25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, | |

XXIII. त्रिपुरा

- | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|
| 1. भील | (ii) बेलालथुट | (xv) रांगचांग |
| 2. भूटिया | (iii) छाल्या | (xvi) रांगखोले |
| 3. छइमल | (iv) फुन | (xvii) थांगलुया |
| 4. चकमा | (v) हजांगो | 10. लेपचा |
| 5. गारो | (vi) जांगतेइ | 11. लुशाइ |
| 6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप | (vii) खोरेंग | 12. माग |
| 7. जमातिया | (viii) खेफोंग | 13. मुण्डा, कौर |
| 8. खासी | (ix) कुन्तेइ | 14. नोआटिया, मुराशिंग |
| 9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहित:- | (x) लाइफांग | 15. ओरांग |
| (i) बाइटे | (xi) लेन्तई | 16. रियांग |
| | (xii) मिजेल | 17. सन्ताल |
| | (xiii) नामते | 18. त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा |
| | (xiv) पाइतु, पाइते | 19. उछाई |

XXIV. उत्तराखंड

- | | | |
|-----------|-------------|---------|
| 1. भोटिया | 3. जन्नसारी | 5. थारू |
| 2. बुक्सा | 4. राजी | |

XXV. उत्तर प्रदेश

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. भोतिया | जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, | 11. पंखा, पोका (सोनभद्र और |
| 2. बुक्सा | वाराणसी, मिर्जापुर और | मिर्जापुर जिले में) |
| 3. जन्नसारी | सोनभद्र जिले में) | 12. अगारिया (सोनभद्र जिले में) |
| 4. राजी | 7. खरवार, खैरवार (देवरिया, | 13. पतारी (सोनभद्र जिले में) |
| 5. थरू | बलिया, गाजीपुर, वाराणसी | 14. चैरो (सोनभद्र और वाराणसी |
| 6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, | और सोनभद्र जिलों में) | जिलों में) |
| पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, | 8. सहारिया (ललितपुर जिले में) | 15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले |
| सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, | 9. परहइया (सोनभद्र जिले में) | में) |
| देवरिया, मऊ आजमगढ़, | 10. बड़गा (सोनभद्रा जिले में) | |

XXVI. पश्चिम बंगाल

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. असुर | 14. हाजांग | 27. माहली |
| 2. बड़गा | 15. हो | 28. माल पहारिया |
| 3. बदिया, बेदिया | 16. करमाली | 29. मेच्छ |
| 4. भूमिज | 17. खारवार | 30. मरू |
| 5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, | 18. खोंड | 31. मुण्डा |
| गगाते, तिब्बती योल्मो | 19. किसान | 32. नागेसिया |
| 6. विरहोर | 20. कोरा | 33. ओरान |
| 7. बिरजिया | 21. कोरवा | 34. परहाइया |
| 8. चकमा | 22. लेप्चा | 35. रभा |
| 9. छेरी | 23. लोधा खेरिया, खारिया | 36. सन्ताल |
| 10. चिक बारिक | 24. लोहार, लोहरा | 37. सउरिया पहरिया |
| 11. गारो | 25. माघ | 38. सवार |
| 12. गोंड | 26. महाली | 39. लिम्बू (सुब्बा) |
| 13. गोरइत | | 40. तमांग |

XXVII. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

- | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 1. अंडमानी, चारियार, चारी, | जुवाई, कोल | 4. ओंगेस |
| कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, | 2. जारवास | 5. सोटिनलीस |
| बलवा, बोजीगियाब, | 3. निकोबारी | 6. शोम पेन्स |

XXVIII. दादरा व नगर हवेली

- | | | |
|----------------------|------------------------|----------|
| 1. घोदिया | 4. कोकना | 7. वारली |
| 2. दुबला हालपति सहित | 5. कोली धोर कोलघा सहित | |
| 3. कठोडी | 6. नइकदा या नायक | |

XXIX. दमन व दीव संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :-

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------|
| 1. घोदिया | 3. नइकडा (तालावी) | 5. वारली |
| 2. दुबला (हालपति) | 4. सिद्धी (नायक) | |

XXX. लक्षद्वीप सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में :-

लक्कादीव, मिनिक्कोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। 'बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।'

स्पष्टीकरण :- 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(1)(घ) में परिभाषित किया गया है।

****कृपया ध्यान दें :** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 19.9.2003

नोट :- यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।



अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

I. आंध्र प्रदेश

- (1) महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुक के बालमोर, कोदनांगोल, बनाल, बिलाकास, धारावारभ, अप्पाइपाली, रासुल छेरनुव, पुलेछेलमा मारलापया, बुर्ज गुंडाल, अगारला पेन्टा, पुल्लाइपाली, दुक्कान पेंटा, बिकिट पेंटा कारकार पेंटा, बोरामाछेरन्वू, येमेलपाया, इरलापेंटा, मुरारदीपेंटा, तेरकालदारी, वकारामामिदी पेंटा, मेडी मानकल, पंडीबोरे, संगरी गुण्डल, लिंगबोर, रामपुर, अप्पापुर मालापुर, जलालपेंटा, पीमानपेन्टा, रायलेट, वेटीलापाली, पातुर बयाल, भावीपेंटा नारदी पेंटा, सीपेंटा, तपासीपेंटा, चन्द्रगुप्ता, युल्लुकातरेवु, तिमारेड्डीपाल्लि, सारलापाल्लि, ततिगुण्डाल, इल्पायायेहेना, कोमान पेंटा, कोल्लामपेंटा मानानूर, माछाराम, मलहामाम्डी, वेकेंटेश्वरला बावी, अमराबाद, तिरमालपुर, उपनुटोला, मधवनपल्लि, जगमरेड्डी पाल्लि, पेदरा, वेंकेश्वरम, चितलाम कुंटा, लाछमापुर, उदमेला, मारेड, इप्पालापाली मड्डीमाडाग, अक्काराम, अइनोल, सिद्धापुर, बमानपाली, गनपुरा और मानेवारपल्लि गांव।
- (2) आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुक के मलाइ बोरगोवा, अनकानपुर, जामुलाघारी, लोकारी, तान्तोली, सीतागोंटी, बुरनूर, नवगांव, पीपलदारी, पारदी बुजुर्ग, यापाल गुदा, छिनछूघाट, वानकोली, कानपा, अवसोदा बुरकी, मलकापुर, जारी, पालसी बुजुर्ग, आरिल खुर्द, नन्दगांव, वाघापुर, पालसीखुर्द, लिंगी, काफर देनी, रतनापुर, कोसाइ, उमारी, मदनपुर, अम्बूगांव, रूयेअडी, सकानपुर, दादगांव, कसलापुर, डोरली, साहाजी, सांगवी, खोगदूर, कोबाई, पोनाला, छापराला, मंगरोल, कोपा, अरगूने, सोअनखास, खिडकी, खासल खुर्द, खासल बुजुर्ग, जामनी, बोरगांव, सयेद पूर, खारा, लोहारा, मारीगांव, छिछदारी, खानापुर, खण्डाल, तीपा, हाती, घोता, करोदखुर्द, करोनी बुजुर्ग, सिंगापुर, बुरानपुर, नागराला, बोदाद, छांदपेल्ली, पीतगेन, येकोरी, सादारपुर, वारूर, रोहार, तकाई तकली और रामखाम गांव।
- (3) आदिलाबाद जिले के किनवात तालुक के अम्बारी, बोदरी, छिकली, कामताला, घोती, मांडवा, मेरेगांव, मालबोर गांव, पटोडा, दहीगांव, दोमान घारी, दरसांगी, डिघरी, सिंदगी, कनकवाडी, कोपरा, मलाकवाडी निसपुर एन्डा, पीपलगांव, बलजा, वारोली, अन्जी, भीमपुर, सिरमेती, केरल, कोठारी, गोकुड़ा, गोगरवुडी, मलकापुर, द्योनोरा, रामपुर, पातरी, परोद्दी, बाओथ दरसांगी, नोरगांव, उनरसी, गोदी, साउरखेर नायकवाडी, सरकानी, वाझेरा, मारदाप, अंजेरखेर, गोण्डवारसा, पलाइगुडा करालगांव, पालसी, पटोडा जवारला, पीपलगांव, कानकी, सिंगोरा, डोगरगांव, पीपल सेंघा, जुरूर, मिनकी तुलसी, माचौरडेर, पारधी मुरली, टाकरी, पारसा, वारसा, उमरा, अशता, हिंगनी, तिमारपुर, बाजरा, बानोला पाटसोन्डा, धनोरा, साकुर और डिगरी गांव।
- (4) आदिलाबाद जिले के बोथ तालुक के हतनूर, बाकरी, पारद्दी, करतान्डा, सेरलापाल्लि, नेरादी-कोन्डा, डालीगाओ, कुनताला वेंकटपुर, हसनपुर, सुरदापुर, पोलमामदा, बालहनपुर, धर्मपुरी, गोकोडां भोताई, कोरसेकाल, पतनापुर, तेजापुर, गुरूज, खाहदीगुडी, राजुरवाडी, इसपुर घानपुर, जतेरला, खान्तेगांव, साउरी, इछोरा, मुतनुर, गुडी हाटनूर, तालमेडी, गेरजाम छिनछोली, सिरछेलमा, मनकापुर, नारसापुर, धर्मपुर, हरकापुर, धामपुर, निगनी, अजारवजार, चिन्तलबोरी,, रामपुर, गंगापुर और गयात्पाली गांव।
- (5) आदिलाबाद जिले के उत्तूर तालुक के सभी गांव।
- (6) आदिलाबाद जिले के असइफाबाद तालुक के राजमपेट, गुंजाला, इंचानी, समेला, तेजपुर, कन्नारगांव, कन्टागुडा, शकेनपाल्ली, जामुलघारी, गुडी, छोरपाली, सालेगुदा, बादीगुदा, सवाती, ढाबा, छोपनगुडा, नीमगांव, खिरदी, मेटापिपरी, साकरा सांगी, देवमुरपाली, खोटरा-रिंगनघाट, निशानी, कोटा परानडोली, मेसापुर, गोइगांव, द्योनोरा, पारद्दा, सुरदापुर, केरीनेरी मुरकीनोनकी, देवापुर, छिन्ताकारा, इहेरी, आरा दासनपुर, कापरी, बेलगांव, सिरसगांव, मोआर, बादाम, द्यामिरीगुडा, दाल्लनपुर, छालवारडी, इहोरघाट, वाली झारी, साकमगुंडी, आरा, उप्पाल, नवगांव,

अंकसोरपुर चिराकुन्ता, इल्लिपिट्टा, डोरली, मन्डरन्मेरा, दन्तान्पल्ली, देवदुर्ग, तुनपाली धांगलेश्वर, पादिबान्दा, तामरिन, मलगुण्डी, कन्दन मोओआर, जिओनेना, कुटेदा तिलानी, कानेपेल्लि, बोरवांउम, गरदेपाली, तेलुन्डी, मौगीलोडीगुड़ा, मोइड़ा गुड़ी पेट, चीन्नेदारी, कोइटेल्गुण्डी, मदुरा, देवैगुड़ा, आरे गुड़ा, तकेपाली, चोउतेपाली, राने कन्नेपाली, सुंगापुरा, राला सामकेपाल्लि, छोपरी, दोदा, अर्जुनी, सेरवाई, रापाल्लि, टेकमाडवा और मीता अर्जुनी गांव।

- (7) आदिलाबाद जिले के लक्ष्मिपेत तालुक के गुदाम, कासीपेत, दांडे पाल्लि, छेलमपेटा राजमपेट, मुत्तीमपेट, वेंकटपुर, राली, कौवाल, तारापेत, देवपुर, गधापाल्लि, रेतपाल्लि, माझडामारी, छमरिपेत, वेंकटपुर, चिंतागुड़ा और मुत्तेमपाली गांव।
- (8) आदिलाबाद जिले के राजोरा, तालुक के बेंडवी, छिनछोली, गोइगांव, हीरापुर, साकरी, बालापुर, मनोली, अन्तारगांव, विरूर, डोगरगांव, टिमबेरवाई, सेरसी, बडोरा, व्मरजीरी, लाकारकोट, डरगांव, किरदी, सोंदो, देवरा, खोरफना, कानारगांव, छेनाई, कैरगांव, सामलहीरा, घनोली, मारनगांडी, येल्लापुर, काटलबोरी इसपुर, देवती, पाण्डेरवानी, वानसारी, पेरदा, वारगांव, नोकारी, मीरापुर, पारघी, कुतोडा, परसेवारा, मंगलरा, कारकी, नोकारी, मनोली, सोनपुर, इनापुर, मानगी, उपारवाई, तुत्ता, लकमापुर, किरदी, इनजापुर, जामीनी, हरगांव, छिकली, पाटन, कोसुंडी, कोतारा और सोनोरली गांव।
- (9) आदिलबाद जिले के सिरपुर तालुक के रालपेट, किस्तामपेट, तकलपाल्ले छाकलपाल्लि, अनाराम, येपाल्लि, कोरसनी, इसगांव, छिन्तागुड़ा, अंकोरा, उसू रामपाल्लि अरपाल्लि बोपालपट्टम, बालासागा, पारघी, तुमरीहाती, छिन्तालमानोपाल्लि, छिन्ताम, गुल्लातालोदी, दामदास, दोरपल्लि, कानकी, गारलापेट, गुदलाबोरी, गुरूमपेट, लोमवेली, मोगुरदागर, विरदान्डी, और छिलपुरदुबोर गांव।
- (10) वारंगल जिले के मुलुग तालुक के कन्नइगुड़ा, अंकनगुड्डा, राघवापट्टनम, मेडारमोला, कोएटला, पारसा, नागाराम, मुथापुर, मोटलागुड्डा, वेंगलपुर, येलपाक काने बोएनपाल्लि, मेदाराम, कोंडरेड, छिन्तागुड़ा, कोंडापारथी, येलसेथिपाल्लि, अल्लामरि घुन पुर, रामपुर, माल्कपाल्लि, छेताल भूपतिपुर, गंगाराम, कन्नइगुड़ा राजन्नापेट, भूताराम, अक्केला, सिरवारपुर, गंगाराम भूपतिपुर, पुम्बापुर, रामपुर, अकामपाली, कामाराम, कामसेलिगुण्डम, आशनागुड़ा, येल्लापुर, अल्लागुड़ा, नरसापुर, पुस्छापुर, भातुपाल्लि, लावनाल, वाड्डगुड़ा, कोथूर, पेगदापाल्लि, सारवापुर, भुस्सापुर, चेलवाई, रगपुर, गोविन्दराओपेट, बालपाली, धुमपालागुड़ा, केलापाली, लखनवरम, परसा, गोनेपाली, पडगापुर, नरलापुर, कलवापाली, डरताम, कोंडिया, मलयत, अक्लापुर, डोल्ला, कमाराम, तादवी, बुदीगुड़ा, बन्नजी, बन्दाम, सेलपाक कन्तलपाली, सरवाई गंगागुड़ा, तुपालकालगुड़ा, अकुलवारी, धानपुर, शाहपल्लि, गागपेल्लि, छिन्ना-विओपाल्लि, वेकरपुर, नरसापुर, अनवाराम, लिंगाल, बालेपाल्लि बंडल और धुनमापुर गांव।
- (11) वारंगल जिले के नरसामपेत तालुक के वेवेल्लि, पोलारा, बाकाछिन्ताफाद, गांजाद, गोपालपुर, खिस्तापुर, तातीनारी, वेनपाल्लि, पत्तल, भूपति, चन्देलपुर, बत्तालपाल्लि अदवारमपेट, सात्यानगर, दुल्ल, मोथवाडा, मंगाला वारपेत, कारलाई, अरकालकुंता, कोदसापेत, गुडेरपाल्लि मसामी, बत्तवारतीगुडेम, ममीदीगुडेम, पंगोन्डा, रोटुराई, सतरेद्दीपाल्लि, कोनापूर, कोंदापुरम, पोगुलापाल्लि, गोविन्दपुरम, माकदापाल्लि, पागुलापाल्लि, मुराइगुडेम, येलछागुडेम, तुम्मापुरम, जगांमवारतीगुडेम, रंगामुडेम, पेड़ा पल्ली, पेरावरम, कुन्दापाल्लि, नीलापाल्ली, दारावारिनापाल्लि, कारनेगुंड, महादेवागुडेम, मारिगुडेम, जंगनपाल्लि, बवारगुड़ा ओआरवाक, गंगारामम, मुछेरला अमरोन्छा कामाराम छिन्तागुंडम, निलावाच्छा, कांगारगिड्डा, मडागुड्डेम दालुरपेट, कोठागुडेम, कोटापाल्लि, दुर्गाराम, दूबागुडेम, रून्दावाराम नरसूगुडाम, कोमातलागुडेम, कोटेरवम, सेमर राजपेट, मारेपल्लि, गोआरन्ट, राधियापुर गजल गुडेम, राजवे पल्लि, और वोल्लिपाल्लि गांव।
- (12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुक के सभी गांव (येलान्दू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुड़ा कस्बे के अतिरिक्त)

- (13) (i) वारंगल जिले के पालोचा तालुक के सभी गांव, पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान
- (14) विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र {एजेन्सी लक्ष्मीपुरम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापुरम, कृष्णादेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम गोलूगोण्डापेटा, मुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेगामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा} {विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अगराहरम, रामचन्द्रनराजा पेटा, अगराहरम, ओर कोंडावातिपुडी अगाहराम।
- (15) पूर्वी गोदावरी क्षेत्र 2 {रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरुषोथापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर}
- (16) पश्चिम गोदावरी जिले के पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

- * आंध्र आदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ.संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश 1951 (सा.आ. संख्या 50) और आंध्र आदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश 1955 (सा.आ. 30) के तहत संशोधित किया गया।
1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।
 2. आंध्रा अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात**

1. सूरत जिले के और बारदोली उयेच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाध वालोद, मांगरोल तालुक
2. भडौच जिले के देदिया पाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और झगाडिया तालुक।
3. डांग जिला व तालुका
4. वलसाड जिले के बांदसा, धर्मपुर चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुक।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुक
6. बडोदरा जिले के छोटाउदयपुर, और निसवाडी तालुक और तिलकवाडा महल
7. साबरकांठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुक और विजयनगर महल।

- ** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया ।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नोर जिला
3. चम्बा जिले के पांगी तहसील और भारमोर सब-तहसील

- *** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सा.आ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट।

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्नलिखित

(क) धहानु, तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील

(ख) (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

पालघर तहसील :

(1) तारापुर	(41) काम्पालगांव	(81) केव
(2) कुन्दन	(42) मान	(82) वाकाडी
(3) दहीसर टार्फ तारापुर	(43) घानोघर	(83) मासवान
(4) घिवाली	(44) बाढे	(84) वान्डीवाली
(5) वावे	(45) छारी बुदर्ग	(85) नेताली
(6) अक्कारपत्ती	(46) बिरवाडी	(86) साये
(7) कुरगांव	(47) काल्लाले	(87) तेन
(8) पारनाली	(48) पादघे	(88) कारालगांव
(9) वेनगानी	(49) पोले	(89) गोवादे
(10) पठारवाली	(50) नानडोरे	(90) तामसाइ
(11) नेवले	(51) गिरनोली	(91) दुग्वेस
(12) शिगांव	(52) बोरान्डे	(92) धुकतान
(13) गारगांव	(53) देवखोपे	(93) पोछादे
(14) चिंचारे	(54) सागवे	(94) होलाले
(15) अकेगावान	(55) कोसबाद	(95) खामलोली
(16) नानीवाली	(56) कोकानेर	(96) वाहदोली
(17) अंवढ	(57) नागणारी	(97) बोत
(18) बरहानपुर	(58) छारी खुर्द	(98) इम्बूर इराम्बी
(19) सलगांव	(59) बेलगांव	(99) दानिसारी टार्फ मानोनर
(20) खुताद	(60) खुताल	(100) कुडे
(21) खानीवाडे	(61) छिलहर	(101) गुण्डावे
(22) रावते	(62) भोपोली	(102) सीतावली
(23) अकोली	(63) नीहे	(103) वेहालोली
(24) असेरी	(64) दामखाण्ड	(104) सवारे
(25) सोमते	(65) कोंधान	(105) वराई
(26) पस्थाल	(66) आवनधान	(106) जानसाई
(27) बोइसार	(67) बेगारचीले	(107) खाइरे
(28) बोरसेती	(68) शील	(108) ढेकाले
(29) महागांव	(69) लोवारे	(109) गांजे
(30) किराते	(70) बंधन	(110) जायेशेते
(31) वाडे	(71) नन्द गांव टार्फ मानोर	(111) शेलवाडे
(32) खाडवाने	(72) शील शेट	(112) वेमूर
(33) माडवान	(73) कताल्ले	(113) अम्बादी
(34) विस्थले	(74) अम्भान	(114) नवाली
(35) कोडगांव	(75) वासरोली	(115) मोरावाली
(36) कारसूद	(76) खारशेट	(116) वारखुन्ती
(37) बेतेगाव	(77) मानोर	(117) कामार
(38) वारंगदे	(78) ताकवाल	(118) टोकराले
(39) लालोडे	(79) सवारखण्ड	(119) बन्डाते
(40) घांड	(80) नालशेट	(120) जांजरोली

(121) छाडे	(129) गिराले	(137) कारवाले
(122) वसारे	(130) पारगाव	(138) वाधिव सरावली
(123) खादकोली	(131) नागवे टर्फ-मानोर	(139) पेनान्ड
(124) सखारे	(132) उम्बारपदा नानडाडे	(140) कान्डारवान
(125) रोथे	(133) उचावाली	(141) दाहीवाले
(126) लालथाने	(134) सफाले	(142) दारशेट
(127) नवाजे	(135) सोनावे	(143) नवगढ़ (घाटीम)
(128) तान्डुलवाडी	(136) माकने कापसे	(144) उम्बारपादा-टर्फ-मानोर।

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

वसाई (बसीन) तहसील :

(1) दाहीसार	(16) उसगांव	(31) अहोले
(2) कोशिम्वे	(17) मेघे	(32) वालिव
(3) तुलंज	(18) बादघर	(33) सतिवाली
(4) सकवार	(19) भीनार	(34) राजवली
(5) छिमान	(20) एम्बोडे	(35) कोल्ही
(6) हेडवडे	(21) कालभोन	(36) छिनछोती
(7) काशिदकोपर	(22) अनदने	(37) जुचन्द्रा
(8) खानीवाडे	(23) सायावान	(38) वापना
(9) भालीवाली	(24) पारोल	(39) देवदाल
(10) कावहेर	(25) शिरवाल	(40) कामम
(11) शिरसाद	(26) माझीवाली	(41) सरजामोरी
(12) मान्धवी	(27) कारांजीन	(42) पोमान
(13) छानदीप	(28) तिलहर	(43) सिल्लोत्तर
(14) भातने	(29) धाविव	(44) सासुनावहार
(15) शिवनसाई	(30) पेलहार	(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिवांडी तहसील :

(1) भिवाली	(17) मोहिली	(33) कुंडे
(2) गनेशपुरी	(18) नन्दीथान	(34) घोतावाडे
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी	(19) देपोली	(35) माइडें
(4) अकोली	(20) सखरोली	(36) करमाले
(5) सवारोली	(21) सूपेगांव	(37) कांडली बुदक
(6) खतराली	(22) पिलांजे खुर्द	(38) कोल्हे
(7) उसगांव	(23) पिलांज बुदुर्क	(39) कांडली खुर्द
(8) घोटगांव	(24) अलखीवाली	(40) दीघाशी
(9) बाढे	(25) वाघीवाले	(41) नेवादे
(10) वारेथ	(26) देवहोल	(42) अम्बादी
(11) चाने	(27) सागोआं	(43) दालोंड
(12) असनोली-टर्फ - दुगद	(28) इकसाल	(44) जाम्भीवाली टर्फ- खाम्बाले
(13) दुगद	(29) चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे	(45) उम्बारखण्ड
(14) मनीवाली	(30) डूधानी	(46) अशिवाली
(15) वादवाली टर्फ दुगद	(31) वापे	(47) जिदके
(16) मालबीडी	(32) घदाने	

(48) खारीवाली	(57) शिरोले	(66) घामने
(49) बासे	(58) दाभाद	(67) लाखीवाली
(50) गोंडाडे	(59) महानडुल	(68) पालीवाली
(51) पहारे	(60) शिरगांव	(69) पाये
(52) सेदगांव	(61) पिंपल सेठ भुसेठ	(70) गाने
(53) पच्छापुर	(62) खादकी खुर्द	(71) दाहयाले
(54) गोंडवली	(63) खादकी बुदरूक	(72) फिरंगपद
(55) जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे	(64) चिम्बीपाडे	
(56) असनोली-टर्फ-कुंडे	(65) कूहे	

(iv) मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मुरबाद तहसील :

(1) कासगांव	(27) खेड	(53) हेडावाली
(2) किसाल	(28) वनोटे	(54) कारचोंड
(3) बडवाली	(29) साई	(55) जडघर
(4) सखारे	(30) शेलगांव	(56) उडालदोहा
(5) खटालबोर गांव	(31) शिरोशी	(57) महोरांडे
(6) अम्बेल खुर्द	(32) तालेगांव	(58) टोकवडे
(7) सयाले	(33) फंगालकोशी	(59) वालेगांव
(8) इंदे	(34) मेरडी	(60) तलवानी (बडागांव)
(9) खेडाले	(35) वाल्हीवार	(61) वैशाखरे
(10) तलवाली-टर्फ-घोराट	(36) माल	(62) मनवाली-टर्फ-खेडुल
(11) इकलाहारे	(37) जडाई	(63) पेनढारी
(12) छाफे-टर्फ-खेडुल	(38) अम्बीवाली	(64) उमरोली बुदर्क
(13) पिम्पालघर	(39) डिंघेपाल	(65) ओजीवाल
(14) देहगांव	(40) दीवान पाद	(66) मंदावत
(15) पारहे	(41) कोचरे खुर्द	(67) महाज
(16) कांडली	(42) कोचने बुदर्ग	(68) पडाले
(17) धसाई	(43) छोसाले	(69) कोलोशी
(18) अल्यानी	(44) खूरल बंगला	(70) जयगांव
(19) पालू	(45) नयाहांडी	(71) कलामबाद (भोंडीवाले)
(20) देवगढ़	(46) मोराशी	(72) खेवारे
(21) मांढ	(47) फंगुल गांवाहन	(73) दुधनोली
(22) सोनावाले	(48) सवरने	(74) उमरोली खुर्द
(23) वेलुक	(49) थिताबी-टर्फ-वैशाकहरे	(75) खोपीवाली
(24) अलावे	(50) कुदशेट	(76) मील्हे
(25) बरसुंगे	(51) फगाने	(77) गोरखगाद
(26) मांडुस	(52) खपारी	

2. नासिक जिले में निम्न :

(क) पेंट, सुरगाना और कलवान तहसील

(ख) (i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिंडोरी तहसील :

(1) मोखनाल	(3) डेहारे	(5) गंडोले
(2) मांडवाल	(4) कारंजली	(6) पलासविहिर

(7) वारे	(41) तिलहोली	(75) मवाडी
(8) वनजोले	(42) रावलगांव	(76) करंजवान,
(9) अम्बाद	(43) डेहरे वाडी	(77) डाहेगांव
(10) वनारे	(44) दागुर	(78) वागलूड
(11) तितवे	(45) देवसाने	(79) कृष्णगांव
(12) देवधान	(46) सरसाले	(80) वारखेड
(13) नानाशी	(47) करांजखेड	(81) कदवामहालुंगी,
(14) छारोसे	(48) पंगलवाडी	(82) गांओंडेगांव
(15) देवगढ	(49) इकलाहारे	(83) हतनोर
(16) कउदासर	(50) चउसाले	(84) नीलवांडी
(17) वनी खुर्द	(51) पिम्परी अंचला	(85) पिंपलगांव केतकी
(18) पिंपलगांव धम	(52) अहिवंतवाडी	(86) राजपुर
(19) जोरान	(53) गोलडारी	(87) डिंडोरी
(20) महाजे	(54) हास्ते	(88) जोपुल
(21) सदराले	(55) कोलहेर	(89) माडकी जाम्ब
(22) नालवाडी	(56) जिरवाडे	(90) पालखेड
(23) ओजे,	(57) छामदारी	(91) इन्दोर
(24) गोलसी	(58) मालदुमाला	(92) कोरहते,
(25) जलखंड	(59) मंडाने	(93) छिंचखेड
(26) निगडोल	(60) कोशाम्बे	(94) टालेगांव डिंडोरी
(27) कोकोगांव बुर्दक	(61) पुनेगांव	(95) अकराले,
(28) उम्बारले खुर्द	(62) पंडाने,	(96) मोहाडी,
(29) अम्बेगांव	(63) अंबानेर	(97) पिम्पसालानारे
(30) छाछदगांव	(64) चंदीकपुर	(98) खाटवाड
(31) वाचाद	(65) भाटोडे	(99) रामसेज
(32) पोपल वाडे	(66) दाहिवी	(100) अम्बे डिंडोरे
(33) धाउर	(67) मुलाने	(101) ढाकम्बे
(34) उम्बाले बुदुर्क	(68) कोकनागांव खुर्द,	(102) जानोरी
(35) जम्बूतके	(69) मालेगांव	(103) मानोरी
(36) पिम्पराज	(70) पिम्पराखेड	(104) शिवनाई
(37) नालेगांव	(71) फोपासी	(105) वारवांडी
(38) विलवांडी	(72) वानी कास्बे	(106) जउलके डिंडोरी,
(39) रासेगांव	(73) संगमनेर	
(40) कोछारगांव	(74) खेडले	

(ii) इगत पुरी शहर तथा इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

इगातपुरी तहसील :

(1) ढाडोशी,	(9) कोजोली	(17) महासुरली
(2) भीलमाल,	(10) अवहाते	(18) शेवगेडाग
(3) पाहिने,	(11) खुशगांव	(19) वानजोले
(4) जारवाड खुर्द,	(12) मेलचन्द्रायची	(20) देवगांव
(5) टाक-हर्षा,	(13) अलवांड	(21) अहुराली
(6) हसावली हर्षा,	(14) दापुरे	(22) नन्द गांव
(7) समुन्दी	(15) मेल हुम्बाची	(23) वावी हर्षा
(8) खारोली	(16) जारवाड बुदुर्क	(24) नागोसली

(25) ढ़ारगांव	(48) टेक घोटी,	(71) अम्बेवाडी,
(26) ओडली	(49) घोटी बुदुर्क	(72) खाडखेड,
(27) सातुरली	(50) तालगांव,	(73) इन्दोर,
(28) अवाली डुमला	(51) गिरनार,	(74) उम्बारकोन,
(29) कारहाले,	(52) तितोली,	(75) सोमाज घादगा ,
(30) रायाम्बे	(53) बोरटम्भे ,	(76) उभाडे (वंजुलवाडी)
(31) टाकेड गांव	(54) तालोशी,	(77) मेगारे,
(32) मेटेलयाच्ची	(55) नन्दगांव साडे,	(78) बेलगांव तारहाले ,
(33) बितुरली,	(56) पिंपरी सेर्दोदीन,	(79) धामनगांव,
(34) वालविहार,	(57) तेलघा,	(80) देओले,
(35) मालवी बुदुर्क	(58) कंचनगांव,	(81) खैरगांव,
(36) पिंपलगांव भाराटा	(59) शेनवार्ड बुदुर्क,	(82) पिंपलगांव मोर,
(37) कोपरागांव	(60) फंगुलगांव,	(83) धामिनी,
(38) कुरनोली	(61) बोरली,	(84) अदसारे खुर्द,
(39) ढ़ामोली	(62) मानवेदे,	(85) अदसारे बुदुर्क,
(40) वाकी	(63) भवाली खुर्द	(86) आछरवाड,
(41) छिनंछाले (खाइरे)	(64) कालूस्ते,	(87) ताकेट खुर्द,
(42) ट्रिंगलवाडी,	(65) जामुन्डे,	(88) ताकेट बुदुर्ग,
(43) अदवान,	(66) गाहुन्डे,	(89) खेड,
(44) अवालखेडे ,	(67) भारवाज,	(90) वारसिंगवे,
(45) पारदेरी,	(68) कारूंगवादी,	(91) सोनोशी,
(46) बलायदूरी,	(69) निरपन,	(92) मइदारा धानोशी
(47) खम्बाला,	(70) मनिआरगांव,	(93) वासाली,

(iii) त्रिम्बक शहर तथा नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नासिक तहसील :

(1) साप्टे,	(21) अम्बाई	(41) सादगांव,
(2) कोने,	(22) श्रीरासगांव	(42) वादगांव,
(3) खारवाल	(23) तालवाडे त्रिम्बाक,	(43) मनोली,
(4) वरासविहिर	(24) पिंपलाड त्रिम्बाक,	(44) ढोडेगांव
(5) वघेरा	(25) खामबाले,	(45) दारी
(6) रोहिले,	(26) सापगांव,	(46) गिमाते
(7) नन्दगांव	(27) काचुरली,	(47) दुगांव
(8) गोरथान,	(28) अरियानेरी,	(48) देवरगांव
(9) हिरदी	(29) तालेगांव त्रिम्बाक,	(49) नांगलवाडी
(10) मालेगांव	(30) पोगलवाडी त्रिम्बाक,	(50) ओजारखेडा
(11) वलुन्जे	(31) वाछोली,	(51) चांदसी
(12) गणेशगांव वघेरा,	(32) उब्बारांडे,	(52) गंगामहलुंगी
(13) पिंपरी त्रिम्बाक	(33) कालमुस्ते	(53) जलालपुर
(14) मेट कवारा,	(34) त्रिम्बार्क (देहात),	(54) सवारगांव
(15) ब्रह्मणवाडे त्रिम्बाक,	(35) हर्षावाडी	(55) गोवरधन
(16) तोआनगांव,	(36) मेटंघेराकिला त्रिम्बाक	(56) शिवगांव
(17) धुंबदी	(37) मुलेगांव	(57) पिंपलगांव गरूडेश्वर
(18) बेसे	(38) लादाची	(58) राजवाडी
(19) चकोर	(39) नायकवाडी,	(59) गंगावारहे,
(20) अम्बोली	(40) वेले,	

(60) गणेशगांव त्रिम्बाक	(64) महिरावनी	(68) पिंपलाड नासिक
(61) गणेशगांव नाशिक	(65) तालेगांव अंजानेरी,	(69) राजोर बहुला,
(62) वसाली	(66) जाटगांव,	(70) दहीगांव,
(63) दूदगांव,	(67) सारूल	

(iv) बगलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

बागलान तहसील :

(1) बोरहाते	(20) मुलहर	(39) करसाने
(2) मोहलांगी	(21) बावुलने,	(40) विथोड
(3) जैतपुर	(22) मोरने-दिगर	(41) पाठवेडीगर
(4) गोलवाड	(23) बोरदइवत	(42) तालवेडीगर
(5) हतनोर	(24) भीमखेत,	(43) मोरकुरे
(6) मालीवाड	(25) वाघम्बे	(44) किकवारी खुर्द
(7) अम्बापुर	(26) मनोर	(45) केलजार
(8) जाड,	(27) सालहेर	(46) ततानी
(9) वीसापुर,	(28) कटारवेल	(47) भीलडार
(10) सहेवार	(29) भीलवाड	(48) किकवारी बुदर्क,
(11) खाराड	(30) तुनगांव	(49) जोरान
(12) वाड डिगार	(31) दसवेल,	(50) साकोडे
(13) देवथान	(32) जाखोड	(51) करांजखेड
(14) कोंधाराबाद	(33) मुनगासे	(52) डांग सुनडाने
(15) अंतापुर	(34) भावाडे	(53) निकबेल
(16) रावर	(35) दसाने,	(54) बन्धाते
(17) जामोती	(36) मालगांव खुर्द	(55) दाहिन्दुले
(18) अलिआबाद,	(37) सालवान	(56) सरवार
(19) अजांडे	(38) पिसोर	(57) वाडी चौलहेर

3. धूले जिले में निम्न :-

- (क) नवापुर, तालोडा, अक्काल कुआ और अकरानी तहसील
(ख) (i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील :

(1) छोपाले	(14) रायतेल	(27) मेनडान
(2) रोथोड	(15) ब्रह्मणवेल	(28) दापुर
(3) जामखेल	(16) आमखेल	(29) रोहन
(4) खरसूवाडे	(17) जाम्बोरे	(30) जेबापुर
(5) सुतारे	(18) वारसस	(31) अमोड
(6) धानेर	(19) जामकी	(32) किरवाडे
(7) अमाले	(20) रूनमाली	(33) घोडाडे
(8) माछमाल	(21) वसखेडी	(34) सुरपान
(9) खांडवारे	(22) डामकानी	(35) कोरडे
(10) रायकोट	(23) सालटेक	(36) वालव्हे
(11) बुरन्दखे	(24) दाहीवेल	(37) विटावे
(12) पानगांव	(25) भोनगांव	(38) कासबे चहेडवैल
(13) लागडवाल	(26) बादगांव	(39) बसार

(40) इसराडे	(54) कुदासी	(68) जोरापुर
(41) पेटाले	(55) मनजारी	(69) कोकनागांव
(42) पिंपलगांव	(56) मापालगांव	(70) शेवागे
(43) मोहनी	(57) डांगासेर वाडे	(71) धामानधार
(44) तेम्भे, परगान वारसे	(58) बोपखेल	(72) विरखेल
(45) शिरसोले	(59) शिव	(73) पारगांव
(46) उमारपेटा	(60) खात्याल	(74) मंडाने
(47) मालगांव, परगान वारसे	(61) वारदोली	(75) बालहाने
(48) खारगांव	(62) काकसाद	(76) देशिरवाडे
(49) कालाम्बे	(63) पानखडे	(77) काडयाल
(50) छोरवाड	(64) सामोडे	(78) ढोगाडिडगार
(51) लखाल	(65) महासदी, परगने पिम्पलनेर	(79) शेलबारी
(52) वारसे	(66) पिंपलनेर	(80) डेगांव
(53) सेनवाड	(67) चिकासे	

(ii) नंदुरबार शहर और नंदुरबार तहसील के बचासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नंदुरबार तहसील :

1. भंगडे	28. नारायणपुर	55. ववाद
2. मंगलूर	29. धिरासागांव	56. चाकले
3. वसलाई	30. धेकवाड	57. दर्हीडुले बुदरुक
4. अर्दितारा	31. बिलाडी	58. दर्हीडुले खुर्द
5. धानोरा	32. खैराले	59. अथोरे दिगर
6. पावले	33. खामगांव	60. उमारदे खुर्द
7. कोठडे	34. नागासार	61. चौपाले
8. उमज	35. विरचक	62. अकराले
9. कोथाली खुर्द	36. टोकारटेल	63. वादबारे
10. वदाजकान	37. वाघले	64. अखातवाडे
11. निंबोन बुदरुक	38. ओजारदे	65. हट्टी एलियास इंडि
12. जालखे	39. आस्थे	66. पलाशी
13. शिरवादे	40. थानेपाडा	67. घुली
14. रनाले खुर्द	41. अमरावे	68. राकसवाडे
15. नटवाड	42. पथराई	69. वाघोडे
16. करांजवे	43. धामदाई	70. पाटोडे
17. शेजवे	44. वारुल	71. हाल-टर्फ-हवेली
18. पिंपलोड-टर्फ-धानोर	45. अदाच्छी	72. खोडासगांव
19. लोया	46. लोंखेडे	73. शाहदे
20. वेलावेद	47. कराजकुपे	74. शिंडे
21. वयाहुर	48. नालवे खुर्द	75. कोल्डे
22. धुलवाड	49. सुंदारदे	76. भगसारी
23. गुजर भवाली	50. नालवे बुदरुक	77. धामदोड
24. गुजर जम्बोली	51. दुधाले	78. सवालदे
25. कर्णखेडे	52. नंदारखे	79. कोरित
26. फुलसारे	53. घने	80. सुजातपुर
27. उमरदे बुदरुक	54. वसादरे	81. तिशि
		82. धांधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शाहदा तहसील :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| (1) आकासपुर | (38) थेंगचे | (75) कवालीथ |
| (2) नवगांव (वन ग्राम) | (39) जावाडे-टर्फ-बोआरदी | (76) तुकी |
| (3) वीरपुर | (40) तारहाडी-टर्फ-बोआरदी | (77) सावरवेडे |
| (4) दारा | (41) बारधे | (78) कारजोत |
| (5) भूटा | (42) पारी | (79) लाहोर |
| (6) कनसाइ (वनग्राम) | (43) कोठाली-टर्फ-हवेली | (80) गोगापुर |
| (7) नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम) | (44) औरंगपुर | (81) कुरांगी |
| (8) रामपुर | (45) चिखाली बुदुर्क | (82) तिधारे |
| (9) छिराडे | (46) करनखेड | (83) दामालेड |
| (10) नागजिरि (वनग्राम) | (47) नन्दारडे | (84) कालामांड-टर्फ-हवेली |
| (11) कुसुमवाडे | (48) बइजाली | (85) चिखाली खुर्द |
| (12) नन्दया (वनग्राम) | (49) बाघोडे | (86) भारेटेक |
| (13) पिम्परानी | (50) परकाशे | (87) श्रीखेडे |
| (14) रानीपुर (वनग्राम) | (51) धामलाड | (88) ओजारटे |
| (15) फत्तेपुर | (52) काथारेडे बुदुर्क | (89) उखालसेम |
| (16) लक्काडोत (वनग्राम) | (53) काथारडे खुर्द | (90) वघारदे |
| (17) कोटबन्धनी (वनग्राम) | (54) कलसाडी | (91) जाम |
| (18) पिम्पलोड | (55) धुरखेडे | (92) जवादे-टर्फ-हवेली |
| (19) कुड्डावाड | (56) भाडे | (93) तितारी |
| (20) लाच्छोर | (57) पिगाने | (94) होल मुबारकपुर(वनग्राम) |
| (21) कन्नाडी-टर्फ-हवेली | (58) गानोर | (95) वेदगांव |
| (22) शीरूद-टर्फ-हवेली | (59) आदगांव | (96) पिम्पारदे |
| (23) अमोडे | (60) खारागांव | (97) आशालोड |
| (24) अलखेड | (61) कोछारे | (98) मंडाने |
| (25) पाडाले बुदुर्क | (62) बिलाडी-टर्फ-हवेली | (99) अवागे |
| (26) बुदिगांव | (63) बहिरापुर | (100) तिखोरे |
| (27) उमारती | (64) ब्रह्मणपुर | (101) उन्तावाद |
| (28) पिम्पारी | (65) सुल्लातनपुर | (102) होल |
| (29) महासवाद | (66) रायखंड | (103) मोहिडे-टर्फ-हवेली |
| (30) अनकवाडे | (67) खेड दिगर | (104) जुनवाने |
| (31) सुलवाडे | (68) नावलपुर | (105) लोनखेडे |
| (32) तवलाई | (69) चांदसाइली | (106) तेम्भाली |
| (33) मुबारकपुर | (70) गोदीपुर | (107) होलगुजारी |
| (34) वेलवाड | (71) पडालडे खुर्द | (108) आसुस |
| (35) कलमाडी-टर्फ-बोआरदी | (72) भागपुर | (109) बुपकारी |
| (36) वाडी | (73) जावखेड | (109) मलोनी |
| (37) सोनावद-टर्फ-बोआरदी | (74) सोनवाई-टर्फ-हवेली | (110) डोगरागांव |
| | | (111) कोथाल-टर्फ-शाहदा |

(112) मटकुट	(122) असलोड (नया) (वनग्राम)	(132) उभादगाद (वनग्राम)
(113) बोराले	(123) जैनघर	(133) काकराड खुर्द
(114) कामरावेद	(124) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)	(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(115) कहतुल	(125) ममोडया वनग्राम	(135) मालगांव (वनग्राम)
(116) वेदेहिल	(126) दुतरवेडे (वनग्राम)	(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(117) लॉनढोर	(127) भोगारा (वनग्राम)	(137) शहना (वनग्राम)
(118) उधालोड	(128) वदाली	(138) काकरदे बुदर्क
(119) निम्बोरे	(129) कोठावाल	(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(120) धांडरे बुदर्क	(130) भुलाने (वनग्राम)	(140) काटघर
(121) चिरकान (वनग्राम)	(131) चांद साइली (वन ग्राम)	(141) निम्बारडी (वनग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शिरपुर तहसील :

(1) बोरपानी (वनग्राम)	(16) वाकवाड (वनग्राम)	(40) फत्तेपुर
(2) मलकाटार (वनग्राम)	(17) उमरदा (वनग्राम)	(41) हेदाखेड
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)	(18) डुराबड्या (वनग्राम)	(42) अरूनपुरी बांध
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)	(19) मोहिड़ (वनग्राम)	(43) संगवी
(5) कोडिड (वनग्राम)	(20) डोडवाडा (वनग्राम)	(44) हाटेड
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)	(21) तेम्भा (वनग्राम)	(45) जेन्दया अन्जान
(7) भुदाकी वनग्राम (वनग्राम)	(22) खैरखान (वनग्राम)	(46) पलासनेर
(8) वाघपदे (वनग्राम)	(23) बोआरदी	(47) खाम्बले
(9) सइगारपद (वनग्राम)	(24) वसारदी	(48) पानाखेड (वनग्राम)
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)	(25) नन्दारदे	(49) खरकुटी (वनग्राम)
(11) छोन्दी (वनग्राम)	(26) चान्दसे	(50) जोयादा (वनग्राम)
(12) भुदकी (वनग्राम)	(27) वाडी बुदर्क	(51) छिलारे (वनग्राम)
(13) छंदसुरया (वनग्राम)	(28) वाडी खुर्द	(52) लकड्या हनुमान (वनग्राम)
(14) बरोदी (नया)(वनग्राम)	(29) जालोड	(53) महादेव डोन वाडे (वनग्राम)
(15) काकडामल (वनग्राम)	(30) अभनापुर खुर्द	(54) मालापुर (वनग्राम)
	(31) तारहाड	(55) रोहिनी
	(32) उखालवाडी	(56) भोइती
	(33) मुखेड	(57) अम्बे
	(34) नीमजारी	(58) खामखेडे परगने अम्बे
	(35) वरजाडी	(59) हिवारवेडे (वनग्राम)
	(36) वाघबारदा	(60) हिगांव
	(37) समरमापद	(61) वाडेल खुर्द
	(38) लउकी	(62) कालापानी (वनग्राम)
	(39) सूले	

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपड़ा तहसील :

(1) मराठा (वनग्राम)	(9) मुलुयाउत्तर (वनग्राम)	(17) देवहारी (वनग्राम)
(2) मूरढिडा (वनग्राम)	(10) वइजापुर (वनग्राम) (54)	(18) देवजिरि (वनग्राम)
(3) उमारती (वनग्राम)	(11) बोरान्ती (वनग्राम)	(19) कुडयापानी (वनग्राम)
(4) सत्रसेन (वनग्राम)	(12) मालापुर (वनग्राम)	(20) इच्चापुर परगने अड़वाड़
(5) कृष्णपुर (वनग्राम)	(13) बोरामाली (वनग्राम)	(21) बधवनी
(6) अंगुरने (वनग्राम)	(14) करजाने (वनग्राम)	(22) बधाई
(7) खारया पडव (वनग्राम)	(15) मेलान (वनग्राम)	(23) अनदाने
(8) वइजापुर (रेवन्यू)	(16) विशनपुर	(24) मोहराद
		(25) असालवाडी (वनग्राम)

(ii) यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

यावल तहसील :

1. मनापुरी	5. मलोद	9. बोरखेड़े खुर्द
2. टोलाने	6. हरिपुरा (वन ग्राम)	10. लांगदा अम्बा
3. खालकोट	7. वाघाजीरा (वन ग्राम)	11. जामन्या (वन ग्राम)
4. इचकहेडे	8. आसादे बुदरूक	12. गदरया (वन ग्राम)
		13. उसमाली (वन ग्राम)

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रावेर तहसील :

(1) महुमांडली (वनग्राम)	(वनग्राम)	(14) अवहोडे बुदक
(2) पिम्परकुंड (वनग्राम)	(7) जानोरी	(15) लाहोर
(3) अन्धारमालि (वनग्राम)	(8) छिनछाती	(16) कुसम्भे बुदक
(4) तिड्या (वनग्राम)	(9) पाल	(17) कुसम्भे खुर्द
(5) निम्नद्या (वनग्राम)	(10) मारवाल	(18) पिम्परी
(6) गारबारदी	(11) जिनसी	(19) मोहगांन बुदक
	(12) सहसरालिंग (वनग्राम)	(20) पडाले बुदुर्क
	(13) लालमाटी (वनग्राम)	(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखित :-

(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील :

(1) तिरधे	(3) महाजुंगी	(5) संगवी
(2) पडोसी	(4) एकडारे	(6) केली रूमहानवाडी

(7) बिताका	(36) समराड	(65) गोंडोशी
(8) खिरवीरे	(37) भंडारडारा	(66) खादकी
(9) कोम्भालने	(38) रानाड बुदर्क	(67) साकिर वाडी
(10) तहकारी	(39) रानाड खुर्द	(68) पचनानी
(11) सम्सेरपुर	(40) मालेगांव	(69) छिछावने
(12) सावरगांव पाट	(41) कोहीन्डी	(70) पदालने (80)
(13) मुथालने	(42) दिगम्बर	(71) शेलाद
(14) बारी	(43) गुहिरे	(72) पिंपरे
(15) वारंधुसी	(44) कतालपुर	(73) घोटी
(16) लाडागांव	(45) रतनवाडी	(74) पैथान
(17) शेनित	(46) मुतखेल	(75) लवाली कोतुल
(18) पाभुलवांडी	(47) तेरूनगांव	(76) वाघदारी
(19) बाभुलवांडी	(48) राजोर	(77) शिलवांडी
(20) अंवेवांगन	(49) विथे	(78) कोहोने
(21) देवगांव	(50) कोटलेम्भे	(79) लिवाली ओतुर
(22) पेंडशेट	(51) कालूगांव	(80) तेले
(23) मानहेर	(52) जामगांव	(81) कोथाले
(24) शेलविहीरे	(53) शिरपुंजे बुदर्क	(82) सोमलवाडी
(25) पंजारे	(54) सवारकुटे	(83) विहिर
(26) छिनचोंद	(55) कुमशेट	(84) शिंडा
(27) वाकी	(56) शिरपुंजे खुर्द	(85) अम्बित खिंड
(28) तितावी	(57) घामनवन	(86) पालसुंडे
(29) पिंपरकाने	(58) अम्बित	(87) पिसेवाडी
(30) उदादावाने	(59) बालधान	(88) फोपसांडी
(31) कोदानी	(60) मानिक ओजार	(89) सातवाडी
(32) घाटघर	(61) पुरूचवाडी	(90) केली ओतुर
(33) सिगनवाडी राजौर	(62) मवेशी	(91) केली कोतुल
(34) मुरशेट	(63) शिसवाद	(92) खेतवाडी
(35) शेंडी	(64) वाप जुल सेत	(93) इसारथाव
		(94) करांडी

6. पुणे जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील :

(1) डोन	(12) कोंढारे	(23) मेघोली
(2) पिम्परागान	(13) आदेवारे	(24) वाछापे
(3) अघाने	(14) बोरघर	(25) साकेरी
(4) अहूपे	(15) पाटन	(26) पिमपारी
(5) तिरपाड	(16) कुसीरे खुर्द	(27) अम्बेगांव
(6) नहावेद	(17) पंचालबुदर्क	(28) जाम्बोरी
(7) असाने	(18) कुसीरे बुदर्क	(29) कालाम्बाई
(8) मलीन	(19) दिगाद	(30) कोन्ढावाल
(9) नानावाडे	(20) पंचाल खुर्द	(31) फूलवाडे
(10) अमाडे	(21) महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव	(32) फलोडे
(11) वरसावने	(22) सवारली	

(33) कोलटावाडे	(41) तालघर	(49) गंगापुर खुर्द
(34) तेरूनगांव	(42) मापोली	(50) अमोंडी
(35) दिम्भे बुदुर्क	(43) डिम्भे खुर्द	(51) कनासे
(36) महालुंगे-टर्फ-घोडा	(44) पोखारी	(52) गंगापुर बुदुर्क
(37) राजपुर	(45) गोहे बूदुर्क	(53) सिनोली
(38) छिक्काली	(46) निगाडाल	(54) पिम्पालगांव-टर्फ-घोडा
(39) राजेवाडी	(47) गोह खुर्द	(55) साल
(40) सूपेघर	(48) अपाती	(56) ढाकले

(ii) जुन्नार तहसील के पैसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

जुन्नार तहसील :

(1) छिल्लेवाडी	(23) हदसर	(45) वानेवाडी
(2) अम्बेहवाइन	(24) देवाले	(46) अपटाले
(3) जामभूलसी	(25) खाइरे	(47) कोली
(4) खिरेश्वर	(26) घाटघर	(48) शिवाली
(5) माथालाने	(27) जलवांडी	(49) उतचिल
(6) कोल्हेवाडी	(28) हिरदी	(50) बोतारडे
(7) कोपारे	(29) उनदेखादेक	(51) धालेवाडी-टर्फ-मिनहर
(8) मंडावे	(30) राजपुर	(52) भिवांडे बुदुर्क
(9) सिंगनोर	(31) खाटकाले	(53) इंगालून
(10) आलू	(32) मणिकोध	(54) भिवाडे खुर्द
(11) खूबी	(33) खाड कुम्बे	(55) घंगालडारे
(12) पिम्पालगांव	(34) उरसान	(56) सोनावाले
(13) कारंजाले	(35) वेवादी	(57) ताम्बे
(14) माछ	(36) तेजपुर	(58) हिवारे-टर्फ-मिनहर
(15) पांगरी-टर्फ-माध	(37) फंगलघावन	(59) हतविज
(16) कोलवाडी	(38) छावान्ड	(60) अम्बे
(17) परगाव-टर्फ-मोद	(39) पुर	(61) पिंपलवाडी
(18) तालेरान	(40) खानगांव	(62) सुकालेवाडे
(19) सीतेवाडी	(41) मानकेश्वर	(63) गोदरे
(20) वाथाले	(42) सुरले	(64) खामगांव
(21) निमगिर	(43) अम्बोली	(65) सोमतवाडी
(22) अनजानवाले	(44) शिरोली -टर्फ-कुकादनेर	

7. नानडेड जिले में निम्नलिखित :-

(क) किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं :

किनवत तहसील :

(1) तकली	(9) मदनपुर (महोर)	(17) हरदाप
(2) पदसा	(10) बोंण्डगांव	(18) नाइकवाडी
(3) सायपाल	(11) उमरा	(19) हिनगानी
(4) मुरली	(12) मछन्द्रा पारद	(20) वाजरा
(5) वादसा	(13) करालगांव	(21) तुलसी
(6) कोली	(14) स्वरखेड	(22) गोंडवासा
(7) अता	(15) डिगडी (कुटेमार)	(23) अंजानखेड
(8) गोण्डेगांव	(16) वाई	(24) भोराड

(25) छोराड़	(68) जरूर	(111) हुदी (चिखली)
(26) धनोरा (सिंदखेड)	(69) मिनकी	(112) एन्धा
(27) रामपुर	(70) पचुण्डा	(113) भूलजा
(28) पाथरी	(71) वनोला	(114) डारसंगवी
(29) खाम्बला	(72) साकुर	(115) मालकवाडी
(30) पारदी	(73) मैडकी	(116) पेन्डा
(31) सिन्दखेड	(74) डिगडी	(117) परधी खुर्द
(32) चिंचखेड	(75) धनोरा (डिगडी)	(118) केरल
(33) होटाला	(76) मोहनपुर	(119) डेगांव
(34) वाइफानी	(77) मुनगस	(120) लिंगधारी
(35) धुंद्रा	(78) सिंगदी (किनबत)	(121) परदी बुदर्क
(36) गउरी	(79) मालबोरगांव	(122) बोधादी खुर्द
(37) बोथ	(80) नेजपुर	(123) बोधादी बुदर्क
(38) सइलू	(81) राजगाड	(124) सिंदगी (चिखली)
(39) करनजी (सिन्दखेड)	(82) वडोली	(125) अंधबोरी (चिखली)
(40) भगवती	(83) अनजी	(126) कोपारा
(41) वाराजबुदर्क	(84) कनकवाडी	(127) पीपरफोडी
(42) उमरी	(85) लोनी	(128) पटोडा (छिक्ली)
(43) उनकदेव	(86) धमनधारी	(129) पिपरी
(44) चाइस	(87) पंधारा	(130) धनोरा, चिखली
(45) पिंपलसेंडा	(88) बेल्लोरी	(131) सवारी
(46) सरखानी	(89) मारेगांव	(132) धारा
(47) देलही	(90) कमथाला	(133) पोथ रेड्डी
(48) निराला	(91) अम्बादी	(134) सिंगारवाडी
(49) नूरगांव	(92) खेरदा	(135) अन्जेगांव
(50) टिट्ठी	(93) मलकापुर	(136) भंडारवाडी
(51) लिंगी	(94) घोती	(137) जलधारा (चद्रपुर)
(52) नागपुर	(95) सिरमेत्ती	(138) बेलोरी (छिक्ली)
(53) जुनुनी	(96) भीमपुर	(139) मालकोलारी
(54) दिगदवजारा	(97) पिपलगांव (किनवार)	(140) डिगरास
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)	(98) छोगारवाडी	(141) डोंगरगांव (चिखली)
(56) सिंगोडा	(99) गोकुंडा	(142) शिवोनी (चिखली)
(57) सिरपुर	(100) माण्डवा	(143) परोटी
(58) ताम्भी	(101) डिगडी (मगावोडी)	(144) स्वरगांव
(59) पटोडा बुदर्क मिनको	(102) नागजरी	(145) जलधारा (इस्लापुर)
(60) मांडवी	(103) कोठारी (चिखली)	(146) कोठारी
(61) जवारला	(104) परधान संगवी	(147) हुड्डी (इस्लापुर)
(62) पालसी	(105) बेन्डी	(148) करांजी (इस्लापुर)
(63) वेलागांव	(106) अमाडी	(149) कुपटीखुर्द
(64) कनकी	(107) मदनापुर (चिखली)	(150) कुपटी बुदर्क
(65) कोठारी (सिन्दखेड)	(108) शानीवार पेठ	(151) वाग धारी
(66) पिपलगांव (सिंदखेड)	(109) दभादी	(152) तलारी
(67) डोगरगांव (सिंदखेड)	(110) चिखाली	

8. अमरावती जिले में निम्नलिखित :-

(क) चिखलाधरा और धानी तहसील

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव तहसील :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. घोगुलदारा | 37. मेंधानी | 73. आसन |
| 2. शिओनाला | 38. घानपुर | 74. जगलोन |
| 3. बुरांडा | 39. खंडानी | 75. जामकोला |
| 4. फापल | 40. खापरी | 76. इसापुर |
| 5. कन्हलगांव | 41. उचातदेवी (वन ग्राम) | 77. किलोना |
| 6. खेपाडवाई | 42. मारेगांव (वन ग्राम) | 78. उमरघाट |
| 7. घोदाधारा | 43. खंडानी | 79. वल्लासा |
| 8. नरसाला | 44. महासदोदका | 80. जुनोनी (वन ग्राम) |
| 9. धमानी | 45. पालगांव | 81. लेंचोरी |
| 10. मदनापुर | 46. बोटोनी | 82. चिंचघर |
| 11. बोरी खुर्द | 47. गिर्जापुर (वन ग्राम) | 83. अम्बेजारी, खुर्द |
| 12. पिसगांव | 48. पछपोहर | 84. अम्बेजारी बदरूक |
| 13. वडगांव | 49. अम्बेजारी | 85. करगांव खुर्द |
| 14. फिसकी (वन ग्राम) | 50. रोहपात | 86. निम्बादेवी |
| 15. भालेवाड़ी | 51. रैनपुर | 87. टेम्फी |
| 16. पथारी | 52. सगनपुर | 88. कुंडी |
| 17. चिंचाला | 53. हिवारा बरसा | 89. मांडिव |
| 18. पान हरकावाला | 54. रामपुर | 90. जुनोनी |
| 19. खर्दा (वन ग्राम) | 55. कतली बोरगांव | 91. आम्भा |
| 20. पिम्परद (वन ग्राम) | 56. पारदी | 92. पोखरनी (वन ग्राम) |
| 21. फपरवाड़ा | 57. शिबला | 93. पिवारदोल |
| 22. सलाभटी (वन ग्राम) | 58. चियाली (वन ग्राम) | 94. भोराद (वन ग्राम) |
| 23. दोलदोंगरगांव | 59. बोरगांव (वन ग्राम) | 95. चिखालदोह |
| 24. माचिन्द्रा | 60. पेंधारी | 96. मुलगवान |
| 25. पंडविहार | 61. अर्जुनी | 97. भीमनाला |
| 26. जाल्का | 62. कागांव | 98. चटवान |
| 27. पंधारदेवी (वन ग्राम) | 63. रजनी | 99. अराइकवाड़ |
| 28. अम्बोरा (वन ग्राम) | 64. माजरा | 100. गवारा |
| 29. चिंचोनी बोटोनी | 65. गंगापुर (वन ग्राम) | 101. माथार्जुन |
| 30. अवलगांव (वन ग्राम) | 66. भोइकुंड (वन ग्राम) | 102. महदापुर |
| 31. कन्हलगांव | 67. वाधोना | 103. पंधारवानी |
| 32. खारीगांव | 68. सुसारी | 104. देमाद देवी |
| 33. सराती | 69. सुरला | 105. मंडवा |
| 34. बुरांडा | 70. गोदानी | 106. डोंगारगांव |
| 35. दुर्गादा | 71. निमानी | 107. दभाड़ी |
| 36. वागधारा | 72. दरारा | 108. उमरी |

109. मुधाती	117. जामनी	125. गणेशपुर
110. आसोदी	118. शिरोला	126. पवारं (वन ग्राम)
111. कोडपखिंडी	119. अदकोली	127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
112. मंगरूल खुर्द	120. खालकलोह	128. खेकाडी (वन ग्राम)
113. मंगरूल बदरूक	121. बिरसापेठ	129. शेकापुर
114. गोपालपुर	122. मुछी	130. यिओती
115. रामपेठ	123. मारकी बुदरूक	
116. चालबरडी	124. मरकी खुर्द	

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील :

1. लोहारा	15. डोंगर गांव	29. खेमकुण्ड
2. एकलारा	16. तेजानी	30. पाडीं (वन गांव)
3. सोनेडीं	17. अंजी	31. उमरविहिर
4. वाटक हेर	18. लोनी	32. अदनी
5. जलका	19. बोराती (वन गांव)	33. खटारा
6. वामा	20. सराती	34. मुन्जाला
7. पिंपारी दुर्ग	21. खैरगांव कसार	35. पलासकुण्ड
8. मांडवा	22. वारधा	36. वीर गांव
9. कोलवान	23. भुलगद	37. खैर गांव
10. शोइत	24. पिंपलशेंडा, (75)	38. देवधारी
11. वरूद	25. अतमुडीं	39. सिंगल दीप
12. बुकाई	26. सावरखेड	40. सोनुली
13. जरगद	27. चोंधी	41. सिन्दुला
14. खादकी सुकली	28. वधोडा	42. जोतिंगदारा
		43. साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पञ्चाकवार शहर शामिल किया गया :-

केलापुर तहसील :

1. मोदारी	14. चनई	27. केगांव
2. जोगीन कोहला	15. असोली	28. वादनेर
3. मीरा	16. मुहादा	29. जुली
4. जीरा	17. कारेगांव	30. भाद उमारी
5. घोद्दारा (वन गांव)	18. चिखालदारा	31. पटोडा
6. साखी बुदरूक	19. कृष्णापुर	32. पहापल
7. वधोना खुर्द	20. दाभा	33. नगजारी खुर्द
8. जोलापुर (वन गांव)	21. मारवा	34. बहत्तार
9. करानी	22. खैरगांव	35. सुसारी
10. वधोना बुदरूक	23. वघोली	36. नईकसुकली (वन गांव)
11. तिवसाला (वन गांव)	24. कुसलगांव	37. पेधारी
12. कोथाड़ा	25. चोपन	38. पिल्पाली
13. सुरदेवी	26. मल्कापुर (वन गांव)	

39. डोंगरागांव	61. खैरगांव,	83. टादुमारी
40. बेथ	62. पाह	84. बरगांव
41. माले गांव खुर्द (वन गांव)	63. निलजई	85. अकोली बुदरूक
42. हिवारदारी (वन गांव)	64. मारगंव	86. महानदोली
43. मालागांव बुदरूक (वन गांव)	65. अभोरा	87. सखारा
44. दरियापुर	66. डोंगरगांव,	88. मराठवाकाडी
45. पिल्लाहरी	67. पिंपारी	89. ढोकी
46. अर्ली	68. खैरगांव	90. वल्लारपुर
47. हिवारी	69. मुची	91. टोकवनजारी
48. पिंपालशेंडा	70. मंगुर्दा	92. वानजारी
49. कारागांव,	71. पन्धारवानी बुदरूक (वन गांव)	93. खारीगांव बुदरूक
50. वाडवत	72. कोंधी	94. टिमभी
51. खैरी	73. वेदाद	95. राधापुर (वन गांव)
52. घुवाडी	74. बागी	96. पिखाना (वन गांव)
53. कोंधारा	75. घनमोडे	97. वासएरी
54. सखारा वदरूक	76. नन्दगांव	98. अन्धारवाडी,
55. धारना	77. गणेशपुर	99. यलापुर (वन गांव)
56. मांगी	78. टाटापुर	100. चनाखा
57. ढाकी	79. जुन्जापुर	101. निमधेली
58. वायी	80. गेंडवाकाडी	102. रूधा
59. पिंपालपुर	81. चलबर्दी	103. सुकली
60. गणेशपुर	82. बेलुरी	

(iv) गिंताजली तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गिंताजली तहसील :

1. मरवेली	20. अयाते	39. चिखालवार्धा
2. रजुरवाडी	21. काप	40. तड-सवाली
3. लिंगी	22. कवाथा बुदरूक	41. सैफाल
4. कोली खुर्द	23. बिलायत	42. नागेजरी बुदरूक
5. कोली वुर्दक	24. खादकी	43. कवाथा (वन गांव)
6. रामपुर उन्धानी	25. चिमटा	44. पारवा
7. कपाशी	26. कोपरी खुर्द	45. मझाडा
8. डेटोडी	27. चिंचोली (268)	46. पार्दी
9. गुधा	28. किंधी (वन गांव)	47. जम्ब
10. वारूड, (240),	29. गवारा (वन गांव)	48. कालेश्वर
11. जपारवाडी	30. टिटवी	49. शोराद
12. उमरी (242)	31. मुरादगवन (वन गांव)	50. धूकी (वन गांव)
13. पलोडी	32. पिंपाल खुटी (वन गांव)	51. मथानी (वन गांव)
14. कापरी (244)	33. खरोनी (वन गांव)	52. राजागांव (वन गांव)
15. चोटी	34. वधोना	53. खापरी (वन गांव)
16. बुडाडी	35. डोर्ली	54. होनेगांव
17. मुधाटी (वन गांव)	36. राहती	55. गनेडी
18. जलान्द्री	37. रासा (वन गांव)	
19. मनुसधारी	38. जताला	

10. गदचिरोली जिले में निम्नलिखित :-

- (क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, गुरखेड़ा तहसील ।
(ख) ;पपद्ध गदचिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गदचिरोली तहसील :

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. नबगांव | 22. मुदजा तुकुम | 43. गजनगुद्धा |
| 2. चाक चुरचुरा | 23. कुरुपाला | 44. बनोली |
| 3. कुराधी | 24. मसली | 45. सूर्यडोंगरी |
| 4. चाक मउसी | 25. रणभूमि | 46. सलाईटोला |
| 5. मरमेडी | 26. चन्दाळा | 47. विटानटोटा |
| 6. बोथेडी | 27. रणमोल | 48. पोटेगांव |
| 7. पेलनदुर, | 28. कुम्भी पत्त | 49. रजोली |
| 8. गिलगांव | 29. कुम्भी मोकासा | 50. मद्रास |
| 9. चाक खारपुर्डी, | 30. मादे मुल | 51. जालेर |
| 10. जपरा, | 31. मारोदा | 52. देवापुर |
| 11. चाक धिबाना | 32. कोसाम घाट | 53. रामगाड, |
| 12. मेरउमबोडी | 33. रायपुर | 54. गावलहेटी |
| 13. कुरकेडी | 34. खानजोरा | 55. डेउडा |
| 14. खुरसा | 35. पेकिनकासा | 56. खरादगुडा |
| 15. वीजापुर | 36. सवेला | 57. तालकुडा |
| 16. सोनापुर | 37. सुईमारा | 58. जामगांव |
| 17. मोंधा | 38. सखेरा | 59. खाडसी |
| 18. सावरगांव | 39. कर्कजारा | 60. कोरकुटी |
| 19. कनरी | 40. कन्हलगांव | 61. नागवेली |
| 20. पुलखाल | 41. केलीगाटा | 62. जालेगांव |
| 21. मुदजा बुदरूक | 42. तोहागांव | |

(ii) अरमोली तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अरमोली तहसील :

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. कोरागांव | 18. अर मोरी | 35. डोंगारतमसी |
| 2. कालमगांव | 19. सलमारा | 36. नगरवाडी |
| 3. कुरल | 20. थानेगांव | 37. चाक नरोती |
| 4. सलेडा तुकाम | 21. पटानवेडा | 38. चाक कुरोंडी |
| 5. सलेडा लाम्बा | 22. पुरानवैरागड | 39. वाडेगांव |
| 6. कसारी तुकाम | 23. देउलगांव | 40. थोटीबोडी |
| 7. कसारीगांव | 24. सुकला | 41. देलवांडी |
| 8. शिवराजपुर | 25. मोहाजारी उर्फ सखारबोडी | 42. मेनापुर |
| 9. पोटेगांव | 26. चाक केरनाडा | 43. कोसारी |
| 10. विहिरगांव | 27. लोहारा | 44. मनगोडा |
| 11. पिंपालगांव | 28. चाक सोनपुर | 45. तुलतुली |
| 12. अरात-तोन्डी | 29. हीरापुर | 46. चकनागारवाही |
| 13. डोंगारगांव (हलाबी) | 30. डोंगर तमसी | 47. विहिरगांव |
| 14. प्लासगांव | 31. सियानी खुर्द | 48. कुरांडी |
| 15. नवारगांव | 32. चावहेला | 49. उमारी |
| 16. पनथारगोटा | 33. मोहाताला चाक कुकोडी | 50. यंगाडा |
| 17. मगेवेड़ा | 34. मेंधा | 51. पिसेवाडदा |

52. परासवाडी
53. डवाडी
54. खादकी
55. भाकरांडी
56. नरोती मालगुजार
57. कोरेगांव
58. वारखेडा
59. खराडी

60. भंशी
61. डोर्ली
62. वनारचुवा
63. जमभाली
64. मिंधा
65. नारचोली
66. खेहारी
67. मारगांव पेच

68. मारगांव
69. चाक मारगांव
70. चाक चिचोली
71. मुसी खुम्ब
72. वेलागांव
73. चिचोली
74. वानखेडा

(iii) चामोरसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

चामोरसी तहसील :

(1) सगानपुर
(2) वनढोना
(3) गिलगांव
(4) भिंडी कनाल
(5) देटारी
(6) चाइट कनवर
(7) कलामगांव
(8) कुरूड
(9) मेलर
(10) कुलीगांव
(11) नाचागांव
(12) बहेडविहिड
(13) वालसारा
(14) चाक विजापुर
(15) जोगाना
(16) मुरमुरी
(17) रावनपाली
(18) सोनापुर
(19) डरली
(20) रेखागांव
(21) यदनूर
(22) पेलसानपेथ
(23) पन्धारी भटाल
(24) राजनगेट्टा
(25) चाक अमरगांव न. 1
(26) मुतनूर
(27) अबापुर
(28) मुरानदेपी
(29) लिनगुडा
(30) अदयल
(31) कर्कापल्ली
(32) चाक कर्कापल्ली
(33) जंगामकुरल

(34) फियूजर
(35) दिकानी
(36) चाक मुदोली न. 2
(37) लक्षमणपुर
(38) सगानपुर
(39) अम्बोली
(40) गहुबोदी
(41) छाक नारायनपुर संख्या 1
(42) छाक नारायनपुर संख्या 2
(43) राजुर वुदर्क
(44) भादविड
(45) मांगनेर
(46) छिचपाल्ली
(47) वानारछुवा
(48) जयरामपुर
(49) वाइगांव
(50) नारायणपुर
(51) राजौर खुर्द
(52) हलदवाही
(53) मुधोली
(54) कोठारी
(55) बम्हनी देव
(56) सोमनापल्लि
(57) कान्हलगांव
(58) सिंगेला
(59) बेलगाट्टा
(60) पेठाताला
(61) छाक पेठाताला सं. 1
(62) पारादीदेव
(63) यादापाल्ली
(64) राजपुर
(65) जाम्भाली रिथ
(66) मेटे गुडा

(67) छाक बेलगत्ता
(68) मांजी गांव
(69) मच्छाली गोठ
(70) छाक माककेपल्लि सं. 4
(71) दर्पन गुडा
(72) छाक माके पल्लि सं. 2
(73) छाक माकेपल्लि सं. 3
(74) गारांजी
(75) छाक मेड आमगांव
(76) छाक मेड आमगांव संख्या 1
(77) छाक मेड आमगांव संख्या 2
(78) तुमडी
(79) रिगाडी
(80) माकेपाल्लि मालगुजारी
(81) बोरघाट
(82) अस्टी नोकेवाडा
(83) ब्राहमणपेठ
(84) वेंगानूर
(85) नोकेवाडा
(86) अल्ला पाल्लि
(87) रेगेवाही
(88) कोलपाल्लि
(89) अम्बेला (वनग्राम)
(90) गोट्टा (वनग्राम)
(91) अडगेपाल्लि
(92) सुरगांव (वनग्राम)
(93) येल्लूर
(94) थाकरी
(95) राजगट्टा
(96) लोहरा
(97) मुकारीटोला
(98) भोलखांडी (वनग्राम)
(99) हेतलकासा

(100) बोलपाल्लि	(111) मुकाडी (वनग्राम)	(122) नागुलवाही
(101) पुलीगुड्म	(112) सिगनपाल्लि	(123) छितुगुंहा
(102) कुनगादा	(113) धामनपुर	(124) तुमुगुडा
(103) कुनगाडा	(114) कोठारी (930)	(125) माछिनगट्टा
(104) कालपुर	(115) अम्बाटपाल्लि	(126) येल्ला
(105) गंगापुर	(116) गोमानी	(127) टिकपाल्लि
(106) चंदन खेडी	(117) लागमहेट्टी	(128) मरपाल्लि
(107) मालेरा	(118) दामनपुर	(129) जामगांव
(108) बसारवाडा	(119) बन्दुकपाल्लि	(130) कुलथा
(109) छपराला	(120) कोडीगांव	(131) रामपुर
(110) छइदामपेट्टी	(121) छिछेला	(132) लागम छाक

11. चंद्रपुर जिले में निम्नलिखित :-

राजौरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजौरा तहसील :

(1) परसौदा	(31) हतलौनी	(61) बेलगांव
(2) रायपुर	(32) एरगांव	(62) जुलबारदी
(3) खतौडा खुर्द	(33) उमारजारा	(63) सवालहीरा
(4) गोविंदपुर	(34) एलापौर	(64) खीरागांव
(5) खतौडा बुदरूक	(35) शिंगार पैथौर	(65) पांढरवानी
(6) मेंहदी	(36) लंवौरी	(66) जांम्बुलद्वारा
(7) परदी	(37) सेदवाई	(67) धानकदेवी
(8) जैवरा	(38) नरपाथर	(68) येरमी इसपुर
(9) चनाई खुर्द	(39) कोदापुर	(69) सारंगपुर
(10) अकोला	(40) घरपाना	(70) जिवाती
(11) कोरपाना	(41) नोकवाडा	(71) नागपुर
(12) दुर्गादी	(42) गुडसेला	(72) मारकोलमोट्टा
(13) रूपापेठ	(43) वानी	(73) धोंदा अरगुनी
(14) चनाई बुदरूक	(44) कोकाजारी	(74) धोंधा मांडवा मांब्वा
(15) मांडवा	(45) मोहदा	(75) टेका अर्जुनी बुदरूक
(16) कनेरगांव बुदरूक	(46) पुदियाल मोहदा	(76) टेका
(17) कथलावौडी	(47) कमलापुर	(77) राहपल्लि
(18) शिवपुर	(48) चिचखोंड	(78) छिखिली
(19) चौपान	(49) वनसाडी	(79) पाटन
(20) करमवौडी	(50) पराम्बा	(80) हीरापुर
(21) कुकुलवौडी	(51) देवघाट	(81) इसपुर
(22) टीपा	(52) कुसाल	(82) आसन खुर्द
(23) मंगुलहीरा	(53) दाहेगांव	(83) आसन बुदुर्क
(24) खोदकी	(54) सोनुरली	(84) पीपलगांव
(25) जमुलधारा	(55) करगांव खुर्द	(85) पालजारी
(26) वोरगांव बुदरूक	(56) धनोली	(86) बोरिनवे गांव
(27) वोरगांव खुर्द	(57) पिपराडा	(87) नन्दा
(28) आशापुर	(58) छिनछोली	(88) बीबी
(29) तानगोला	(59) करगांव बुदुर्क	(89) धुनकी
(30) खेरगांव	(60) मारकागोंडी	(90) धामनगांव

(91) काखमपुर	(122) कावादगोंडी	(151) हरडोना बुदुर्क
(92) बाडगांव	(123) सोरकसारा	(152) विनिरगांव
(93) इंजापुर	(124) कुसम्बी	(153) मांगी
(94) चंदूर	(125) जनकपुर	(154) वांगी
(95) कुकादसात	(126) पुनागुडा (नावेगांव)	(155) पांढरपुनी
(96) खिरदी	(127) देवाडा	(156) अहेरी
(97) थुतरा	(106) नोकरी खुर्द	(157) कोच्छी
(98) बहलामपुर	(107) नगराला	(158) गोरराज
(99) मनोली खुर्द	(128) कदकी रायपुर	(159) बारर
(100) जमानी	(129) गोवेन्दपुर	(160) रानीवेली
(101) नोकरी बुदुर्क	(130) मारियापाटन	(161) भेडोडा
(102) सोनापुर	(131) उमराजारा	(162) ताम्भुरवाही
(103) उप्पार वाई	(132) राहपल्लि खुर्द	(163) चिरूड
(104) भुरखुंडा खुर्द	(133) धर्मराम	(164) छिछवोडी
(105) कदकी	(134) भोकसापुर	(165) कवथाला
(106) छावांतप ज़ीनतकए	(135) बाम्बेजारी	(166) सोनुरली
(107) छंहतंसंए	(136) भारी	(167) सिरसी
(108) पालेजारी	(137) पांडरवानी	(168) बेरडी
(109) काकबान	(138) सिंडोलाटा	(169) भेंडाला
(110) डोगरागांव	(139) सोंडो	(170) केलजारी
(111) छिखाली	(140) बेलगांव	(171) नवेगांव
(112) भुरखुंडा बुदुर्क	(141) काकडघाट	(172) छिछाला
(113) पाछगांव	(142) गनेरी	(173) वीरूर
(114) सेनगांव	(143) खिरदी	(174) सिद्धेश्वर
(115) ताताखोंडी	(144) सेदवाई	(175) घोट्टा
(116) भेंडवी	(145) बाबापुर	(176) डोगरागांव
(117) सुरकादपालि	(146) हीरापुर	(177) सुवाई
(118) मारकागोंडी	(147) सखारी	(178) कोस्ताला
(119) तित्वी	(148) मनोली बुदुर्क	(179) लाक्कदकोट
(120) नादपा	(149) गोयेगांव	(180) अम्बेजारी
(121) येरगांव	(150) हरडोनाखुर्द	(181) अन्तारगांव
		(182) अन्नूर

महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सा.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सा.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. उड़ीसा

1. मयूरभंज जिला
2. सुंदरगढ़ जिला
3. कोरापुट जिला
4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील
5. कयोंझर जिले में, कयोंझर सबडिविजन की कयोंझर और तेलकोइहसीले और बाल्लिगुडा सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।

6. बोध-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।
7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।
8. कालाहांडी जिले में, कालाहांडी तहसील के रामपुर खंड और लांजिगढ खंड।
9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

उड़ीसा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 31.12.77 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान ^s

1. बांसवाड़ा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. उदयपुर जिले में निम्न फालसिया
 - (क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और सासादिया तहसीलें
 - (ख) गिरवा तहसील के निम्न 81 गांव,

- (1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा, देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव
- (2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया, गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव
- (3) नाई पंचायत का नाई गांव
- (4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली, कालीदास, कार नाली सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव
- (5) बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी पीपलवास कुमारिया खेरवा गांव
- (6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव
- (7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरवा और ज्वाला गांव
- (8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव
- (9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव
- (10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव
- (11) जवार पंचायत के तीरो बोरीखुआ और गोजिया गांव
- (12) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव
- (13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव
- (14) तरीदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकन कोड्डा, धुलिया की पट्टी और सावीना खेरा गांव
- (15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव
- (16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव
- (17) चंदसापंचायत के चंदसा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव
- (18) जगत पंचायत का जगत गांव

- (19) दातीसार पंचायत के दातीसार, सीजा, बासू और परोला गांव
- (20) लोकारवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव
- (21) भला का गुरहा पंचायत के, भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव
4. चितौड़गढ़ जिले में आतापगढ़ तहसील
5. सिरौही जिले की आबूरोड तहसील में आबूरोड खंड

[§] राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और ऊपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध राजस्थान राज्य से है, रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

VII. झारखंड ^{§§}

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--|
| 1. रांची जिला | 7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला | 13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें |
| 2. लोहरदगा जिला | 8. सरायकेला-खरसावां जिला | |
| 3. गुमला जिला | 9. साहेबगंज जिला | |
| 4. सिमडेगा जिला | 10. दुमका जिला | 14. गढ़वा जिला-शंडारिया ब्लॉक |
| 5. लातेहर जिला | 11. पाकुर जिला | 15. गोड्डा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक |
| 6. पूर्वी-सिंहभूम जिला | 12. जामतारा जिला | |

^{§§} संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सा.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां. आदेश 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सां.आ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश ^{§§§}

- 1 झाबुआ जिला
- 2 मंडला जिला
- 3 सरगुजा जिला
- 4 बस्तर जिला
- 5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी और मानवार तहसील
6. खारगोने (पश्चिम निमार) जिले के बारवानी, राजपुर, सेन्दवा, भीकनगांव, खारगोने और महेश्वर तहसील

7. खण्डवा (पूर्व निमर) जिले के बुरहानपुर तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरदा तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।
8. रतलाम जिले का सैलाना तहसील
9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और मिनसेदी तहसील।
10. सोनी जिले के लाखनडोन तहसील और कुराई जनजाति विकास खण्ड।
11. बालाघाट जिले का मैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड
17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।
बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं० 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं० 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं० 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं० 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांडुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 के नीलकंठ और धवादिखाना गांव।

IX. छत्तीसगढ़ ^{sss}

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दातेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गोरिल्ला- 1, गोरिल्ला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
7. कोरबा जिला
8. जशपुर जिला
9. रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड
10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड
11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड
12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड
13. धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

^{sss} संयुक्त राज्य मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा. आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य आदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.. 1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सा.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है।



अध्याय 7

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

7.1 मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह एक मुख्य कार्यक्रम है और इसके अन्तर्गत, योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आवंटन के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसे उन क्षेत्रों के लिए, राज्य योजना के योगज के रूप में लिया जाता है जहां राज्य योजना प्रावधान सामान्य रूप में जनजातियों का आर्थिक विकास नहीं कर पाते। यह कार्यक्रम 1974 के दौरान शुरू किया गया और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, जनजातीय उपयोजना के परिवार आधारित आय सृजनकारी कार्यक्रमों की चिंतनीय खाई को पाटना था।

उद्देश्य

7.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य एवं क्षेत्रों का विस्तार किया गया है ताकि रोजगार व आय सृजनात्मक गतिविधियों एवं उससे संबंधित अवस्थापना सुविधाओं को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। परिवार आधारित गतिविधियों के अतिरिक्त स्वयं-सहायक समूहों / समुदाय द्वारा संचालित अन्य गतिविधियां भी प्रारम्भ की जा सकती हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के विस्तार का मूलभूत लक्ष्य मांग आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों में गति लाना और इस प्रकार जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है। जबकि राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश मई, 2003 में जारी किए



गए थे, ग्यारहवीं योजना के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन दर्शाते हुए जनवरी, 2008 में इन्हें फिर से संशोधित किया गया है:-

- (क) वाटरशेड आधारित आय सृजनकारी कार्यक्रमों (ख) कौशल/प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, भंडारण, लघु पैमाने पर कारोबारी निविष्टियां आदि जैसे विशिष्ट आय सृजनकारी कार्यक्रमों (ग) बाजारों, सेवा डिलीवरी केन्द्रों से संयोजन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया;
- मंत्रालय चूंकि इन सबके लिए व्यापक भूमिका नहीं निभा सकता, प्रत्येक राज्य स्वयं कार्यक्रम बनाएगा और कुशलता से उनकी निगरानी करेगा;
- मंत्रालय दूसरे स्तर की निगरानी करेगा;

कवरेज

7.3 विशेष केन्द्रीय सहायता पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम तथा त्रिपुरा और दो संघ राज्य क्षेत्रों सहित 22 जनजातीय उपयोजना राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती है। तथापि, वर्ष 2003-04 से संघ राज्य क्षेत्रों की निधियां गृह मंत्रालय के बजट में उपलब्ध कराई जा रही हैं और मंत्रालय का संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कोई संबंध नहीं है।

विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित क्षेत्रों में तथा निम्नलिखित जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए निर्मुक्त की जाती है

1. आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र (संख्या में 192), जो सामान्य रूप से कम से कम तहसील, ब्लॉक या

उनसे अधिक आकार के अखंड क्षेत्र हैं जिनमें कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।

2. माडा पाकेट (संख्या में 259), ये पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं, जो न्यूनतम 10,000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
3. क्लस्टर (संख्या में 82), ये पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं जो न्यूनतम 5000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीटीजी, जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर, प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर तथा साक्षरता का अत्यंत कम स्तर इनकी विशेषता है।
5. विभिन्न ऐसे स्थानों में जनजातीय जनसंख्या, जो उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 4 में उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आती।

वित्तपोषण पद्धति

मंत्रालय राज्य सरकारों को योजना आयोग द्वारा इस उद्देश्यार्थ वार्षिक तौर पर उपलब्ध करवाई गई निधियों में से 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान करता है।

मई, 2003 में निर्धारित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं (इन्हें जनवरी, 2008 में निर्धारित प्रक्रियात्मक आशोधनों के साथ पढ़ना होगा :-

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनजातीय आबादी को सहायता दी जाती है।
2. विशेष केन्द्रीय सहायता का 70 प्रतिशत उपयोग उन प्राथमिक योजनाओं के लिए किया जाए जो परिवार/स्व सहायता समूह/कृषि/बागवानी, भूमि सुधार, जल संभर विकास, पशुपालन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वन एवं वन ग्रामों का विकास, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमिता विकास आदि जैसे क्षेत्रों में समुदाय आधारित रोजगार एवं आय-सृजन से संबंधित

हैं तथा 30 प्रतिशत का उपयोग उनसे सम्बद्ध अवस्थापना के विकास के लिए किया जाए।

3. वन गांवों में रहने वाली उपेक्षित जनजातियों को प्राथमिकता एवं संयुक्त वन प्रबंधन के साथ कार्यक्रमों के सामंजस्य को प्राथमिकता दी जाए।
4. एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक विशिष्ट क्षेत्र लघु योजनाएं तैयार करना।
5. कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।
6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन।
7. विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्य की वार्षिक योजना का अभिन्न भाग बनाया जाए।
8. जनजातीय उपयोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्ष में समग्र परिव्यय/आबंटन का नियत 10 प्रतिशत आरक्षित रखना, जो कि इसके लिए उपयुक्त है।
9. आईटीडीपी/आईटीडीए-वार निधियां आरक्षित रखना।
10. प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

राज्यों को निधियों के आबंटन हेतु मानदंड

(क) टीएसपी को एससीए के अधीन कुल वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदानों के लिए आरक्षित रखा जाता है और नीचे निर्धारित दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाले चुने गए राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है :

- ज्यादा एकीकृत और केन्द्रित नियोजन तथा परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करके कि पूरी टीएसपी निधि, राज्य में कम से कम जनजातीय जनसंख्या के समानुपात में एक बजट शीर्ष में राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर पूर्ण रूप से टीएसपी दृष्टिकोण अंगीकार किया जाए;

- उसके बाद अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधि का औसतन 75 प्रतिशत वास्तव में प्रयोग/निर्मुक्त किया जाए, जो पहले तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष से कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्मुक्त किया गया है; और
- प्रोत्साहन के रूप में राज्यों को दी गई निधियों का उपयोग केवल जनजातियों के लाभार्थ रोजगार एवं आय-सृजन के क्रियाकलापों में किया जाए।
- एससीए के अंतर्गत कुल आबंटन के शेष 90 प्रतिशत को राज्यों में जनजातीय उपयोजना की स्थूल रणनीति के तहत कार्यक्रमों के हिस्से के आधार पर, जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पॉकेट (माडा), क्लस्टर एवं आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) में पुनः आबंटित किया जाएगा तथा उसकी गणना प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी।

आईटीडीपी, माडा, क्लस्टर और आदिम जनजातीय समूह एवं बिखरी जनजातियों के कार्यक्रमों के अधीन राज्य-वार धनराशि का आबंटन निम्न प्रकार किया जाता है :

एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए)

(क) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी):- एससीए को आईटीडीपी में आबंटित करने के लिए राज्यों को दो समूहों में बांटा जाता है।

श्रेणी (क) : इसमें वे राज्य आते हैं जिनका काफी भूभाग जनजातीय बहुल जनसंख्या से आबाद है जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम।

श्रेणी (ख) : इसमें वे राज्य आते हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में जनजातीय संकुलता के साथ राज्य में जनजातियों की बिखरी जनसंख्या है जैसे असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल।

आईटीडीपी को एससीए के सकल परिव्यय का आबंटन उपर्युक्त दो श्रेणियों के राज्यों के बीच प्रत्येक श्रेणी के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की जनजातीय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

श्रेणी (क) के लिए आबंटित निधियों को राज्यों में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बांटा जाता है :

- 70 प्रतिशत आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर।
- 30 प्रतिशत आईटीडीपी/आईटीडीए के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर।

श्रेणी (ख) राज्यों के लिए आबंटित निधियों को केवल आईटीडीपी में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है।

(ख) माडा पॉकेट, क्लस्टर और बिखरी हुई जनजातियां:- माडा पॉकेटों, क्लस्टर और बिखरी हुई जनजातियों में अनु. जनजाति जनसंख्या के आधार पर 100 प्रतिशत।

(ग) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी):-

वितरण का सूत्र इस प्रकार है :

- आदिम जनजातीय समुदायों के संख्यात्मक आकार पर राशि का 70 प्रतिशत।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जनजातीय समूहों की संख्या के अनुसार राशि का 30 प्रतिशत।

7.4 मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य की पात्रता की गणना करने के बाद माडा, आदिम जनजातीय समूह, क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति और बिखरे हुए जनजातीय समूह डीटीजी के लिए इस प्रकार परिगणित राशि में से प्रत्येक राज्य के लिए एससीए को निर्धारित किया जाएगा और उसे केन्द्रित और लक्ष्यबद्ध तरीके से माडा, आदिम जनजातीय समूह, क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति और पीटीजी के लाभार्थ परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।

7.5 आईटीडीपी हेतु प्रत्येक राज्य के लिए आर्बिट्रि एससीए के शेष भाग को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक आईटीडीपी को इन आईटीडीपी में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समानुपात में किसी राज्य विशेष में आईटीडीपी की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। आईटीडीपी, माडा पॉकेट, क्लस्टर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में पीटीजी और एक जनजातीय सलाहकार परिषद के अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के विवरण **अनुबंध: 7 (क)** में दिए गए हैं।

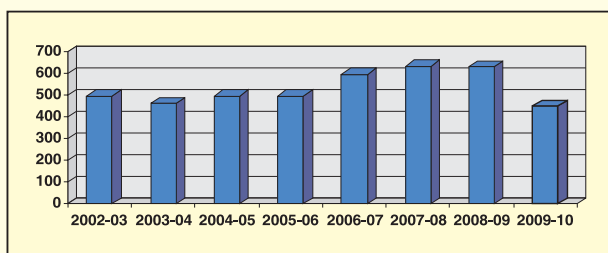
आबंटन

7.6 वर्ष 2009-10 के लिए 900.50 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसमें से 100.00 करोड़, मंत्रालय द्वारा वन ग्रामों के विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं। कार्यक्रम का अर्थ है अभिज्ञात वन ग्रामों में अवसंरचनात्मक विकास प्रदान करना है तथा जिसके संबंध में जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता शीर्ष से निधियां प्रदान की जाती हैं।

उपलब्धि

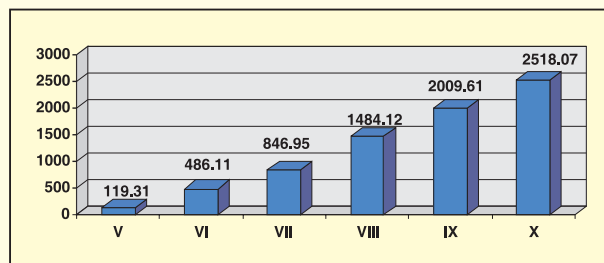
7.7 31.12.2009 तक 800.50 करोड़ रु. की आर्बिट्रि धनराशि में से 449.66 करोड़ रु. की राशि राज्यों को निर्मुक्त की गई। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान की गई निर्मुक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध: 7(ख)** में दिए गए हैं।

आकृति 7(i) टीएसपी को एससीए के तहत निर्मुक्तियां



विभिन्न योजना अवधियों के दौरान निर्मुक्तियों की प्रवृत्ति नीचे आकृति 7(ii) में दी गई है, जिससे जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के समर्थन में निरंतर वृद्धि का पता चलता है।

आकृति 7(ii)



वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम

7.8 स्वतंत्रता से पूर्व वानिकी के विभिन्न कार्यों हेतु सुरक्षित श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए वन क्षेत्रों में आवास स्थापित किए गए थे। धीरे-धीरे ये आवास गांवों में बदल गए। ये ग्राम जिलों के राजस्व प्रशासन से बाहर हैं, इसलिए विकास के लाभों से वंचित हैं। इन वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। तथापि 12 राज्यों में 2474 ऐसे वन ग्राम हैं जो राज्यों के वन विभागों के प्रबंधन में हैं। इन ग्रामों के अधिकांश निवासी जनजातीय हैं। इन ग्रामों के विकास का स्तर राज्य के शेष क्षेत्रों के बराबर नहीं है। वन ग्रामों पर उपलब्ध राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वन ग्रामों की संख्या
1.	असम	499
2.	छत्तीसगढ़	425
3.	गुजरात	199
4.	झारखंड	24
5.	मेघालय	23
6.	मध्य प्रदेश	893
7.	मिजोरम	85
8.	उड़ीसा	20
9.	त्रिपुरा	62
10.	उत्तराखण्ड	61
11.	उत्तर प्रदेश	13
12.	पश्चिम बंगाल	170
	कुल	2,474

7.9 2.5 लाख जनजातीय परिवारों वाले वन ग्रामों का विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय विकास का प्रमुख क्षेत्र है। तदनुसार, योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वन ग्रामों के विकास के लिए औसतन 15 लाख रुपए प्रति ग्राम की दर से 450 करोड़ रुपए आबंटित किए। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के एक भाग के विस्तार के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए तथा मंत्रालय के वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के बजट में क्रमशः 230 करोड़ रु., 220 करोड़ रु., 150 करोड़ रु. तथा 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। दसवीं योजना के अंत में, वृहद विचार किया गया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान सीमित समयावधि के लिए भी राजस्व गांवों में परिवर्तन के लिए लंबित गांवों में पर्याप्त विभागीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जाए। यह निर्णय भी लिया गया कि दसवीं योजना के प्रथम चरण के दौरान वित्तपोषित सभी वन गांवों को 15 लाख रु. तक की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी। तदनुसार, कई राज्य सरकारों से इसके लिए प्रस्ताव भी प्राप्त हो गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों से अधिकांश गांवों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और दूसरे चरण के निधियन हेतु अब तक 255.55 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं।

7.10 विकास के संदर्भ में सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, संपर्क मार्ग, पेयजल, सिंचाई जैसी न्यूनतम सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने तथा अन्य ढांचागत सुविधाएं एवं आय-सृजन की गतिविधियों पर विचार किया गया है। परियोजनाओं या प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए कार्यविधि

7.11 पहले एनईबी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करता है फिर उसे

जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रेजित करता है, जहां त्रिदलीय परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें अनुमति देने के लिए इन पर विचार किया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग एवं संबंधित राज्य सरकारों के गहन सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।

निधियों की निर्मुक्ति

7.12 वन ग्रामों वाले सभी 12 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं चूंकि कार्यक्रम का प्रारंभ नीचे दर्शाया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अल्प निधियन किया जाना शेष है जिसके लिए राज्यों से प्रगति रिपोर्ट /उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के लिए कहा जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा निधियों की पूर्ववर्ती निर्मुक्ति के लिए सन्तोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई।

निधियों के प्रवाह की प्रणाली

7.13 प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद वन विकास अभिकरण (एफडीए) को हस्तांतरित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है। इस क्षेत्र में वन विकास अभिकरण (एफडीए) परियोजनाएं कार्यान्वित करते हैं। परवर्ती किशतें एफडीए द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यक्रम के संतोषजनक कार्यान्वयन से जुड़ी होती हैं।

निगरानी तंत्र

7.14 राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे एनईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव, निगरानी, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली बनाएं। एफडीए को एनईबी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से एनईबी को अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित करता है।

तालिका 7.2 वन ग्रामों के विकास के लिये राज्यों को जारी निधियाँ

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि (2005-06)	निर्मुक्त राशि (2006.07)	निर्मुक्त राशि (2007.08)	(लाख रु. में) निर्मुक्त राशि (2008.09)
1.	असम	4059.00	1817.42	0.00	4696.05
2.	छत्तीसगढ़	4359.00	4161.37	1034.00	0.00
3.	गुजरात	1979.00	1434.38	593.62	0.00
4.	झारखंड	129.71	173.87	0.00	0.00
5.	मेघालय	0.00	390.71	0.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	6190.65	10472.42	2829.00	6502.50
7.	मिजोरम	202.50	1317.50	190.00	435.00
8.	उड़ीसा	157.14	133.46	0.00	180.00
9.	त्रिपुरा	0.00	930.00	0.00	558.00
10.	उत्तराखंड	0.00	566.96	0.00	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	30.00
12.	पश्चिम बंगाल	2104.00	699.00	0.00	2550.00
	कुल	19181.00	22097.09	4646.62	14951.55

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम

7.15 भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1) अनुसूचित जनजाति के कल्याण के संवर्धन के लिए भारत सरकार की समेकित निधि से प्रत्येक वर्ष अनुदान देने की गारंटी देता है तथा इस संवैधानिक बाध्यता के अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम “संविधान

के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान” के माध्यम से निधियाँ प्रदान करता है।

उद्देश्य

7.16 योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का उन्नयन करना है।



देवराज पाड़ा (नेवासा), आईटीडीपी गाउरेला, तहसील-पेंडारा रोड़, जिला-विलासपुर, छत्तीसगढ़ में अनुच्छेद 275(1) के तहत अवस्थापना विकास परियोजनाओं के अंतर्गत डाइवर्सन वियर

कवरेज

7.17 कार्यक्रम देश के सभी जनजातीय उपयोजना राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों को कवर करता है (26 राज्य)।

निधिकरण पद्धति

7.18 यह एक केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है और (1) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, और (2) जनजातीय लोगों को राज्य के शेष हिस्से के बराबर लाने के लिए जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजातीय विकास की प्रत्येक योजना की लागत को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्यों को अनुदान उस राज्य में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति एवं उपयोग के दिशानिर्देश वर्ष 2002 में संशोधित किए जा चुके हैं। ग्यारहवीं योजना के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन दर्शाते हुए जनवरी, 2008 में इसे और संशोधित किया गया है:

- सामुदायिक कल्याणकारी परिसम्पत्तियों जैसे विद्यालय, कौशल पूर्ण शिक्षण, पोषण, पेयजल इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करना;
- नवीन अनुदान वास्तव में नई योजनाओं के लिए हैं- अन्तिम आऊटपुट/परिणाम या सुपुर्दगी के तरीके के सन्दर्भ में है;
- प्रत्येक राज्य को स्वयं ही कार्यक्रमों को प्रभावी निगरानी का निरूपण एवं प्रचालन करना होगा क्योंकि यहां मंत्रालय ऐसी बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता है।
- मंत्रालय को द्वितीय स्तर की निगरानी करनी होती है।

मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2002 में निर्धारित दिशा निर्देश निम्नवत हैं: इन्हें जनवरी 2008 में निर्धारित प्रक्रियात्मक संशोधनों के साथ पढ़ा जाए।

- (i) 2000-01 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान ब्लॉक ग्रांट्स के रूप में जारी किए जाते थे। तब से निधियां ऐसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के उन्नयन एवं निर्माण हेतु परियोजनाएं चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष भाग के समकक्ष लाने के लिए आवश्यक हों।
- (ii) राज्य ऐसे क्षेत्रों/सेक्टरों की पहचान करेंगे, जो मानव विकास सूचकांक की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के बीच की खाई पाटने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।
- (iii) दिशानिर्देशों में परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी के संबंध में परिकल्पना की गई है। राज्य पंचायत अधिनियमों तथा पेसा (पीईएसए) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर समुचित ध्यान दिया जाना है।
- (iv) बहु-आयामी दलों के माध्यम से आईटीडीपी/माडा/क्लस्टरों के लिए माइक्रो-प्लान तैयार करने के लिए एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।
- (v) कम से कम 30 प्रतिशत परियोजनाओं का लक्ष्य महिलाओं को लाभ पहुंचाना होना चाहिए।
- (vi) अनुदान का 2 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षण, एमआईएस, प्रशासनिक खर्चों, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- (vii) अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए मंत्रालय की पूर्वानुमति से राज्यों के आबंटन का 10 प्रतिशत प्रयोग किया जा सकता है।
- (viii) अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान से निधियों के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत केवल उन्हीं राज्यों को आबंटित किया जाता है, जो अभिनव योजनाएं चला रहे हैं, जो टीएसपी दृष्टिकोण अपनाते हैं अर्थात् वे राज्य जिन्होंने अपने राज्य में कम से कम अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में निधियां निर्धारित की हैं, निधियों को

एक बजट शीर्ष जनजातीय विकास/कल्याण विभाग में रखा गया है और पिछले तीन वर्षों में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आबंटनों का कम से कम 75 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। 4 जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में, मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अनुदान के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के लिए किसी राज्य को इसके लिए योग्य पाए जाने पर नए अनुदानों के लिए विचार किया जाएगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

7.19 जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के 100 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों के एक भाग का उपयोग करने का निर्णय 1997-98 के दौरान किया गया। देश के 22 राज्यों में 100 विद्यालयों को स्वीकृत किया गया है और 31.12. 2009 तक 86 प्रचालनात्मक किए जाने की सूचना है।

7.20 इस प्रयोजन के लिए बनाई गई एक स्वायत्त सोसायटी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में इन विद्यालयों को चलाया जाना अपेक्षित था। इन विद्यालयों में शिक्षा का एकसमान पैटर्न प्रदान करने के लिए और इनके विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों (चिकित्सा, तकनीकी आदि) के लिए ये विद्यालय मुख्यतः राज्य बोर्डों से सम्बद्ध हैं। इन विद्यालयों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का नाम दिया गया है और नवोदय विद्यालयों के अनुरूप चलाने की परिकल्पना की गई लेकिन राज्य केन्द्रित प्रबंधन के साथ।

7.21 ईएमआरएस की स्थापना करने हेतु दिशानिर्देशों को दिसम्बर, 2009 में संशोधित किया गया है; ऐसी आशा की जाती है कि देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को और अधिक ईएमआरएस की स्थापना हेतु नए प्रयास किए जाने से पर्याप्त लाभ होगा। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ईएमआरएस का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एसटी विद्यार्थियों को गुणवत्ता मिडिल और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है;
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक अतिरिक्त ईएमआरएस का निर्माण करने और चलाने के लिए अनुच्छेद 275(1) के अनुदानों में से निधियों देने के लिए स्वतंत्र हैं;
- ईएमआरएस के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई आवर्ती और अनावर्ती लागतें;
- राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि सभी मौजूदा ईएमआरएस कार्यरत हैं, नए ईएमआरएस के लिए कहेंगे;
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ईएमआरएस कार्यक्रम और इसके विस्तार हेतु मंत्रालय का समर्थन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रबंधन की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के बाद ही दिया जाएगा;
- ईएमआरएस दो स्तरों पर स्थापित किए जायेंगे- मिडिल और सेकेंडरी कक्षा 6 से 10 फीडर विद्यालय और हायर सेकेंडरी कक्षा 11 और 12। फीडर विद्यालयों से हायर सेकेंडरी विद्यालयों तक का अनुपात आदर्श रूप से 5:1 होना चाहिए;
- ईएमआरएस या तो राज्य अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वांछित हो, से जुड़े होने चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ईएमआरएस के प्रबंधन और प्रभावी कार्यकरण के लिए एक मात्र रूप से जिम्मेदार होगा;
- प्रत्येक कार्यरत ईएमआरएस को देय आवर्ती लागत के अंतर्गत राशि, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को सूचना देते हुए ईएमआरएस के बैंक खाते में मंत्रालय द्वारा ई ट्रांसफर द्वारा निर्मुक्त की जाएगी।

7.22 राज्य सरकारों ने नए दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करने शुरू कर दिए हैं तथ मंत्रालयों को आशा है कि अर्हकारी राज्यों को वर्ष 2010-11 के दौरान निधियन शुरू कर दिया जाएगा।



सान्ना, आईटीडीपी जयपुर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ में लड़कियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

7.23 वर्ष 2009-10 के दौरान योजना आयोग ने जनाजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत 1000.00 करोड़ आबंटित किए।

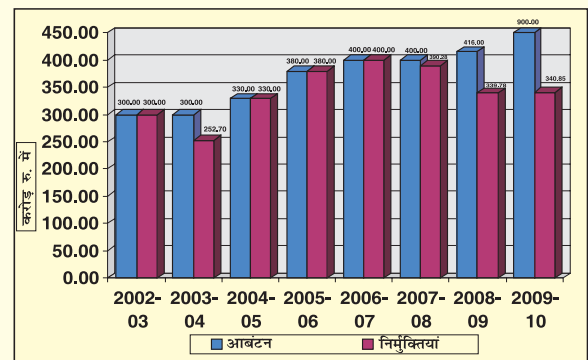
7.24 दसवीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को किए गए वार्षिक आबंटन और निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन	सहायता अनुदान (निर्मुक्ति)
2002-03	300.00	300.00
2003-04	300.00	252.70
2004-05	330.00	330.00
2005-06	380.00	380.00
2006-07	400.00	400.00
2007-08	400.00	390.28
2008-09	416.00	339.78
2009-10 (31.12.09तक)	1000.00	340.85

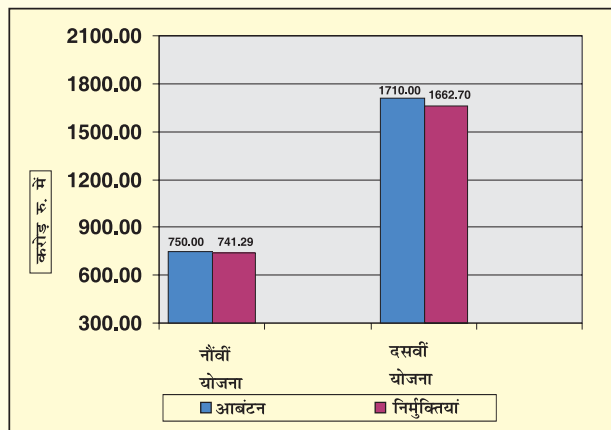
7.25 वर्ष 2002-2003 से वर्ष 2009-2010 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में की गई राज्यवार निर्मुक्ति का विवरण अनुबंध-7(ग) में उपलब्ध है।

आकृति 7(iii) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान : 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं योजना के दौरान आबंटन और निर्मुक्तियां



आकृति 7(iv) : 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत

राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त राशियां:-



7.26 वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम), 2003 के अधिनियमन के बाद मंत्रालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से शुरू की गई योजनाओं/कार्य के कार्यान्वयन को शीघ्रता से करने की पहल की। वर्ष के दौरान मंत्रालय ने योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से करने और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को राज्यों के साथ उठाया और परिणामस्वरूप अव्ययित शेष राशि धीरे-धीरे कम हो रही है। कार्यान्वयन को और शीघ्रता से करने के लिए और निधियों की संभव पार्किंग को हतोत्साहित करने हेतु 2007-08 से उन राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की गईं, जिनके पास पूर्व में निर्मुक्त की गई निधियों में से अव्ययित शेष राशि पड़ी थी।



अनुबंध : 7-क

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों के नाम	संख्या		
		आईटीडीपी/ आईटीडीए	माडा पॉकेट	पीटीजी
1.	आंध्र प्रदेश #	8	41	17
2.	असम	19	-	-
3.	बिहार	-	7	-
4.	छत्तीसगढ़#	19	9	2
5.	गुजरात#	9	1	-
6.	हिमाचल प्रदेश#	5	2	-
7.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-
8.	झारखंड#	14	34	7
9.	कर्नाटक	5	-	-
10.	केरल	7	-	-
11.	मध्य प्रदेश#	31	30	6
12.	महाराष्ट्र#	16	44	24
13.	मणिपुर	5	-	-
14.	उड़ीसा#	21	46	14
15.	राजस्थान#	5	44	11
16.	सिक्किम	4	-	-
17.	तमिलनाडु\$	9	-	-
18.	त्रिपुरा*	-	-	-
19.	उत्तर प्रदेश	1	1	-
20.	उत्तराखंड	-	-	-
21.	पश्चिम बंगाल\$	12	-	1
22.	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	-	-
23.	दमन व द्वीप	1	-	-
	कुल	192	259	82
				75

* त्रिपुरा में आईटीडीपी नहीं है। त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) है। दिनांक 03.10.2006 के त्रिपुरा राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.15-2/भाग-1/टीडब्ल्यू/एसपी/2004/14648 की सूचना के अनुसार संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से प्रभावी छठी अनुसूची के प्रावधानों का विस्तार त्रिपुरा तक किया गया है।

** बिहार तथा झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पीटीजी समान हैं।

राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) हैं।

\$ राज्यों में केवल टीएसी ही हैं।

अनुबंध : 7-ख

वर्ष 2002-03 से वर्ष 2009-10 (31.12.09 तक) के दौरान जनजातीय उपयोगना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य के नाम	(रुपये लाख में)								
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (31/12/09 तक)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	आंध्र प्रदेश	2732.80	2459.52	2459.52	2751.14	3344.33	3712.99	4176.75	1930.00	
2	असम	3058.99	2753.09	2064.82	3066.59	3601.59	3220.27	3755.65	2883.00	
3	बिहार	556.56	500.90	250.45	543.57	656.00	715.50	0.00	870.94	
4	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76	4641.08	5477.04	5893.78	6829.20	6322.88	
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	133.00	0.00	0.00	
6	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82	3963.52	4882.13	5419.14	4571.435	2800.00	
7	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87	825.90	1022.14	1133.43	1276.00	1179.40	
8	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22	5896.10	7041.25	7711.12	2198.25	0.00	
9	जम्मू और कश्मीर	971.94	925.50	874.75	901.28	1088.00	956.24	676.00	0.00	
10	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97	1029.06	1242.00	1372.00	1544.00	1647.96	
11	केरल	273.70	260.62	319.35	274.03	318.13	352.36	396.25	366.10	
12	मध्य प्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70	8186.01	10126.02	9129.39	12644.25	8722.00	
13	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45	3351.45	3888.00	4293.00	2500.00	895.91	
14	मि.पुर	761.96	725.55	685.76	685.76	796.00	879.00	989.00	527.795	
15	उड़ीसा	6495.30	6184.94	7578.63	6516.82	7695.87	8543.41	10110.50	8885.55	
16	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60	3490.91	4214.00	4654.00	5236.00	3400.00	
17	सिक्किम	108.02	102.86	126.04	109.49	135.52	280.36	315.00	291.38	
18	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25	323.70	375.55	142.59	469.00	108.00	
19	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66	1045.03	1240.34	1318.28	1548.00	1431.29	
20	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45	33.63	0.00	425.36	644.25	0.00	
21	उत्तराखंड	92.91	88.47	83.62	83.62	50.00	0.00	0.00	50.00	
22	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31	1982.31	2270.00	2894.59	3255.75	2654.34	
	कुल योग	49700.00	46130.00	49700.00	49701.00	59573.91	63179.81	63135.29	44966.545	

अनुबंध : 7-ग

वर्ष 2002-03 से 2009-10 (31.12.09 तक) के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशियां

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.09 तक)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	2160.30	1785.00	2300.46	3112.31	2830.31	2453.03	1863.44	1946.20
अरुणाचल प्रदेश	300.00	200.00	273.72	384.06	322.52	544.29	308.68	0.00
असम	1023.40	668.87	1155.00	1381.41	1514.17	1192.63	1444.88	1240.77
बिहार	209.00	209.00	229.90	0.00	293.00	319.20	0.00	95.00
छत्तीसगढ़	2689.50	2089.00	2858.56	3479.69	4131.86	3090.44	3211.43	2834.80
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	68.45	7.00	0.00
गुजरात	2250.00	2280.00	2515.00	5660.96	3964.38	3652.68	2372.77	58.00
हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	109.36	133.88	330.33	165.43	148.32	180.00
जम्मू और कश्मीर	318.00	367.00	398.70	361.29	427.00	286.61	193.66	0.00
झारखंड	2808.00	2208.00	2428.80	400.00	3244.15	3060.27	1852.43	3730.00
कर्नाटक	904.35	797.00	957.88	1519.35	1526.87	1458.05	1496.37	1823.00
केरल	588.00	158.00	161.56	0.00	497.19	101.52	159.42	134.92
मध्य प्रदेश	4052.32	3821.58	5173.57	6420.27	6052.44	5973.00	6466.80	6435.00
महाराष्ट्र	2925.00	2672.00	2939.20	3459.20	2508.35	3610.310	2441.46	2000.00
मणिपुर	424.55	230.00	253.00	0.00	411.00	311.96	324.44	352.50
मेघालय	555.00	50.55	759.50	0.00	0.00	773.02	155.33	0.00
मिजोरम	240.00	240.00	488.41	422.62	384.17	409.79	403.57	441.00
नागालैंड	0.00	0.00	529.58	700.93	812.22	866.170	200.00	576.59
उड़ीसा	3641.60	2830.00	4346.98	4445.48	4029.11	4176.84	4129.73	7026.00
राजस्थान	2224.48	2070	2200.00	2240.48	3160.00	3168.91	3107.04	1500.00
सिक्किम	83.00	33.00	45.20	143.92	50.99	101.50	65.00	149.20
तमिलनाडु	210.00	250.00	287.40	619.57	477.62	0.00	291.39	342.00
त्रिपुरा	665.50	313.00	428.30	412.28	570.32	485.04	434.88	780.00
उत्तर प्रदेश	27.00	27.00	36.82	0.00	0.00	499.12	391.28	0.00
उत्तराखंड	78.00	128.00	135.80	0.00	249.00	107.81	20.00	120.00
पश्चिम बंगाल	1543.00	1763.00	1987.30	2702.30	2151.00	2151.620	2489.09	2320.00
योग	30000.00	25270.00	33000.00	38000.00	40000.00	39027.69	33978.41	34084.98

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

8.1 अनुसूचित जनजातीय छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए योजना तीसरी योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी। अनुसूचित जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की एक अलग योजना 1989-90 में शुरू की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोनों योजनाओं का एक योजना में विलय कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2008-09 से योजना को संशोधित कर दिया गया है (01.04.2008 से लागू)।

8.2 उद्देश्य : योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते हैं। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य समावेशन एवं बच्चों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी करने के वृहद दृष्टिकोण से मिडिल स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कार्य हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों को आकर्षित करना है।

8.3 कवरेज : योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को। तथापि, योजना के तहत छात्रावासों की संस्वीकृति जहाँ तक संभव होगा स्थापित शैक्षिक संस्थानों के एक भाग के रूप में या ऐसे संस्थानों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बिल्कुल नजदीक दी जाएगी।



8.4 निधिकरण प्रतिमान : यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। यह केन्द्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावासों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए) में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने के पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य सरकारों हेतु निधियन प्रणाली 50:50 के अनुपात में है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार लड़के तथा लड़कियों दोनों के छात्रावासों हेतु निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं एवं छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावासों हेतु भी अन्य छात्रावासों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही निधियां प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्यार्थ संसद सदस्य भी राज्य हिस्से के स्थान पर अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से भी निधियां प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि अन्य विश्वविद्यालय 45 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी, 45 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के लिए पात्र होंगे तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विश्वविद्यालय को स्वयं वहन करना होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान नहीं करती हैं तो राज्य सरकार का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालय को ही वहन करना होगा तथा इस प्रकार से उनका योगदान 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

8.5 मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना में मिडिल, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार का प्रावधान है।

- (ii) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क करती है।
- (iii) यह योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती।
- (iv) छात्रावासों का रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

8.6 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना में लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों की योजनाओं का विलय कर कुल 134.24 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया था। वर्ष 2009-10 के दौरान 64.00 करोड़ रुपये की राशि (उत्तर-पूर्वी संघटक सहित) का आवंटन किया गया और 31 दिसम्बर, 2009 तक 26.64 करोड़ रुपये व्यय हुआ।

8.7 कार्य निष्पादन : वर्ष 2009-10 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा को 26.64 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। 2007-08 से 2009-10 (31-12-2009 तक) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किए गए छात्रावासों और जारी किए गए सहायता-अनुदानों के ब्यौरे **अनुबंध: 8(क)** पर दिए गए हैं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

8.8 यह योजना जनजातीय उपयोजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में 1990-91 से चल रही है। इस योजना में वित्त वर्ष 2008-09 (1.4.2008) से संशोधन किया गया है।

8.9 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य, पीटीजी सहित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूलों में आवासीय सुविधाओं सहित सीखने के लिए अनुकूल माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है।

8.10 कवरेज : यह योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

8.11 वित्त पोषण पद्धति : यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत भागीदारी आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत राज्य सरकारें सभी लड़कियों के आश्रम स्कूलों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्र) लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने के पात्र हैं। लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात पर आधारित है। संघ शासित राज्यों के मामलों में, केन्द्र सरकार लड़कों के एवं लड़कियों के आश्रम स्कूलों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। संसद सदस्य इस उद्देश्यार्थ 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' से राज्यों के हिस्से के स्थान पर निधियाँ प्रदान कर सकते हैं।

8.12 मुख्य विशेषताएं :

- (i) इस योजना में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है तथा पीटीजी सहित जनजातीय लड़के-लड़कियों हेतु वर्तमान आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं।
- (ii) इस योजना के अंतर्गत, स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार आश्रम स्कूलों के लिए निःशुल्क भूमि देती है।
- (iii) स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्करों, स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों आदि की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50:50 के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- (iv) इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(v) नए स्कूलों के लिए स्थान तथा दाखिला नीति का निर्धारण संबंधित राज्य द्वारा किया जाना चाहिए।

(vi) आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सहायता जारी होने के दो वर्षों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। तथापि, वर्तमान आश्रम स्कूलों के विस्तार हेतु निर्माण की अवधि 12 महीने है।

8.13 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 78.30 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। वर्ष 2009-10

के लिए आबंटन 41.00 करोड़ रुपये है।

8.14 2009-10 के दौरान निष्पादन: 30.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश की राज्य सरकारों को 30.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। 2007-08 से 2009-10 (31-12-2009 तक) के दौरान स्वीकृत आश्रम विद्यालयों और निर्मुक्त किए गए अनुदानों के ब्यौरे **अनुबंध-8(ख)** में दिए गए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा - योजनाएं एक नजर में :															
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)*	पी.जी (2)*	एम.फिल	पीएच. डी (2-4)*
										मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति छात्रावासियों के लिए 235 रुपए से 740 रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 140 रु. से 330 रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति					
								प्रतिभा उन्नयन प्रति विद्यार्थी प्रति माह 19500/- रु. तक							
										उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सरकारी संस्थानों के लिए-पूरा शिक्षा-शुल्क और अप्रतिदेय राशि। निजी संस्थाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते यदि लागू हों।					

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)*	पी.जी (2)*	एम.फिल	पीएच. डी (2-4)*
													राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रावृत्ति योजना अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 14000/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9000/- यू.के. पौंड+अन्य भत्ते यदि लागू हों।		
														राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति - 2 वर्षों के लिए 12000/- रुपए प्रति माह की दर से वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति 14000/- रुपए प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए	
जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना लड़कियों के आश्रम स्कूलों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों के केवल टीएसपी क्षेत्रों में लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य आश्रम स्कूलों एवं टीएसपी राज्यों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपस्करों, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।															
छात्रावासों का निर्माण लड़कियों के छात्रावासों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य छात्रावासों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।															
* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।															

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

8.15 यह योजना 1944-45 से चल रही है।

8.16 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके।

8.17 क्षेत्र : यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.08 लाख रुपये अथवा उससे कम है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियाँ उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जहाँ के वे निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष 10 पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाना है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

8.18 मुख्य विशेषताएं :

- (i) छात्रों को अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग दरों से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 140/- रुपये प्रति मास से लेकर 740/- रुपये प्रति मास हैं। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।
- (ii) दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है। विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

(iii) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

(iv) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स (सीपीएल) को समूह-1 के तहत शामिल किया गया है।

8.19 वित्त पोषण पद्धति :

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिबद्ध देयता के अलावा 100% सहायता मंत्रालय से प्राप्त करते हैं। प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध देयताएं वहन की जाती हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को 1997-98 से अपनी प्रतिबद्ध देयता के लिए अपने स्वयं के बजटीय प्रावधान करने से छूट दी गई है तथा सिक्किम राज्य सरकार को 2007-08 में भी छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत उनके संबंध में सम्पूर्ण व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

8.20 योजना का कार्य-निष्पादन :

दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिभा उन्नयन और पुस्तक बैंक की दो लघु योजनाओं का विलय मैट्रिकोत्तर योजना के साथ कर दिया गया और संयुक्त योजना के लिए 383.09 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया। वर्ष 2009-10 के लिए पूर्वोत्तर संघटक सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 272.95 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। 31.12.2009 तक 199.34 करोड़ रुपये उन राज्यों को निर्मुक्त किए जा चुके हैं, जिनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31-12-2009 तक) के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार कवरेज तथा निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता अनुबंध-8 (ग) पर दी गई है।

पुस्तक बैंक

8.21 उद्देश्य : व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशतः महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

8.22 प्रमुख विशेषताएं : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

- (i) पुस्तक बैंक के प्रयोजन के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।
- (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और चार्टर्ड एकाउंटेंसी के संदर्भ में छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।
- (iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की जीवन-अवधि 3 वर्ष नियत की जाती है।
- (v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम है, तक सीमित होती है।

क्र. स.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सैट)
I	डिग्री पाठ्यक्रम	
1	मेडिकल	7,500/- रुपये
2	इंजीनियरिंग	7,500/- रुपये
3	पशुचिकित्सा	5,000/- रुपये
4	कृषि	4,500/- रुपये
5	पोलिटेक्निक	2,400/- रुपये
II	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	
1	मेडिकल, इंजीनियरिंग	5,000/- रुपये (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सैट)
2	व्यवसाय प्रबंधन,	
3	कानून	
4	बायो-साइंस	

इस योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम है, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

8.23 वित्तपोषण पद्धति : यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और खर्चे केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर बांटे जाते हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

प्रतिभा उन्नयन

8.24 यह योजना जो पहले अलग योजना के रूप में चल रही थी, दसवीं पंचवर्षीय योजना में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में विलय कर दी गई है। तब से यह मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की उपयोजना के रूप में कार्य कर रही है। वित्त वर्ष 2008-09 से योजना में संशोधन कर दिया गया है।

8.25 इस योजना का पीटीजी विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आवासीय स्कूलों में शिक्षा सहित चहुंमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिभा का उन्नयन करना है ताकि वे अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिले तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवसायों में अन्य विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सकें।

8.26 मुख्य विशेषताएं

- (i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास की सुविधाओं वाले तथा कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में छात्रों के कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता दिखाने वाले विभिन्न जिलों/शहरों में कुछ स्कूलों को चुनते हैं। मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए पुरस्कारों (एवार्डों) की कुल संख्या निर्धारित करता है।
- (ii) पहचान किए गए स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्षा से आरंभ हो जाती है और जब तक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक जारी रहती है।
- (iii) कोचिंग भाषा, विज्ञान, गणित में दी जाती है और इसके साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।
- (iv) जनजातीय छात्रों को चुनते समय उद्देश्य कम से कम 30% लड़कियों तथा 3% विकलांग छात्रों को शामिल करने का रहता है।
- (v) वर्ष 2008-09 से 19,500 रु. का एक संशोधित पैकेज अनुदान प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है जिसमें प्रधानाचार्य या कोचिंग प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय और साथ ही आकस्मिक व्यय को पूरा करना शामिल है।
- (vi) विकलांग छात्रों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।
- (vii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

8.27 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना में संयुक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आबंटन 383.09 करोड़ रुपये था। वर्ष 2008-2009 के लिए प्रतिभा उन्नयन योजना के लिए 2.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था।

8.28 निष्पादन : 31 दिसम्बर, 2009 तक, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य सरकारों को 32 विद्यार्थियों के लिए 6.24 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई। वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31-12-2009 तक) के दौरान राज्यवार लाभार्थियों की कवरेज तथा निर्मुक्त राशि **अनुबंध-8 (घ)** पर है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना :

8.29 यह एक गैर-योजना स्कीम थी, जो 2007-08 से योजना स्कीम बन गई है। यह योजना 1954-55 से चल रही है।

8.30 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन (मास्टर्स, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर) कर रहे अनुसूचित जनजातीय छात्रों को सहायता प्रदान करना है।

8.31 क्षेत्र : मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 13 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा दो आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

8.32 मुख्य विशेषताएं

- (i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष

तक है, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता/अभिभावकों की कुल आय 25,000 रु. प्रतिमाह से अधिक न हो।

- (ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव हो, एम.फिल अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। एम फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/कार्य अनुभव हो। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का अध्यापन/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव हो।
- (iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।
- (iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को अमेरिकी डॉलर 14,000 या 9000 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करने के द्वारा सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनु रूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है।
- (v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

8.33 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक यात्रा अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। यह योजना किफायती श्रेणी (इकानॉमी क्लास) में भारत से आने-जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है।

8.34 वित्त पोषण पद्धति : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से भी मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

8.35 आबंटन : वर्ष 2009-10 के लिए 0.50 करोड़ रुपये का आबंटन है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

यह योजना वर्ष 2005-06 से शुरू की गई।

8.36 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पी.एच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है।

8.37 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/ संस्थान कवर किए जाएंगे। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:-

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि जेआरएफ	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		एसआरएफ	
एम. फिल	2 साल	2 साल	शून्य
पीएच. डी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल
एम.फिल.पीएचडी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल

8.38 वित्तपोषण पद्धति : जेआरएफ एवं एसआरएफ की दर, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान हो यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं।

8.40 आबंटन : 31-12-2009 तक चालू वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 45.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। 31.12.2009 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 30.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

क्र.सं.	मद	राशि
1	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति	12000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 14000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
2.	इंजीनियरिंग, औद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	14000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 15000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
3	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	10000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
4	इंजीनियरिंग, औद्योगिकी, विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	12000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
5	विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र
6	अंगरक्षण/वाचक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 2000/-रुपये प्रतिमाह की दर से
7	आवास किराया भत्ता (सभी विषय)	यूजीसी पैटर्न के अनुसार

8.39 मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पी.एचडी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।
- यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- इसकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने में न्यूनतम अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2007-08 से अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की एक नई अध्येतावृत्ति योजना की शुरुआत की है।

8.41 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों के संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना चालू होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

8.42 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अनुमोदित 125 संस्थाएं हैं, जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रत्येक

संस्थान को पांच अवार्ड आबंटित किए गए हैं, जिनमें प्रतिवर्ष कुल अधिकतम 625 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

8.43 मुख्य विशेषताएं

- (i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा निधिकृत संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के उड़ान क्लबों के लिए प्रति छात्र 3.72 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी। इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2220 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर प्रणाली की लागत के रूप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000 रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी।
- (iii) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधि संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएगी।

8.44 आबंटन : वर्तमान वर्ष 2009-10 के दौरान योजना के तहत 4.00 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया गया है जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 0.06 करोड़ रु. कर दिया गया।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

8.45 यह योजना 1992-93 में शुरू की गई, 1.4.2009 से संशोधित हुई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं अथवा संगठनों, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

8.46 उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परम्परागत/आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युवाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृत्ति और बाजार संभाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्व-नियोजित बनने में समर्थ बनाएगा।

8.47 कवरेज : योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कवर करती है। योजना एकमात्र रूप से अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। यथासंभव न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। योजना के अन्तर्गत (वीटीसी) स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को अधिकतम पांच ट्रेड प्रदान किए जा सकते हैं और यह 100 अथवा इससे अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात् एक ट्रेड के लिए कम से कम 20 उम्मीदवार होने चाहिए। इसमें मासिक वजीफे और प्रशिक्षणार्थी के लिए कच्चे माल का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत निधियन दो तरीकों से किया जाएगा: (क) मुख्यतः दूरस्थ क्षेत्रों/सुविधा वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके उनका संचालन करके; (ख) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलिटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

8.48 वित्त-पोषण पद्धति : इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा इस योजना को कार्यान्वित की जाएगी।

8.49 मुख्य विशेषताएं :

- (क) इस योजना को राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा संस्थाओं या स्वायत्त निकायों के रूप में सरकार द्वारा स्थापित संगठनों या यथा निर्धारित कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करने वाले सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत

पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

- (ख) योजना के अंतर्गत, आधुनिक ट्रेडों, जिनमें क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता हो, ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- (ग) यह योजना एकमात्र रूप से अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। वीटीसी चलाने वाले संगठन अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को, उस क्षेत्र/राज्य जिससे वे संबंधित हैं, को ध्यान में रखे बिना, प्रवेश देंगे;
- (घ) संबंधित संगठन (अर्थात् राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठन/अन्य संगठन आदि) की ओर से, तत्संबंधी क्षेत्र/राज्य में उपलब्ध उद्योगों के प्रकार मौजूदा आर्थिक प्रवृत्ति, बाजार संभाव्यता, लक्षित आबादी की शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर करते हुए, ट्रेडों को प्रस्तावित करने से पूर्व, अग्रिम रूप से रोजगार संभाव्यता का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।
- (ङ) संगठन उन मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे, जो उम्मीदवारों को उन ट्रेडों में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान कर सकते हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।
- (च) संस्थान/संगठन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान और गैर-सरकारी संगठन) जो पहले से ही इस मंत्रालय की सहायता से परियोजना चला रहे हैं और नए आवेदक संस्थान/संगठन भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय से “मोड्यूलर एम्प्लोयेबल स्किल्स (एमईसी)” के अन्तर्गत अथवा रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के अन्तर्गत जो भी लागू हो, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसर से “क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस)” जो भी लागू हो, के अन्तर्गत मान्यता/संबंधन/प्रत्यायन प्राप्त करेंगे/रखेंगे।
- (छ) संगठन को स्थापना सेवाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्व-रोजगार में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों

के लिए, संगठन वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), बैंकों आदि के माध्यम से उनके लिए आसान माइक्रो फाइनेंस/ऋण का प्रबंध करेगा। प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी, जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्लेसमेंट/रोजगार की गारंटी देंगे।

- (ज) यथासंभव, न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी;
- (झ) योजना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट सहायता के लिए पात्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य निजी संगठनों को 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाएगा;
- (ञ) सहायता-अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों को एक वर्ष में एक किस्त में दिया जाएगा और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों/निजी संस्थानों को दो किस्तों में दिया जाएगा;
- (ट) इस योजना के अन्तर्गत निधियन दो तरीकों से किया जाएगा: (i) मुख्यतः दूरस्थ क्षेत्रों/सुविधा वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके उनका संचालन करके; (ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलिटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

8.50 आबंटन : वर्ष 2006-07 के दौरान, योजना के अंतर्गत आबंटन की राशि 67.12 करोड़ रुपये है (33.56 करोड़ रुपये राज्य सरकारों के लिए और गैर-सरकारी संगठन के लिए उतनी ही राशि)। इसमें से वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के तहत 15.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। (11.00 करोड़ रुपये तथा 4.00 करोड़ रुपये गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किए गए हैं)।

8.51 वर्ष 2009-10 के दौरान कार्य-निष्पादन : वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरा अनुबंध-8 (ड) पर दिया गया है। 2007-08 से

2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किए गए अनुदान अध्याय 10 के तहत अनुबंध-10 (घ) पर हैं।



अनुबंध : 8-क

अनुसूचित जनजाति लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/ यूनिवर्सिटी के नाम	2007-08			2008-09			(लाख रु. में) 2009-10 (31-12-09 तक)		
		धनराशि	छात्रावास	सीट	धनराशि	छात्रावास	सीट	धनराशि	छात्रावास	सीट
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
3	असम	0.00	0	0	601.39	9	750	0	0	0
4	बिहार	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0.00	0	0	803.83	40	2050	830.83	बकाया	0
6	गोवा	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	48.75	4	240	200.00	2	131	168.755	बकाया	0
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
10	झारखंड	224.35	8	550	128.69	11	600	0	0	0
11	कर्नाटक	150.00	6	300	125.01	0	0	0	0	0
12	केरल	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	0.00	0	0	255.00	बकाया	0	1000.00	60	3000
14	महाराष्ट्र	0.00	0	0	889.56	15	2375	0	0	0
15	मणिपुर	564.61	29	656	0.00	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	186.50	बकाया	0	87.50	1	100	0	0	0
19	उड़ीसा	1197.00	252	25200	87.60	30	1200	0	0	0
20	राजस्थान	0.00	0	0	1240.53	41	1850	0	0	0
21	सिक्किम	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
23	त्रिपुरा	228.79	7	400	1380.90	11	650	664.00	12	1200
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
25	उत्तराखंड	0.00	0	0	100.00	2	200	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
27	अ.व नि. द्वीपसमूह	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
28	दमन व दीव	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
29	दादर व नागर हवेली	600.00	5	500	0.00	0	0	0	0	0
30	हैदराबाद विश्वविद्यालय	195.00	1	100	73.73	बकाया	0	0	0	0
31	राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश	145.00	2	200	0.00	0	0	0	0	0
32	जेएनयू/आईआईटी, दिल्ली	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
33	दिल्ली विश्वविद्यालय	160.00	बकाया	0	0.00	0	0	0	0	0
34	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
35	अंग्रेजी और विदेशी भाषा के विश्वविद्यालय (शिलांग कैम्पस) हैदराबाद (आं.प्र.)	0.00	0	0	526.27	2	420	0	0	0
योग		3700.00	314	28146	6500.00	164	10326	2663.585	72	4200

अनुबंध : 8-ख

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक की उपलब्धियों सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)										
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08			2008-09			2009-10 (31-12-09 तक)		
		धनराशि	छात्रावास	सीट	धनराशि	छात्रावास	सीट	धनराशि	छात्रावास	सीट
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
3	असम	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
4	बिहार	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	558.00	40	2000	886.80	25	1250	0	0	0
6	गोवा	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
7	गुजरात	117.39	बकाया	0	0.00	0	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
10	झारखंड	250.00	2	200	0.00	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	100.00	4	500	153.13	बकाया	0	29.62	बकाया	0
12	केरल	0.00	0	0	0.00	0	0	1236.04	बकाया	0
13	मध्य प्रदेश	673.81	20	1000	0.00	0	0	0	0	0
14	महाराष्ट्र	300.80	31	13139	940.07	बकाया	0	0	0	0
15	मणिपुर	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
19	उड़ीसा	0.00	0	0	1020.00	52	15600	1500	बकाया	0
20	राजस्थान	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
21	सिक्किम	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
23	त्रिपुरा	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	234.45	2	120
25	उत्तराखंड	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
27	अ.व नि. द्वीपसमूह	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
28	दमन व द्वीव	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	योग	2000.00	97	16839	3000.00	77	16850	3000.11	2	120



अनुबंध : 8-ग

**अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष
2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां**

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08		2008-09		2009-10 (31-12-09 तक)	
		धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	2284.39	147323	1662.13	183974	831.00	213620
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0	0.00	0
3	असम	1857.1363	49919	1696.18	64952	02510.12	70149
4	बिहार	0	1334	170.00	4550'	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	130.24	65630	160.28	72160	375.95	82995
6	गोवा	13.804	583	18.96	595	54.26	654
7	गुजरात	315.965	107895	387.36	122843	194.00	134911
8	हिमाचल प्रदेश	59.72	1866	10.00	2271	0.00	2600
9	जम्मू और कश्मीर	43.44	6252	0.00	10077	0.00	10182
10	झारखंड	107.97	18470	1058.48	25163	1267.00	27712
11	कर्नाटक	456.87	62678	1053.97	69152	1863.63	76069
12	केरल	29.79	8472	298.03	9173	284.40	10580
13	मध्य प्रदेश	583.41	72458	1228.18	89223	3236.50	105369
14	महाराष्ट्र	2155.56	94629	2500.00	129384	1250.00	134875
15	मणिपुर	1438.78	36297	1912.68	39123	2163.28	44996
16	मेघालय	2435.7199	48170	1342.12	52985	672.00	0
17	मिजोरम	1370.20	37550	1421.18	33758	1571.26	37134
18	नागालैंड	1593.495	32013	1467.27	35606	734.00	39878
19	उड़ीसा	95.97	44691	461.75	48802	231.00	52706
20	राजस्थान	4616.6188	148148	4654.00	176194	1661.31	193813
21	सिक्किम	25.631	1494	25.13	1819	37.88	2001
22	तमिलनाडु	4.76	3182	2.50	4241	72.34	4580
23	त्रिपुरा	294.89	12890	433.19	14892	538.26	17828
24	उत्तर प्रदेश	7.50	5519	0.00	8144	0.00	4990
25	उत्तराखंड	32.35	15566	230.52	15127	188.98	16639
26	पश्चिम बंगाल	44.79	17537	389.28	42524	195.00	33425
27	अ.व नि. द्वीप समूह	4.447	430	3.00	441	0.00	559
28	दमन व द्वीव	0	127	0.14	164	1.73	197
	योग	20003.447	1041123	22586.31	1257337	19933.90	1318462

* प्रत्याशित लाभार्थी



अनुबंध : 8-घ

**प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक
लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां**

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(लाख रु. में)					
		2007-08		2008-09		2009-10	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	12.60	84	0.00	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
3	असम	9.00	60	0.00	0	0	0
4	बिहार	0.00	0	0.00	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	21.00	140	0.00	0	0	0
6	गोवा	0.00	0	0.00	0	0	0
7	गुजरात	7.90	70	0.00	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0	0
10	झारखंड	0.00	0	3.05	30	0	0
11	कर्नाटक	6.15	41	0.00	0	0	0
12	केरल	0.00	0	0.78	4	0	0
13	मध्य प्रदेश	25.80	172	33.54	172	0	0
14	महाराष्ट्र	14.55	162	0.00	0	0	0
15	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0	0
16	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0	0
17	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0	0
18	नागालैंड	0.00	0	0.00	0	0	0
19	उड़ीसा	20.40	136	17.94	136	0	0
20	राजस्थान	6.00	54	2.87	32	0	0
21	सिक्किम	2.40	16	3.12	16	3.12	16
22	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	0	0
23	त्रिपुरा	2.40	16	3.12	16	3.12	16
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
25	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	7.68	72	8.88	72	0	0
27	अ.व नि. द्वीपसमूह	0.00	0	0.00	0	0	0
28	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0	0
29	दादर और नागर हवेली	2.40	16	0.00	0	0	0
	योग	138.28	1039	73.30	478	6.24	32



अनुबंध : 8-ड

**जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10
(31.12.2009) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां**

क्र. सं.	राज्य के नाम	(लाख रु. में)								
		2007-08			2008-09			2009-10 (31-12-2009 तक)		
		धनराशि	केन्द्र	लाभार्थी	धनराशि	केन्द्र	लाभार्थी	धनराशि	केन्द्र	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
3.	असम	0.00	0	0	130.7400	20	970	0	0	0
4.	बिहार	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	302.34	11	1100	124.1400	11	1100	0	0	0
6.	गोआ	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	54.83	13	1300	140.9300	13	1080	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	13.50	1	100	0.0000	0	0	0	0	0
10.	झारखंड	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
12.	केरल	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	220.75	10	1000	118.0550	10	1000	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
15.	मणिपुर	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	65.28	5	500	57.0800	5	500	0	0	0
18.	नागालैंड	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	18.30	8	240	18.3000	8	240	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
23.	त्रिपुरा	0.00	0	0	108.0000	8	400	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
25.	उत्तराखंड	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
27.	अ. और नि. द्वीप समूह	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
28.	दमन व द्वीव	0.00	0	0	0.0000	0	0	0	0	0
	योग	675.00	48	4240	697.2450	75	5290	0	0	0



अध्याय 9

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड तथा राज्य-स्तरीय निगमों को सहायता के लिए कार्यक्रम

9.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)

9.1.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति है। इसकी स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी।

9.1.2 ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन विकास तथा सेवा प्रदाता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। ट्राइफेड एक क्षमता निर्माता के तौर पर भी कार्य करता है जिसमें यह अनुसूचित जनजाति-शिल्पियों एवं एमएफपी-एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करने की भूमिका भी निभाता है।

9.1.3 ट्राइफेड की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड की प्रदत्त शेयर पूंजी 100,53,47,000 रुपये थी। दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड के 27 सदस्य (शेयर-धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है, ट्राइफेड का अकेला सबसे बड़ा शेयर-धारक है।

9.2 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना 'ट्राइफेड में निवेश' बन्द कर दिया गया:

9.2.1 विगत में योजना के तहत ट्राइफेड की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश किया जाता था। 31.03.2009 तक



100,53,47,000 रुपये की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पहले ही 99.75 करोड़ रुपये (99.22 प्रतिशत) तक निवेश किए थे।

9.2.2 चूंकि ट्राइफेड की इक्विटी शेयर पूंजी में और निवेश की गुंजाइश नहीं है तो इस वर्ष (2009-10) से आगे इस योजना को बन्द कर दिया गया।

9.3 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : “जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास”

9.3.1 मंत्रालय 'जनजातीय उत्पादों के बाजार विकास' की योजना के तहत निम्नलिखित चार मुख्य गतिविधियां करने के लिए सहायता अनुदान देता है।

- (i) खुदरा विपणन विकास कार्यकलाप
- (ii) एमएफपी विपणन विकास कार्यकलाप
- (iii) अनुसूचित जनजाति शिल्पियों एवं एमएफपी एकत्र करने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन एवं क्षमता निर्माण
- (iv) अनुसंधान विकास/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) कार्यकलाप

11वीं योजना अवधि (2007-12) हेतु ट्राइफेड के नए रोड मैप के तहत निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

9.3.2 इस योजना के लिए 11वीं योजना में 69.59 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए बजट आबंटन 19.86 करोड़ रुपये था। 31.12.2009 तक 9.6775 करोड़ रुपये ट्राइफेड को निर्मुक्त कर दिए गए।

9.4 वर्ष 2009-10 के दौरान ट्राइफेड द्वारा किए गए कार्यकलाप :

9.4.1 ट्राइफेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ट्राइफेड ने वित्तीय वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए:-

9.4.2 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रोड-मैप के अनुसरण में ऐसे कार्यों या गतिविधियों का निष्पादन किया गया, जो जनजातीय उत्पादों का और बाजार विकास करे। ये गतिविधियां निम्नलिखित चार गतिविधियों की श्रेणी में आती हैं, जिनके नाम:-

- (1) जनजातीय हस्तशिल्प एवं मूल्यवर्धित उत्पादों का बाजार विकास।
- (2) लघु वन उत्पाद (एमएफपी) का बाजार विकास
- (3) अनुसूचित जनजाति के कारीगरों/एमएफपी संग्राहकों को प्रशिक्षण देना।
- (4) गतिविधियों का अनुसंधान एवं विकास।

9.4.3 जनजातीय हस्तशिल्प एवं मूल्यवर्धित उत्पादों का बाजार विकास

ट्राइफेड ने निम्नलिखित गतिविधियां की:

- ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के खुदरा विपणन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह वर्ष 2008-09 की इसी अवधि के दौरान 421.08 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष 523.31 लाख रुपये (24 प्रतिशत की वृद्धि) के स्तर पर पहुंच गया है;
- इसके अतिरिक्त ट्राइफेड ने जनजातीय शिल्पकारों को मेलों, प्रदर्शनियों एवं मैगा इवैन्ट्स के माध्यम से उनके उत्पादों को सीधे ही बाजार में भेजने के अवसर प्रदान करके 61.78 लाख रुपये के जनजातीय उत्पादों की बिक्री करने में भी मदद की है;

- ट्राइफेड ने इस अवधि के दौरान 40 बिक्री केन्द्रों जिनमें 26 बिक्री केन्द्र इसके स्वयं के हैं तथा 13 बिक्री केन्द्र राज्य स्तरीय संगठनों के सहयोग से पारिषण के आधार पर खोले गए हैं, को मिलाकर 2 बिक्री केन्द्र (एक दिल्ली हॉट, नई दिल्ली तथा दूसरा भोपाल में) खोले हैं;

- ट्राइफेड ने 3 बड़े मेलों (एक शिमला, एक हैदराबाद, तथा एक बैंगलोर में) आयोजित किए जहां विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों ने भाग लिया तथा अपने उत्पादों को प्रदर्शित/बिक्री की;

- इसने अमृतसर, जालंधर और दिल्ली में जनजातीय उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की;

- ट्राइफेड ने संस्कृति मंत्रालय की साझेदारी में एक नये फॉरमेट में सूरत में ऑक्टेव उत्सव का प्रदर्शन किया, जहां उत्तरपूर्वी जनजातीय लोगों की अन्य कलाओं के साथ-साथ उत्तरपूर्वी राज्यों से आए जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया और उनका विपणन किया गया;

- ट्राइफेड ने नवम्बर, 2009 में भोपाल में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प एक्सपो 'आदिशिल्प' का आयोजन किया। पूरे देश से 97 जनजातीय कारीगरों ने इसमें भाग लिया। उन्हें अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचने का तथा उनकी रुचियों और प्राथमिकताओं को समझने का भी अवसर प्राप्त हुआ;

- ट्राइफेड ने दो जनजातीय कारीगर मेले (टीएएमएस)- गुवाहाटी (असम) तथा झाबुआ (मध्यप्रदेश) प्रत्येक में एक-एक आयोजित किए। 20 कारीगरों ने अपने उत्पादों के साथ इसमें हिस्सा लिया;

- ट्राइफेड ने विभिन्न राज्यों में 23 प्रदर्शनियों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया;

9.4.4 लघु वन उत्पादों (एमएफपी) का बाजार विकास

वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत ट्राइफेड ने एमएफपी क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं/गतिविधियां की:

महुआ पुष्प विकास गतिविधि: (मध्यप्रदेश में एक गोदाम का निर्माण प्रगति पर है)

लाख कृषि परियोजना गतिविधि: (झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों को लाख की वैज्ञानिक कृषि के लिए प्रशिक्षित किया)

डोना पत्तल परियोजना: (उड़ीसा तथा झारखण्ड राज्यों से लाभार्थियों को जैव ईंधन की डोना मोल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हुए डोना पत्तल बनाने हेतु प्रशिक्षित किया)

जनजातीय शहद एकत्रित करने वालों का शिल्प उन्नयन: (उत्तरपूर्वी राज्यों तथा झारखण्ड के शहद एकत्रित करने वाले जनजातीय लोगों को शहद के एकत्रण, प्रसंस्करण तथा विपणन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान किया)

गोंद एकत्रित करने वाले जनजातीय लोगों का शिल्प उन्नयन: (मध्यप्रदेश में गोंद एकत्रित करने वालों को प्रशिक्षित किया)

9.4.5 प्रशिक्षण देना:

निम्नलिखित राज्यों में जनजातीय लोगों के लिए हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया:-

आंध्र प्रदेश : बैल मैटल तथा व्हाइट मैटल; बंजारा एमब्राइडरी;

छत्तीसगढ़ : लकड़ी एवं बांस शिल्प तथा डोकरा हस्तकला

दिल्ली/उत्तर प्रदेश : टोकरी बनाना, कालीन बनाना तथा वाल हैगिंग

गुजरात : एमब्राइडरी/स्टिचिंग

हिमाचल प्रदेश : सेमी मशीन से बने स्वेटर

जम्मू और कश्मीर : पशमीना शिल्प

झारखंड : ग्रास मैट शिल्प

कर्नाटक : मोमबत्तियाँ एवं अगरबत्ती स्टिक तथा लैंटना शिल्प

मध्य प्रदेश : बाघ प्रिंट

मणिपुर : स्टोन पॉट्री आइटम

उड़ीसा : ज्वेलरी सहित पत्थर नक्काशी तथा डोकरा

राजस्थान : पैच कार्य एवं टांका शिल्प, टैराकोटा तथा टैराकोटा स्लूरी शिल्प के साथ मार्बल स्टोन इचिंग

तमिलनाडु : बांस हस्तशिल्प

त्रिपुरा : बांस तथा केन आइटम

पश्चिम बंगाल : चटाई शिल्प तथा चमड़ा शिल्प

9.4.6 अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) गतिविधि:

- विभिन्न एमएफपी के लिए गुणवत्ता परक मानक के निरूपण हेतु परियोजनाएं की गई;
- शहद, सूखा आंवला, आंवला पॉवडर तथा इमली (बीज सहित) के लिए गुणवत्ता परक मानक अधिसूचित किए;
- विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (कृषि मंत्रालय) की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जट्रोफा के बीजों तथा साल के बीजों के नमूनों की आपूर्ति की;
- विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों को साल के बीज, महुआ पुष्प, मायरोबालन इत्यादि जैसे लघु वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की;

9.5 “लघु वन उत्पाद (एमएफपी) अभियानों हेतु राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) आदि को सहायता अनुदान” नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

9.5.1 अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश जंगली क्षेत्रों में रहती हैं, जो अपनी आजीविका के लिए लघु वन उत्पादों जैसे इमली, शहद, साल पत्तियां, तेंदू पत्ता, महुआ के फूल, महुआ के बीज इत्यादि पर निर्भर हैं। अधिकांश एमएफपी मदेन मौसमी हैं तथा ये जल्दी नष्ट हो जाने वाली चीजें भी हैं।

9.5.2 जनजातियाँ अपने स्वयं के उपभोग/उपयोग के साथ-साथ बिक्री के लिए एमएफपी का संग्रहण करती हैं। जनजातियाँ अपने पास उपलब्ध एमएफपी के स्टॉक को अपने नजदीकी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले साप्ताहिक

बाजारों में कम नकद मूल्य या वस्तु विनिमय करके बेच देती थीं। जनजातियों में सामान्यतः इन उत्पादों की और कहीं बाजारी कीमत की अज्ञानता तथा बाहरी बाजारों से उनका सीधा संबंध, सामूहिक मोल-भाव की शक्ति तथा मौसमी एवं नष्ट होने वाले सामान की भण्डारण क्षमता न होने की बात का फायदा उठाते हुए, व्यापारी तथा बिचौलिए भी वहां पहुंच गए। इससे कुछ क्षेत्रों में जनजातियों का शोषण किया जाने लगा। इस प्रक्रिया में, जनजातियों को अपने एमएफपी के लिए बहुत ही कम कीमत मिलती थी।

9.5.3 राज्य सरकारों ने मुख्य चयनित एमएफपी का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा जनजातीय लोगों को उनके एमएफपी का उचित मूल्य देते हुए इसे खरीदने के अधिदेश के साथ राज्य स्तरीय सरकारी संगठन (जैसे राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी), वन विकास निगम (एफडीसी) इत्यादि) स्थापित किए।

9.5.4 एमएफपी के प्रचालन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना द्वारा इन राज्य स्तरीय संगठनों की सहायता करने के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) इत्यादि को सहायता अनुदान की शुरुआत वर्ष 1992-93 में की गई। इस योजना के तहत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से इन संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है :-

- (1) यदि आवश्यक हो, प्रचालन हानि को कम करते हुए संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करना;
- (2) वर्तमान में संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करते हुए लघु वन उत्पादों के प्रचालन हेतु निगम की शेयर पूंजी आधार को बल प्रदान करना;
- (3) जहां आवश्यक हो, वैज्ञानिक भंडारणगृह सुविधाओं की स्थापना करना;
- (4) जनजातियों के लिए लघु वन उत्पादों पर अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना;
- (5) जनजातियों को उपभोक्ता ऋण देना; और
- (6) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों/प्रयासों में सहायता करना।

9.5.5 वर्ष 2009-10 के लिए बजट आबंटन 10.00 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत वर्ष के 31.12.2009 तक 5.21 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राज्य सरकारों को एसटीडीसीसी की पहचान के लिए संवितरित कर दी गई है।

9.5.6 11वीं योजना अवधि के दौरान वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) अब तक की गई राज्यवार निर्मुक्तियों का ब्यौरा **अनुबंध: 9-क** में दिया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम और राज्य जनजातीय सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) तथा अन्य ऐसे संगठन

9.6 संगठन : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना एक सरकारी कम्पनी (एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी) के रूप में अप्रैल, 2001 में की गई है और तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को विभाजित करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है।

9.7 मुख्य उद्देश्य :

एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए योजना (योजनाओं)/परियोजना (परियोजनाओं) को वित्त पोषित करने के लिए शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- (i) अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि रोजगार/स्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनके आय का स्तर बढ़ाया जा सके।
- (ii) संस्थागत और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के कौशल और उद्यमी विकास का उन्नयन।

- (iii) मौजूदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/ विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- (iv) राज्य चेनेलाइजिंग एजेन्सी (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके स्टॉफ को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- (v) वर्तमान एजेंसियों के कार्यों को निरस्त करने की अपेक्षा उनमें नवाचार लाना, प्रयोग करना तथा प्रोत्साहित करना।

कार्य :

- (i) पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु व्यवहार्य आय सृजन योजनाओं/परियोजनाओं को केन्द्र/राज्य माध्यमीकरण एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के जरिए शुरू करने के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।
- (ii) कौशल विकास तथा इंटरप्रेनरशिप के माध्यम से एससीए और एसटीए को दक्षता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।

9.8 अंश पूंजी : अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये है तथा प्रदत्त पूंजी 230.50 करोड़ रुपये है।

9.9 पात्रता मानदण्ड : एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं :-

- (क) व्यक्ति/स्व सहायता समूह/सहभागिता/एसोसिएशन के अन्य रूप
 - (i) सभी आवेदक/सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हों।
 - (ii) लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुना (डीपीएल) से अधिक न हो, (वर्तमान सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 39,500 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 54,000 रुपये प्रति वर्ष है)। (योजना आयोग द्वारा संशोधित

मानदण्डों के अनुसार इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है)।

- (iii) **सहकारी समितियाँ :** कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

टिप्पणी : सूक्ष्म ऋण योजना के तहत वर्तमान में लाभ प्राप्त करने वाले एसएचजी केवल एससीए के माध्यम से एनएसटीएफडीसी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

9.10 योजनाएं : निगम आय सृजन कार्यकलापों तथा विपणन सहायता के तहत केवल मियादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के फ्लैगशिप कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

- (क) **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) :** एनएसटीएफडीसी ने रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए “आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना” के नाम से एक विशेष योजना लागू की है। इस योजना के तहत लाभप्राप्तकर्ताओं को 4 प्रतिशत की अत्यंत रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- (ख) **लघु ऋण योजना :** पात्र अनुसूचित जनजातियों को स्वयं रोजगार उद्यमों /कार्यकलापों के लिए लघु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से निगम ने स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म ऋण योजना के नाम से एक नई योजना लागू की है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसे एससीए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से लागू किया गया है। निगम ने अभी तक पांच अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से करार किया है तथा और अधिक बैंकों से करार करने के प्रयास जारी हैं।

9.11 एनएसटीएफडीसी के वित्तीय कार्यक्रम के तहत ऋण प्रदान करने के संक्षिप्त मानक :

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष प्रभार्य ब्याज	
				एससीए से	लाभार्थी से
1.	आय सृजनात्मक गतिविधियां -सावधिक ऋण एवं ब्रिज लान- (आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना को छोड़कर)	10.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3% 6% (एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई/लाभ केन्द्र 5.00 लाख रुपए तक)	
				5% 8% (एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई/लाभ केन्द्र 5.00 लाख रुपए से अधिक)	
2.	एएमएसवाई सावधि ऋण	50,000 रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	स्व-सहायता समूह (एसएचजी)- सावधिक ऋण	प्रत्येक स्व-सहायता समूह 25 लाख रु.	इकाई लागत का 90% प्रति सदस्य 50,000 हजार रु. की सीमा तक	5%	8%
4.	लघु ऋण योजना		*प्रति सदस्य 35,000 रुपए और प्रति स्व सहायता समूह 5 लाख रु.	3%	6% (स्व सहायता समूह से प्रभार योग्य)
5.	विपणन समर्थन सहायता -सावधिक ऋण	लाभार्थियों द्वारा निधियों के उपयोग हेतु, आय सृजनात्मक गतिविधियों हेतु सावधिक ऋण के लिए लागू दर पर ब्याज प्रभार्य, जैसा कि क्रम संख्या 1 में ऊपर दिखाया गया है। एससीए अन्य एजेंसियों द्वारा उनकी प्रचालन आवश्यकता हेतु उपयोग की गई निधि पर 7% ब्याज दर प्रभार्य।			

टिप्पणी : लघु ऋण वित्त के मामले में स्व सहायता समूह के सदस्य अपने सदस्यों से स्व सहायता समूह द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर तय करें, किन्तु यह 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.12 निगम का कार्य निष्पादन :

(क) **संस्वीकृतियाँ :** एनएसटीएफडीसी ने योजनाओं/परियोजनाओं की संस्वीकृति हेतु सांकेतिक रूप से 150.00 करोड़ रुपए आबंटित किए। वर्ष के दौरान 31.12.2009 तक निगम ने आय सृजन क्रियाकलापों के तहत विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 119.10 करोड़ रुपए के अपने भाग को 32541 लाभ प्राप्त करने वालों के आर्थिक विकास के लिए आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 178 योजनाओं को स्वीकृत किया। उपरोक्त में, महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए विशिष्ट योजना एएमएसवाई के तहत 5579 महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 12.74 करोड़ रुपए तथा लघु ऋण योजना के तहत 9163 लाभार्थियों के लिए 4.81 करोड़ रुपये की संस्वीकृति भी शामिल है।

(ख) **प्रशिक्षण के लिए अनुदान :** वर्ष के दौरान, 31.12.2009 तक एनएसटीएफडीसी के दक्षता एवं इंटरप्रेनरशिप विकास कार्यक्रमों के अनुदान के रूप में 17.64 लाख रुपए संस्वीकृत किए हैं। इन प्रचालनों के स्तर को बढ़ाने के लिए एससीए ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उपयुक्त प्रस्ताव अग्रेषित करने का अनुरोध किया है।

(ग) **वसूली:** 12.01.2010 तक संचयी वसूली प्रतिशतता 80.04 प्रतिशत है।

9.13 वर्ष 2009-10 के लिए समझौता ज्ञापन : निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यों/मानदण्डों का निर्धारण किया। इससे निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा इससे लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/मानदण्डों की क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की।

9.14 अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थी- सफलता की दो कहानियां

9.14.1 **श्रीमती रामपति**, गांव चाना की नागल, डाकघर सैवार, तहसील जामुआरामगढ़, जिला जयपुर एक गृहणी है। कृषीय गतिविधियों से होने वाली उनकी अल्प पारिवारिक आय परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अवसर की तलाश में थी। उन्हें अपने पड़ोसियों से एनएसटीएफडीसी के बारे में पता चला तथा उन्होंने राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से डेरी इकाई के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के तहत ऋण के लिए आवेदन किया

वर्ष 2006-07 के दौरान दो भैंसे खरीदने के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। अच्छी गुणवत्ता वाली प्रजाति की भैंस लगभग 20-25 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तथा वह 18 रुपये प्रतिलीटर के विक्रय मूल्य की दर से प्रतिदिन औसत रूप से 400 रुपये अतिरिक्त आय के रूप में कमाती है। वर्तमान में वह अपने परिवार की सारी आवश्यकताओं को खुशी से पूरा करती है तथा अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है। वह अपने ऋण का भुगतान करने में नियमित है तथा एनएसटीएफडीसी की चिह्नित लाभार्थी के रूप में उन्हें गर्व है।



9.14.2 **श्री कोस्तो उमसोंग**, गांव मोओलियंगोत, मेघालय का निवासी एक बेराजगार युवक था। वह मत्स्य इकाई शुरू करना चाहता था परन्तु इसके लिए ऋण प्राप्त करना उसे दुसाध्य प्रतीत हो रहा था। उन्हें एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तथा उन्होंने यह भी नोट किया कि एनएसटीएफडीसी द्वारा चार्ज की जाने वाली ब्याज दर अन्य बैंकों की तुलना में कम है। उन्होंने एनएसटीएफडीसी से ऋण लेने का निर्णय किया तथा मेघालय राज्य की राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सी

मेघालय कोऑपरेटिव एपैक्स बैंक लि. (एमसीएबी) के पास गए। 0.20 हैक्टेयर क्षेत्र में एक मत्स्य इकाई शुरू करने के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा 72,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

इस मत्स्य इकाई से उनकी वार्षिक आय लगभग 60,000 रुपये प्रतिवर्ष हो गई जिससे उन्हें जीवन स्तर को सुधारने में सहायता मिली। वह अपने ऋण का भुगतान करने में नियमित हैं तथा एनएसटीएफडीसी की सहायता से खुश हैं।



अनुबंध : 9-क

‘लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान’ योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.2009 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	190.00	250.00	98.00
2.	असम	–	46.00	–
3.	छत्तीसगढ़	251.00	249.00	–
4.	गुजरात	130.00	130.00	146.00
5.	हिमाचल प्रदेश	–	33.00	5.00
6.	केरल	14.00	–	7.00
7.	मध्य प्रदेश	463.00	372.00	–
8.	महाराष्ट्र	325.00	270.00	–
9.	उड़ीसा	308.00	100.00	159.00
10.	त्रिपुरा	–	150.00	20.00
11.	पश्चिम बंगाल	167.00	–	86.00
	योग	1848.00	1600.00	521.00



अध्याय 10

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

जनजातीय विकास में स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

10.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अत्यधिक लोगों तक पहुंचें। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को सरकार की अपेक्षा ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने और निरंतरता बनाए रखने की बेहतर हालत में हैं। इसका श्रेय मुख्य रूप से स्वैच्छिक संगठनों की कर्मठता और समर्पित मानव संसाधनों को जाता है।

10.2 गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही पहचानी जाने लगी है। बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सहायनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

10.3 योजनाओं के पारदर्शी तथा राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों की अधिक सहभागिता के साथ कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों



के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन करके प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है। इस प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर “स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति” का गठन किया गया है। यह बहु-आयामी राज्य स्तरीय समिति गैर-सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों और चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर सेवा वंचित जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका

(क) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (i) सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसका प्रतिनिधि;
- (ii) सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;
- (iii) सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

- (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन;
- (v) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग: सदस्य सचिव या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान।
- (ख) राज्य समिति की बैठकों का आयोजन मुख्यतः अप्रैल माह से पहले प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार किया जाना चाहिए।
- (ग) राज्य समितियां निरीक्षण रिपोर्टें अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगी।
- (घ) प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी :
 - (i) सिफारिश की गई परियोजना सही ढंग से संचालित की जा रही है तथा सेवा वंचित क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर रही है;
 - (ii) सहायक आंकड़ों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया गया हो;
 - (iii) परियोजना जारी रहने या निधियों की आवश्यकता के लिए संभावित अवधि;
 - (iv) आमतौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पताल वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है;
 - (v) सेवा वंचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;
- (vi) लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होना चाहिए;
- (vii) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मानीटरिंग इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए;
- (viii) प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;
- (ix) ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा सेवा वंचित क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;
- (x) नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैचमार्क डाटा उपलब्ध होने चाहिए या उन्हें एकत्रित किया जाना चाहिए।
- (ड) राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दौरा करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगी।

10.4 स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण : मंत्रालय द्वारा यह प्रयास भी किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों का पता लगाए जो अपनी निःस्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों। उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने

से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें “स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)” की श्रेणी में रखा है। मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संगठन के रूप में घोषित संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा उनके सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेट्स आफ इंडिया सोसायटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

10.5 मंत्रालय के पास इस समय चार सतत स्वरूप की योजनाएं हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग भी शामिल है, के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के सहायता अनुदान

और अवसंरचना के सुधार के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।

2. जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक सुदृढीकरण (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की पूर्ववर्ती स्कीम)।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के रूप में ज्ञात) एनजीओ घटक

अनुसूचित जनजातियों हेतु कोचिंग तथा अवसंरचना में सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना

10.6 यह योजना 1953-54 में शुरू की गई थी और अभी भी लागू है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की एक सीमित योजना के अंतर्गत अवसंरचना में सुधार करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को कोचिंग तथा विशेष प्रोत्साहन की योजना के साथ मिला दिया गया था। यह योजना विशिष्ट रूप से महिला अथवा पुरुष के लिए नहीं है। यह अनुसूचित जनजाति पुरुषों तथा महिलाओं पर समान रूप से लागू होती है। वर्ष 2008-09 में वित्तीय मानदण्डों सहित इस स्कीम की समीक्षा की गई है। संशोधित स्कीम 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। संशोधित आवेदन-पत्र इत्यादि सहित संशोधित स्कीम के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.7 उद्देश्य : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से सेवार्थित जनजातीय क्षेत्रों में अंतराल को भरना और सरकार की कल्याण-योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के

सामाजार्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

10.8 प्रक्रिया एवं वित्त पोषण : यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथाविधि संतुष्ट आवेदन (संशोधित निर्धारित प्रपत्र में) पर संशोधित योजना में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पात्र गैर सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों को अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा आमतौर पर 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन को सहायता सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्डों तथा समय-समय पर संशोधित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम, 2005, के नियम 209 के तहत की जाती है। अनुदान संशोधित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

10.9 गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से करानी होती है और 'सा.वि.नि. 19(क)' के तहत निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

10.10 अनुदान प्रतिवर्ष सामान्यतया दो किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि गैर सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर जमा की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

10.11 गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने के अलावा वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार मानीटर किया जाता है।

10.12 योजना का कार्य-निष्पादन : इस योजना के लिए 11वीं योजना में 300.00 करोड़ रुपये का अस्थायी आबंटन किया गया है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान (31.12.2009 तक) इस योजना के तहत वार्षिक आबंटन तथा खर्च पिछले दो वर्षों में आबंटन एवं खर्च के साथ तालिका 10.1 में दिया गया है:

तालिका 10.1	वर्ष 2009-10 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान निधियों का आबंटन तथा निर्मुक्त		
	(करोड़ रुपए में)		
वर्ष	बजट आबंटन*		व्यय
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2007-08	37.00	37.00**	36.80
2008-09	40.00	43.50**	43.11
2009-10 (31.12.2010 तक)	53.25	49.75**	27.89

* इस राशि में अवसंरचना में सुधार और अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु गैर सरकारी संगठनों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है।

** पूर्वोत्तर के पूल की निधियां शामिल हैं।

10.13 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। इनमें से निम्नलिखित परियोजनाएँ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं :

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर-आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाला अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

लोकप्रिय परियोजनाएं

आवासीय विद्यालय

10.14 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने गांवों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं होते हैं। आवासीय स्कूलों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना से पूरे किए जाते हैं। अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है। आवासीय स्कूल परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट/बाथरूम सुविधाएं हों। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

10.15 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान 16 राज्यों में 49 आवासीय विद्यालय चलाए गए हैं जिनसे

8252 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा इन्हें निधियां प्रदान की गई हैं।



मंत्रालय द्वारा समर्थित एवं ह्यूमन डेवपलमेंट फाउंडेशन ऑफ सिक्किम, जीआरबीए रोड, चोंगे टार पीओ राजभवन, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737103, द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय (जिसमें बच्चे फ्रिसबी खेल रहे हैं)।

गैर-आवासीय विद्यालय

10.16 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सीय सहायता और अन्य आकस्मिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। गैर-आवासीय विद्यालय परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इनका संचालन अपने स्वयं के भवनों या किराए के भवनों में भी कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

10.17 वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान 7 राज्यों में संचालित 72 गैर-आवासीय विद्यालयों को निधियां प्रदान की गईं जिनसे 9149 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

छात्रावास

10.18 इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हो लेकिन वे शहरों में रहने-सहन की उच्च

लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं। ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं।



मंत्रालय द्वारा समर्थित एक जनजातीय छात्रावास (न्यू लाइफ एजेन्सी फॉर ट्राइबल प्यूपिल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू), 649 टीएनएचबी, फेज-2 साथुवाचारी, वैलोर-632009 के छात्र)

10.19 वर्ष 2009-10 के दौरान (31.12.2009 तक) 13 राज्यों में 37 छात्रावास चलाने के लिए निधियाँ प्रदान की गईं जिनसे 3999 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।



(न्यू लाइफ एजेन्सी फॉर ट्राइबल प्यूपिल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू), 649 टीएनएचबी, फेज-2 साथुवाचारी, वैलोर-632009) द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु छात्रावास में वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

सचल औषधालय

10.20 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है। वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के साथ-साथ डॉक्टरों

एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर किया जाता है।

10.21 वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान 15 राज्यों में 45 सचल औषधालय चलाने के लिए निधियां प्रदान की गईं जिनसे 3.16 लाख अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।



सेवा भारती, 6-2-44/7, जामी बंदा रोड खमाम- 507001 द्वारा संचालित अनुसूचित जनजातियों हेतु सचल औषधालय



सेवा भारती खमाम द्वारा संचालित अनुसूचित जनजातियों हेतु सचल चिकित्सालय



नरोत्तम नगर, देवमाली, तिरुप, अरुणाचल प्रदेश में आर के मिशन द्वारा अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों हेतु संचालित सचल औषधालय

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

10.22 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी है, दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर सेट तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की अधिप्राप्ति, भवन किराया शुल्क इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

10.23 वर्ष 2009-09 (31.12.2009 तक) के दौरान 6 राज्यों में दस बिस्तरों वाले 9 अस्पताल चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं जिनसे 1.33 लाख अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।



रामकृष्ण मिशन, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश द्वारा संचालित 60 बिस्तरों वाले चिकित्सालय का अंतरंग रोगी विभाग।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

10.24 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में 30 छात्रों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर

प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।



अरुणाचल प्रदेश के नरौतम नगर में रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित कम्प्यूटर सेंटर

10.25 2009-10 के दौरान 31.12.2009 तक 5 राज्यों में 8 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को निधियां प्रदान की गई हैं जिससे 3270 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

10.26 वर्ष 2009-10 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों की सूची अनुबंध : 10-क में दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग

10.27 अनुसूचित जनजातियों की कोचिंग (पूर्ववर्ती कोचिंग और संबद्ध) योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रचालनरत है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया है। संशोधित आवेदन-पत्र इत्यादि सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.28 उद्देश्य : वंचित परिवारों और उपेक्षित परिवेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ पृष्ठभूमि से आए लोगों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन होता है। समान अवसर प्रदान करने तथा

अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जनजनातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता कोचिंग संस्थानों में वंचित अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को कोचिंग प्रदान करने की एक योजना को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें और सिविल सर्विस तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पा सकें।

10.29 कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय तथा ख्यातिप्राप्त निजी कोचिंग संस्थानों जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं, के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं की अपेक्षा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों की ओर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निधियां प्रति यूनिट आधार पर प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय से संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100% की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को 80% सहायता दी जाती है।

10.30 वित्त पोषण में कोचिंग शुल्क, (संकाय के प्रभार सहित) विज्ञापन प्रभार, प्रत्याशियों को वजीफा, बाहर से आने वाले छात्रों को रहने और भोजन की सहायता भी शामिल है।

10.31 मुख्य विशेषताएं

- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कोचिंग संस्थानों से विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निजी संस्थानों के संदर्भ में सफलता दर के अनुसार ट्रेक रिकॉर्ड और वास्तविकता की पुष्टि की जाती है।
- प्रस्तावों की जांच समिति द्वारा की जाती है और संस्थाओं को समिति के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।
- कोचिंग संस्थानों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा एक बार चुने जाने पर कोचिंग संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान विज्ञापन के उत्तर में तब तक पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।
- कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रस्ताव जमा कराने की आवश्यकता होती है।
- गैर-अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित कुल छात्रों की संख्या योग्यता के आधार पर प्रवेश के अनुसार 40 छात्र प्रति कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या में प्रथिमानतः 30 प्रतिशत महिला अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी और 5 प्रतिशत विकलांग अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी होने चाहिए।
- एक कोचिंग संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध स्थानों से अधिक होने पर अर्हक परीक्षाओं में योग्यता एवं निष्पादन पर आधारित चयन प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।
- कोचिंग कक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह के अंदर संस्थानों को अपने प्रत्याशियों के फोटो सहित पाठ्यक्रम वार नाम और उनके अन्य विवरण तथा पूरे पते निर्धारित प्रपत्र में देने होते हैं।
- किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र योग्यता वाला कोई प्रत्याशी इस मंत्रालय की वित्तीय सहायता पाने वाले कोचिंग संस्थान के लिए आवेदन कर सकता है। ये संस्थान प्रत्याशियों को स्थान भरने तक (पहले आओ पहले पाओ) आधार पर प्रवेश दे सकते हैं।
- प्रत्याशी किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत केवल एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। प्रत्याशियों को संस्थान को यह वचन देना होगा कि उन्होंने इससे पूर्व इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त किसी कोचिंग संस्थान का लाभ नहीं उठाया है/उठा रहे हैं।

- प्रत्याशी की आय सीमा (अपनी स्वयं की आय और/अथवा माता-पिता की आय, यदि उन पर निर्भर है) इस योजना के तहत 2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- संशोधित योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की बड़ी संख्या को शामिल किया गया है और शुल्क संरचना को बाजार के वर्तमान रुझानों के अनुसार संशोधित किया गया है।
- कोचिंग संस्थानों को एक वित्तीय वर्ष में उनके सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विज्ञापन करने के लिए 20 हजार रु. दिए जाते हैं।
- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को एक वित्तीय वर्ष में स्थानीय/लोक समाचार पत्र में इस योजना के विज्ञापन के लिए 25 हजार रुपये भी प्रदान किए जाते हैं।
- छात्रों को पूरी कोचिंग अवधि में प्रतिमाह 1 हजार रुपये की निश्चित राशि का वजीफा दिया जाता है।
- बाहरी छात्रों को रहने और भोजन के लिए प्रति छात्र 2 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करनी होती है और प्रमाणित करना होता है कि छात्र बाहर से आया है।
- एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता की सीमा समय-समय पर संशोधित और योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानकों तक सीमित होती है।
- राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वर्ष में कम से कम एक बार कोचिंग संस्थान चलाने की निगरानी करनी होती है और निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय में एक रिपोर्ट जमा करनी होती है।
- कोचिंग संस्थानों को प्रिंट मीडिया/होर्डिंग के माध्यम से योजना का प्रचार इस प्रकार करने की आवश्यकता होती है कि दूर दराज के अनुसूचित जनजाति के छात्र इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
- कोचिंग संस्थानों को परिणाम घोषित होने तक वित्तीय वर्ष के आरंभ में तथा वित्तीय वर्ष के अंत में

अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की रोल नं. के साथ प्रत्येक परीक्षा विवरण सहित पाठ्यक्रम वार सूची जमा करानी होती है।

- कोचिंग संस्थानों को निरंतर वित्तीय सहायता देना 3 वर्ष के अंत में कोचिंग संस्थान के निष्पादन की मध्यावधि समीक्षा के अधीन और इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के परिणामों के आकलन पर आधारित होता है।
- कोचिंग संस्थानों को निधियन जारी रखना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग संस्थानों द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की सफलता और उनके निष्पादन पर पूरी तरह आश्रित होता है।
- कोचिंग संस्थानों को निरंतर सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सफलता दर पाने की आवश्यकता होती है।

10.32 आबंटन : वर्ष 2009-10 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग हेतु आबंटन 3.20 करोड़ रुपये था। इनमें से 2.80 करोड़ रुपये वर्ष 2009-10 में 8 राज्यों में चयनित 16 व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों को जारी किए गए जिससे 806 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा तथा दो राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश एवं गुजरात) को भी अपनी संस्थाओं के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में निधियां प्रदान की गईं। वर्ष 2008-09 में चयनित नई व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं को निधियां चुनाव आचार संहिता के कारण जारी नहीं की जा सकीं। हालांकि, उनके अनुदानों को 2009-10 के दौरान निर्मुक्त किया गया।

10.33 वर्ष 2009-10 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं की सूची **अनुबंध: 10-ख** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास

हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की पूर्ववर्ती योजना) :

10.34 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट योजना की शुरुआत 1993-94 में की गई थी। इस योजना में वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। संशोधित आवेदन-पत्र सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.35 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अभिज्ञात जिलों या ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करके, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पीटीजी (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात) द्वारा निवास क्षेत्रों में, तथा शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बनाकर प्रारंभिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करके सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पूरा करना है। इस योजना में वैसे क्षेत्रों जहां 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु विद्यालय शिक्षा सुलभ कराए जाने हेतु बल दिया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

10.36 कवरेज :

- (क) योजना का क्रियान्वयन, जैसा कि संशोधित योजना में बताया गया है, देश के उन 54 विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत या इससे थोड़ी कम-ज्यादा है।
- (ख) उपरोक्त 54 विशिष्ट जिलों के अतिरिक्त भी अन्य किसी जिले में ऐसे जनजातीय ब्लॉक को योजना में शामिल किया गया है, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित

जनजाति महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत या इससे थोड़ी कम-ज्यादा है।

- (ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऐसे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) निवास करते हैं।
- (घ) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

10.37 क्रियान्वयन एजेंसी

- (क) इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी समिति/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।
- (ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित बहु-विषयक “स्वैच्छिक प्रयासों को सहायता हेतु राज्य समिति” इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की छानबीन तथा पहचान करने के लिए जिम्मेवार है।

10.38 प्रक्रिया एवं निधियन पैटर्न :

- (क) यह जेंडर विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इसके लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने वाले (निर्धारित संशोधित प्रपत्र में) पात्र गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। संशोधित योजना में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की सीमा का निर्धारण संशोधित योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निर्मुक्ति संशोधित योजना के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में अलग से खाता (अकाउंट) खोलने की आवश्यकता होती है, जो सरकार के सभी उचित अधिकारियों एवं एजेंसियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष में एक बार अपने सहायता अनुदान खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित करवाना होता है तथा जीएफआर 19(क) के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होता है।

(ग) अनुदान आमतौर पर प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में जारी किए जाते हैं, परंतु यह अधिकृत अधिकारियों या जिला कलेक्टर द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित गैर-सरकारी संगठन के संतुष्टिपूर्ण कार्य-निष्पादन तथा राज्य समिति की सिफारिशों के विषयाधीन होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह दिनांक सहित जिला कलेक्टर द्वारा यथा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की मानीटरिंग मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, चिह्नित पेशेवर संगठनों के माध्यम से भी स्वतंत्र निगरानी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव है।

10.39 मुख्य विशेषताएं : जनजातीय लड़कियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप करने तथा सामान्य महिला साक्षरता स्तर तथा जनजातीय महिला साक्षरता स्तर एवं जनजातीय महिला तथा जनजातीय पुरुष साक्षरता स्तर में अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप/कार्रवाईयां की गई हैं :

(क) जनजातीय लड़कियों द्वारा नियमित तौर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास सुविधाएं तथा प्राथमिक स्कूलों में नियमित दाखिले के लिए पंचायत स्तर पर छात्रावास सुविधाएं।

(ख) केवल छात्रावास सुविधाओं, न कि स्कूल की स्थापना यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध ढंग से की जा सकती है, 100 प्राथमिक स्कूल की लड़कियों

के लिए तथा 150 मिडिल एवं उच्च स्कूल की लड़कियों के लिए क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। आवश्यक परिस्थितियों में, इनमें शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक स्कूलों से पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा समतल भू-भाग में 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए।

(ग) अपवाद-स्वरूप मामलों में जहां सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं है, वहां पर छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ङ) संशोधन पूर्व योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के बाद 54 नए चिह्नित कम साक्षरता वाले जिलों/या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो प्राचीन जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखा गया है।

(च) आवास सुविधा को किराए पर लिए गए परिसरों या क्रियान्वयन एजेंसी के स्वयं के भवन में जारी रखा जा सकता है। भवनों के निर्माण के लिए निधियां जारी नहीं की जातीं। स्वयं के भवनों के मामलों में, लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन के अनुसार सांकेतिक वार्षिक किराए के 30 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है।

(छ) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100 रुपये प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर तक की छात्राओं के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(ज) दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक (कक्षा V तक) 100 रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक

स्तरों (कक्षा VI से XII) तक 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(झ) अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को कक्षा VIII, X एवं XII उत्तीर्ण कर लेने पर मंत्रालय के निर्णय के अनुसार साइकिल, घड़ियां इत्यादि देकर अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

(ञ) कक्षा III तक के बच्चों के उपयोग हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समन्वय करके 5 मुख्य चुनी हुई जनजातीय भाषाओं में प्राइमर तैयार किए जाएंगे।

(ट) प्रत्येक निधि प्राप्त संगठन को वहां के संबंधित निवासियों के प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक 'मातृ' समिति का गठन करना चाहिए तथा स्कीम के संचालन के निरीक्षण एवं इसमें सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए महीने में एक बार इसकी एक बैठक होनी चाहिए। निधि प्राप्त संस्था द्वारा प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एक रजिस्टर लगाना चाहिए।

(ठ) 54 कम साक्षरता वाले पहचान किए गए जिलों में प्रत्येक में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की जाएगी जो एक ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन या गैर-सरकारी संगठनों का संघ होगा तथा यह निम्नलिखित कार्य करेगी :

(i) पहचान किए गए जिलों, ब्लॉकों या पॉकेटों (आदिम जनजातीय समूहों हेतु) में सभी स्कूलों के कक्षा-वार वर्तमान नामांकन स्तर की तुलना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के शत प्रतिशत नामांकन को प्रोत्साहित करना।

(ii) प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में कमी करना।

(iii) छात्रावासों/परिसरों के संचालन की मानीटरिंग करना।

(iv) मंत्रालय द्वारा निर्धारित पुरस्कारों, वेतनमानों इत्यादि, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करना।

(v) निवारक स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा स्वास्थ्य संस्थानों से इन छात्रावासों/परिसरों का उपचारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए लड़कियों तथा एएनएम में नियमित संवाद का प्रबंध करना।

(vi) लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में माता-पिता के बीच जागरूकता बढ़ाना।

(vii) संभावित भर्ती करने वालों के साथ संबंध स्थापित करना ताकि उत्तीर्ण होने के तुरंत बाद विद्यार्थी या तो नौकरी प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार शुरू कर सकें।

(ड) परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मंत्रालय किसी अनुभवी संगठन द्वारा जिला शिक्षा सहायता एजेंसी/गैर-सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता कर सकता है।

(ढ) मंत्रालय अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता को प्रोत्साहन देने हेतु इन कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जिला शिक्षा सहायता एजेंसी सहित किसी भी संगठन की नवाचारी मध्यस्थता हेतु सहायता कर सकता है।

10.40 आबंटन : 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु, 298.78 करोड़ रुपए का अस्थायी आबंटन किया गया है। इसमें से, वित्त वर्ष 2009-10 के लिए आबंटन तथा किए गए खर्च को पिछले दो वर्षों के आबंटनों तथा खर्चों के साथ तालिका 10.2 में दर्शाया गया है :-

तालिका 10.2			
(करोड़ रुपये में)			
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2007-08	19.75	19.75	19.75
2008-09	60.00	40.00	40.00
2009-10 (31.12.2009 तक)	50.00	33.50	3.35



सरेठी, जिला सिद्धि (मध्य प्रदेश) में, अनु. जनजातियों की लड़कियों के लिए “सव्यसाची” द्वारा चलाया जा रहा शैक्षिक परिसर- “सेंटर फॉर अर्बन एण्ड रूरल डवलपमेंट”

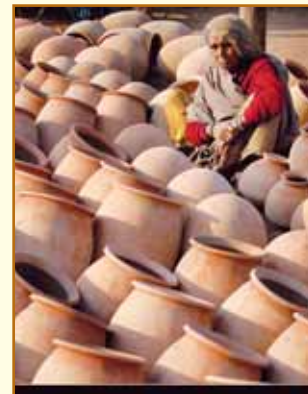
10.41 उपलब्धियां : वर्ष 2009-10 के दौरान, 31.12.2009 तक 14 शैक्षिक परिसरों के लिए 3.35 करोड़ रुपये जारी किए गए जिसमें 3 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की 1983 लाभार्थी लड़कियों को शामिल किया गया।

10.44 वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान इस योजना के तहत सहायता-अनुदान प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची **अनुबंध: 10-घ** में दी गई है।

10.42 इस योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुबंध: 10-ग** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (वीटीसी)

10.43 इस योजना के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 8 में चर्चा की गई है। वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान योजना में संशोधन किया गया है। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगी।



स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.2009 तक)
	आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, (एपीटीडब्ल्यूएआरआईआईएस), तेलुगू संश्लेष भवन दूसरी मंजिल, मसाब टैंक, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	18-आवासीय विद्यालय	0	26840363	0
2	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, गड्डामनुगु, जिला : कृष्णा, आंध्र.	आवासीय विद्यालय	1455030	1320000	0
3	ग्राम अभ्युदय एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, ग्रामीण विकास, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आंध्र.	आवासीय विद्यालय	3073835	0	880000
4	ग्रामीण संक्षेप संगम कालाकाडा, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	601830	0	0
5	इंटरकल्चर कॉर्पोरेशन फाउंडेशन (आईसीएफ) इंडिया, अम्बोथ थांडा, आर.आर. जिला, आंध्र.	गैर-आवासीय विद्यालय	99000	628485	11820
6	एकीकृत विकास एजेंसी, रैथूपेट, नन्दीगामा, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	10 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	0	390870	685491
7	जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगमहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1009080	1311200	0
8	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	783827	0	0
9	आर.के.मिशन आश्रम आर.के.बीच, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	409653	0	0
10	रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्टिविटी, ग्राम एवं पोस्ट - मंथेनावानीपलेम, जिला - गण्टूर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	519660	0	0
11	सेवा भारती, बुरगामफड, जिला-खम्माम, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	702578	710294	0
12	सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति, सोमशेखरपुरम जिला-नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	962910	602910	0
13	सोसायटी फॉर असिस्टेंस एण्ड वोकेशनल एजुकेशन मछलीपटनम, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	416294	0	0
14	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.न. 15-155, मिलावरम (वी एंड एम), गड्डामनुगु, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	603630	0	613000
15	सुनिथा महिला मंडली, येलेश्वरन, जिला-ईस्ट गोडवारी आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1077620	0	0
16	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163-ए, प्रकाश रोड, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	788006	1114299

17	नारायण शैक्षिक तथा ग्रामीण विकास सोसायटी (श्री मंडलापु नारायण शैक्षिक सोसायटी), परगी, रंगरेड्डी जिला, आ.प्र.	आवासीय विद्यालय	0	2277302	0
	कुल		11714947	34869430	3304610
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह					
18	रामकृष्ण मिशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	129862	0	437670
	कुल		129862	0	437670
अरुणाचल प्रदेश					
19	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	2459610	3643050	3804210
20	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, बामडिला, जिला - वेस्ट कमांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1644210	0	2233987
21	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट - तवंग, जिला - तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1127142	0	3375630
22	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय	5864378	9325597	9337478
23	आर.के.मिशन, पोस्ट-विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, छात्रावास और ए.वी. यूनिट	9182520	15189380	13561990
24	आर.के.मिशन हॉस्पिटल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	60. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	4687684	7403707	7242948
25	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोनसा, जिला - तिराप, पिन कोड-786630 अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2782494	0	9396510
26	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) परियोजना रुपा, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	688595	0	0
27	विवेकानंद केन्द्र अरुणज्योति, ईटानगर, ईटानगर, जिला पपुम्पारे, अरुणाचल प्रदेश	श्रमिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सचल पुस्तकालय	1477820	0	220285
28	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस)	2408670	3438990	0
	कुल		32323123	39000724	49173038
असम					
29	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, पो.ऑ. उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	390870	0	0
30	भारत सेवाश्रम संघ (गुवाहाटी), लाखरा रोड, काहिलीपुरा, गुवाहाटी, असम	सचल औषधालय	1076445	679865	0
31	डा. अम्बेडकर मिशन धोपातारी, जिला - कामरूप, असम	10 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	1820880	2313450	0
32	ग्राम विकास परिषद ग्राम - रंगालो, जिला - नौगांव, असम	सचल औषधालय	390870	0	685350
33	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टॉप फ्लोर, बार लिब्राग, जिला-नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	208260	0

34	आर.के.मिशन आश्रम, उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय पुस्तकालय	802045	1328274	1287234
35	आर.के.मिशन सेवाश्रम, आर.के. मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	389430	1078253	299473
36	सदाऊ असोम ग्राम्य पुथीभारल सांथा, तेलीपट्टी, चम्साई रोड, जिला - नौगांव, असम	पुस्तकालय और गैर-आवासीय विद्यालय	695430	1095300	0
37	श्रीमंत शंकर मिशन, पी.ओ./जिला-नौगांव, असम	सचल औषधालय	390870	706950	0
38	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय) (परियोजना बोकाजन, जपारजन और दीफूपर में)	4 छात्रावास	2571399	0	2998731
कुल			8528239	7410352	5270788
छत्तीसगढ़					
39	कछना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव+पो-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	600998	0	0
40	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट - बुधवानी, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़	आवासीय विद्यालय	1267020	1647270	1627493
41	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ़	6 छात्रावास, 1 जनजातीय युवा प्रशिक्षण केन्द्र और ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग, दिव्यन कृषि प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध विषयों और सचल औषधालय	2087969	4018188	7958029
42	सेवा भारती (मध्य भारत), मातृच्छाया, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के सामने, हौशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462001 (मुख्यालय)- परियोजना जसपुर, नगर एवं कुर्की	सीटीसी की तीन यूनिटें, छात्रावास और आवासीय विद्यालय की दो यूनिटें	1569086	0	0
कुल			5525073	5665458	9585522
गुजरात					
43	भारत सेवाश्रम संघ, डेडियापाड़ा, जिला-नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	401670	0	706950
44	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर नावासारी, गुजरात (नवासारी)	गैर-आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (4 ईकाई) सचल ए.वी. यूनिट	2724822	4634749	0
45	भारत यात्रा केंद्र, डेडियापाड़ा, जिला नर्मदा, गुजरात पिन-393040	छात्रावास	386730	773460	1192545
46	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, जिला- नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	1507401	0	1143090
47	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम - धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला - झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	1246860	1769310	0
48	संत श्री आसारामजी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात	सचल औषधालय	401670	0	0
49	श्री धाधेला केलवानी मंडल, ग्राम एवं पोस्ट - धाधेला, जिला - दाहोद, गुजरात	छात्रावास	0	0	904050
50	श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला - वलसाड, गुजरात	छात्रावास और सचल औषधालय	2276229	1135300	1626247

51	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, मल्हापंधा, जिला वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	1039320	1028142	0
	कुल		9984702	9340961	5572882
हिमाचल प्रदेश					
52	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट - के.गाम्पा, जिला - लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	512482	0	1202266
53	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मनाली, जिला - कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2272050	2035080	0
54	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला - लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2438280	0	6349050
55	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - सिद्धपुर, भाया-डारी, नौरबीलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	1552446	0	1197990
56	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, तहसील-धर्मशाला योल कैन्ट, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3871920	3795900	4458900
	कुल		10647178	5830980	13208206
जम्मू व कश्मीर					
57	गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गुर्जर कॉलोनी, जम्मू व कश्मीर	सचल औषधालय	2513715	0	2341180
58	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी, ग्राम - गुलाबगढ़, पोस्ट - अठौली, जिला - डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	3352051	0
59	लॅमडन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	1108364	1112934	1720068
60	महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	1066705	0	441366
61	एआईसीयूआरडी, गोल मार्केट, नई दिल्ली (मुख्यालय) (परियोजना पुलवामा, जम्मू कश्मीर में)	सीटीसी (3), टंकण तथा आशुलिपि केन्द्र (3)	0	2010315	0
	कुल		4688784	6475300	4502614
झारखंड					
62	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), ग्राम एवं पोस्ट+जिला - पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2577150	1995900	0
63	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (वेस्ट) रिवरस मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड, पिन- 831011	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, केन और बम्बू, ए.वी. यूनिट कताई तथा बुनाई (2) 20 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 इकाई), आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	12919185	13033039	0
64	भारत सेवाश्रम संघ, पाथरा, पीओ-रानीश्वर, जिला-दुमका, झारखंड	आवासीय विद्यालय (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, बुनाई तथा कताई प्रशिक्षण केन्द्र	4758371	0	10803240
65	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	1470110	1609420
66	आर.के.मिशन मठ ग्राम पोस्ट एवं जिला - जामतारा, झारखंड पिन-815351	सचल औषधालय	327364	0	727939

67	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी, विष्टपुर, जमशेदपुर, झारखंड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टाइपिंग एवं आशुलिपि केन्द्र, सचल पुस्तकालय-व-ए वी युनिट	980115	2317354	0
68	आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यन यूनिट, सचल औषधालय, पुस्तकालय, ए.वी. यूनिट	4454814	5134192	0
69	आर.के.मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	70 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	4914285	10625825	5705842
70	व्यक्ति विकास केंद्र, इंडिया अनुराग कुटीर, कंजीडी रोड, कुती, रांची, झारखंड	सचल औषधालय	0	193726	0
कुल			30931284	34770146	18846441
कर्नाटक					
71	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच.बी. कालोनी जिला- गुडीबाण्डे, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1027710	1616400	0
72	भारती एजुकेशनल ट्रस्ट ग्राम - पाथापल्ली, तालुका - बागेपल्ली, जिला - कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1028720	1605187	0
73	डा. अम्बेडकर एजुकेशन सोसायटी, (आर) नालकुदुर गोमाला, नालकुदुर, पिन-577544, तालुका - चन्नागिरि, जिला - देवानगिरि, जिला कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1039200	1609404	0
74	डॉ. जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी.समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय	1768433	537439	0
75	हरिहर ग्रामीण विरूद्धी संघ ग्राम - चिक्काबलपुर जिला - कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	390870	685350	0
76	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मकान न. 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि-572132, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर-आवासीय विद्यालय	3340908	2275020	0
77	नायक स्टूडेंट फेडरेशन, गोकाक, बेलगांव, कर्नाटक	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	0	1016604	0
78	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट-गेराहल्ली, तालुका-चिक्काबलपुर, जिला-कोलार, कर्नाटक	छात्रावास	756360	1219590	0
79	संत कबीरदास एजुकेशन सोसायटी, सेदाम रोड, जगत, जिला- गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1604470	0
80	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2039669	0	0
81	श्री संत कबीर दास एजुकेशन सोसायटी चिंचोली शिविर, गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1001320	0	0
82	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, रंगपुरा, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	1632339	2575364	0
83	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी-तालुक, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1036261	1609470	0
84	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला - मैसूर, कर्नाटक	2 आवासीय विद्यालय 10 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 यूनिट), और सचल औषधालय	4912132	8568623	3897648
85	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और आवासीय विद्यालय	3965829	4535021	0
कुल			23939751	29457942	3897648

केरल					
86	मां अमृतामयी मठ अमृत भवनम, पारीपल्ली, जिला - कोलाम - 691574 (केरल)	छात्रावास और 10-बिस्तरों वाला अस्पताल	2350116	0	0
87	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, पोस्ट - कलाडी, जिला - एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	907750	0	0
88	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन, श्री रामकृष्ण आश्रम कयामकुलम, 690502, जिला अल्पाज्ञ पूजा, केरल	छात्रावास	713385	0	466515
89	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर मूतिल, जिला-वयानाड, केरल	सचल औषधालय और 20 बिस्तरों वाला अस्पताल	1583730	0	4324516
90	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, एट-पेरिया - 34 पोस्ट - पेरिया, जिला - वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	1982475	0	3005078
91	विनोबा निकेतन पोस्ट - विनोबा निकेतन, जिला - त्रिवेन्द्रम, केरल	छात्रावास और सचल औषधालय	393728	2305217	2048138
92	हरिजन सेवक संघ सबरी आश्रम, अकाथीथिरा, पालाक्केड, तिरुवनंतपुरम, केरल	टाइपिंग और शोर्टहैंड प्रशिक्षण केन्द्र, 6 क्रेच तथा छात्रावास	0	326276	0
कुल			7931184	2631493	9844247
मध्य प्रदेश					
93	आशादीप कल्याण समिति, 86, विनोबा वार्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय, कताई और बुनाई तथा हैंडलूम प्रशिक्षण केंद्र	738157	0	0
94	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	576747	968490	0
95	बंधवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1183948	1773959	0
96	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली -110055 (मुख्यालय) धार, मध्य प्रदेश में परियोजना	सचल औषधालय, आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2452725	0	2303876
97	हितेश्री सामाजिक सांथा, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	618612	608400	0
98	जन कल्याण आश्रम समिति, गांव सिद्धपुर, (डौभ), पोस्ट सिमरी हरिचंद, तहसील बाबेई जिला-हौशंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	865123	1413168
99	जीवन ज्योति शिक्षा प्रसार समिति सिंगापुर, (सेल्या) मण्डला, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	557465	867749
100	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166 ई. उज्जैन, म. प्र.	आवासीय विद्यालय	1201496	1642778	0
101	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, ग्राम-तालुका-तिकाहिया, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	724860	1159851	0
102	पुष्पा कांवेन्ट शिक्षा समिति, सी-537-538 पुष्प नगर कॉलोनी, भोपाल-462010 (मध्य प्रदेश)	गैर-आवासीय विद्यालय	1172430	1557868	0
103	रामा एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वरयालखेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1762907	957690	0
104	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के पास, हौशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, म.प्र.	2 आवासीय विद्यालय, 3 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और 2 छात्रावास	978032	1549376	0

105	स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन शिक्षक समिति, युवराज क्लब, कैट रोड, गुना, म.प्र.	गैर-आवासीय विद्यालय	609090	0	620352
106	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (सैकेंडरी)	0	977418	0
कुल			12019004	12618418	5205145
महाराष्ट्र					
107	ए.बी.एम.समाज प्रबोधन संस्थान थाणे जिला, महाराष्ट्र	बालवाडी/क्रेच सेंटर (50 यूनिट)	4349042	0	0
108	देवोनिल शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदरपुर, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	508221	0	0
109	धर्मास्वामी महर्षि श्री संत गुलाबराव महाराज बोरकारी एण्ड विकास शिक्षण संस्था, ग्राम एवं पोस्ट - कारला, जिला - अमरावती, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	1005705	0	0
110	जयहिंद मित्र मंडल कोल्हा, जिला - फूलबनी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	1371519	0	1148490
111	खांडेराव एजुकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय और आवासीय विद्यालय	0	3169050	0
112	नवयुवती महिला मंडल, शिरूर, जिला-लाटूर, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	571019	0	0
113	राजमाता जिजाऊ महिला मंडल, पारसोले, माध्यमिक विद्यालय, मेन रोड, तालोडा, तहसील तालोडा जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय	545198	0	0
114	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, दोइथान, ताल-अशति जिला-बीड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	956592	0	0
115	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	730769	0	1538978
116	सार्थक शिक्षण प्रसारक समाज, मालेगांव केम्प, तालुक मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1131184	556574	0
117	शिव कृपा ग्रामीण ट्राइबल बहुउद्देशीय संस्थान, वार्ड न. 11, चमरोसी रोड, गढ़चिरोली, महाराष्ट्र	सचल औषधालय	388170	0	706950
118	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	2439754	0
119	श्री कन्हैयालाल महाराज ट्रस्ट, सामोडे, तालुक-सकरी जिला-धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	0	2564685	0
120	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुक तालोडा, नंदुरबार, (महाराष्ट्र)	छात्रावास	0	2088661	0
121	श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	2606526	0
122	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंदगांव, तालुक नंदगांव जिला नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1027458	1777770	0
123	उज्ज्वल रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम+पोस्ट नेवादे, तालुक सिन्धखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	753330	0	1202040
124	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नजदीक राधिका होटल, विष्णुवादी, बुल्दाना, जिला बुल्दाना, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1690829	0	1534415

125	काई थानगुबी शंकर दिओरे देवाभावी संस्था, सोदाने, नवनाथ नगर, तालुक-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	579313	0	859928
126	साइ प्रसाद आदिवासी सेवा मंडल, पो. ओ. वाशिंद (वेस्ट), जिला थाणे, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1431270	0	0
127	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पल्लर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	983745	1609470	0
128	स्व. यशवंत बाली राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, ताल.एरंडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	0	0
कुल			18180864	16812490	6990801
मणिपुर					
129	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी कांगला टांबी, मणिपुर	छात्रावास	339930	1948950	0
130	डा. अम्बेडकर स्कूल प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी न्यू लाम्का, चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1676709	0	0
131	इन्टीग्रेटेड एजुकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन इम्फाल पूर्वी, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	665289	1146690	0
132	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट - थाऊबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय की (2 यूनिट)	2332356	3551262	0
133	रूरल एजुकेशनल एण्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, थांगा टाँगब्राम, लीकाई, बी पी ओ थांगा, जिला -विष्णुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	1753574	469125	0
134	सियामसिनपाल्पी, चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	4544658	0	0
135	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	2610450	0
136	सोसायटी फॉर वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर) अथोकपाम खुनोऊ, पो. थोउबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	574155	383670	0
137	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस) मुख्यालय हीरोक, हीतूपोक्मी जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1039320	1545120	0
138	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वी ओ आर एच ए) लैमडिंग, बांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय, टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	1648152	0	222480
कुल			14574143	11655267	222480
मेघालय					
139	आर.के.मिशन, लाइथुमखूट. पो. बॉक्स-9, शिलांग, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय (2 यूनिट)	1022800	1658730	773851
140	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापून्जी, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 एलपी तथा एमई/माध्यमिक विद्यालय, छात्रावास और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30992553	53004425	23517267
141	सेवा भारती, शिलांग, मेघालय	सचल औषधालय (2 यूनिट) और आवासीय विद्यालय	1594567	0	0
कुल			33609920	54663155	24291118
मिजोरम					
142	मिजोरम हिमेथार्ई एशोसिएशन, अपर रिपब्लिक रोड, आइजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	4085899	0

143	सोशल गाइडेंस एजेंसी, तुईक्वल, आइजोल, मिजोरम	सचल औषधालय	717300	0	434070
144	“थुंठक नूंटक नूनपुइतू टीम, जुंगटुई, आइजोल-796017, मिजोरम”	आवासीय विद्यालय	764400	0	0
कुल			1481700	4085899	434070
नागालैंड					
145	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, दीमापुर, (मुख्यालय)	छात्रावास, नाहरबाई, जिला दिमापुर, नागालैंड में छात्रावास	0	0	730192
146	अबायोजेनेसिस सोसायटी ममियास ब्लिस, 6, अंगामी खेल, नुटोन बोस्ता, दीमापुर, नागालैंड	सचल पुस्तकालय-सह-ए.वी. यूनिट	571894	0	0
147	ग्रेस सोसायटी, मोकोकचुंग, नागालैंड	छात्रावास	0	383039	0
148	हिल व्यू वेलफेयर सोसायटी, दीफुपर, दीमापुर, नागालैंड	आवासीय विद्यालय	1007820	0	0
149	के. होल्लोहोन वेलफेयर सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड	गैर-आवासीय विद्यालय	522630	0	0
150	नागालैंड चिल्ड्रन होम, दीमापुर, नागालैंड	छात्रावास	562516	0	0
कुल			2664860	383039	730192
दिल्ली					
151	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास	649731	885182	893745
152	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली - 110055	छात्रावास और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	2313978	0
कुल			649731	3199160	893745
उड़ीसा					
153	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - कुचिण्डा, जिला - सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	3102470	0	1520449
154	अम्बेडकर एजूकेशनल काम्पलेक्स नीलाद्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास	732600	0	1185030
155	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम - अस्वखोला, पोस्ट - कारामुल, जिला - टेकनाँल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1039320	1620270	0
156	एशोसिएशन फॉर वोल्यूंटरी एक्शन, दीमापुर, जिला - पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1152252	1825470	0
157	बनवासी सेवा समिति, बालीगुडा, जिला - खंडमाल, पिन-762103 उड़ीसा	छात्रावास	726120	0	1177984
158	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी जिला-कटक, उड़ीसा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 यूनिट)	1102860	1219590	0
159	भैरवी क्लब, कुमरपाडा, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2017755	0	3240540
160	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादीबसाता बंस्ता, जिला - कण्डूपाड़ा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2958944	1607700	0
161	ग्लोबल विलेज फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट, उदूलीबेडा, जिला - मलकानगिरि, उड़ीसा	सचल औषधालय	718626	337583	706950
162	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सौशल साईंस, (केआईएसएस) कोयल कैम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (प्राइमरी और सैकेण्डरी)	12874500	11509740	0
163	नेहरू सेवा संघ बानपुर, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	छात्रावास	997713	1594103	0

164	निखिल उत्कल हरिजन सेवा संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (सैकेण्डरी)	1141920	2352822	1943866
165	उड़ीसा हरिजन सेवक संघ भंजपुर, पोस्ट - बारीपाडा, जिला - मयूरभंज, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1282920	0	0
166	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, सर्वोदय आश्रम, पोस्ट न्यूपाडा, जिला न्यूपाडा, उड़ीसा-766105	छात्रावास	1242720	0	1185030
167	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, जिला कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (सैकेण्डरी)	1120788	0	1793070
168	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास और पुस्तकालय	592020	1081980	988740
169	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	छात्रावास, सचल औषधालय टाईपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र	684630	2089807	811553
170	रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत आश्रम सारागालांजी, भवानी पटना, जिला कालाहांडी, उड़ीसा	सचल औषधालय	1008897	706950	0
171	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय)	उड़ीसा में सचल औषधालय (पदवा, जिला कौरापुर)	827135	706950	0
172	सेवा समाज पोस्ट गुनुपुर, जिला - रायगाडा, उड़ीसा	छात्रावास	599625	0	984353
173	श्री आर.के.मिशन आश्रम रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	छात्रावास, कृषि एवं सम्बद्ध विषय में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	5300000	5395185	5699930
174	सोशल वीकर अवेयरनेस डेवलपमेंट एण्ड इकोनॉमिक सर्विस (स्वदेशी), गोपाल बंधु नगर, फूलबनी, जिला - कांथामल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1615307	1579230	0
175	विश्व जीवन सेवा संघ सरधपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1039320	2020820	0
176	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (वैस्ट), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन 831011, झारखंड	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) 10-बिस्तरों वाला अस्पताल और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	0	6287019	785500
177	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, तालुका - मनसापोल, जिला - जाजपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2078640	2587311	1609470
178	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, सी-31, सेक्टर 1, रोमकेला जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा	सचल औषधालय	0	196680	837789
179	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) सरत, सुबुदीबांध, चंद्रपुर जिला-मयूरभंज, उड़ीसा में परियोजना	छात्रावास	851400	0	0
कुल			46808482	44719210	24470254
राजस्थान					
180	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, जिला - टोंक, राजस्थान	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पूर्वोत्तर की अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु वजीफा योजना	1286250	0	0
181	जनजाति महिला विकास संस्थान सवाई माधोपुर, राजस्थान	छात्रावास	0	686070	0
182	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा पोस्ट भिंडेर जिला - उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1028605	0	0

183	संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात-सुमेरपुर में परियोजना, जिला उदयपुर	सचल औषधालय	401670	0	0
184	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	2036646	2564280	0
कुल			4753171	3250350	0
सिक्किम					
185	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन चोगनेई गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	0	0	6901380
186	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगडा हिल्स, डी.पी.सी.ए. गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	2959851	2074320	4381966
कुल			2959851	2074320	11283346
तमिलनाडु					
187	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट, वेल्लोर, तमिलनाडु	छात्रावास	0	1395605	1120467
188	साउथ इंडिया एस.टी. वेलफेयर एसोसिएशन, साइदापेट, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	2050787	0	0
कुल			2050787	1395605	1120467
त्रिपुरा					
189	आर.के.मिशन विवेकनगर, त्रिपुरा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास और जल बांध	0	1445765	0
190	त्रिपुरा काउंसिल फॉर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रामनगर, त्रिपुरा	सचल औषधालय	346500	0	0
191	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	202500	0	3198095
192	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, श्रीराम कुटीर, 8वां थानारोड, वनमालीपुर, अगरतल्ला, त्रिपुरा	सचल औषधालय	0	0	796884
कुल			549000	1445765	3994979
उत्तर प्रदेश					
193	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, लखीमपुर में परियोजना	छात्रावास (4 यूनीट) आवासीय विद्यालय	2705840	1873172	0
194	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, झंडेवाला एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय) बलरामपुर और लखीमपुर खेरी में परियोजना	सचल औषधालय और छात्रावास	0	925191	0
195	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-55 (मुख्यालय) लखीमपुर खेरी में परियोजना	आवासीय विद्यालय	3335004	0	0
कुल			6040844	2798363	0
उत्तराखंड					
196	अशोक आश्रम पोस्ट - अशोक आश्रम, वाया - डाक पत्थर, देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	3007571	1734097	0
197	महिला ग्रामीण उत्थान समिति, दीवान निवास, जिला परिषद भवन, तिलडुकी, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	1039320	1039320	1609470
198	सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	599220	2192328	0
199	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. पोस्ट ग्वालदान, जिला चमोली, उत्तराखंड	सचल औषधालय	803340	401598	595278
200	भारतीय आदिम जाति सेवा संघ, पोस्ट कल्सी, जिला देहरादून, उत्तराखंड	छात्रावास	0	0	1238265

201	सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसायटी, पुणे महाराष्ट्र (मुख्यालय) उधमसिंह नगर में परियोजना	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	1476486	1139832	0
कुल			6925937	6507175	3443013
पश्चिम बंगाल					
202	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पोस्ट औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	2531026	2058300	1029150
203	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), पोस्ट बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, (6 यूनिट) पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय -सह-ए.वी. यूनिट	4281000	6943100	6943100
204	भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडंगा), बेलडंगा जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल और	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट) सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और टाइपिंग-आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	6854792	10762310	12013689
205	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) बुनाई/कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	2047212	3787615	3695859
206	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	1238850	1397025	1891890
207	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव-पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	0	4976896	0
208	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	875687	721755	721755
209	भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	873450	721755	721755
210	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1955590	1727550	0
211	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	1588340	0	1912629
212	भारत सेवाश्रम संघ (नादिया), ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टाइपिंग और सचल औषधालय	2049155	2954033	0
213	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पोस्ट जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1434706	0	1198666
214	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	401670	706950	706950
215	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1539547	1422225	0
216	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव+पोस्ट टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1260300	2102200	2102200
217	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	732600	1185030	1185030
218	बिकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1/बी, लाल बाजार, स्ट्रीट, कोलकता - 700001, पश्चिम बंगाल (मुख्यालय) गोपी बल्बपुर-2 में परियोजना, जिला पश्चिम मेदिनीपुर	सचल औषधालय	781740	390870	685350

219	बिरसा मुंडा एजुकेशन सेंटर ग्राम - क्रांति, पोस्ट - क्रांति हाट, जिला - जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1973340	3282930	0
220	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र गोहालडिहा, जिला - पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2921616	2459520	0
221	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, पोस्ट सालूगाड़ा, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-734318	गैर-आवासीय विद्यालय	601830	1541970	4539875
222	खालिसगड़िहा सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पोस्ट खालिसगड़िहा, जिला-पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1024110	4196494	2328309
223	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पैली, पोस्ट - कोरा चण्डीगढ़, मध्यम ग्राम, जिला - नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल पिन-743298	छात्रावास	1313550	0	695978
224	आर.के.मिशन ब्वायेज होम, रहारा, जिला-नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास-सह-आवासीय विद्यालय	2100240	1600470	1358910
	कुल		40380351	54938998	43731095
	कुल जोड़		339992772	396000000	250454371



अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान गैर सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(करोड़ रुपये में)				
क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.2009 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1.17	3.49	0.33
2	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.00	0.04
3	अरुणाचल प्रदेश	3.23	3.90	4.92
4	असम	0.85	0.74	0.53
5	छत्तीसगढ़	0.55	0.57	0.96
6	गुजरात	1.00	0.93	0.56
7	हिमाचल प्रदेश	1.06	0.58	1.32
8	झारखण्ड	3.09	3.48	0.45
9	जम्मू और कश्मीर	0.47	0.65	1.88
10	कर्नाटक	2.39	2.94	0.39
11	केरल	0.79	0.26	0.98
12	मध्य प्रदेश	1.20	1.26	0.52
13	महाराष्ट्र	1.82	1.68	0.70
14	मणिपुर	1.46	1.17	0.02
15	मेघालय	3.36	5.47	2.43
16	मिजोरम	0.15	0.41	0.04
17	नागालैण्ड	0.27	0.04	0.07
18	उड़ीसा	4.68	4.47	2.45
19	राजस्थान	0.48	0.33	0.00
20	सिक्किम	0.30	0.21	1.13
21	तमिलनाडु	0.20	0.14	0.11
22	त्रिपुरा	0.05	0.14	0.40
23	उत्तराखण्ड	0.69	0.65	0.34
24	उत्तर प्रदेश	0.61	0.28	0.00
25	पश्चिम बंगाल	4.04	5.49	4.37
26	दिल्ली	0.07	0.32	0.09
	योग	33.99	39.60	25.04

अनुबंध:10-ख

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 2009-10
(31.12.2009 तक) के दौरान निर्मुक्त किया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/प्राइवेट संस्थानों के नाम	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.2009 तक)	
		निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	
(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :					
1	आंध्र प्रदेश	46.38	0.00	0.00	
2	गुजरात	15.13	8.29	0.00	
3	कर्नाटक	3.20	0.00	0.00	
4	मध्य प्रदेश	35.29	11.71	0.00	
(ग) पेशेवर कोचिंग संस्थान :					
5	छत्तीसगढ़	कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, बत्रा सिनेमा के पास, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (छत्तीसगढ़ के लिये)	19.00	55.01	41.41
		दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (छत्तीसगढ़ के लिये)	9.00	17.75	0.00
6	दिल्ली	चाणक्य एकेडमी, दिल्ली	1.19	0.00	0.00
		कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, बत्रा सिनेमा के पास, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (दिल्ली के लिये)	18.80	24.06	38.41
		दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (दिल्ली के लिये)	8.80	18.00	0.00
7	झारखंड	झारखंड विकास संस्थान, एल-104, अगरोरा हाऊसिंग कालोनी, रांची, झारखंड	0.00	0.00	10.50
		निखिलेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड मैनेजमेंट(एनएलबीएम), 210, हरिओम टावर सरकुलर रोड, रांची, झारखंड	0.00	0.00	4.20
		हंस स्टडी सेंटर, 76, सर्कुलर रोड, रांची, झारखंड	0.00	0.00	10.95
8	मणिपुर	वालुनटियर्स फॉर, रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वोहरा), हेड ऑफिस लेमडोंग, जिला थाउबाल, मणिपुर	0.00	0.00	6.20

9	मध्य प्रदेश	क्रिस्टर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी, दूसरा तल, यमनोतरी, अपार्टमेंट, 96 नेहरू कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, पिन-474011, मध्य प्रदेश	18.00	33.90	30.44
		कोठारी इन्टीच्यूट, 7, शिवविलास पैलेस, राजवाड़ा चौक, इन्दौर, मध्य प्रदेश	15.00	29.94	36.82
		कुन्दन कल्याण समिति (कौटिल्य अकादमी), बिड़ला नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	0.00	0.00	11.00
		सोशली एडवांसेड, हेल्प एज रिजोलवर एसोसिएशन, नैपियर टाऊन, जबलपुर, मध्य प्रदेश	0.00	0.00	6.20
10	उड़ीसा	अभिनव उड़ीसा, एफ/573, सैक्टर-6, सीडीए, कटक-14, उड़ीसा	10.20	22.83	0.00
		सोशल वेलफेयर आर्गनाइजेशन फॉर, स्टीनथींग टूडेज, इण्डिया (एसडब्ल्यूओएसटीआई) पोस्ट-झारपोखरिया, जिला-मयूरभंज, उड़ीसा	0.00	0.00	9.32
11	राजस्थान	एनएसए कृषि समिति, डी-23, जगनपथ, चौमी हाऊस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	6.20	15.50	13.10
		उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्वकर्मा नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर-302018, राजस्थान	6.20	15.50	12.98
		वीएल सैनी कोचिंग सैन्टर, टोंकपाटक, जयपुर, राजस्थान-302018, राजस्थान	17.60	28.39	24.37
		सन्सिस्टम ऑफ इनफोरमेशन टेक्नॉलाजी, 53, तेजमंद, सदर थाना रोड़, अलवर, राजस्थान	0.00	0.00	6.20
12	त्रिपुरा	स्कूल ऑफ साईंस, पोस्ट कंगवान, जिला वेस्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा	0.00	0.00	9.00
13	पश्चिम बंगाल	नार्थ बंगाल सुबानतापाली फाऊंडेशन, ऑफ ग्लोबल, इनवॉयरमेंट, पोस्ट पाउल भवन, शिव मन्दिर, पोस्ट-कदमतल्ला, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	9.00
		कुल योग	229.99	280.88	280.10



अनुबंध:10-ख का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) निजी संस्थाओं/राज्य सरकारों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009.10 (31.12.2009 तक)
1	आंध्र प्रदेश	46.38	0.00	0.00
2	छत्तीसगढ़	28.00	55.01	41.41
3	दिल्ली	27.60	59.81	38.41
4	गुजरात	15.13	8.29	0.00
5	झारखंड	0.00	0.00	25.65
6	कर्नाटक	3.20	0.00	0.00
7	मध्य प्रदेश	68.29	75.55	84.46
8	मणिपुर	0.00	0.00	6.20
9	उड़ीसा	10.20	22.83	9.32
10	राजस्थान	30.00	59.39	56.65
11	त्रिपुरा	0.00	0.00	9.00
12	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	9.00
	कुल	228.80	280.88	280.10



अनुबंध:10-ग

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना के तहत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान वित्तपोषित संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)				
क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के नाम तथा पता	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.2009 तक)
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजिडेंसियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (41-श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, खम्माम, वारंगल, आदिलाबाद, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुडाप्पा, कुरनूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी)	138097195	189418110	0
2	चैतन्य एजुकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट, जिला-कडप्पा, आंध्र प्रदेश	2652000	699000	0
3	नवोदय इंटीग्रेशन कल्चरल सोशल एजुकेशन एंड वॉलेंटरी एक्शन, कुरनूल, आंध्र.	2672000	0	0
4	सरोजिनी देवी हरिजन महिला मंडली 10-11-635, बुरहानपुर, जिला - खम्माम, आंध्र.	0	867000	0
	कुल	143421195	190984110	0
अरुणाचल प्रदेश				
5	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (मुख्यालय) पक्के कसंग में परियोजना, जिला-वेस्ट कमेंग, अरुणाचल प्रदेश	0	375000	2204200
	कुल	0	375000	2204200
छत्तीसगढ़				
6	विवेकानन्द इंस्टीच्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेलफेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	1606000	3913218	0
	कुल	1606000	3913218	0
गुजरात				
7	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंसियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (36 यूनिट)	0	38708400	0
8	लोक निकेतन, ग्राम/पोस्ट-रत्नपुर, तालुक-पालनपुर, जिला-बनासकांठा, पिन-385 001, गुजरात	0	1352200	2821147
9	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, ग्राम/पोस्ट-सनाली, ता-दांता, जिला-बनासकांठा, गुजरात	0	508000	971758
	कुल	0	40568600	3792905
झारखंड				
10	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) लुम्बई में परियोजना	450000	0	0
11	झारखंड विकास संस्था, एल-104, अरगारा हाउसिंग कॉलोनी, रांची, झारखंड	0	375000	0
	कुल	450000	375000	0

कर्नाटक				
12	कर्नाटक रेजीडेंशियल एजुकेशनल सोसायटी, कर्नाटक (गुरुगुंटा, हुसकुरमाला, काक्केरा हथीकुनी तथा सागर जिले में 5-शैक्षिक परिसर)	18016000	0	0
	कुल	18016000	0	0
मध्य प्रदेश				
13	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, नियर ज्ञान मंदिर, हाइयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	0	8184086	0
14	आम ग्रामीण उत्थान समिति, सी.एस.ए. मार्ग, राणापुर, जिला-झाबुआ, म.प्र. (छात्रावास परियोजना)	0	212500	0
15	बंधवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश	0	4536700	0
16	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, म.प्र. (2-शैक्षिक आवासीय)	0	750000	0
17	मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजीडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसायटी, सत्पमा भवन, भोपाल, म.प्र.	0	14889200	0
18	म.प. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, 166-ई, मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	0	2892100	0
19	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल, म.प्र.	2793000	3472830	0
20	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, ग्राम/पोस्ट काठीवाड़ा, झबुआ, म.प्र.	1080000	2548400	0
21	रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, सिलवानी, मध्य प्रदेश	450000	0	0
22	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट अमर निकुंज अर्जुन नगर, सिद्धी, जिला सिद्धी पिन-486661, मध्य प्रदेश	2520200	0	5410639
23	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	569867	2039693	0
24	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय) सतना में परियोजना, मध्य प्रदेश	0	0	1080000
25	ग्रामीण सेवा केन्द्र, ग्राम/पोस्ट मंडलीनाथु, तहसील-राणापुर जिला-झाबुआ, पिन-457993, मध्य प्रदेश	689000	0	1845950
	कुल	8102067	39525509	8336589
महाराष्ट्र				
26	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	1392200	0	0
	कुल	1392200	0	0
उड़ीसा				
27	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, पोस्ट : अस्वखोला, पोस्ट- करमुल, जिला धोनकाना, उड़ीसा	1428000	3428718	0
28	ब्राइट कैरियर एकाडमी, एट-डोलोकनडेप, चंदनबाद एरिया पोस्ट-जेपौर, जिला-कोरापुट, पिन-76400, उड़ीसा	1440000	2853444	199256
29	जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एसोसिएशन (जीआईटीए), ब्राह्मणपाद, जिला कंधामल, उड़ीसा	0	3063000	0
30	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, एट/उत्कल ब्रांच, पीओ-सत्यभामापुर, जिला कटक, पिन-754200, उड़ीसा	0	459963	1206695
31	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन ग्राउंड लोर, एनएसी कॉम्पलेक्स, सुनाबेदा, जिला कोरापुट, उड़ीसा	1440000	3136700	3345795
32	लिबरेशन एजुकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) ग्रा. सुन्दरगढ़ जिला कोरापुट, उड़ीसा	1423000	3076700	0

33	मर-म्युनिंग आश्रम, औरबिन्दो नगर, पोस्ट जयपुर, जिला-कौरापुर, उड़ीसा	975000	2446200	0
34	एनवाईएसएडीआरआई, ऐट-संथसारा, पी.ओ.-संथापुर, जिला धोनकनाल, उड़ीसा	1179000	2706110	0
35	उड़ीसा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	0	82527800	0
36	परकल्पा, ग्राम/पोस्ट- ज्योतिपुर, तहसील-क्योंझर, उड़ीसा	0	4876400	3417760
37	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी ग्राम/पोस्ट-रायगाडा, तहसील-रायगाडा, उड़ीसा	430706	1336320	0
38	सेवा समाज, जिला रायगाडा, उड़ीसा	678000		1704450
39	सोशल एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी)	950800	2279990	0
	एन-2/152, आईआरसी गांव, नयापाली, भुवनेश्वर, उड़ीसा			
40	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट (एसडब्ल्यूएआरडी) ग्राम एवं पोस्ट - बैनसिया, जिला - ढेंकानॉल, उड़ीसा	1401000	0	0
41	सोसायटी फॉर नेचर, हेल्थ एण्ड एजुकेशन (एसएनईएच), प्लाट नं. एनडी-19-20, आईआरसी गांव, नयापाली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1484000	0	3210780
42	श्री रामाकृष्ण आश्रम ग्राम एवं पोस्ट - बादारोहिला, आंगुल उड़ीसा	1428000	3094700	3128700
43	टैगोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1243000	3064904	0
44	सर्वोदय समिति, कोरापुट, ग्राम/पोस्ट : कोरापुट पिन-764020 जिला कोरापुट, उड़ीसा	424963	1015037	3016700
	कुल	15925469	119365986	19230136
राजस्थान				
45	जनजातीय महिला विकास संस्थान अनुराग निवास, सवाई माधोपुर	0	1247257	0
46	लोक भारतीय प्रतिष्ठान बदकाई, पी.ओ.-डुंगला, पिन-312402, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान	740269	0	0
47	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति उदयपुर, हिन्दा, ग्राम/पोस्ट भिंडर उदयपुर, राजस्थान	2544000	0	0
48	राजस्थान बाल कल्याण समिति ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल (फलासिया) जिला-उदयपुर, राजस्थान	1634000	3645320	0
	कुल	4918269	4892577	0
पश्चिम बंगाल				
49	भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, जिला-मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल	3668800	0	0
	कुल	3668800	0	0
	कुल योग	197500000	400000000	33563830



अनुबंध:10-ग का राज्यवार सारांश

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढीकरण की योजना के तहत 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान गैर सरकारी संगठनों/राज्य संचालित स्वायत्त समितियों को निर्मुक्त की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.09 तक)
1	आंध्र प्रदेश	14.34	19.10	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.04	0.22
3	छत्तीसगढ़	0.16	0.39	0.00
4	गुजरात	0.00	4.05	0.38
5	झारखंड	0.05	0.04	0.00
6	कर्नाटक	1.80	0.00	0.00
7	मध्य प्रदेश	0.81	3.95	0.83
8	महाराष्ट्र	0.14	0.00	0.00
9	उड़ीसा	1.59	11.94	1.92
10	राजस्थान	0.49	0.49	0.00
11	पश्चिम बंगाल	0.37	0.00	0.00
	कुल	19.75	40.00	3.35



जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.2009 तक)
असम				
1	डा. अम्बेडकर मिशन कामरूप, असम	1650000	1410000	0
2	ग्राम विकास परिषद, गांव रंगालू, डाकघर-जुमारपुर, जिला- नौगांव असम	1398000	1398000	0
3	पठारी वोक्शेनल इंस्टीट्यूट बार लाइब्रेरी, नौगांव, असम	1398000	1398000	0
	कुल	4446000	4206000	0
छत्तीसगढ़				
4	जिमोलॉजीकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ओल्ड आरटीओ बिल्डिंग देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़	402571	0	0
	कुल	402571	0	0
गुजरात				
5	सेवा - रूरल सोसायटी फॉर एजुकेशन, वेलफेयर एण्ड एक्शन गुमानदेव, पी.ओ. - कपालसाडी, तालुका - झागाडिया, जिला - भरुच - गुजरात - 393110	2431500	405000	0
	कुल	2431500	405000	0
कर्नाटक				
6	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्यापीठ संस्था, देवेनगिरि	1398000	1398000	0
7	अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलोजी एंड दि इनवायरनमेंट, नं. 659, 5वां ए मेन रोड, हेब्बल, बंगलौर, पिन-560024	513750	0	0
	कुल	1911750	1398000	0
मध्य प्रदेश				
8	अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति विनय नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1398000	0	0
9	बंधोवाल शिक्षा समिति, भोपाल	2749500	2820000	0
	कुल	4147500	2820000	0
महाराष्ट्र				
10	प्रियदर्शिनी ग्रामीण एवं आदिवासी सेवाभावी संस्था, 1-दीपराज कॉम्प्लैक्स, न्यू नगर रोड, संगमनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	1386000	0	0
	कुल	1386000	0	0
मेघालय				
11	नॉगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ. - नांगक्रेम, वाया - मैडमरितिंग, शिलांग - 793021	1078473	1398000	0
	कुल	1078473	1398000	0

नागालैंड				
12	विटोले वूमन सोसायटी कोहिमा, नागालैंड	1122766	1716000	0
13	वूमेन वेलफेयर सोसायटी जूम्हेबोटो, नागालैंड	1362000	2796000	0
	कुल	2484766	4512000	0
तमिलनाडु				
14	भरतियार मूल नलवालू संस्थानम् 82, सन्यासी कुण्डू एक्सटेंसन, किचीपलायम, सलेम - 636015	4211440	0	0
	कुल	4211440	0	0
	कुल योग	22500000	14739000	0



अनुबंध:10-घ का राज्यवार (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए) सारांश

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान
(31.12.2009 तक) गैर-सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियाँ
(केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए)

(करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.09 तक)
1	असम	0.440	0.420	0.000
2	छत्तीसगढ़	0.040	0.000	0.000
3	गुजरात	0.240	0.040	0.000
4	कर्नाटक	0.190	0.140	0.000
5	मध्य प्रदेश	0.420	0.280	0.000
6	महाराष्ट्र	0.140	0.000	0.000
7	मेघालय	0.110	0.140	0.000
8	नागालैंड	0.250	0.450	0.000
9	राजस्थान	0.000	0.000	0.000
10	तमिलनाडु	0.420	0.000	0.000
11	दिल्ली	0.000	0.000	0.000
	कुल	2.250	1.470	0.000



अध्याय 11

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के रूप में ज्ञात) के विकास के लिए योजना

11.1 अनुसूचित जनजातियों के बीच कुछ जनजातीय समूह ऐसे हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। 17 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की प्रक्रिया 70 के दशक के मध्य में शुरू हुई थी तथा 1993-94 में समाप्त हुई और उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजाति समूहों के रूप में ज्ञात) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। आदिम जनजातीय समूहों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची अनुबंध: 11-क पर है। इन समूहों में से प्रत्येक समूह संख्या में कम हैं और इन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के किसी महत्वपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं किया है तथा सामान्यतया उनका वास स्थान दूर है जहां प्रशासनिक तथा अवसंरचना आधार खराब है। इसलिए ये अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक कमजोर समूह बन जाते हैं। अतः इसे प्राथमिकता दी जाती है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उनकी आबादी के घटते रुझान को नियंत्रित किया जाए तथा उनके विकास को बढ़ावा दिया जाए।

11.2 उद्देश्य : चूंकि जनजातीय समूहों में आदिम जनजातीय समूह अत्यंत कमजोर वर्ग है इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है। तथापि, यह देखने में आया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए



अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां पर्याप्त रूप से उन तक नहीं पहुंच रही हैं। अतः 1998-99 में आदिम जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित एक अलग योजना आरंभ की गई। इस बीच ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना में सुधार किया गया था तथा वर्ष 2008-09 में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

11.3 कार्यक्षेत्र : इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 अभिज्ञात आदिम जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है क्योंकि यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने आदिम जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी आयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की संस्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीटीजी, विशेषकर खानाबदोश प्रकार के पीटीजी, के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आदिम जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों के उपयोग को अभिशप्ति करने वाले दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। निधियों और कार्यकर्ताओं की समाभिरूपता का सामान्य



स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, जिला मैसूर, कर्नाटक
सिद्धांत भी लागू होता है।

11.4 योजना (सीसीडी योजनाओं) का कार्यान्वयन:

वर्ष 2009-10 के दौरान 31.12.2009 तक दीर्घकालिक “आदिम जनजातियों के लिए संरक्षण-व-विकास (सी. सी.डी.) योजना” के कार्यान्वयन को जारी रखा गया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इन संरक्षण-व-विकास योजनाओं को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने वर्ष 2007-08 के दौरान पांच वर्षों के लिए स्वयं द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निवास स्थान विकास दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किया था और मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन्हें अनुमोदित किया था। संरक्षण-व-विकास योजनाओं में प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक प्रावधानों तथा उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगाए गए अभिकरण का भी उल्लेख किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि उनके राज्य में पाए गए सभी आदिम जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान करने को तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करके कार्यकलापों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी क्षेत्र में उपायों के दोहराव से बचा जाए। नवाचारी योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से परिदान तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर ने अभी तक अपनी संरक्षण-व-विकास योजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं।

11.5 सीसीडी योजनाओं की जांच और अनुमोदन

एक विशेषज्ञ समिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सीसीडी योजनाओं की जांच करती है। विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

1. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष।
2. संबंधित संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सह-अध्यक्ष।
3. सलाहकार, योजना आयोग।
4. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
5. पीटीजी के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक विशेषज्ञ।
6. निदेशक (एसजी-1 और एसजी-2), जनजातीय कार्य मंत्रालय।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य को देख रहे निदेशक/ उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
8. निदेशक/उप-सचिव (एनजीओ) - सदस्य-सचिव।

अध्यक्ष को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित करने की स्वतंत्रता है।

11.6 अनुमोदित संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार वर्ष 2009-10 के प्राथमिकता वाले कार्यकलापों के आधार पर 2 राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उड़ीसा, को निधियां 31.12.2009 तक निर्मुक्त की गई हैं।

11.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरे होने के संभावित समय के बारे में सूचना प्रस्तुत करें ताकि परियोजना का अनुवीक्षण कारगर ढंग से किया जा सके। उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था हो और संरक्षण-व-विकास योजनाओं को इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाए।

11.8 कार्यान्वयन अभिकरण : यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई टी डी पी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

11.9 वित्तपोषण पद्धति : यह एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों के पक्ष में निधियां, सीसीडी योजना के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती हैं।

11.10 मानीटरिंग : सीसीडी योजना के कार्यान्वयन को मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मॉनीटर किया जाना अपेक्षित है। मंत्रालय के पास किसी भी समय मानीटरिंग और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए कार्यक्रम को शामिल करना भी अपेक्षित होता है।

जनश्री बीमा योजना (जे बी वाई)

11.11 वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय ने समस्त आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार से एक अर्जक सदस्य को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमे के तहत कवर करने का निर्णय लिया और यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के भीतर समस्त आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार को इसमें शामिल कर लिया जाए। वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय ने 16 राज्यों के आदिम जनजातीय समूहों के 1 लाख परिवारों में से प्रत्येक के एक अर्जक सदस्य को इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए 5 करोड़ रुपये और वर्ष 2005-06 के दौरान 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के आदिम जनजातीय परिवारों के 2 लाख ऐसे अर्जक सदस्यों के लिए 10.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की। वर्ष 2006-07 के दौरान पीटीजी परिवारों के 1.095 लाख अर्जक सदस्यों को कवर करने के लिए 5.48 करोड़ रुपये की राशि 9 राज्यों को निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान 04 राज्यों को आदिम जनजातीय परिवारों के 22400

अर्जक सदस्यों को शामिल करने के लिए 1.12 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई। वर्ष 2008-09 के दौरान किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने इस योजना के लिए निधियों की मांग नहीं की। इस प्रकार वर्ष 2004-05 से आदिम जनजातीय परिवारों के 4,31,900 अर्जक मुखिया को कुल 21.59 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। जनश्री बीमा योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध-11 (ख)** में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी :

- दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 50,000 रुपये का भुगतान;
- सामान्य मृत्यु की अवस्था में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 20,000 रुपये;
- आंशिक अपंगता की स्थिति में 20,000 रुपये; एवं
- बीमित व्यक्ति के 9वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों को 300 रुपये प्रति तिमाही शिक्षा अनुदान।

11.12 आबंटन : समग्र 11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 670.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2009-10 के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आबंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आबंटन और व्यय के ब्यौरे के साथ तालिका 11.1 में दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

तालिका 11.1 : वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक आबंटित और निर्मुक्त की गई राशि			
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2007-08	40.50	58.46	57.86
2008-09	178.00	194.00	192.07
2009-10 (31.12.2009 तक)	160.00	83.62	40.43

11.13 वर्ष के दौरान निष्पादन : संरक्षण-व-विकास योजनाओं के आधार पर वर्ष 2009-10 के दौरान 6 राज्यों को 40.43 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2009-10 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-11(ग)** में दिया गया है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) की राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार नाम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी का नाम	क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. बोडो गाडाबा 2. बोण्डो पोरजा 3. चेचूं 4. डोंगरिया खोण्ड 5. गुटोब गाडाबा 6. खोण्ड पोरजा 7. कोलाम 8. कोण्डा रेड्डी 9. कोण्डासवारा 10. कुलिया खोड 11. पारेंगी पोरजा 12. थोटी	7.	महाराष्ट्र	41. कथारी/कथोडी 42. कोलाम 43. मारिआ गोण्ड
2.	बिहार (झारखंड सहित)	13. असुर 14. बिरहोर 15. बिरजिया 16. हिल खारिया 17. कोरवा 18. मल पहारिया 19. परहइया 20. सौरिया पहारिया 21. सावर	8.	मणिपुर	44. मारम नागा
3.	गुजरात	22. काथोडी 23. कोतवालिया 24. पधार 25. सिंधि 26. कोलघा	9.	उड़ीसा	45. बिरहोर 46. बोड़ो 47. डिडाई 48. डोंगरिया खोण्ड 49. जुआंग 50. खारिया 51. कुटिया खोण्ड 52. लानजिया सावर 53. लोधा 54. मनकिरडिया 55. पौडी भूयान 56. साउरा 57. चुकतिया भूजिया
4.	कर्नाटक	27. जेनू कुरुबा 28. कोरागा	10.	राजस्थान	58. सहरिया
5.	केरल	29. चोलानाइकायन (कटुनायकन का एक भाग) 30. कदार 31. कट्टूनायकन 32. कुरुम्बा 33. कोरागा	11.	तल्लिनाडु	59. कट्टूनायकन 60. कोटा 61. कोरुम्बा 62. इरुला 63. पानियान 64. टोडा
6.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया 35. बैगा 36. भारिया 37. हिल कोरबा 38. कामार 39. सहरिया 40. बिरहोर	12.	त्रिपुरा	65. रियांग
			13.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुकसा 67. राजी
			14.	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर 69. लोधा 70. टोटो
			15.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज 72. जरावा 73. ओनो 74. सेंटनली 75. शोम पेन

(स्रोत : सातवी पंचवर्षीय योजना-1985-90 के दौरान अनु. जनजातियों के विकास पर कार्यकारी समूह।)

अनुबन्ध 11-ख

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्ववर्ती आदिम जनजातीय समूह) के विकास की योजना के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना के तहत कवर किए गए पीटीजी परिवारों के मुखियाओं हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को 2004-05 से निर्मुक्त की गई राशि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परिवारों की अनुमानित संख्या	2004-05 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2004-05 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या	2005-06 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2005-06 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या	2006-07 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2006-07 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या	2007-08 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2007-08 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	58000	60.00	12000	120.00	24000	110.00	22000	68.00	13600
2	बिहार	5920	5.00	1000	10.00	2000	0.00	0	0.00	0
3	छत्तीसगढ़	45500	40.00	8000	90.00	18000	0.00	0	0.00	0
4	गुजरात	26000	25.00	5000	50.00	10000	55.00	11000	0.00	0
5	झारखंड	72000	70.00	14000	145.00	29000	0.00	0	0.00	0
6	केरल	4500	2.50	500	5.00	1000	15.00	3000	0.00	0
7	कर्नाटक	8500	10.00	2000	20.00	4000	12.50	2500	5.39	1078
8	मध्य प्रदेश	90000	100.00	20000	200.00	40000	150.00	30000	0.00	0
9	महाराष्ट्र	70000	70.00	14000	140.00	28000	0.00	0	0.00	0
10	मणिपुर	2500	10.00	2000	2.50	500	0.00	0	0.00	
11	उड़ीसा	16000	12.50	2500	25.00	5000	42.50	8500	13.61	2722
12	राजस्थान	14000	12.50	2500	25.00	5000	0.00	0	0.00	0
13	तमिलनाडु	40000	40.00	8000	80.00	16000	80.00	16000	0.00	0
14	त्रिपुरा	25000	25.00	5000	50.00	10000	50.00	10000	25.00	5000
15	उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश	6500	2.50	500	7.10	1420	0.00	0	0.00	0
16	पश्चिम बंगाल	15500	15.00	3000	30.00	6000	32.50	6500	0.00	0
17	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	80	0.00	0	0.40	80	0.00	0	0.00	0
	कुल	500000	500.00	100000	1000.00	200000	547.50	109500	112.00	22400

* एक परिवार में पांच सदस्यों को मानते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर परिवारों की संख्या दी गई है।

अनुबंध-11-ग

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी टी जी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31-12-2009 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)					
क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य/गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2007-08	2008-09	2009-10 (31-12-09 तक)
1	अंडमान और निकोबार	1) अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	149.000	0.000	0.000
2	आंध्र प्रदेश	1) आंध्र प्रदेश सरकार	860.000	985.000	0.000
3	छत्तीसगढ़	1) छत्तीसगढ़ सरकार	700.000	615.330	0.000
		2) विश्वास, नारायणपुर, जिला बस्तर	1.951	0.000	0.000
		3) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	0.000	0.000	2.893
		4) विवेकानंद इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड सर्विस, छत्तीसगढ़	0.000	0.000	10.696
4	गुजरात	1) गुजरात सरकार	500.000	1943.220	0.000
5	झारखंड	1) झारखंड सरकार	0.000	1068.000	0.000
		2) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	174.261	165.885	168.595
		3) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर	25.645	28.265	49.796
		4) भारत सेवा आश्रम संघ, बाराजुरी, वाया-घाटशिला, झारखंड	39.460	37.829	0.000
6	कर्नाटक	1) कर्नाटक सरकार	200.000	3227.000	0.000
		2) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, हचिपुरा रोड, सारागुर, ताल- एचडी कोल, मैसूर जिला, 571121, कर्नाटक	0.000	19.275	20.474
7	केरल	1) केरल सरकार	0.000	960.000	0.000
8	मध्य प्रदेश	1) मध्य प्रदेश सरकार	1000.000	3754.900	2534.000
		2) बॉडेड लिब्रेशन फंड, नई दिल्ली (मुख्यालय)	12.661	0.000	0.000
		3) सेवा भारती, भोपाल	31.921	0.000	0.000
9	महाराष्ट्र	1) महाराष्ट्र सरकार	497.000	2007.980	0.000
		2) महारोगी सेवा समिति, बरोरा (लोक बिरादरी प्रकल्प), हेमाकक्ष पीओ-भमरागढ़, जिला-गढ़चिरौरी, पिन-442710	49.776	0.000	28.194
10	उड़ीसा	1) उड़ीसा सरकार	1000.000	1243.000	1228.700
11	राजस्थान	1) राजस्थान सरकार	0.000	1120.490	0.000
12	तमिलनाडु	1) तमिलनाडु सरकार	0.000	673.000	0.000
		2) नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, कोटागिरी, नीलगिरी जिला,	59.217	52.870	0.000
13	त्रिपुरा	1) त्रिपुरा सरकार	185.000	403.000	0.000
14	पश्चिम बंगाल	1) पश्चिम बंगाल सरकार	300.000	901.740	0.000
	कुल योग		5785.892	19206.784	4043.348

राज्यवार सारांश अनुबंध-11-ग

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (पूर्व में आदिम जनजातियों के विकास की योजना) (के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 (31.12.2009) तक निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	(लाख रुपये में) 2009-10 (31-12-2009 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	149.000	0.000	0.000
2	आंध्र प्रदेश	860.000	985.000	0.000
3	छत्तीसगढ़	701.951	615.330	13.589
4	गुजरात	500.000	1943.220	0.000
5	झारखंड	239.366	1299.979	218.391
6	कर्नाटक	200.000	3246.275	20.474
7	केरल	0.000	960.000	0.000
8	मध्य प्रदेश	1044.582	3754.900	2534.000
9	महाराष्ट्र	546.776	2007.980	28.194
10	उड़ीसा	1000.000	1243.000	1228.700
11	राजस्थान	0.000	1120.490	0.000
12	तमिलनाडु	59.217	725.870	0.000
13	त्रिपुरा	185.000	403.000	0.000
14	पश्चिम बंगाल	300.000	901.740	0.000
	कुल	5785.892	19206.784	4043.348



अध्याय 12

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

अनुसंधान

12.1 अनुसूचित जनजातियों जैसे अति महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय मूल्यों वाले लोगों से संबंधित विषयों में अनुसंधान के महत्व को कम नहीं माना जा सकता है। हालांकि, इस प्रकार के अनुसंधान कई संगठनों, यथा-भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं, तथापि जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस प्रकार के अनुसंधानों को एक सीमा तक निधियां देना महत्वपूर्ण मानता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसंधान योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं: -

- (1) राज्य और केन्द्र के मध्य 50 : 50 के आधार पर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान।
- (2) अखिल भारतीय स्वरूप अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता। अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने तथा जनजातीय मुद्दों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करने के लिये संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों को 100% के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता - अनुदान

12.2 इस योजना के अधीन अब तक आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं।



12.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को प्रशासनिक लागत सहित अपने व्यय पूरे करने के लिए 50% केन्द्रीय हिस्सा तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान निर्मुक्त करता है।

12.4 ये संस्थान राज्य सरकारों को योजनाएं बनाने में सहायता करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन, आंकड़े एकत्र करने, प्रशिक्षण संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने, पारम्परिक कानूनों का आलेखन करने, जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना करने तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यक्रम संचालित करने में सहायता करने के कार्य में लगे हुए हैं।

12.5 मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प एवं वास्तु संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए भी सहायता देता है।

12.6 पूरे देश में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में इस समय किए जा रहे सभी कार्यों का कारगर समेकन करने के लिए तथा इस संबंध में नए कार्यक्रम करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) की संकल्पना तैयार की है। नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीतिगत निवेश प्रदान करेगा, अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन संचालित करेगा तथा इन्हें समेकित करेगा तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थान के इस प्रकार के अन्य संबंधित कार्यक्रम, जिन्हें इनके कार्यभार के तहत सम्मिलित किया गया है, को पूरा करेगा। निम्नलिखित तालिका में चुनिंदा नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और इनसे संबंधित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को दर्शाया गया है :

नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान	समूह में अन्य जनजातीय अनुसंधान केन्द्र
उड़ीसा	आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
महाराष्ट्र	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात
मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान
असम	मणिपुर और त्रिपुरा

नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्यों के कल्याण विभागों को नीतिगत निवेश प्रदान करना;
- (ख) ऐसे अध्ययन और कार्यक्रम बनाना जो जनजातीय व्यक्तियों की जीवनशैली के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार कर सकें अथवा इनके संबंध में सहायता प्रदान कर सकें;
- (ग) जनजातियों की समस्याओं, उनके अकादमिक, कार्यकारी तथा विधायी क्षेत्रों के मामलों से संबंधित मुद्दों का मुख्य केन्द्र बनाना;
- (घ) संबंधित अनुसंधान संस्थानों और संगठनों तथा अकादमिक निकायों के साथ समेकन करना तथा इनके साथ नेटवर्क स्थापित करना;
- (ङ) अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

वर्ष 2009-10 का बजट अनुमान 11.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.00 करोड़ रुपए शामिल हैं और इसकी तुलना में वर्ष के दौरान 6.50 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है।

अखिल भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की सहायक परियोजनाएं -

12.7 यह योजना अध्ययन, सेमिनार/कार्यशालाओं और जनजातीय साहित्य को प्रकाशित करने के माध्यम से जनजातीय मुद्दों और विकास की योजनाओं/कार्यों के बारे में लोगों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष

1979-80 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 100% आधार पर गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :

- (i) अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन
- (ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों से संबंधित कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार-प्रसार, एवं
- (iii) जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

12.8 अनुसंधान अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को अनुसंधान मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए सहायता दी जाती है। 8 से 12 माह में पूरी की जाने वाली प्रत्येक परियोजना के लिए अनुसंधान अनुदान सामान्यतया 2.50 लाख रुपए अधिकतम है।

12.9 अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने की इच्छुक अनुसंधान संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों को इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन करना होता है।

12.10 **संवीक्षा एवं स्वीकृति** : परियोजना/प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और उनका चयन अनुसंधान सलाहकार समिति करती है, जिसमें जनजातीय कार्य/विकास के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं और इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है।

12.11 वर्ष 2009-10 के दौरान, मंत्रालय ने “अनुसूचित जनजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख” पर सुमाकर केन्द्र, नई दिल्ली में बाह्य स्रोत से अनुसंधान अध्ययन किया। अनुसूचित जनजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्याशित प्रभाव पर प्रस्तावित अनुसंधान अध्ययन का उद्देश्य जैव-संकेतकों का पता लगाना, अनुसूचित जनजातियों के परम्परागत प्रतिरोध तंत्र का प्रलेखन करना और केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा उन गैर-सरकारी संगठनों, जो जनजातीय विकास/कल्याण के क्षेत्र में कार्य करते हैं, द्वारा परियोजना रूपरेखा और हस्तक्षेपों को सरल बनाना है।

12.12 अनुसंधान अध्ययनों के लिए शेष किस्तों के लिए 3 संगठनों को भी अनुदान निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2009-10 के दौरान संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 100.00 लाख रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में 31.12.2009 तक 08.05 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त कर दी गई है। 2009-10 के दौरान प्रायोजित कार्यशालाओं/सम्मेलनों और अनुसंधान अध्ययनों की सूची **अनुबंध:12-(क)** में दी गई है।

12.13 संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों को कार्यशालाओं/सम्मेलन के लिए अथवा संस्थाओं के समूह को कार्यशालाओं/सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान निर्मुक्त किया जाता है जिससे अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करने, जनजातीय समूहों की कला, संस्कृति और परम्परा तथा जनजातीय विकास से संबंधित मुद्दों को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और इनका चयन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव/उप-महानिदेशक/आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के अधिकारियों से गठित आंतरिक चयन समिति द्वारा किया जाता है।

12.14 सहायता की मात्रा : संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित प्रतिमान पर अनुदान दिए जाते हैं :

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि रु. में
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-
तीन दिनों के लिए (अपवादात्मक मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरे अनिवार्य हैं)	1,00,000/-

12.15 अलिखित जनजातीय लोकवार्ताओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय प्रथिमानतः उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रु. की सहायता दी जाती है।

निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन

12.16 इस योजना की शुरुआत वर्ष 2005-06 में की गई। इस योजना के अधीन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ एवं विकासार्थ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन विशिष्ट एजेंसियों द्वारा कराया जाता है तथा मंत्रालय द्वारा 100% अनुदान दिए जाते हैं।

12.17 वर्ष 2009-10 के दौरान कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी II) को “जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना की ऑन लाईन वेब आधारित निगरानी का विकास करने” का कार्य सौंपा गया है। 2009-10 के दौरान 75.00 लाख रुपए बजट परिव्यय में से 6.98 लाख रुपए की राशि 31.12.2009 तक निर्मुक्त की गई है। एक वर्षीय निगरानी और तीन वर्षीय मूल्यांकन योजना की भी शुरुआत की गई है।

12.18 जनजातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से “जनजातियां : चित्रण” विषय पर नवम्बर, 2009 में **तृतीय राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता** का आयोजन किया है। इस फोटो प्रतियोगिता के माध्यम से, उनकी जीवन शैली का सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संघटकों को स्पष्ट करने का एक प्रयास किया गया है। भविष्य में जनजातियों के जीवन के असाधारण पहलुओं को खोजने के लिए तथा प्रदर्शन, संप्रेषण और मनोरंजन के कलात्मक रूप में उन्हें सुरक्षित करने के लिए ऐसी फोटो प्रतियोगिताएं सभी शौकीन और जनजातीय फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करेंगी। देशभर के 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रतियोगियों से 1146 प्रविष्टियों की जबर्दस्त प्रतिक्रिया में से, विशेषज्ञ अभिनिर्णायकों (जूरी) ने 927 प्रविष्टियों में से 13 पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रविष्टियों को चुना जिनमें 3 मुख्य पुरस्कार और 10 प्रशंसनीय पुरस्कार के लिए थी। विजेताओं को फरवरी, 2010 में जनजातीय पर्व “**प्रकृति**” के दौरान पुरस्कृत किया गया।



“मो करी” अभिजित भट्टाचार्य कोलकाता द्वारा। प्रथम पुरस्कार विजेता, तीसरी राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता, 2009

12.19 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की मुख्य विशेषताओं वाली एक पुस्तिका का भी मंत्रालय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/कार्यान्वयन कार्य एजेंसियों को वितरण करके प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रकाशित कर रहा है ताकि कार्यान्वयन प्रक्रिया में उन्हें सुविधा हो।

12.20 'विज्ञापन और प्रचार' नामक इस उप-योजना के तहत बजट अनुमान 2009-10 के लिए 1.75 करोड़ रुपए की तुलना में 31.12.2009 तक 1.55 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

जनजातीय त्यौहारों का आयोजन

12.21 'जनजातीय त्यौहारों के आयोजन' की योजना में अनुसूचित जनजातियों में अंतर-निहित प्रतिभा को प्रोत्साहित करके तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके स्थानीय, जिला; राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत जनजातीय कलाकारों/लोक कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और जनजातीय कलाओं तथा परम्परागत जनजातीय खेलकूद को संरक्षित रखने, प्रोत्साहित करने तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक मेले, त्यौहार तथा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

12.22 इस योजना के तहत जागरूकता पैदा करने, जनजातीय कला और संस्कृति तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तरीके से अभिनिर्धारित तथा तात्कालिक आवश्यकता पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

12.23 इस योजना के तहत जनजातीय सांस्कृतिक त्यौहारों तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों इत्यादि को उनके अपने वातावरण में आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सदस्यता/अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं।

12.24 राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार "प्रकृति" का दिनांक 05 से 07 फरवरी, 2010 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। यह मेला "आदिशिल्प" के साथ एकीकृत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड और संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यकलाप को संयुक्त रूप से आयोजित किया। एकीकृत मेला जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड

और संस्कृति मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम था, जिसमें ट्राइफेड ने जनजातीय सामान बेचा और संस्कृति मंत्रालय ने इस मेले को जनजाति कला और संस्कृति का एक समामेलन बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों से जनजातीय मण्डलियों के कार्य निष्पादन को शामिल किया।

12.25 मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 के दौरान अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए पांच राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश, झारखण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा एक राष्ट्रीय स्तर (जमशेदपुर) की "जनजातीय धनुर्विद्या प्रतियोगिताएं" आयोजित की हैं। इस उद्देश्यार्थ मंत्रालय ने भारतीय धनुर्विद्या संघ (एएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है। इस मंत्रालय ने भारतीय धनुर्विद्या संघ को वर्ष 2008-09 के दौरान सहायता-अनुदान के रूप में प्रथम किस्त के 17.70 लाख रु. निर्मुक्त किए हैं ताकि वे तैयारी संबंधी कार्यकलाप शुरू करने में सक्षम हो सकें।

12.26 इस योजना के तहत 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार जनजातीय त्यौहारों का आयोजन करने के लिए 1.50 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 8 राज्यों को 57.90 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार

12.27 मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से एक नई योजना "राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार" शुरू की है। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार कहा जाता है। जनजातीय जनसंख्या की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जनजातियों के कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां इस तथ्य के कारण भी बहुमूल्य हैं कि प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की सफलता की कहानियों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि उनसे संबंधित व्यक्ति जनजातीय जनसंख्या की भावी पीढ़ियों के आदर्श बन सकें। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने से जनजातीय लोगों की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और समाज की सोच को भारतीय समाज में जनजातीय लोगों की बहुमुखी भूमिका को स्वीकार करने तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तित किया जा सकेगा। इस प्रकार की उपलब्धियों

को मान्यता प्रदान करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। पाठ्य उपलब्धियों के चयन को सरल बनाने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया स्थापित करके योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। चूंकि चालू वर्ष के दौरान नियत समय के अंदर प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जा सके, राज्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे 2010-11 के दौरान विचारार्थ नामांकनों को समय से भेजें।

पुरस्कार का स्वरूप

(क) सर्वोत्तम जनजातीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:

इस संबंध में इन क्षेत्रों अर्थात (i) खेलकूद, (ii) शिक्षा, (iii) संस्कृति, (iv) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और जैव-विविधता संरक्षण तथा किसी अन्य क्षेत्र में (उत्कृष्ट योगदान) करने के लिए दो पुरस्कारों (एक जनजातीय उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिला के लिए और दूसरा जनजातीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले पुरुष के लिए; की व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई अनुकरणीय सामुदायिक सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार :

अलग-अलग व्यक्तियों और संगठनों अर्थात गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों और समुदाय आधारित समूहों द्वारा किसी अनुसूचित जनजातीय समुदाय के विकास के लिए किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा। इस श्रेणी के नकद पुरस्कार में 5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र तथा ट्रॉफी होगी।

(ग) सर्वोत्तम कार्य करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार :

सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय

विकास अभिकरण (आईटीडीपी) के लिए एक पुरस्कार होगा। इस नकद पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी दी जाएगी। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को पुरस्कार से प्राप्त धनराशि का उपयोग सामुदायिक परिसम्पत्तियां तैयार करने में करना होगा। पुरस्कार की धनराशि को उनकी किसी स्कीम के तहत उपलब्ध धनराशि अथवा उनकी स्वयं की निधियों में मिलाया जा सकता है।

उत्कृष्ट केन्द्र :

12.28 अनुसंधान संस्थान और संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तारी कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/ संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों को निर्धारित करने के संबंध में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:-

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

(ख) बी.ए.आई.ए. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

(ग) भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वडोदरा।

12.29 इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों की जनजातीय समुदायों से संबंधित गुणवत्तामूलक, कार्यान्मुख और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करना है।

12.30 ऐसे कार्यक्षेत्रों जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, में अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) अधिकार; अनुसूची v और अनुसूची vi के क्षेत्रों में महिला अधिकार; लघु और बड़ी परियोजना से प्रभावित जनजातीय परिवारों/जनजातीय क्षेत्रों के विस्थापन, अंतरण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास से संबंधित अनुसंधान अध्ययन(जनजातीय मुद्दों इत्यादि से संबंधित

मामले पर सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन; जनजातीय कलाकृतियों इत्यादि का प्रलेखन शामिल है।

12.31 उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में घोषित संस्थानों/संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान की जाती है।

जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान

12.32 अनुसूचित जनजातियों एसटी द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित चालू योजनाओं में से एक है जिसका प्रयास एकता की भावना पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य मेजबान एवं अतिथि के बीच एक-दूसरे की बेहतर जीवन पद्धति एवं सर्वोत्तम तकनीकी से परिचित होना है तथा ज्ञान में अभिवृद्धि करना है।

जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित है :-

1. यात्राओं के माध्यम से छात्रों एवं शिक्षकों सहित अनुसूचित जनजातियों को दूसरे राज्यों/जनजातियों के विभिन्न विकास, कल्याण तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रथाओं से बेहतर

दृंग से सीखने को मिलता है

2. अनुसूचित जनजातियों को अद्यतन कृषि तकनीकी, पशुपालन, गैर-काष्ठीय वनोत्पाद के प्रसंस्करण (एनटीएफपी), लघु उद्योगों इत्यादि से परिचित होता है

3. खेल विकास तथा/अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के माध्यम से जनजातियों में निहित प्रतिभाओं को निखारना एवं संवारना

12.33 इस योजना के अनुसार प्रत्येक समूह में 10 जनजातीय व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक एक समुदाय से 4 जनजातियों एवं स्थानीय निकाय से 5 महिलाएं हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति एक यात्रा से अधिक के लिए चुने जाने का पात्र नहीं है। इसके चयन में उच्चविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं जनजातीय अनुसंधान संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों/ग्राम परिषदों को तरजीह दी जायेगी। सहभागी 3-टीयर ए सी से यात्रा करने के पात्र हैं। आवास और यात्राओं का प्रबंध मेजबान राज्य द्वारा किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भाग लेने वालों को दैनिक भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया गया व्यय मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाता है, बशर्ते यह निर्धारित मानकों के अनुसार हो।



अनुबंध-12-क

वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन और निर्मुक्त निधियां

1. संगठन का नाम और पता	विषय
सुमाकर केन्द्र के-26, भू-तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली-110016	अनुसूचित जनजातियों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के दौरान अनुमोदित मूल्यांकन अध्ययन और निर्मुक्त निधियां

1. संगठन का नाम और पता	विषय
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) 249-एफ, उद्योग विहार, फेज-IV, सेक्टर-18 गुडगांव 122015, हरियाणा	“जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना का ऑन-लाइन वेब आधारित मॉनीटरिंग का विकास करना”



अध्याय 13

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय विकास

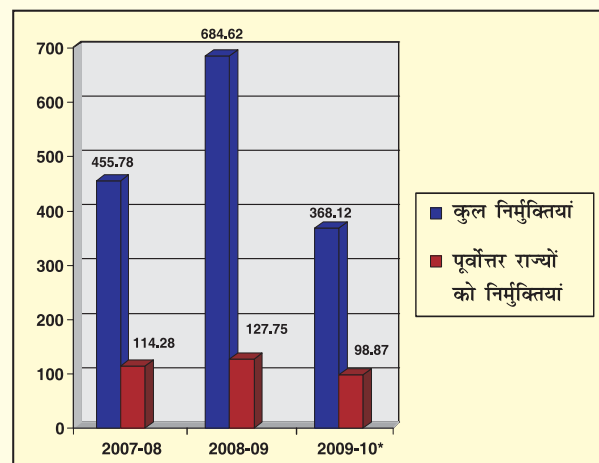
13.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक धनराशि आबंटित की जाती है।

13.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की योजनाओं के तहत कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सीधे अनुदान देता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करते समय पूरा ध्यान रखता रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन के कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित करता है।



13.3 वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध:13-(क)** में दर्शाया गया है। यह सूचना नीचे दी गई आकृति 13(i) में भी दी गई है:

आकृति 13(i) : केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां

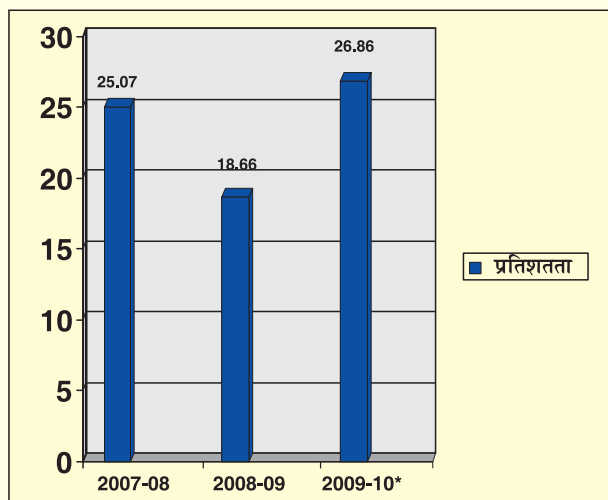


*31.12.2009 तक

13.4 वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्षवार निधियों के प्रवाह प्रतिशत को नीचे दी गई आकृति 13(ii) में दर्शाया गया है:

आकृति 13(ii) : केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता

13.5 वित्तीय वर्ष 2009-10 (31.12.2009 तक) के लिए यही आंकड़े अनुबंध- 13ख में दिए गए हैं।



*31.12.2009 तक



अनुबंध : 13-क

वर्ष 2007-08 से 2009-10 (31.12.2009) तक के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षवार निर्मुक्त की गई राशि

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2007-08		2008-09		2009-10*	
		कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	189.58	13.00	353.08	22.41	111.76	9.91
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	266.20	101.28	331.54	105.34	256.36	88.96
	उप जोड़ (I + II)	455.78	114.28	684.62	127.75	386.12	98.87
	उपर्युक्त I और II की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत			25.07	18.66	26.86	
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	678.26	58.88	780.87	122.98	449.67	51.33
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	390.28	46.84	390.78	33.37	340.85	35.40
V	अनुसूची-5 क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	443.23	0.00
	कुल (I से V तक)	1524.32	220.00	1805.27	284.10	1601.87	185.60
	उपर्युक्त I से V तक की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		14.43		15.74		11.59

* विनियोजन लेखा स्तर-3 के अनुसार

** 31.12.2009 तक

अनुबंध-13-ख

वर्ष 2009-10 (31-12-09 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	अखिल भारत कुल	अखिल भारतीय स्तर पर निर्मुक्त राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्से-दारी प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	28.83	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	2.91	14.31	51.33	449.67	11.42
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता-अनुदान	12.4077	0.00	3.525	0.0000	4.4100	5.7659	1.492	7.80	35.40	340.85	10.39
3	अनुसूची 5 क्षेत्रों एवं नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.23	0.00
4	अ.ज.जा. लड़के तथा लड़कियों के लिए छात्रावास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	26.64	24.92
5	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनु. जनजातियों की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	3.35	6.56
6	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण											
	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गैर-सरकारी संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य अनुसंधान, सूचना और जनसंचार प्रशिक्षण (2225)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सूचना और जन मीडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्कृष्ट केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8	अखिल भारतीय अथवा अंतर-राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
	जनजातीय त्यौहारों का आयोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	जनजातीय यात्राओं का आदान-प्रदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	अनुसंधान और प्रशिक्षण- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता-अनुदान (3601)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	सकल जोड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
9	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	5.21	3.84
10	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास											
	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00
	गैर सरकारी संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00
11	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक, एवं प्रतिभा उन्नय की योजना	25.10	0.00	21.63	6.72	15.71	7.34	0.41	5.41	82.32	199.38	41.29
12	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
13	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
14	राष्ट्रीय विदेशी छात्रावास की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
15	अनुसूचित जनजाति हेतु अनुकरणीय सेवा, कोचिंग एवं संबद्ध योजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	0.53	4.92	0.02	2.43	0.04	0.07	1.13	0.40	9.54	25.04	38.09
16	जनजातीय उत्पाद/उत्पादों का विपणन विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00
17	सूचना तकनीकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
18	निगरानी एवं मूल्यांकन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
	कुल	54.45	17.54	30.45	9.14	20.16	13.18	5.94	34.75	185.60	1601.87	11.59

अध्याय 14

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

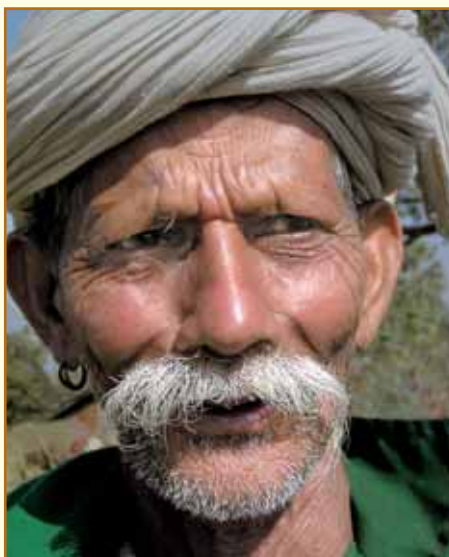
14.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ, जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और 19(1) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पीसी एंड वी अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त सभी आवेदनों तथा फीस के रजिस्टर में सही ढंग से प्रविष्टियां करने के बाद, आवेदनों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाता है। मंत्रालय से संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों का विवरण अनुबंध: 14-क में दिया गया है। इन अधिसूचनाओं



को (यथा संशोधित) इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दिया गया है।

14.2 इसी प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड); (ii) नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी); और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया है तथा इन्हें इस मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत (दिनांक 1.4.2009 से 31.12.2009 तक) प्राप्त आवेदनों तथा उनके दिए गए उत्तर के विवरण निम्नांकित हैं :

‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ के
अधीन प्राप्त आवेदनों की संख्या — 240
उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या — 215



अनुबंध : 14-क

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम, पदनाम और पता	दूरभाष संख्या	प्रभाग/अनुभाग
1.	श्री एस.के. राय अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कमरा सं. 118, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23382696	एकीकृत वित्त प्रभाग
2.	डॉ. बचित्तर सिंह संयुक्त सचिव, कमरा सं. 741, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115	23073489	एसजी/प्रशासन/सामान्य /पीसी एंड वी/एफआरए
3.	श्रीमती रूचिरा पंत संयुक्त सचिव, कमरा सं. 722, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115	23383622	एनजीओ/शिक्षा/सी एंड एलएम
4.	श्री एस.के. गुप्ता उप-महानिदेशक (सांख्यिकी), कमरा सं. 241, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	26182094	सांख्यिकी
5.	श्रीमती उर्वशी साधवानी सलाहकार (आर्थिक), कमरा सं. 242, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	26182429	पी एण्ड एम/सी पी एण्ड आर/आर एण्ड एम



**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में
केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (के.जन. अधि.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची**

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं०
1.	श्री पी.के. डे	उप-महानिदेशक	कमरा सं. 281, (सांख्यिकी) कमरा सं. 281, अगस्त, क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26182813
2.	सुश्री जुथिका पाटणकर	निदेशक (शिक्षा)	कमरा सं. 736, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073176
3.	सुश्री जुथिका पाटणकर	निदेशक (एनजीओ अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 736, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073176
4.	श्री ए.के. श्रीवास्तव	निदेशक	कमरा सं. 212, डी-विंग, (राज्य अनुदान) शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष : 23387444
3.	श्री जगदीश कुमार पोपली	निदेशक (प्रशासन, पी एंड सी)	कमरा सं. 214, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23073706
6.	श्री सी. गोसकन	उप-सचिव (सी पी एण्ड आर)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182814
7.	श्रीमती सुनीता	उप-सचिव (आईएफडी)	कमरा नं. 216-एच, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष: 23387396
8.	श्री के. टोथांग	उप सचिव (अनुसंधन एवं मीडिया)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 26182428
9.	श्रीमती संतोष	उप सचिव (पी एण्ड एम)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26182823
10.	डॉ. एन.के. घटक	संयुक्त निदेशक (सी एंड एलएम)	कमरा सं. 218-ए, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष : 23073176



अध्याय 15

जेंडर संबंधी मामले



15.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद के उपाय अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारिता का संरक्षण किया जा सके। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण किया गया है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है।

15.2 किसी भी देश के समग्र सामाजिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि योजनागत दृष्टि से भी आवश्यक है।

15.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति चिंतित है। अनुसूचित जनजातियां अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन और अलग-थलग होने के कारण एक समूह के रूप में कष्ट झेलते हैं। मंत्रालय की प्रमुख नीतियों का लक्ष्य तदनुसार, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं, दोनों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। तथापि, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अक्सर अधिक नुकसान उठाती हैं। इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सामान्य योजनाओं से महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के प्रयास करते समय कुछ

विशेष योजनाएं भी बनाई हैं, जो अनुसूचित जनजाति महिलाओं और लड़कियों के लिए ही हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करते हुए योजना के तहत उपलब्धियों को **अनुबंध:17 (क)** में दर्शाया गया है।

15.4 मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान की धारा 275 (1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता दी जाती है। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जाता है जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जनजातीय लड़कियों और महिलाओं के उन्नयन पर केन्द्रित हैं, ताकि वे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता सकें।

15.5 अनुसूचित जनजातियों में कम महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए “कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना” योजना की शुरुआत की गई थी। इसका वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया तथा इसका नाम “कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढीकरण” रखा गया। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन 2001 की जनगणना के अनुसार 54 चिह्नित किए गए कम साक्षरता वाले जिलों में किया जा रहा है जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम या इससे थोड़ी बहुत कम-ज्यादा है। उपरोक्त 54 चिह्नित किए गए जिलों के अतिरिक्त किसी भी जनजातीय ब्लॉक या जिले में जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा

अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम या थोड़ी-बहुत कम ज्यादा है, को भी इसमें शामिल किया गया है। आदिम जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को कम करना है, ऐसा चिह्नित किए गए जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा आदिम जनजाति समूहों के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों का 100% नामांकन करके तथा प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसायटी/संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। योजना नियमित विद्यालयों में उपस्थित होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जा सकता है। संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का अभिसरण करने की अभिकल्पना की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ मिडिल/माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, संशोधित योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है। संशोधित योजना में प्रत्येक कम साक्षरता वाले जिले में जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की भी अभिकल्पना की गई है जो 100 प्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित करने तथा मॉनीटर, फेसिलिटेटर की भूमिका निभाने तथा विभिन्न संस्थाओं के साथ सहायता सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी।

15.6 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत' अनुदान प्रदान करने की योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को शेष देश के बराबर लाने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन और उन्नयन से संबंधित विशिष्ट परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। योजना के

मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, किसी योजना की आयोजना से लेकर उसके कार्यान्वयन तक महिलाओं की भागीदारी सहित परियोजनाएं/ योजनाएं तैयार करने में महिलाओं को प्रभावित करने वाली चिन्तनीय बातों/मुद्दों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजनाएं इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि परियोजनाओं से महिलाओं को पर्याप्त, कम से कम 30%, लाभ मिले।

15.7 योजना के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत निधियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति तथा अपने गांवों से स्कूल दूर स्थित होने के कारण अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते, ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करके जनजातीय विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावासों के निर्माण तथा वर्तमान छात्रावास भवनों का विस्तार करने का प्रावधान है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना हेतु इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधियां प्रदान की जाती हैं। इन संशोधनों को 1.4.2008 से लागू किया गया तथा यह आशा की जाती है कि अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को बढ़ाने में इसका व्यापक प्रभाव होगा।

15.8 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफ डीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आय सृजन के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' (एएमएसवाई) नामक योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत, निगम 50,000 रु. की इकाई लागत तक वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लाभार्थियों से 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से अत्यधिक रियायती दर पर ब्याज वसूल किया जाता है।

15.9 वर्ष के दौरान, एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 5579 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु एनएसटीएफडीसी हिस्सेदारी वाली 27 योजनाओं के लिए 12.74 करोड़ रु. वित्तीय सहायता प्रदान की।

15.10 निगम मार्केटिंग सहायता अनुदान सहित अन्य आय सृजन योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, निगम एनएसटीएफडीसी वित्तीय सहायता के तहत और अधिक महिला लाभार्थियों को भी शामिल करने का प्रयास कर रहा है।

15.11 वर्ष 2001-02 में “जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान” नामक योजना शुरू की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग 10-12 दिन की अवधि के लिए देश के अन्य भागों की यात्रा कर सकें। इसका पूरा व्यय मंत्रालय वहन करता है। योजना के अनुसार 10 जनजातीय लोगों के प्रत्येक दल/समूह में कम से कम पांच महिलाएं सम्मिलित होंगी। इससे उनके संदर्श को व्यापक बनाया जा सकेगा और देश में हो रहे विकास के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी।

15.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के

उद्देश्य से 2007-08 से ‘राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार’ नामक एक योजना प्रारम्भ की है। व्यक्तिगत श्रेणी के अन्तर्गत, एक पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला होगी।

15.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी कुछ योजनाओं में 50% लड़कियों अथवा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए होती हैं। एम.फिल एवं पी. एच.डी के लिए राष्ट्रीय राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत यूजीसी को निर्देश जारी किए गए हैं कि 50% छात्रवृत्तियां महिलाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक महिला और एक पुरुष को भेजे।

15.14 “विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए समुदाय आधारित आय सृजनकारी कार्यकलाप। दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि निधियों का 30% “महिला संघटक” के लिए अलग रखा जाना है और महिला लाभार्थियों के आय सृजनकारी कार्यकलापों के लिए खर्च किया जाना है।



अनुबंध:15-क

वर्ष 2009-10 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

करोड़ रु. में

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2009-10 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2009 तक उपलब्ध लक्ष्य
1.	*राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम - आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	50.00	(i) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (ii) क्षेत्रवार सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां (क) कृषि और संबद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) सेवाएं	वर्ष के दौरान (31.12.09 तक) एनएसटीएफडीसी ने 5579 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 27 योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है जिसमें एनएसटीएफडीसी का अंश 12.74 करोड़ रु. है। वर्ष के दौरान किया गया सवितरण 2.17 करोड़ रु. है।
2.	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	651.0841** (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 69.3659 करोड़ रु.)	(i) सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या। (ii) संघटकवार भौतिक परिसम्पत्तियां/सृजित अवसर; (क) कृषि/बागवानी-हैक्ट. में (ख) वाटरशेड विकास/मृदा एवं नमी संरक्षण-हैक्ट में (ग) पशुपालन-संख्या में (घ) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसमें वनों का विकास शामिल है- हैक्ट. में अथवा प्राप्त लघुवन उत्पादों की मात्रा (ङ) वन ग्रामों का विकास-1500; (च) इन्टरप्रेनरशिप-का विकास-सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (छ) सभी संघटकों में कवर की गई महिलाओं का प्रतिशत; लक्ष्य और परिणाम राज्यों द्वारा की गई सभी परियोजनाओं के प्रकार पर निर्भर होंगे और परिणामों का निर्धारण सभी परियोजनाओं की स्वीकृति/कार्यान्वयन के पश्चात ही किया जा सकता है।	वर्ष 2009-10 में 31.12.2009 तक टीएसपी को एससीए के अंतर्गत 449.66545 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं। इसमें से 134.89964 करोड़ रु. दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित हैं। भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम/योजनाएं परिवारोन्मुख हैं तथा आवंटन आधारित प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान संप्रेषित किए जाते हैं जिनका निरूपण राज्य सरकारों द्वारा केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समेकित/जोड़कर किया जाता है।
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजनाएं	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजनाएं	215.95	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने (क) ग्रुप I (ख) ग्रुप II (ग) ग्रुप III (घ) ग्रुप IV पूरा कर लिया है।	199.34 करोड़ रु. की राशि के अनुदान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्मुक्त किए गए। इसमें से 70.71 करोड़ रु. 467673 अनुमानित छात्र-लाभार्थियों पर खर्च किए गए। 31.12.09 तक अध्ययन के सभी ग्रुपों में कुल लाभार्थियों की संख्या 1318462 है।

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2009-10 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2009 तक उपलब्ध लक्ष्य
4.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	59.00	(i) निर्मित छात्रवासों की क्षमता (ii) अधिभोग दर	31.12.09 तक 36.64 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं। इसमें लड़कियों के 5 छात्रावासों के लिए 12.49 करोड़ रु. शामिल हैं।
5.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.45	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि इस योजना में 10 व्यक्तियों के प्रत्येक समूह में कम से कम पांच महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान है।
6.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार	0.17	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	अलग-अलग श्रेणी के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वालों में एक महिला होनी चाहिए।
7.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) परन्तुक के अंतर्गत योजना	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत योजना	888.94	(i) चूंकि निधियन अवसंरचना में अंतराल को भरने के लिए तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर की प्रगति के लिए है, इससे जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की समग्र रूप से प्रगति होगी। तथापि, परियोजनावार परिमाणीकरण सम्भव नहीं है। दिशा निर्देश प्रावधान करते हैं कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले संबंधित मुद्दे, आयोजना से कार्यान्वयन स्तर तक महिलाओं की सहभागिता सहित परियोजनाओं/योजनाओं की तैयारी में, केन्द्रीय स्थान पर होने चाहिए। परियोजना इस प्रकार से आयोजित की जाए कि महत्वपूर्ण लाभ, कम से कम 30% अनुपात में, महिलाओं के लिए लक्षित हो। (पप) एकलव्य आदर्श आवासीय (ईएमआरएस)-100 विद्यालय	** 22 राज्यों में 100 विद्यालय जिसमें से 86 प्रचालन में हैं।
8.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.) की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढीकरण (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर की पूर्ववर्ती योजना)	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढीकरण	50.00	निधिपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या	योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए है। वर्ष 2009-10 के दौरान (31.12.2009 तक), 14 शैक्षणिक परिसरों को निधिपोषित किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की 1983 लड़कियों को कवर किया गया है और 3.35 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गए हैं।

* यह वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 में शामिल नहीं है।

** वर्ष 2009-10 के लिए टीएसपी को एससीए के तहत सामान्य आबंटन 720.45 करोड़ रु. हैं जिसमें प्रोत्साहन अनुदान (80.05 करोड़ रुपए) तथा वन ग्रामों का विकास (100.00 करोड़ रु.) के लिए प्रावधान शामिल नहीं है। वन ग्रामों के विकास हेतु पूर्वोत्तर के लिए कोई अलग आबंटन दर्शाया नहीं जा सकता है।

अध्याय 16

विभागीय लेखा संगठन



लेखा संरचना :

16.1 विभाग, अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख हैं।

संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय, जो भुगतान संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है, बजट एवं सभी प्रकार के लेन-देन का संकलन एवं उस पर निगरानी रखता है, के माध्यम से विभाग से संबंधित लेखा मामलों का उत्तरदायित्व प्रधान लेखा कार्यालय का है। लेखा संबंधी कार्यों में बिलों/वाउचरों की पूर्व लेखा परीक्षा, भुगतान की निर्मुक्ति, बजट की उपलब्धता के अनुसार व्यय पर नियंत्रण, मंत्रालय के मासिक लेखे को कम्प्यूटरीकृत करना, विनियोजन लेखे की तैयारी, केन्द्रीय लेन-देन का विवरण, संघ वित्त लेखा, अन्य संबंधित कार्य यथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, व्यय की प्रगति की निगरानी हेतु सचिव को योजनावार व्यय का विवरण देना, प्राप्ति बजट की तैयारी, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करना, आदि शामिल है।

16.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान एवं व्यय की निगरानी का कार्य नई दिल्ली स्थित एक मात्र वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। यह वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखा सीधे महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन इस मंत्रालय अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु प्रत्यायित बैंक है।

16.3 लेखे का कम्प्यूटरीकरण

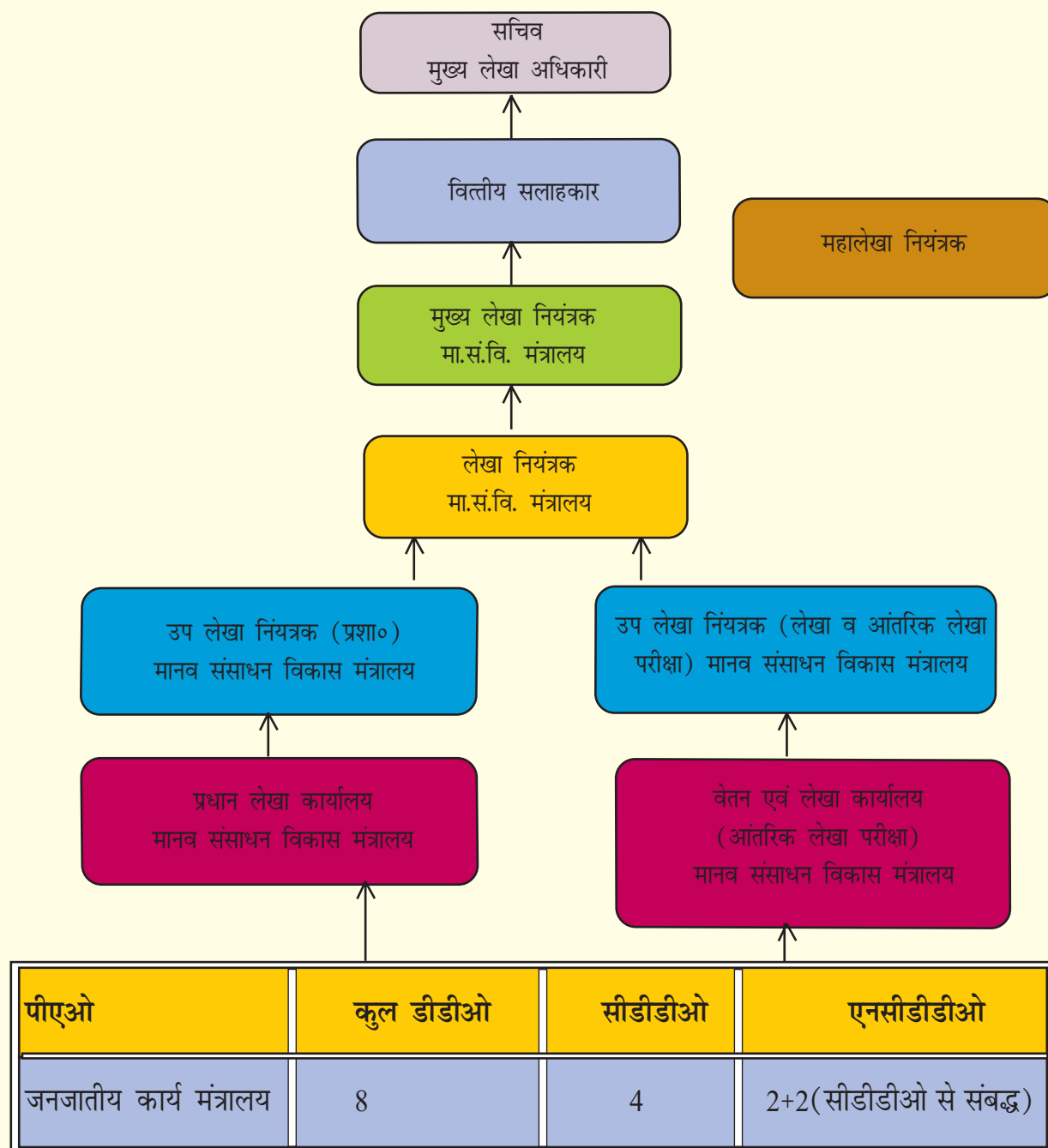
16.3.1 लेखा प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने में एक महत्वपूर्ण कदम महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा की गई पहल के कारण उठाया गया जो कॉम्पैक्ट (सीओएमपीएसीटी) पैकेज का कार्यान्वयन है, जो वेतन एवं लेखा कार्यालय के अधिकांश क्रियाकलापों के निष्पादन में भूमिका निभाता है। कॉम्पैक्ट का विकास करने का समग्र उद्देश्य वेतन एवं लेखा कार्यालय में क्रियाकलापों में गति एवं सटीकता लाना है, साथ ही, एक ही डाटा को बार-बार हाथ से लिखने के नियमित कठिन कार्य से निजात दिलाना है। इस पैकेज के माध्यम से कम्प्यूटर समर्थन का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बार डाटा एंटर करने पर उसे पुनः किसी अन्य प्रयोजन, यथा मासिक लेखा संकलन अथवा एमआईएस रिपोर्ट बनाने इत्यादि हेतु दोबारा एंटर करने की आवश्यकता नहीं रहती है।

इस प्रणाली से न केवल बेहतर लेखा कार्य तथा सूचना प्रबंधन संभव हुआ है बल्कि लेखा सूचनाओं के विश्लेषण में भी इससे सहायता मिली है। बहुत से ऐसे कार्य हैं, विशेषतः लेखा समायोजना जिनमें मानव श्रम की आवश्यकता है। यह पैकेज ऐसे कार्यों में सहायता करने के साथ-साथ इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण को बढ़ाने तथा सटीकता में सुधार करता है। यह पैकेज कम्प्यूटरीकृत वैलिडेशन के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण एवं लेखे की सुविधा देता है एवं इस प्रकार लेखे की गुणवत्ता के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कॉम्पैक्ट के सभी मॉड्यूल्स यथा पूर्व जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन, का वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने में अभिवृद्धि हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कई उपाय किए

लेखा संगठन की संरचना निम्नलिखित है।



जा रहे हैं, जिनके विषय में प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को नियमित रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एण्ड फाइनांस (आईएनजीएफ) में भेजा जाता है।

16.4 ई-लेखा

वेतन एवं लेखा कार्यालय वेबसाइट पर दैनिक आधार पर ई-लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड कर रहा है, ताकि प्रधान लेखा कार्यालय एवं महालेखा नियंत्रक विभिन्न

एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी कर सके तथा पीएओ के कार्य में पारदर्शिता ला सके।

ई-लेखा की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. मंत्रालय के व्यय की स्थिति का दैनिक आधार पर अभिनिश्चयन
2. इससे योजनावार व्यय की और अधिक प्रभावी रूप

से निगरानी होती है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ सभी योजनाओं की निगरानी न केवल इस मंत्रालय द्वारा अपितु प्रधानमंत्री कार्यालय तथा वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा ई-लेखा के माध्यम से भी होती है।

3. वेतन एवं लेखा कार्यालय में लंबित बिलों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

16.5 केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली:

केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली, की शुरुआत भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयन एन्टीटीज को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिला तथा उपमंडल एवं व्यय स्थानों को निधियों के प्रवाह पर विश्वसनीय डाटा हेतु की गई है। तदनुसार, इस मंत्रालय की सभी योजना स्कीमों का इस उद्देश्य हेतु विशेष सॉफ्टवेयर, अर्थात् केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के माध्यम से नक्शा बनाया गया है। इस विभाग के सभी कर्मचारियों को इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है, इसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न संगठनों/इकाइयों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को कोई भी देख सकता है। विभाग ने भी इसे अत्यंत लाभदायक पाया है।

16.6 नई पेंशन योजना:

नई पेंशन योजना की शुरुआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी निर्मुक्ति 1.1.2004 के बाद में हुई है। इस योजना के तहत वेतन (ग्रेड पे सहित) मंहगाई भत्ते के साथ 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा उसके बराबर के हिस्सों के सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से एनएसडीसी (सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) के पास उसके ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

16.7 आंतरिक लेखा परीक्षा:

प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, जो पारंपरिक लेखा परीक्षा आयोजित करती है, एकाकी योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन तथा उसके विषय में अवगत कराने के कार्य में शामिल है। अनुपालन/नियामक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा की संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकलकर निम्नांकित पर भी ध्यान देती है:

- सामान्यतः आंतरिक नियंत्रण की औपचारिकता एवं प्रभाव के आकलन तथा विशेषतः वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता;
- रिस्क फैक्टर्स (परिणाम बजट में हैं, उनके सहित) की पहचान एवं निगरानी;
- धन की महत्ता के सुनिश्चयन हेतु सेवा सुपुर्दगी प्रणाली की सक्षमता, प्रभाव तथा कम व्यय संबंधी महत्वपूर्ण आकलन।
- सुविधा एवं मध्यावधियों में सुधार लाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली

वर्ष 2008-09 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने अपने कर्मचारियों की अत्यंत सीमित संख्या के साथ कार्य निष्पादित किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय में 9 इकाई हैं, जिनमें से 4(चार) की लेखा परीक्षा की जानी थी तथा उनमें से 3(तीन) इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई।

31.3.2008 तथा बकाया पैरा, 2008-09 के दौरान उठाए गए पैरा तथा 2008-09 के दौरान समायोजित पैरा तथा 31.3.2009 तक बकाया पैराओं की संख्या निम्नांकित तालिका में दी गई है:-

1. 31.3.2008 तक बकाया पैराओं की संख्या	32
2. 2008-09 के दौरान उठाए गए पैराओं की सं.	21
3. कुल	53
4. 2008-09 के दौरान समायोजित पैराओं की संख्या	शून्य
5. 31.3.2009 तक बकाया पैराओं की संख्या	53

16.8 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन):

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति से संबंधित विवरण **अनुबंध-क** तथा **अनुबंध-ख** पर दिया गया है।

16.9 उपयोगिता प्रमाण पत्र:

मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समूची सूचनाओं हेतु एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है।

इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के चार स्तर हैं। प्रथम स्तर पर मंत्रालय स्वीकृति विवरण एंटर करता है। द्वितीय स्तर पर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं वितरण अधिकारी बिलों के विवरण एंटर करते हैं तथा तृतीय एवं चतुर्थ स्तरों पर वेतन एवं लेखा कार्यालय अंतिम रूप से बिलों के भुगतान हेतु उसका सत्यापन करते हैं तथा उन्हें स्वीकार करते हैं।

यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्गम निरूपण में उपयोगी होते

हैं। साथ ही, मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट में इस सॉफ्टवेयर से लिंक है ताकि ऐसी रिपोर्टों में रूचि रखने वाले लोग इसका अवलोकन कर सकें। इन रिपोर्टों का संक्षिप्त सारांश निम्नांकित है:

रिपोर्टें	
1.	वर्ष वार सारांश
2.	ब्यूरो वार सारांश
3.	ब्यूरो प्रभाग वार सारांश
4.	ब्यूरो डिविजन सैक्शन वर्ष वार सारांश
5.	ब्यूरो डिविजन सैक्शन वर्षवार
6.	गारंटी एवं योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थिति का सारांश
7.	अनुदान का वर्ष एवं प्रकृति वार सारांश
8.	वर्ष, महीना तथा राज्यवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
9.	वर्ष, राज्य, एवं जिलावार निर्मुक्त, अनुदान का सारांश
10.	वर्ष, एवं अनुदान प्राप्त कर्त्तावार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
11.	वर्ष एवं योजनावार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
12.	वर्ष स्कीम ग्रांटी तथा राज्यवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश



अनुबंध:16-क

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कृत कार्रवाई (एटीएन) टिप्पण की स्थिति

			पैराओं/पीए रिपोर्ट, जिन पर एटीएन लंबित है		
क्र. सं.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्ट की संख्या जिस पर ऑडिट द्वारा जांच के बाद पीएसी को एटीएन सौंपा गया है।	वैसे एटीएन की संख्या, जिन्हें मंत्रालय ने प्रथम बार भी नहीं भेजा।	भेजे गए एटीएन की सं., जिन्हें मंत्रालय को टिप्पणियों सहित वापस किया गया है तथा ऑडिट मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा है।	ऑडिट द्वारा अंतिम रूप से जांच किए गए परन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किए गए एटीएन की संख्या
		2*	4 #	5 @	

(*) अनुबंध : 16-ख की क्रय सं. 5 तथा 7 पर ऑडिट पैराएं

(#) अनुबंध : 16-ख की क्रम संख्या 6, 9, 10 तथा 11 पर ऑडिट पैराएं

(@) अनुबंध : 16-ख की क्रम संख्या 2, 3 तथा 8 पर ऑडिट पैराओं को ऑडिट की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद ऑडिट को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

अनुबंध : 16-ख

जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में सी एण्ड ए जी द्वारा दिए गए ऑडिट, पैराओं जो लंबित है, के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पण पर स्थिति

(करोड़ रु. में)				
क्र. सं.	रिपोर्ट संख्या	पैरा संख्या	संक्षिप्त विषय	वर्तमान स्थिति
1	1999 की रिपोर्ट 3	अध्याय 4	जनजातीय उपयोजना के तहत दी गई केंद्रीय सहायता के विषय में कुछ राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की अप्रस्तुति	दिनांक 10.2.2009 के ऑडिट की टिप्पणियों के अनुसार संशोधित एटीएन प्रक्रियाधीन है।
2	2001 की रिपोर्ट 1	11.12 (25)	20 करोड़ एवं 100 करोड़ के बीच अव्ययित प्रावधान के संबंध में	ऑडिट की टिप्पणियों के अनुसार, बचत नोट को शामिल कर संशोधित एटीएन नोट जांच हेतु 4.12.2009 को पहले ही भेजा जा चुका है।
3	2002 की रिपोर्ट 1	8.12 (3138)	20 करोड़ एवं 100 करोड़ के बीच अव्ययित प्रावधान के संबंध में	ऑडिट की टिप्पणियों के अनुसार, बचत नोट को शामिल कर संशोधित एटीएन नोट जांच हेतु 4.12.2009 को पहले ही भेजा जा चुका है।
4	2003 की रिपोर्ट 1	7.8 (21)	20 करोड़ एवं 100 करोड़ के बीच अव्ययित प्रावधान के संबंध में	ऑडिट की टिप्पणियों के अनुसार, बचत नोट को शामिल कर संशोधित एटीएन नोट जांच हेतु 4.12.2009 को पहले ही भेजा जा चुका है।
5	2005 की रिपोर्ट 1	6.10 (117)	व्यय का वेग (रश)	ऑडिट द्वारा जांच की गई। एटीएन की जांच की गई प्रति को 4.8.2009 को सीजीए, वित्त मंत्रालय को भेजा गया।
6	2005 की रिपोर्ट 2	16.1	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु छात्रावास के निर्माण हेतु आईआईटी दिल्ली को वित्तीय सहायता का अनियमित अनुदान	मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली के साथ इस विषय को उठाया है, परन्तु अनुस्मारकों के बाद भी उत्तर प्रतीक्षित है।
7	2006 की रिपोर्ट 1	6.1	व्यय का वेग (रश)	ऑडिट द्वारा जांच की गई। एटीएन की जांच की गई प्रति को 4.8.2009 को सीजीए, वित्त मंत्रालय को भेजा गया।
8	2006 की रिपोर्ट 1	7.12 (38)	सचिव (व्यय) के पूर्व अनुमोदन बिना पुनर्विनियोजन	26.08.2009 को जांच हेतु एटीएन भेजा गया और उसके बाद ऑडिट टिप्पणियों को शामिल करने के बाद संशोधित एटीएन को पुन जांच हेतु 20.12.2009 को ऑडिट को भेजा गया।
9	2007 की रिपोर्ट 1	8.40 से 8.49	ग्रंट नं. 94, लगातार अव्ययित प्रावधान, व्यय का वेग (रश)	सभी संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया कि वे एटीएन तैयार करें। एसएस एण्ड एफए द्वारा दिनांक 27.8.2009 को ली गई बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधितों को कहा गया कि वे शीघ्र कार्रवाई करें।
10	2007 की रिपोर्ट 14	संपूर्ण रिपोर्ट	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास	संबंधित राज्य सरकारों से कहा गया कि वे ऑडिट द्वारा उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं पर सामग्री प्रस्तुत करें। परन्तु, किसी ने उत्तर नहीं दिया। इस विषय को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है।
11	2008-09 की सीए 14	9.1	अव्ययित बकाया राशि की वसुली नहीं हो सकी, जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु मार्च, 1998 में बिहार सरकार को निर्मुक्त 4 करोड़ रु. के अव्ययित बकाया राशि की वसुली/समायोजन में मंत्रालय असफल रहा। इससे 10 वर्षों से अधिक तक अनुदान को अनियमित रूप से रखा गया।	इस पैरा को वित्त मंत्रालय के 27.01.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(2)/ई-समन्वय/2010 के माध्यम से प्राप्त किया गया तथा संबंधित प्रभाग को प्रारूपकृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) तैयार करने हेतु इसे भेजा गया है।



माननीय जनजातीय कार्यमंत्री एवं माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
गणतंत्र दिवस समारोह, 2010 के दौरान जनजातीय
अतिथियों को उपहार देते हुए।



नवम्बर, 2009 में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय स्तरीय फोटो
प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी छायाचित्र



प्रकृति, 2010 में नृत्य प्रदर्शन





माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री कांति लाल भूरिया तथा माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्री तुषार ए. चौधरी गणतंत्र दिवस समारोह, 2010 के दौरान मावलंकर ऑडिटोरियम में जनजातीय अतिथियों एवं झांकी कलाकारों हेतु आयोजित स्वागत-समारोह का उद्घाटन करते हुए



“प्रकृति, 2010” में जनजातीय लोक कलाकारों के साथ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री कांति लाल भूरिया, श्री जी.बी. मुखर्जी, सचिव (जनजातीय कार्य) तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण

